बी.एड. द्वितीय वर्ष

समावेशी विद्यालय का सृजन

(CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL)

GEDE-09

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY - BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Chitra Sharma
   Principal
   Evergreen Education Society, Bhopal (M.P.)
2. Dr. Lata Malviya
   Professor
   I.E.S. University, Bhopal (M.P.)
3. Dr. Vandana Chaturvedi
   Assistant Professor
   RKDF University, Bhopal (M.P.)

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)
2. Dr. L.S. Solanki
   Registrar
   Madhya Pradesh (Open) University, Bhopal (M.P.)
3. Dr. Jyoti S. Parashar
   Assistant Professor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)
4. Dr. Chitra Sharma
   Principal
   Evergreen Education Society, Bhopal (M.P.)
5. Dr. Vandana Chaturvedi
   Assistant Professor
   RKDF University, Bhopal (M.P.)
6. Dr. Lata Malviya
   Professor
   I.E.S. University, Bhopal (M.P.)

COURSE WRITERS

Dr Tejaswinee Anil Kadam, Ex-Professor , School of Education, Yashwantrao Chavan, Maharashtra Open University, Nashik
Units: (1.0-1.1, 1.7-1.8, 1.13-1.17, 2.0-2.1, 2.2-2.10, 2.11-2.15)

Dr. Shankar Lal Nayak, Assistant Professor, School of Education, Central University of Haryana
Units: (1.2-1.6, 1.9-1.12)

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

समावेशी विद्यालय का सृजन

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 विविधता एवं समावेशन : एक परिचय– सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, लैंगिकता एवं भाषा, क्षमता और अक्षमता; समावेशी शिक्षा की पारिभाषाएं, अवधारणा एवं क्षेत्र– आवश्यकता और महत्व, समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त, पृथक्ककरण से एकीकरण; समावेशन का दर्शन– विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा; श्रवणबाधिता– श्रवणबाधित बालक की विशेषताएं, श्रवणबाधिता के कारण, श्रवणबाधिता की पहचान; दृष्टिदोष– दृष्टिबाधित बालक की विशेषताएं, दृष्टि क्षमता का व्यक्तित्त्व पर प्रभाव, दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा, दृष्टिबाधित दिव्यांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी; शारीरिक दिव्यांग बालक और स्नायुओं की कमजोरी प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात– शारीरिक दृष्टि से अक्षम/दिव्यांग बालक (पोलियोग्रस्त तथा हाथपैर टूटे हुए बालक), पोलियोग्रस्तता से निर्मित अक्षमता : संकल्पना, शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों की पहचान, शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के मददगार साधन या यंत्र सामग्री, शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए कक्षा में आयोजित योजनाएं, शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव तथा पुनर्वास व्यवस्था; प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात/स्नायुओं की कमजोरी वाले बालक– प्रमस्तिष्क घात वाले बालक : संकल्पना (अप्रगत कारक विकासशील बालक), प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों की पहचान/लक्षण, प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के लिए मददगार यंत्र सामग्री/साधन, प्रमस्तिष्क घात वाले विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु विशेष कक्षा व्यवस्थापकीय योजनाएं, प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था; बौद्धिक अक्षमता– बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी, बौद्धिक अक्षमता के लिए विशेष पाठ्यक्रम; सीखने की अक्षमता– सीखने में अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलन और सहायक उपकरण, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के प्रबंधन की रणनीतियाँ, पाठ्यचर्या अनुकूलन; बहु दिव्यांगता– बहु दिव्यांगता के कारण, बहु दिव्यांग बालकों की शिक्षा; स्वलीनता– स्वलीनता के कारण, स्वलीनता से ग्रसित बालकों के लिए सहायक तकनीकें	**इकाई 1** : समावेशी विद्यालय के शिक्षार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं **(पृष्ठ 3–116)**
इकाई–2 बाधारहित विद्यालयों का निर्माण– शिक्षा के आयाम, समावेशी पाठशालाओं की संरचनात्मक/अधोसंरचना की सुविधाएं, आदर्श समावेशी विद्यालय; समावेशी कक्षा का प्रबंधन– संसाधन कक्ष का प्रबंधन, समावेशी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन व प्रबंधन; समावेशी शिक्षा की अनुदेशन एवं मूल्यांकन प्रणाली– विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन, सहभागित्व अध्ययन; कक्षा में अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग; अध्ययन हेतु जगन्मान्य अभिकल्प/सार्वभौमिक प्रारूप; विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप निवास व्यवस्थाएं एवं वैकल्पिक मूल्यांकन– निवास व्यवस्थाएं, विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप वैकल्पिक मूल्यांकन; समावेशी शिक्षा हेतु सहयोगी क्रियाएं– समावेशी शिक्षा में बालकों को समावेशित कराने हेतु अभिभावक या परिवारजनों की भूमिका, समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को समावेशित करने में समुदायों की भूमिका; समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता को समुपदेशन एवं नियम–कानूनों की जानकारी– अभिभावकों को समुपदेशन, नियम कानूनों की जानकारी; समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाओं हेतु कौशल्य एवं क्षमताएँ– अध्यापक के कौशल्य गुण, अध्यापक की क्षमताएं – भूमिका	**इकाई 2** : समावेशी शिक्षा का नियोजन एवं प्रबंधन **(पृष्ठ 117–206)**

विषय–सूची

परिचय 1–2

इकाई 1 समावेशी विद्यालय के शिक्षार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं 3–116

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 विविधता एवं समावेशन : एक परिचय
1.2.1 सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता
1.2.2 लैंगिकता एवं भाषा
1.2.3 क्षमता और अक्षमता
1.3 समावेशी शिक्षा की पारिभाषाएं, अवधारणा एवं क्षेत्र
1.3.1 आवश्यकता और महत्व
1.3.2 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त
1.3.3 पृथक्ककरण से एकीकरण
1.4 समावेशन का दर्शन
1.4.1 विशिष्ट शिक्षा
1.4.2 एकीकृत शिक्षा
1.4.3 समावेशी शिक्षा
1.5 श्रवणबाधिता
1.5.1 श्रवणबाधित बालक की विशेषताएं
1.5.2 श्रवणबाधिता के कारण
1.5.3 श्रवणबाधिता की पहचान
1.6 दृष्टिदोष
1.6.1 दृष्टिबाधित बालक की विशेषताए
1.6.2 दृष्टि क्षमता का व्यक्तित्त्व पर प्रभाव
1.6.3 दृष्टिबाधित बालकों की पहचान
1.6.4 दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा
1.6.5 दृष्टिबाधित दिव्यांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी
1.7 शारीरिक दिव्यांग बालक और स्नायुओं की कमजोरी प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात
1.7.1 शारीरिक दृष्टि से अक्षम/दिव्यांग बालक (अस्थि बाधित दिव्यांग बच्चे)
1.7.2 पोलियोग्रस्तता से निर्मित अक्षमता : संकल्पना
1.7.3 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों की पहचान
1.7.4 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के मददगार साधन या यंत्र सामग्री
1.7.5 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए कक्षा में आयोजित योजनाएं
1.7.6 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव तथा पुनर्वास व्यवस्था
1.8 प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात/स्नायुओं की कमजोरी वाले बालक
1.8.1 प्रमस्तिष्क घात वाले बालक : संकल्पना (अप्रगत कारक विकासशील बालक)
1.8.2 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों की पहचान/लक्षण
1.8.3 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के लिए मददगार यंत्र सामग्री/साधन
1.8.4 प्रमस्तिष्क घात वाले विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु विशेष कक्षा व्यवस्थापकीय योजनाएं
1.8.5 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था
1.9 बौद्धिक अक्षमता
1.9.1 बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी
1.9.2 बौद्धिक अक्षमता के लिए विशेष पाठ्यक्रम

1.10 सीखने की अक्षमता
1.10.1 सीखने में अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलन और सहायक उपकरण
1.10.2 सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के प्रबंधन की रणनीतियाँ, पाठ्यचर्या अनुकूलन
1.11 बहु दिव्यांगता
1.11.1 बहु दिव्यांगता के कारण
1.11.2 बहु दिव्यांग बालकों की शिक्षा
1.12 स्वलीनता
1.12.1 स्वलीनता के कारण
1.12.2 स्वलीनता से ग्रसित बालकों के लिए सहायक तकनीकें
1.13 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.14 सारांश
1.15 मुख्य शब्दावली
1.16 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.17 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 समावेशी शिक्षा का नियोजन एवं प्रबंधन **117–206**

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 बाधारहित विद्यालयों का निर्माण
2.2.1 शिक्षा के आयाम
2.2.2 समावेशी पाठशालाओं की संरचनात्मक/अधोसंरचना की सुविधाएं
2.2.3 आदर्श समावेशी विद्यालय
2.3 समावेशी कक्षा का प्रबंधन
2.3.1 संसाधन कक्ष का प्रबंधन
2.3.2 समावेशी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन व प्रबंधन
2.4 समावेशी शिक्षा की अनुदेशन एवं मूल्यांकन प्रणाली
2.4.1 विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन
2.4.2 सहभागित्व अध्ययन
2.5 कक्षा में अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग
2.6 अध्ययन हेतु जगन्मान्य अभिकल्प/सार्वभौमिक प्रारूप
2.7 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप निवास व्यवस्थाएं एवं वैकल्पिक मूल्यांकन
2.7.1 निवास व्यवस्थाएं
2.7.2 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप वैकल्पिक मूल्यांकन
2.8 समावेशी शिक्षा हेतु सहयोगी क्रियाएं
2.8.1 समावेशी शिक्षा में बालकों को समावेशित कराने हेतु अभिभावक या परिवारजनों की भूमिका
2.8.2 समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को समावेशित करने में समुदायों की भूमिका
2.9 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता को समुपदेशन एवं नियम–कानूनों की जानकारी
2.9.1 अभिभावकों को समुपदेशन
2.9.2 नियम कानूनों की जानकारी
2.10 समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाओं हेतु कौशल्य एवं क्षमताएँ
2.10.1 अध्यापक के कौशल्य गुण
2.10.2 अध्यापक की क्षमताएं – भूमिका
2.11 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.12 सारांश
2.13 मुख्य शब्दावली
2.14 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.15 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक "समावेशी विद्यालय का सृजन" का लेखन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बी.एड. के पाठ्यक्रमानुसार किया गया है।

विशेष शिक्षा एक जटिल व्यवस्था है जो दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनी है। प्रारंभ में सभी देशों और समाजों में यह माना जाता था कि दिव्यांग बालक अपनी अक्षमता के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए सामान्य विद्यालयों में उनके प्रवेश को लगभग मना ही कर दिया जाता था। सामान्य विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों तथा उनके अभिभावकों को भी लगता था कि दिव्यांग बालक सामान्य बालकों की कक्षा में पढ़ेंगे तो उनके शिक्षण का स्तर गिर जाएगा। आगे चलकर जब इन दिव्यांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना हुई और इन बालकों ने अपने कौशल विकास के साथ ही पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया तो इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला और विशेष शिक्षा के महत्व को समझा गया। 'विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक' की अवधारणा ब्रिटेन की देन है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में विशेष शिक्षा आवश्यकताओं पर अत्यधिक अनुसंधान प्रारंभ हो गया। हालांकि उस समय बालक की दिव्यांगता जैसे दृष्टिहीनता, बधिरता, अस्थि दिव्यांगता आदि के अनुसार अलग–अलग विशेष विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती थी।

समावेशी विद्यालय सृजन की इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह पुस्तक तैयार की गई है। इसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों का समावेश किया गया है। प्रत्येक इकाई के प्रारंभ में विषय का विश्लेषण करने से पहले उसके निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। इकाई के बीच–बीच में 'अपनी प्रगति जांचिए' के माध्यम से विद्यार्थियों की योग्यता को परखने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण पुस्तक को दो इकाइयों में बांटा गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है–

पहली इकाई में समावेशी विद्यालय के विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के अंतर्गत विविधता एवं समावेशन, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं एवं क्षेत्र, समावेशन का दर्शन, श्रवणबाधिता, दृष्टिदोष, शारीरिक दिव्यांग बच्चे और स्नायुओं की कमजोरी, प्रमस्तिष्क घात, पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता, सीखने की अक्षमता, बहु दिव्यांगता तथा स्वलीनता के विविध पहलुओं को सम्मिलित किया गया है।

दूसरी इकाई समावेशी शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन की विवेचना करती है। इसके अंतर्गत बाधारहित विद्यालयों का निर्माण, समावेशी कक्षा का प्रबंधन, समावेशी शिक्षा की अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग, अध्ययन हेतु जगन्मान्य अभिकल्प, विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप निवास व्यवस्थाएं, समावेशी शिक्षा हेतु

सहयोगी क्रियाएं, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता को समुपदेशन एवं नियम–कानूनों की जानकारी तथा समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाओं हेतु कौशल्य एवं क्षमताएं आदि विषयों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक में 'समावेशी विद्यालय सृजन' के विविध स्वरूपों का सांगोपांग अध्ययन किया गया है। इन इकाइयों के अध्ययन से छात्र संबंधित विषयों से भलीभांति अवगत हो सकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा को शांत कर उनका ज्ञानवर्द्धन करेगी।

इकाई 1 समावेशी विद्यालय के शिक्षार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं

संरचना

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 विविधता एवं समावेशन : एक परिचय
  1.2.1 सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता
  1.2.2 लैंगिकता एवं भाषा
  1.2.3 क्षमता और अक्षमता
1.3 समावेशी शिक्षा की पारिभाषाएं, अवधारणा एवं क्षेत्र
  1.3.1 आवश्यकता और महत्व
  1.3.2 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त
  1.3.3 पृथक्ककरण से एकीकरण
1.4 समावेशन का दर्शन
  1.4.1 विशिष्ट शिक्षा
  1.4.2 एकीकृत शिक्षा
  1.4.3 समावेशी शिक्षा
1.5 श्रवणबाधिता
  1.5.1 श्रवणबाधित बालक की विशेषताएं
  1.5.2 श्रवणबाधिता के कारण
  1.5.3 श्रवणबाधिता की पहचान
1.6 दृष्टिदोष
  1.6.1 दृष्टिबाधित बालक की विशेषताए
  1.6.2 दृष्टि क्षमता का व्यक्तित्त्व पर प्रभाव
  1.6.3 दृष्टिबाधित बालकों की पहचान
  1.6.4 दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा
  1.6.5 दृष्टिबाधित दिव्यांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी
1.7 शारीरिक दिव्यांग बालक और स्नायुओं की कमजोरी प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात
  1.7.1 शारीरिक दृष्टि से अक्षम/दिव्यांग बालक (अस्थि बाधित दिव्यांग बच्चे)
  1.7.2 पोलियोग्रस्तता से निर्मित अक्षमता : संकल्पना
  1.7.3 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों की पहचान
  1.7.4 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के मददगार साधन या यंत्र सामग्री
  1.7.5 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए कक्षा में आयोजित योजनाएं
  1.7.6 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव तथा पुनर्वास व्यवस्था
1.8 प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात/स्नायुओं की कमजोरी वाले बालक
  1.8.1 प्रमस्तिष्क घात वाले बालक : संकल्पना (अप्रगत कारक विकासशील बालक)
  1.8.2 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों की पहचान/लक्षण
  1.8.3 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के लिए मददगार यंत्र सामग्री/साधन
  1.8.4 प्रमस्तिष्क घात वाले विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु विशेष कक्षा व्यवस्थापकीय योजनाएं
  1.8.5 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था

1.9 बौद्धिक अक्षमता
  1.9.1 बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी
  1.9.2 बौद्धिक अक्षमता के लिए विशेष पाठ्यक्रम
1.10 सीखने की अक्षमता
  1.10.1 सीखने में अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलन और सहायक उपकरण
  1.10.2 सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के प्रबंधन की रणनीतियाँ, पाठ्यचर्या अनुकूलन
1.11 बहु दिव्यांगता
  1.11.1 बहु दिव्यांगता के कारण
  1.11.2 बहु दिव्यांग बालकों की शिक्षा
1.12 स्वलीनता
  1.12.1 स्वलीनता के कारण
  1.12.2 स्वलीनता से ग्रसित बालकों के लिए सहायक तकनीकें
1.13 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.14 सारांश
1.15 मुख्य शब्दावली
1.16 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.17 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय

समावेशी शिक्षा का अर्थ है समस्त बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, जिनमें शारीरिक दिव्यांगता या कोई शारीरिक कमियाँ हों जैसे, सुनाई नहीं देना, चलने मे कठिनाई, मानसिक दिव्यांगता या लिखने–पढ़ने में कठिनाई महसूस करना तथा जो अन्य बच्चों से कमजोर हो सकते हैं। समावेशी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाल कर उनको मुख्यधारा में लाना है। अर्थात बाधित बालकों एवं बालिकाओं (ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं) की सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है। साथ ही केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा न दिया जाए बल्कि सभी प्रकार से कमजोर या पिछड़े बच्चों, अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों पर भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि देश की मुख्यधारा में आकार वे भी अपनी योग्यताओं का विकास करें और देश की उन्नति में योगदान कर सकें।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे कि वे सरलता–सुगमता के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। धीरे–धीरे समाज की सोच में भी परिवर्तन होने लगा और अभिभावक भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु आगे आने लगे। आज देश भर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था है और ये बालक इन विद्यालयों में अध्ययन कर अपनी क्षमता के अनुरूप देश की उन्नति और विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

प्रस्तुत इकाई में समावेशी स्कूलों के छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का विधिवत अध्ययन किया गया है। इसके अलावा श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, शारीरिक दिव्यांग, स्नायुओं की कमजोरी, बौद्धिक अक्षमता तथा बहु दिव्यांगता के शिकार बालकों की स्थिति का भी विवेचन किया गया है।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- समावेशी विद्यालय के छात्रों की प्रमुख शैक्षिक आवश्यकताओं को जान पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझ पाएंगे;
- श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित बालकों की स्थिति परख पाएंगे;
- शारीरिक दिव्यांग तथा स्नायुओं की कमजोरी वाले बालकों का मर्म महसूस कर पाएंगे;
- बौद्धिक अक्षमता और सीखने की अक्षमता से ग्रस्त बालकों का विश्लेषण कर पाएंगे;
- बहु दिव्यांगता से पीड़ित बालकों का दर्द समझ पाएंगे।

1.2 विविधता एवं समावेशन : एक परिचय

प्रकृति ने सभी जीवों को एक–दूसरे से भिन्न बनाया है। इसी तरह से मानव जाति में सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या सामाजिक आर्थिक स्तर तथा व्यावहारिक रूप से हो सकती है। यही भिन्नता विद्यालयों में भी देखने को मिलती है। जहां पर अध्ययन करने वाले बालक, बालिकाएं एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता लैंगिक तौर पर, सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर के साथ या विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप में और सीखने की गति से संबंधित हो सकती है। यहां कक्षा कक्ष में विविधता से संबंधित चर्चा की जाएगी जिसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरों से संबंधित प्रकरण मुख्य हैं।

1.2.1 सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता

प्रकृति ने मानव को जैविक स्तर पर एक जैसा बनाया है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं करते हैं। इस संबंध में अनेक समाज शास्त्रियों का कहना है कि मानव में अपने व्यवहार एवं रहन–सहन के कारण सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है जिसका मुख्य आधार जातिगत भिन्नता है।

कुछ विद्वान सांस्कृतिक भिन्नता का कारण भौगोलिक परिस्थिति को मानते हैं। उनका कहना है कि लोगों की आदतों, विचारों एवं जीवन शैली पर भौगोलिक पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है। पिछले कई दशकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया गया है। भारत सहित विश्व के सभी देशों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करते हुए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की

है जिसमें सामाजिक असमानता को दूर करना, सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना शामिल है।

इस संबंध में 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है जिसमें सभी बालकों के लिए विद्यालय परिवेश में उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता के होते हुए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के तरीके शामिल किए गए हैं। आज शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को समझते हुए उनके प्रति संवेदनशील बने रहना आवश्यक है। उसकी व्यावसायिक सफलता तभी पूरी हो पाती है। शिक्षक को भाषा, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग आदि पर ध्यान दिए बिना सभी विद्यार्थियों को शामिल कर उन्हें सीखने के समान अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

विद्यार्थियों के लिए लिंग और सामाजिक श्रेणी के भेदभाव रहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के इस निर्णय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिक मजबूत और सुदृढ़ करता है। शिक्षक को एक विद्यालय नेता के रूप में बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1989 का अध्ययन अवश्य करना चाहिए जिसमें सभी सदस्य देशों को अपने देश के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने का आदेश देकर विविधता को अपनाने की उल्लेखनीय प्रेरणा दी गई है। शिक्षक की यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह अपने विद्यालय में सभी समुदाय, वर्ग के बालकों को समान रूप से प्रोत्साहित करे। शिक्षक अपने विद्यालय के स्थानीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातवरण का अवलोकन कर वहाँ के विद्यार्थियों को सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षित करें।

1.2.2 लैंगिकता एवं भाषा

शिक्षा किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना समाज की उन्नति और विकास का होना संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षित समाज का होना आवश्यक है जो देश को उन्नत और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षा के लिए वेदों में लिखा गया है– "असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय" अर्थात शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। शिक्षा के बिना समाज साक्षात पशु होता है। एक शिक्षित समाज ही देश को विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। आज भारतीय शिक्षा के सम्मुख ढेरों चुनौतियां और मुद्दे हैं। यूनेस्को के दस्तावेज के अनुसार लैंगिक संवेदनशीलता पुरुषों के विरुद्ध महिलाओं का खड़ा होना नहीं है बल्कि धारणाओं को बदलने की जरूरत है। लैंगिक जागरूकता के लिए न केवल बौद्धिक प्रयास की जरूरत है अपितु सहानुभूति एवं वैचारिक खुलेपन की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो देश या समाज नारी को सम्मान नहीं देता उसका विकास संभव नहीं है। जैसे उड़ने के लिए पक्षी के दोनों पंख मजबूत होना चाहिए उसी तरह समाज के स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना जरूरी है।

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। परंतु आज देश में विद्यालयों का विभाजन भी धर्म, जाति, भाषा, लैंगिकता इत्यादि के आधार पर शुरू हो चुका है। आज वही शिक्षा समाज में असमानता के मुद्दे उत्पन्न कर रही है। लिंग के आधार पर अब

शिक्षा में असमानता सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कोठारी आयोग की 1964 से 1966 की रिपोर्ट में सरकार के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि कॉमन स्कूल सिस्टम अर्थात समान शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे परंतु आज भी लिंग के आधार पर शिक्षा में असमानता पाई जाती है। लैंगिक असमानता के कारण बालिकाओं को शिक्षा से या तो वंचित रखा जाता है या उनकी शिक्षा पर खर्च करना व्यर्थ माना जाता है। ज़्यादातर मामलों में बालिकाओं को प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के बाद अध्ययन के लिए नहीं भेजा जाता। इसी के चलते लड़कियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में लैंगिकता के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव देखने को मिलते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लिंग एक ऐसा निष्पक्ष शब्द है जो कि समाज के सदस्यों की भूमिकाओं का वर्णन संरचनाओं की अपेक्षा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर करता है।

लैंगिक असमानता के साथ हमारे समाज में भाषा के आधार पर भी भेदभाव दृष्टगत होता है। भारत बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ प्रत्येक राज्य की भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो भाषा, रहन–सहन आदि रूप से दूसरों से भिन्न हैं। इसी तरह समाज में भी अनेक जाति, वर्गों के अपने सांस्कृतिक मायने हैं, जो भाषागत भिन्नता को दर्शाता है। विद्यालयों में भी भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक परिवेश के विद्यार्थी आते हैं, जो उन्हें बोलचाल, आचार, विचार, एवं व्यवहार से अलग करता है। शिक्षक उन सभी बालकों के लिए समान रूप से बिना भाषागत भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था करें। अर्थात उस विद्यालय के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड एवं भाषा के अनुसार शिक्षा दी जाए ताकि सभी विद्यार्थी बिना किसी समस्या के अध्ययन कर सकें।

विद्यालय के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि में छात्र–छात्राओं के मध्य कोई भी भेदभाव न हो चाहे वह खेल का मैदान हो या सांस्कृतिक मंच। अतः सामाजिक व राष्ट्रीय विकास के लिए लैंगिक व भाषायी असमानता को मिटाकर एक स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर आगे बढ़ने की जरूरत है।

1.2.3 क्षमता और अक्षमता

जैसा कि देखा जाता है कक्षा कक्ष में सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। वे किसी न किसी प्रकार से एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि से संबन्धित हो सकती है। इसी भिन्नता पर निर्भर करता है कि बालक शिक्षा ग्रहण करने में सामान्य बालक से अधिक या कम सक्षम है। आम तौर पर कक्षा में अधिकतर सामान्य गति से सीखने वाले बालकों की संख्या अधिक होती है। लेकिन सामान्य के साथ कुछ बालक प्रतिभाशाली व कुछ बालक किसी कारणवश पढ़ने में कमजोर होते हैं। ये बालक निम्न प्रकार से भिन्न होते हैं–

1. **प्रतिभाशाली बालक** : कक्षा कक्ष में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी सीखने की गति सामान्य बालकों से अधिक होती है। अर्थात बालक कक्षा कक्ष में करवाए जाने वाले कार्य को स्वयं ही पढ़ चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले इन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। इन बालकों की मानसिक आयु उनकी वास्तविक आयु से अधिक होती है और बुद्धिलब्धि 120 या

उससे अधिक होती है। आत्मविश्वास से भरपूर ये बालक कक्षा कक्ष के शिक्षण अधिगम के कार्य के साथ–साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं।

2. **शारीरिक दोष वाले बालक** : कक्षा कक्ष में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन बालकों में शारीरिक रूप से कोई न कोई दोष पाया जाता है, जैसे– शारीरिक रूप से किसी अंग का कार्य नहीं करना। कुछ बालकों में श्रवण दोष पाया जाता है। ये बालक सुनने की कम क्षमता रखते हैं। जिस कारण ये सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इसी तरह से कक्षा कक्ष में दृष्टिदोष वाले बालक भी होते हैं। इन बालकों की दृष्टि कमजोर होती है जो कक्षा कक्ष में पीछे वाली सीट पर बैठकर लेखन पट्ट या उस पर लिखे हुए शब्दों को सही प्रकार से नहीं देख पाते हैं और इसी के चलते वे सामान्य बालकों से अलग होते हैं।
3. **मानसिक दोष वाले बालक** : मानसिक दोष वाले या मंदबुद्धि बालक वे होते हैं, जो कक्षा कक्ष में सामान्य तौर पर करवाए गए कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या धीमी गति से सीखते हैं। एक बार बताई गई कोई बात वह ज्यादातर समझ नहीं पाते उनको दो या अधिक बार समझाना पड़ता है। इन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 या उससे भी कम होती है।
4. **पिछड़े बालक** : शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा पढ़ने–लिखने में कमजोर होते हैं। इनके पिछड़ेपन का कारण किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दोष नहीं होता। सामान्य बालकों से इनके शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण किसी न किसी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक कमी होती है। किसी बीमारी के कारण या संसाधनों के अभाव के कारण ये बालक सामान्य बालकों से पिछड़े हुए होते हैं।
5. **समस्यात्मक बालक** : उपरोक्त प्रकार के बालकों के अलावा कक्षा कक्ष में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कक्षा कक्ष में दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा करना, वस्तुओं की चोरी करना, झूठ बोलना, कक्षा का कार्य समय पर न करके लाना, विद्यालय में अकसर देरी से आना या अन्य अवांछित गतिविधियां करने वाले बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

1. कुछ विद्वान सांस्कृतिक भिन्नता का कारण किसे मानते हैं?

   (क) कुदरत को (ख) भौगोलिक परिस्थिति को

   (ग) संस्कृति को (घ) भूगोल को

2. किसके बिना समाज की उन्नति और विकास होना संभव नहीं है?

   (क) राजा के (ख) जनता के

   (ग) शिक्षा के (घ) विद्युत के

1.3 समावेशी शिक्षा की पारिभाषाएं, अवधारणा एवं क्षेत्र

शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न विद्वानों ने समावेशी शिक्षा की परिभाषा अपने–अपने ढंग से दी है।

प्रो. एस.के. दुबे के अनुसार, "शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप प्रयोग की जाती है।"

यूनेस्को के अनुसार, "समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। अतिसंवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समवेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है।"

माइकेल एफ जियानग्रेको के अनुसार, "समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों या नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा पर बल देते हैं।"

उमातुलि के अनुसार, "समावेशन एक प्रक्रिया है, जिसमे प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है।"

आर.के. शर्मा के अनुसार, "समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है।"

समावेशी शिक्षा का क्षेत्र

समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर अकसर चर्चा की जाती है कि यह केवल विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर लागू होती है, लेकिन देखा जाए तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। मुख्यतः समवेशी शिक्षा में निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है–

शारीरिक बाधित बालकों के लिए शिक्षा

इस प्रकार के बालक शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं अर्थात इनमें कोई शारीरिक दोष पाया जाता है। जैसे अस्थि दिव्यांगता, श्रवणदोष, दृष्टिदोष आदि।

मानसिक बाधित

इस प्रकार के बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या धीमी गति से होता है अर्थात इनमें मानसिक शक्ति कम होती है। इनकी मानसिक आयु अपनी उम्र की तुलना में कम पायी जाती है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक

सामान्य बालकों से भिन्न विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में भी अनेक असमानताएं होती हैं। इनमें कुछ बौद्धिक क्षमता व कुछ निर्योग्यताओं के कारण तथा असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली, शैक्षिक रूप से पिछड़े, सीखने की निर्योग्यता, सम्प्रेषण बाधित आदि।

इसके अतिरिक्त बूथ और आइन्स्को (2000) ने निम्नांकित बिन्दुओं को समवेशी शिक्षा में शामिल किया है–

1. सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान रूप से सम्मानित करना।
2. स्कूलों से छात्रों के बहिष्करण को कम करना और उनका ध्यान केंद्रित करना संस्कृतियों, पाठ्यक्रम और स्थानीय स्कूलों के समुदायों में भागीदारी बढ़ाना।
3. क्षेत्र में छात्रों की विविधता को कम करने के लिए, स्कूलों में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता है।
4. विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को सीखने व भागीदारी में आ रही बाधाओं को कम करना। विशेषकर जिन्हें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए वर्गीकृत किया गया है।
5. छात्रों के लिए और अधिक व्यापक रूप से परिवर्तन करने के लिए विशेष छात्रों की पहुँच और भागीदारी में बाधाओं को दूर करने के प्रयासों से सीखना।
6. उनके क्षेत्र में छात्रों के शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करना।
7. कर्मचारियों के साथ–साथ छात्रों के लिए भी स्कूलों में सुधार।
8. समुदाय के निर्माण और मूल्यों के विकास में स्कूलों की भूमिका पर जोर देना, साथ ही साथ उपलब्धि बढ़ाने में।
9. स्कूलों और समुदाय के बीच परस्पर स्थायी संबंधों को बढ़ावा देना।

1.3.1 आवश्यकता और महत्व

संविधान प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मानवता की प्रगति के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुंचे। इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्ध्यकता है, जिससे लोकत्रांतिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इस दृष्टि से हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

आवश्यकता

- सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है।
- बच्चों में उनकी सीखने की क्षमता और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव मिटाने के लिए।
- बालकों के अकादमिक और सामाजिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए।
- सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए।
- विशेष बालकों को समाज व शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए।

- बालकों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा स्थापित करने के लिए।
- बालकों में भय को कम करने, दोस्ती का निर्माण व आत्मविश्वास की क्षमता के लिए।
- समूह में सुरक्षा और सुरक्षित भावना के विकास के लिए।
- विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमतानुसार आत्मविश्वास के लिए।

महत्व

- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उममीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों, अपनी स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक को एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।
- समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है।
- यह बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए स्कूल का माहौल बेहतर हो सकता है
- यह प्रथा भेदभाव को दूर करने में मदद कर सकती है जो समाज के हर क्षेत्र में व्यापक है।
- यह राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा'। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब इसके विस्तृत अर्थ को पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश न करते हुए, इस समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रमुखता से केवल 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' से ही लगाते हैं, जो कि सर्वथा ही अनुचित जान पड़ता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य तो 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' से हो सकता है, लेकिन इसका संपूर्ण उद्देश्य 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' कदापि भी नहीं हो सकता है।

1.3.2 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

संविधान में प्रत्येक बच्चे को अपनी वृद्धि विकास एवं व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास करने हेतु शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा इस अधिकार को प्राप्त करने का

मार्ग समावेशन है। समावेशी शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का लक्ष्य है इसके अंतर्गत हमें अनेक आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन करने की जरूरत होती है। सभी ऐसे क्षण बालकों में समानता नहीं होती। इन बालकों में केवल अपनी एक जैसी ही क्षमता व असमर्थता के स्तर पर ही भिन्नता होती है अपितु इनमें अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। इन बातों को के दृष्टिगत रखकर उनकी आवश्यकताओं में अंतर पाया जाता है। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हैं–

1. **व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत** : व्यक्तिगत विभिन्नता के चलते कुछ बालक दूसरे बालकों से ज्यादातर गुणों में सर्वथा अलग प्रतीत होते हैं जिनका शिक्षा के प्रति लगाव होता है या नहीं होता है। ऐसे बालकों की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है।
2. **भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत** : समावेशी शिक्षा समाज के किसी एक वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना है। इसको इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। अतः समावेशी शिक्षा के इस सिद्धांत में ऐसे बच्चों की पहचान की जाए जिन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। इस हेतु प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेकर बालकों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की समस्याओं एवं उनकी प्रगति की समय–समय पर जांच भी की जानी चाहिए।
3. **अस्वीकार न करने का सिद्धांत** : समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसी भी रूप से असमर्थ बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जानी चाहिए। उन्हें यह शिक्षा सामान्य शिक्षण संस्थाओं में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जानी चाहिए तथा सभी शिक्षण संस्थाओं को इन बालकों को प्रवेश देने हेतु बाध्य किया जाए।
4. **व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत** : विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की जाए अथवा उन्हें संबंधित संसाधन युक्त कक्षाओं में, जहां उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीक एवं सहायक सामग्री विद्यमान हो, शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह की शिक्षा इन अशक्त बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली एवं विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इस हेतु अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
5. **नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत** : जहां तक संभव हो सके शारीरिक रूप से अशक्त बालकों एवं अन्य सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा कक्ष में एक साथ होनी चाहिए। ऐसी कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा अशक्त बच्चों की न्यूनतम बाधा उत्पन्न करने वाला परिवेश प्रदान करती है।
6. **विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत** : इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के अभिभावकों की स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण एवं विश्लेषण करने में पूरी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी जरूरत

के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होने पर वे बच्चों को उस संस्था से निकालकर किसी दूसरी उपयुक्त शिक्षण संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं। जहां पर उनके बच्चे को पहली शिक्षा संस्था की तुलना में उपयोगी व बच्चों की जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती हो।

7. **अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत** : क्योंकि समावेशी शिक्षा विद्यालय एवं समाज का एक संयुक्त प्रयास है यह क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक परियोजना है, जिसमें अभिभावकों, शिक्षकों एवं समाज का समर्थन व योगदान आवश्यक है। अतः अभिभावकओं की शिक्षा कार्यक्रमों में रुचि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सही रूप में परिवर्तित कर पाएगी।

1.3.3 पृथक्ककरण से एकीकरण

प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा, जिसमें सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों में अंतर करके उनके लिए अलग–अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, के विपरीत सभी बालकों के लिए समान शिक्षा की परिकल्पना समावेशी शिक्षा में की गयी है। जैसा कि हमने देखा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की गयी, जिनमें मूकबधिर, अस्थि दिव्यांग आदि के लिए अलग संस्थाओं की स्थापना देखने को मिलती है। कालांतर में शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके फलस्वरूप समावेशी शिक्षा का अस्तित्व प्रचलन में आया जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ समान रूप से शिक्षा देने की वकालत करती है।

पृथक्ककरण

इसमें सामान्य तथा विशेष बालकों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है।

सामान्य तथा विशेष विद्यालयों की स्थापना होती थी।

विद्यालयों में विद्यार्थियों में सामाजिक, मानसिक रूप से भेद करती है।

प्रतिभाशाली बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है।

अभिभावकों का विद्यालयों की कार्यप्रणाली से कोई संबंध नहीं होता।

समाज के साथ विद्यालयों का संबंध न के बराबर होता है।

एकीकरण

इसमें सभी बालकों के लिए एक साथ व समान शिक्षा व्यव्स्था है।

सभी बालक एक ही विद्यालय में अध्ययन करते हैं।

विद्यालयों में बालकों से किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाता है।

सभी बालकों को समान रूप से महत्व दिया जाता है।

अभिभावकों की विद्यालयी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी होती है।

विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

उपर्युक्त अंतर के दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि आज की शिक्षा का स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। जहां पहले विद्यालयों में व्यक्तिगत विभिन्नता, भाषा, लिंग, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो भेदभाव होता था तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था थी, वह आज नहीं है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसर व समान शिक्षा की व्यवस्था है जहां सामान्य एवं विशेष बालक एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। बालक को सामाजिक परिवेश से रूबरू करवाया जाता है। साथ ही अभिभावकों को भी विद्यालयी क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाता है और समय–समय पर उनके सुझावों के अनुसार शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयास किये जाते हैं।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में समान शिक्षा व्यवस्था व सामाजिक भागीदारी के रूप में एकीकरण का स्वरूप दृष्टिगत है।

अपनी प्रगति जांचिए

3. "शैक्षिक समावेश एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप प्रयोग की जाती है।"– यह किसका कथन है?
   (क) प्रो. एस.के. दुबे का (ख) यूनेस्को का
   (ग) उमातुलि का (घ) आर.के. शर्मा का
4. मानवता की प्रगति के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को क्या होना आवश्यक है?
   (क) धनी (ख) बहादुर
   (ग) समझदार (घ) शिक्षित

1.4 समावेशन का दर्शन

समय–समय पर समाज में परिवर्तन के चलते शिक्षा में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं जिनमें से विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था मुख्य है क्योंकि प्रारम्भ में इन बालकों के लिए किसी भी रूप में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। कालांतर में शिक्षा शास्त्रियों ने विचार किया कि मानवता के नाते इन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इसी के चलते प्रारंभ में विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई जो कि विशेष शिक्षा के रूप में अस्तित्व में आयी। लेकिन विशेष विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सामान्य बालकों से इन बालकों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। शिक्षाविदों ने यह महसूस किया कि विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने आप को सामान्य बालकों से अलग समझते हैं और साथ ही साथ सामान्य बालक स्वयं को उन विशेष विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालकों से श्रेष्ठ मानते हैं जो कि समाज को दो वर्गों में विभाजित करने का जिम्मेवार बन चुका था। कालांतर में महसूस किया गया कि क्यों न सामान्य विद्यालयों में ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में

अध्ययन करवाया जाए और उसके लिए कुछ परिवर्तन विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार कर दिया जाए ताकि सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने आप को सामान्य बालकों की तरह ही समझें और अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करें। साथ ही साथ सामान्य बालक भी विशेष बालकों को अपनी तरह ही समझें और उन लोगों को अपने आप से अलग न समझें। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और समावेशन का विचार अस्तित्व में आया और सभी विद्यार्थी एक ही विद्यालय में बिना किसी परिवर्तन के एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें जिसमें किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए।

1.4.1 विशिष्ट शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा उन बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, जो सामान्य बालकों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न हैं अर्थात वे बालक जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ये बालक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अन्य वालों को से अलग होते हैं। ऐसे बालकों के लिए प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था न के बराबर थी। कालांतर में ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेषता की पहचान कर उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई। विशिष्ट शिक्षा इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पहचान कर उनकी शिक्षा को आसान बनाती है। प्रारंभ में विशिष्ट आवश्यकता वाले सभी बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती थी अर्थात उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग–अलग विद्यालयों की या विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना नहीं के बराबर थी लेकिन धीरे–धीरे इन बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग–अलग विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें दृष्टिदोष, मूक बधिर आदि बालकों के लिए अलग–अलग विद्यालयों की स्थापना पूरे देश में होने लगी।

विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं

1. विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा स्वस्थ अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है।
2. सामान्य एवं विशिष्ट बालकों की पहचान निर्धारित करती है।
3. विशिष्ट बालकों के लिए सुगम कक्षा कक्ष का निर्माण करती है।
4. विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करती है।
5. विशिष्ट बालकों के माता–पिता अभिभावकों को जागरूकता प्रदान करती है।
6. विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है।
7. विशिष्ट बालकों को उच्चस्तरीय परामर्श एवं सहयोग प्रदान करती है।
8. इसमें सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को सम्मिलित किया जाता है।
9. स्वस्थ व सुगम शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करती है।
10. विशिष्ट बालकों के सामाजिक कौशलों के विकास में सहयोग प्रदान करती है।
11. विशिष्ट बालकों को व्यवसाय संबंधी परामर्श प्रदान करती है।

12. इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है।
13. यह विशिष्ट बालकों में आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य करती है।

1.4.2 एकीकृत शिक्षा

एकीकृत शिक्षा समान्य शिक्षा की तरह ही एक शैक्षिक प्रोग्राम है जिसमें विशेष बालकों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है द्य अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को सामान्य व मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के विद्यालयों में भौतिक व मानवीय संसाधनों में आमूल चूल परिवर्तन किए जाते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेष शिक्षक, विशेष विद्यालयी ढांचे के निर्माण तथा अन्य आवश्यक संसाधन जुटाकर या पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को ही विशेष शिक्षा का थोड़ा प्रशिक्षण देकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की जाती है।

एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य

1. एकीकृत शिक्षा द्वारा विशिष्ट एवं सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना।
2. सामान्य और विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना।
3. विशिष्ट बालकों के लिए भेदभाव शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के प्रति दूसरों की तथा स्वयं की हीन भावना खत्म करने हेतु।
5. विशिष्ट बालकों को सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण में समायोजित करने हेतु।

एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं

1. एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने–लिखने का मौका मिलता है।
2. इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से विशिष्ट बालकों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है।
3. विशिष्ट बालकों को आत्म निर्भर बनने में सहायता मिलती है।
4. यह शिक्षा व्यवस्था सामाजिक एकीकरण को भी सुनिश्चित करती है।
5. एकीकृत शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की अनुपालना होती है।
6. एकीकृत शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है।

1.4.3 समावेशी शिक्षा

एकीकृत शिक्षा का ही एक सुधरा रूप समावेशी शिक्षा है। इस शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक रूप से भिन्न बालक सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय की एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा में एकीकृत शिक्षा वाले विद्यालयों से बेहतर सुख–सुविधाएँ एवं वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। बेहतर सुख–सुविधाओं का अर्थ है– उन्नत पाठ्यक्रम, विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, विशेष शिक्षा, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक आदि की व्यवस्था।

समावेशी शिक्षा को लाभदायक बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है कि सामान्य से भिन्न बालकों को तो लाभ मिले ही साथ ही हमारे सामान्य बच्चों का भी कोई नुकसान न हो द्य विद्यालय का वातावरण भी ऐसा बनाया जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक खुद को सामान्य बच्चों से कम न समझें। ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त शिक्षकों, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से अपंग बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर विद्यालय भवन की बनावट व भौतिक ढांचा तैयार किया जाता है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं

1. समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों में सामान्य बालकों के समान मानसिक विकास होता है।
2. समावेशी शिक्षा खर्चीली है क्योंकि इसमें विशिष्ट बालकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है।
3. यह शैक्षिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है।
4. समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार का अनुपालन है।
5. यह व्यवस्था जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं करती। अतः यह सामाजिक एकीकरण को भी सुनिश्चित करती है।
6. यह शिक्षा भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। अर्थात् समन्वित शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के समान ही शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
7. समावेशी शिक्षा में सभी सामान्य व विशेष बालक एक–दूसरे के नजदीक आते हैं इससे विद्यालय में व्यावहारिक व स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है।
8. समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों में सामान्य बच्चों के समान जीवन जीने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।
9. समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशिष्ट बालकों में आपसी समायोजन स्थापित करती है।

अपनी प्रगति जांचिए

5. किसने यह विचार किया कि मानवता के नाते विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा का प्राप्ति का अधिकार है?

   (क) शिक्षा शास्त्रियों ने (ख) राष्ट्रपिता ने

   (ग) राष्ट्रपति ने (घ) प्रधानमंत्री ने

6. एकीकृत शिक्षा का ही एक सुधरा रूप क्या है?

   (क) समावेशी शिक्षा (ख) प्रौढ़ शिक्षा

   (ग) अंग्रेजी शिक्षा (घ) धार्मिक शिक्षा

1.5 श्रवणबाधिता

किसी व्यक्ति को सामान्य ध्वनि सुनने में परेशानी होती है या जब कोई सामान्य आवाज को सुनने में कठिनाई का अनुभव करे तो उसे श्रवणबाधिता या श्रवण क्षतिग्रस्तता कहा जाता है। भारत में इस समस्या से ग्रसित लोग काफी मात्रा में और आयु के हर वर्ग में पाये जाते हैं। हालांकि इस समस्या के उत्पन्न होने के बहुत से कारण हैं लेकिन ध्वनि प्रदूषण एवं अनेक प्रकार की बीमारियां प्रमुख हैं।

1.38 अरब से अधिक जनसंख्या वाले विशाल देश भारत में लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत लोग किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनमें शारीरिक दिव्यांगता प्रमुख है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में दिव्यांगता को दूर करने के लिए अनेक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाये गए, जिसके चलते टीकाकरण जैसे अभियान प्रमुख हैं। श्रवण दोष भी एक प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता है। इस दोष से युक्त व्यक्ति में सुनने की शक्ति क्षीण होती है। हमारे देश में बहुत से बच्चे इस दोष से युक्त हैं। सरकार द्वारा इनकी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई हैं तथा समय–समय पर इनके पुनर्वास लिए अनेक संसाधन हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

श्रवणबाधित की परिभाषाएं

श्रवण क्षतिगस्तता को विभिन्न संगठनों द्वारा समय–समय पर परिभाषित किया गया है–

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (1991) के अनुसार,"श्रवणबाधित उसे कहा जाता है, जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो।"
2. भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुसार, "जब बधिरता 70 डेसीबल हो, तो व्यवसायिक तथा जब 55 डेसिमल तक हो, तो उसे शिक्षा के लिये प्रयोग में लेना चाहिए।"
3. योजना आयोग एवं दिव्यांग जन अधिनियम (1995) के अनुसार, "वह व्यक्ति श्रवणबाधित कहा जाएगा, जो 60 डेसीबल या उससे अधिक डेसीबल पर सुनने की क्षमता रखता हो।"
4. समाज कल्याण के अनुसार, "जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसीबल श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो, तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की बात को आसानी से या अच्छे से सुन नहीं पाता हो या सुनने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेता हो तो वह व्यक्ति श्रवण दोष से ग्रसित है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी ध्वनि या किसी संवाद को सामान्यतः सुन नहीं पाता हो या सामान्य से ऊंची आवाज को ही सुन पाता हो तो उसे श्रवण दोष कहते हैं।

1.5.1 श्रवणबाधित बालक की विशेषताएं

श्रवण बाधिक बालकों में अनेक विशेषताएं पायी जाती हैं–

1. भाषा विशेषताएं
2. शैक्षिक विशेषताएं

3. बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं
4. सामाजिक व व्यावसायिक विशेषताएं
5. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं

भाषायी विशेषताएं

1. श्रवणबाधिता वाले बालक भाषायी रूप से भी प्रभावित होते हैं।
2. इन बालकों का भाषायी विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है।
3. प्रशिक्षण के द्वारा इनकी भाषा संबंधी समस्याओं को दूर किया जाता है।
4. ये बालक दूसरों के साथ बातचीत कम करते हैं।
5. ये अपने आप को सामान्य बालकों से कम योग्य समझते हैं। इसी कारण अपेक्षाकृत कम ही बोलते हैं।

शैक्षिक विशेषताएं

1. इन बालकों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है।
2. इन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है।
3. भाषा का सही विकास नहीं होने के कारण इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है।
4. सामान्य कक्षा में ये शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। क्योंकि ये शिक्षक की बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाते हैं।
5. इनको अध्ययन हेतु विभिन्न श्रवण उपकरणों की आवश्यकता होती है।

बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं

1. इन बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह ही होता है।
2. इनकी चिन्तन शक्ति सामान्य बालकों जैसी या अधिक होती है।
3. ये सामान्य बालकों जैसे ही बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं।
4. ये बालक अशाब्दिक व बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं।
5. बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इन बालकों की बुद्धि–लाब्धि उच्च स्तर की होती है।

सामाजिक व व्यावसायिक विशेषताएं

1. श्रवणबाधित बालक अपने समान रुचियों वाले समूह में रहना पसंद करते हैं तथा उनसे ही संबंध बनाते हैं।
2. इन बालकों में सम्प्रेषण की समस्याओं के कारण ये दूसरों से अन्तरूप्रक्रिया नहीं कर पाते हैं।
3. ये बालक सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेना चाहते हैं, परंतु सामाजिक मान्यता न मिलने के कारण हीन भावना अधिक हो जाती है।
4. इन बालकों की सामाजिक भावना भी सामान्य बालकों के समान ही होती है।

श्रवणबाधित के प्रकार

जिन बालकों को सुनने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वे श्रवणबाधित कहलाते हैं। इनमें ध्वनि को सुनने की क्षमता से 1 से 130 डेसीबल तक होती है। यदि वह 130 डेसीबल से ऊपर आये, तो यह ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवणबाधित बालकों को चार वर्गों में बांटा जाता है–

1. **कम श्रवणबाधित बालक** : जो बालक 54 डेसीबल तक की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, उन्हें कम श्रवणबाधितों की श्रेणी में माना जाता है। कम श्रवणबाधित बालक, जिन्हें सामान्य बोले गए शब्द तो सुनाई देते हैं, परंतु उससे थोड़ा धीमा बोला जाए तो ये नहीं सुन पाते हैं। इनकी बातचीत का सामान्य स्तर 65 डेसीबल होता है।
2. **मंद श्रवणबाधित बालक** : ये बालक कम श्रवणबाधित बालकों से भी कम श्रवण शक्ति रखते हैं। ये सामान्यतः 65 डेसीबल पर नहीं सुन पाते हैं। अर्थात सामान्य रूप से बोले गए शब्द भी उन्हें सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि वे बालक 55 से 69 डेसीबल का क्षय रखते हैं। अतः ये बालक ऊंचा सुनते हैं।
3. **गंभीर श्रवणबाधित बालक** : ये बालक काफी ऊंचा सुनते हैं। इन बालकों में श्रवणबाधिता 70 से 90 डेसीबल तक की होती है अर्थात इनको बहुत कम सुनाई देता है।
4. **पूर्ण बाधित बालक** : ये बालक बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। इसकी श्रवणबाधिता 90 डेसीबल तथा इससे आगे के स्तर की होती है। यह बहुत ऊंचा बोलने पर थोड़ा – सा ही सुन पाते हैं। ये बालक बधिर (Deaf) की श्रेणी में आते हैं।

1.5.2 श्रवणबाधिता के कारण

श्रवणबाधिता जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात् भी विभिन्न कारणों से हो सकती है।

श्रवणबाधिता के कारण

जन्म से पूर्व, जन्म के समय	जन्म के उपरांत
जाननिक कारण	बीमारी
जर्मन खसरा	दुर्घटना
गर्भावस्था में श्रवण शक्ति	उच्च ध्वनि
असामयिक प्रसव	आयु
असुरक्षित प्रसव	असंतुलित आहार

आनुवांशिक कारण

श्रवण संबंधित दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता भी है। साधारणतया यह देखा गया है कि जिन बालकों के माता–पिता में यह दोष होता हैं उनमें ज्यादातर श्रवण से संबंधित दोष देखने को मिलते हैं। अत्यंत निकट संबंधियों के आपसी वैवाहिक संबंध से भी इस तरह के दोष की संभावना ज्यादा रहती है। माता–पिता और अन्य

टिप्पणी

भाई–बहनों में यह दोष न हो तब भी जन्मजात श्रवण दोष हो सकता है। यहां श्रवण दोष का कारण माता–पिता या दोनों में विद्यमान जीन्स हो सकते हैं।

गर्भावस्था में क्षतियुक्तता

गर्भावस्था में किसी महिला की किसी बीमारी के चलते गर्भस्थ शिशु को श्रवण दोष होने की संभावना रहती है। इसके अलावा गर्भावस्था में शराब का सेवन या किसी जहरीले पदार्थ का सेवन भी होने वाली संतान की श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही असंतुलित और दूषित भोजन भी गर्भस्थ शिशु के बहरेपन का कारण बन सकता है।

असामयिक प्रसव

असामयिक प्रसव भी कभी–कभी श्रवण दोष उत्पन्न करता है हालांकि यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। कभी–कभी इससे उत्पन्न बालक में श्रवण दोष दिखाई पड़ता है।

असुरक्षित प्रसव

यदि प्रसव के समय रक्त प्रवाह अधिक हो जाए या रक्त का विकृत संचार हो, ऑक्सीजन का अभाव हो तो तब बालक के श्रवण यंत्र कुप्रभावित हो जाते हैं। अधिकतर ऐसा देखते में आता है कि जन्म के समय बालक सामान्य होता है परंतु विकास के दौरान उसका श्रवण तंत्र प्रभावित हो जाता है जिसके कारण उसमें श्रवण दोष हो सकता है।

बीमारियां

कर्ण से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कभी–कभी श्रवण दोष उत्पन्न करती हैं। जैसे–

1. कनफड़ा
2. खसरा
3. जुकाम
4. चेचक
5. मोतीझरा
6. कुकर खांसी
7. कान में मवाद

दुर्घटना

कान को असुरक्षित रूप से साफ करते समय भी बालक अन्जाने में कर्ण पटल को नुकसान पहुंचा लेते हैं। कोई दुर्घटना भी व्यक्ति के श्रवण तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे भी श्रवण दोष हो सकता है।

उच्च ध्वनि

कभी–कभी अत्यंत तेज ध्वनि कर्ण पटल को फाड़ देती है। इसी प्रकार निरंतर उच्च ध्वनि को सुनते रहने से कान केवल उच्च ध्वनि को ही सुन पाते हैं। सामान्य ध्वनि या धीमी गति से बोले गये शब्द वे भली प्रकार से नहीं सुन पाते हैं। इस प्रकार उच्च ध्वनि भी श्रवण दोष उत्पन्न करती है।

उम्र

उम्र के साथ–साथ सुनने की शक्ति कम होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक तंत्र के साथ श्रवण तंत्र भी कमजोर पड़ने लगता है। अतः उम्र के साथ–साथ व्यक्ति का श्रवण यंत्र प्रभावित होता जाता है।

कुपोषण

जो बालक कुपोषण का शिकार होते हैं अर्थात बालक को संतुलित आहार नहीं मिलने से भी उसकी श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। कुपोषण के कारण बालक के श्रवण यंत्र के कोमल तंतुओं को जिंदा रहने व विकास करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती और बालक श्रवण दोष से ग्रसित हो जाता है।

1.5.3 श्रवणबाधिता की पहचान

सामान्यतः श्रवणबाधिता की पहचान माता–पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा ही हो जाती है, जिसका सत्यापन चिकित्सक द्वारा जांच के उपरांत किया जाता है।

शारीरिक रूप से

श्रवण दोष से ग्रसित किसी इंसान को उसके शारीरिक रूप को देखकर पहचान सकते हैं। ये बालक शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से कभी–कभी भिन्न होते हैं। निम्न लक्षणों को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है, जैसे–

1. बाह्य कान का जन्म से न बना होना, जिसको "एट्रीशिया" भी कहते हैं।
2. "वार्डन वर्ग सिन्ड्रोम" सिर पर मध्य अग्र बालों का सफेद होना।

इस प्रकार की स्थितियां एक प्रतिशत से भी कम बच्चों के बहरेपन के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं और आमतौर पर बहरेपन को देखकर पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

व्यवहार को देखकर

कम सुनने वाले व्यक्ति का व्यवहार सामान्य से अलग देखने को मिलता है। बहरेपन से ग्रस्त लोगों में विशेष प्रकार के व्यवहार को देखकर ही इन लोगों की पहचान की जा सकती है। श्रवण बधितों के कुछ विशेष व्यवहार निम्नानुसार हैं–

1. बहुत जोर से बोलना।
2. वाचक के चेहरे और होठों पर ज्यादा ध्यान देना।
3. कम बोलना।
4. कान पर हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना।
5. बात सुनते हुए आंखों पर सामान्य से अधिक निर्भर होना।
6. असंगत रूप से अपने आप में खोये रहना।
7. चेहरे के हाव–भाव एवं मुद्रा द्वारा भी श्रवण दोष को पहचाना जा सकता है।
8. पैरों से आवाज करते हुए चलने से भी इसकी पहचान की जा सकती है।

श्रवणबाधितों की पहचान के कुछ अन्य संकेत

1. गले में तथा कान में घाव रहता है।
2. इनमें वाणी दोष पाया जाता है।
3. सीमित शब्दावली पायी जाती है।
4. ये चिड़चिड़े होते हैं।
5. भाषा का सही विकास नहीं होता है।

श्रवणबाधित बालकों की पहचान जितना जल्द से जल्द हो सके कर लेना चाहिए। यदि 'शीघ्र ही बच्चे की पहचान कर ली जाए, तो उनमें वाणी व भाषा का विकास किया जा सकता है तथा श्रवण दोष के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। सामान्यतः विशेषज्ञों का मानना है कि श्रवण–दोष की पहचान जन्म के समय ही कर लेनी चाहिए। जिनती जल्दी इसकी पहचान की जोयगी, उतनी ही जल्दी इन्हें सामान्य समाज से जोड़ा जा सकता है तथा इन बच्चों में होने वाली बहुत सी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को कम किया जा सकता है।

आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवणबाधितों को चार वर्गों में बांटा है– (1) केन्द्रीय श्रवण दोष, (2) मनोजैविक श्रवणबाधित, (3) नाड़ी संस्थान श्रवणबाधित, (4) आचरण में श्रवणबाधिता।

1. **केन्द्रीय श्रवण दोष :** जटिल बाधिता से ग्रस्त ये बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं, परंतु इनका अर्थ नहीं समझ पाते तथा इनकी सम्प्रेषण समस्या भी काफी गंभीर होती है। दवाओं का सेवन इस प्रकार के दोष का कारण हो सकता है, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है।
2. **मनोजैविक श्रवणबाधित :** इस प्रकार की बाधिता का कारण मनौवैज्ञानिक होता है। ये बालक अपनी समस्याओं को बढा–चढ़ा कर बताते हें। इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाधिता आ जाती है। कई बार यह पहचानना कठिन होता है कि यह दोष मनौवैज्ञानिक है अथवा जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए।
3. **नाड़ी संस्थान श्रवणबाधित :** बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह दोष आता है। अतः इसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता है। ये बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं। इन्हें शिक्षा देने हेतु अलग–अलग प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। ये होंठों की भाषा (Lip reading) के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।
4. **आचरण में श्रवणबाधिता :** ये दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करें तो ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से ये और अधिक बाधित हो जाते हैं।

श्रवणबाधित की पहचान हेतु परीक्षण

श्रवणबाधित बालकों की पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है, परंतु इन्हें पहचानने के लिए कई चिकित्सकीय परीक्षण करने पड़ते हैं, क्योंकि कक्षा में श्रवणबाधित बालक आसानी से शिक्षकों की दृष्टि में नहीं आते हैं। अतः इन्हें पहचानने हेतु कई प्रकार की

अन्तःक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जबकि बड़ी कक्षा में ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है। अतः बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित रहता है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के समय अध्यापक को बालकों की श्रवण शक्ति के बारे में बता देना चाहिए। अतः श्रवणबाधितों को निम्न आधार पर पहचाना जाता है–

1. चिकित्सीय परीक्षण
2. विकासात्मक मापनी
3. बालक का अध्ययन
4. मनो–नाड़ी परीक्षण
5. बालकीय व्यवहार का निरीक्षण

1. **चिकित्सीय परीक्षण** : चिकित्सीय परीक्षण की मापनी के द्वारा श्रवणबाधितों को पहचानना आसान होता है। इसमें चिकित्सक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रवणबाधिता बालकों के व्यक्तित्व को बहुत अधिक बाधित करती है।
2. **विकासात्मक मापनी** : इन बालकों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। बालकों की ज्ञानेन्द्रियों तथा विकास की अवस्थाओं में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अतः विकासात्मक मापनी अत्यंत उत्तम मापनी है। .
3. **बालक का अध्ययन** : यह सबसे उत्तम विधि होती है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर वर्तमान स्थितियों तक की सभी सूचनाओं को संकलित किया जाता है तथा इसी के आधार पर ही श्रवणबाधिता के कारणों का पता चल जाता है। इस विधि से ही समस्याओं का निदान भी निकाल लिया जाता है। इस विधि से बालकों की बीमारियों का पूरा इतिहास पता लगाया जा सकता है।
4. **मनो–नाड़ी परीक्षण** : यह एक अन्य प्रकार की मापनी है। जिसकी सहायता से श्रवणबाधितों की नाड़ी की क्रियाओं का आकलन किया जाता है। यह एक मानसिक दोष है। बहुत से श्रवणबाधितों में यह दोष पाया जाता है तथा योग्य चिकित्सकों के द्वारा ही इसका उपचार किया जा सकता है।
5. **बालकीय व्यवहार का निरीक्षण** : यह निरीक्षण श्रवणबाधितों की पहचान हेतु उपयुक्त माना जाता है, इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहारों को पहचाना जाता है–
   - बालक यदि सिर एक तरफ मोड़कर सुने तो वह बाधितों की श्रेणी में आता है।
   - वह अनुदेशन अनुसरण नहीं कर पाता है।
   - इन बालकों की दृष्टि अकसर बोलने वाले बालकों या शिक्षकों के मुंह की तरह होती है।
   - ये वाणी बाधित भी हो सकते हैं।

कक्षा में सीडब्ल्यूएचआई की विशेष आवश्यकताओं के प्रबंध की रणनीतियाँ

इस समय संसार में बधिरों की शिक्षा के लिए अनेक प्रणालियाँ हैं। सर्वोत्तम प्रणाली कौन–सी है, इस विषय पर लोगों में मतभेद है। 'अमेरिकन ऐनल्ज ऑफ द डेफ' के अनुसार शिक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं–

- **मौखिक प्रणाली (ओरल मैथड):** बोलकर समझाना तथा लिखना शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम के प्रारंभिक भाग में सर्वत्र बधिरों के प्रायः प्रत्येक स्कूल में प्राकृतिक संकेतों का प्रयोग करने दिया जाता है।
- **हस्त प्रणाली (मैनुअल मैथड):** संकेत हस्त, वर्णमाला तथा लिखना इन तीनों का प्रयोग शिक्षा देने के लिए किया जाता है। मुख्य उद्देश्य मानसिक विकास में तथा लिखित भाषा के प्रयोग एवं अर्थ समझने में सहायता पहुंचाना है।
- **हस्त वर्णमाला प्रणाली (मैनुअल अल्फाबेट मैथड):** हस्त वर्णमाला तथा लिखना प्रधान साधन हैं, जिनका प्रयोग विद्यार्थियों को शिक्षा देने में किया जाता है। बोलना तथा बोलकर समझना ये दोनों बातें सभी बधिर बच्चों को, जहाँ यह प्रणाली प्रचलित है, सिखाई जाती हैं।
- **श्रवण प्रणाली (ओरीकुलर मैथड):** अर्द्ध बधिर विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति का प्रयोग यथासंभव अधिकाधिक किया जाता है। उनको मुख्यतया वाणी, श्रवण शक्ति तथा लिखने की सहायता से शिक्षा दी जाती है।
- **मिश्रित प्रणाली (कंबाइंड सिस्टम):** बोलना और बोलकर समझना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। किंतु मानसिक विकास तथा भाषा की प्रवृत्ति को और भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। विश्वास है कि कुछ अवस्थाओं में इन दोनों चीजों को हस्त तथा हस्त वर्णमाला प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप में अग्रसर किया जा सकता है।

जहाँ तक परिस्थितियाँ सहायक होती हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रणाली चुनी जाती है।

सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान ग्रहण करने के लिए बधिरों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी वाणी का विकास करें, भाषा सीखें और होंठों की हरकत समझें। अतः इन तीनों गुणों का विकास करने का अवसर प्रत्येक बधिर बच्चे को देना चाहिए।

यदि मौखिक प्रणाली तथा सुनने में सहायक यंत्रों के द्वारा विद्यार्थी उन्नति कर सकें तो उनकी शिक्षा के लिए संकेतों तथा हस्त प्रणाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु यदि विद्यार्थी की उससे कुछ उन्नति होती न दिखाई पड़े तो उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए संकेतों तथा हस्त वर्णमाला का उपयोग करना चाहिए।

अपनी प्रगति जांचिए

7. "श्रवणबाधित उसे कहा जाता है, जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो।"– यह परिभाषा किसकी है?

   (क) समाज कल्याण की (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की

   (ग) भारतीय पुनर्वास परिषद की (घ) योजना आयोग की

8. आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवणबाधितों को कितने वर्गों में बांटा है?

   (क) सात (ख) छह

   (ग) पांच (घ) चार

1.6 दृष्टिदोष

नेत्र मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है, जिसका कार्य किसी वस्तु को देखना है। यदि इसकी कार्य करने की शक्ति अवरुद्ध हो जाए या पूर्णरूप से निष्क्रिय हो जाए, तो मनुष्य दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक समझने लगता है और भाग्य को कोसने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आज के वैज्ञानिक युग में तीव्रता से प्रगति करते हुए मानव ने ऐसे साधन खोजे निकाले हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों की गतिशीलता व कार्यक्षमता अर्थात सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की शक्ति को बढ़ाकर जीवन को व्यवस्थित कर सकता है।

नेत्र मनुष्य व सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन हैं। ये फोटो कैमरे की भांति कार्य करते हैं। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिम्ब रेटिना पर बनते हैं। नेत्र का एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इनके लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ के बने होते हैं।

नेत्र के भाग

1. **दृढ़ पटल** : मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है।
2. **रक्तक पटल** : दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख पर आवर्तित होने वाले प्रकाश का शोषण करता है, इसे कोरॉइड भी कहा जाता है।
3. **श्वेत मंडल** : यह एक कठोर पारदर्शी गोलीय संरचना होती है, जो आंख में प्रकाश का अपवर्तन करती है।
4. **परितारिका** : कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं।
5. **पुतली** : आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काला होता है।

पूर्व काल से ही शारीरिक दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से दृष्टिहीनों को स्वीकारा जाता है, परंतु उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूमि व भिक्षावृत्ति पर आश्रित रहा है। तथापि इतिहास ने हमें सूरदास जैसे प्रख्यात भक्ति कवि दिये, जो जन्मान्ध थे। लुई ब्रेल, जिन्होंने चक्षुहीनों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ने हेतु सफल विधि देकर अत्यंत ही बड़ा व सराहनीय कार्य किया। वे स्वयं भी चक्षुहीन थे। आज के समय में चक्षुहीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के अतिरिक्त क्रिकेट खेलने व पैराशूट द्वारा वायुयान से कूदने जैसे अदभुत प्रदर्शन करने लगे हैं।

दृष्टिबाधित बालक की परिभाषा

दृष्टिहीनता को समय–समय पर अलग–अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देखने की स्थिति है।

1. **शैक्षिक दृष्टि से** : "दृष्टिबाधिता एक ऐसा दृष्टि विकास है, जिसके परिणामस्वरूप दृश्य – सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव न हो सके।"
2. **चिकित्सीय दृष्टि से** : चिकित्सीय विधि से दृष्टिबाधिता की परिभाषा दृष्टि–तीक्ष्णता (Visual acuity) और देखने के क्षेत्र (Field of vision) पर आधारित है, जिसको अग्रलिखित दो प्रकारों से परिभाषित किया जा सकता है–
   - **दृष्टि–तीक्ष्णता के आधार पर** : सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु तो 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाता है। दृष्टि–तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को किस–किस दूरी तक देख सकता है।
   - **देखने के आधार पर** : दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 200 से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनकी दृष्टि–तीक्ष्णता 20/200 से अधिक अच्छी होनी चाहिए।

1.6.1 दृष्टिबाधित बालक की विशेषताएं

मानव के जीवन में दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक अनुभव मानवों की दृष्टि से ही संबंधित होते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन बाधित हो जाता है पर जिस प्रकार से हम देखते हैं, कि एक दिव्यांग बालक जो कि अपने हाथ–पैरों से लाचार है, वह भी अपना कार्य करता ही है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टिबाधित बालक भी किसी–न–किसी प्रकार से अपना स्वयं का कार्य कर ही लेते हैं, परंतु दिव्यांगों की तरह ही दृष्टिबाधित बालकों में भी कई विशेषताएं पायी जाती हैं–

1. दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता
2. दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास
3. दृष्टिबाधितों के समाजिक व समायोजन संबंधी कार्य

1. दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता

दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। बस अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। अनेक शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि यदि इन बालकों को समुचित शिक्षा प्रदान की जाए तथा शिक्षा का समुचित अवसर मिले तो ये सामान्य बालकों से कम नही होते।

इन बालकों के लिए किसी वस्तु की दूरी को समझ पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये दूर तक देखने में असमर्थ होते हैं। अतः इनकी दूरी पर प्रत्यय विकसित नहीं होता है। दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता का विकास होता है। देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है तथा सुनने का कौशल उत्तम होता है। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है।

2. दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास

दृष्टिबाधित में भाषा से संबंधित दोष नहीं होते क्योंकि ये ठीक प्रकार से सुन सकते हैं। भाषा के प्रमुख कौशल सुनना तथा बोलना होते हैं। सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम भाषा को

ही माना जाता है। परंतु बालक की प्रकृति देखकर सीखने की होती है तथा ये बालक इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। ये सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं न कि इन्द्रियों के माध्यम से। दृष्टि इन्द्रिय क्रियाशील नहीं होने के कारण दृष्टिबाधित बालक सुनकर ही शब्द का चयन करते हैं। सम्पूर्ण जानकारी व ज्ञान श्रवण व दृष्टि इन्द्रियों पर भी आधारित होता है और इन बालकों को किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। तथ्यों को भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। उसे रंगों का का कोई भी बोध नहीं होता है। इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती है तथा उसके अनुभव भी पूर्ण नहीं होते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है।

3. दृष्टिबाधितों के समाजिक व समायोजन संबंधी कार्य

दृष्टिबाधित बालकों के व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों में समायोजन क्षमता की समस्या सामाजिक कारणों से होती है, तो ये अपने समायोजन को सुनिश्चित कर लेते हैं।

दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण

साधारणतः हम दृष्टिबाधितों को दो भागों में बांटते हैं–

1. आंशिक दृष्टिबाधित बालक
2. पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक

1. आंशिक रूप से दृष्टिबाधित

आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं, जो अक्षरों या मुद्रित भाषा को चश्मे की सहायता से ही पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आंख में होती है। ये 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक तो देख सकते हैं परंतु बाधित बालकों की दृष्टि सामान्यतः किसी बीमारी आदि के कारण कम हो जाती है।

आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को चार भागों मे बांटा जाता है–

- वे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी (VisualAcuity) 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है।
- वे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी रोग से पीड़ित हैं।
- वे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं या उन रोगों से ग्रस्त हैं, जो गंभीर नेत्र रोग होते हैं।
- वे बालक जो औसत मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार वे कम देखने वाले बालकों के लिए उपलब्ध उपकरणों से लाभान्वित हो सकते हैं। इन बालकों की पहचान चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा विभागों का यह कर्तव्य है कि वे भी विद्यालयों में परीक्षण व्यवस्था कराएं।

2. गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक

गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों की देखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती या इनको बहुत ही कम दिखाई देता है। इनको पहचानना अत्यंत सरल है। ये बालक ब्रेल लिपि

के द्वारा पढ़ाये जाते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है तथा ये श्रव्य यंत्रों का तथा चलते समय छड़ी का प्रयोग करते हैं।

ये बालक शैक्षिक कार्य हेतु नेत्रहीन तब समझे जाते हैं, जब उनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। इससे कम होने अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर इन बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है।

कई बार ऐसे बालक जिनकी दृष्टि बहुत अधिक बाधित होती है, वे किसी का भेद तक नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के द्वारा इन बालकों को पहचान कर इन्हें चश्मा लगाया जाता है। इन्हें समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि इनकी आंखों की दशा में जितना संभव हो सुधार हो जाए तथा यदि बालकों की आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक होने की संभावना हो तो यथासमय ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।

दृष्टि अक्षमता के कारण

हमारी ज्ञानेन्द्रियों में सबसे नाजुक आँख को माना गया है और सबसे अधिक देखरेख की आवश्यकता आँख को होती है। थोड़ी सी लापरवाही आंखों की बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। दृष्टि अक्षमता के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे लापरवाही, समय पर तथा उचित उपचार न करवाना, सावधानियां न कर सकना आदि। धूल, धूप व धुआं भी दृष्टि अक्षमता के सामान्य कारणों में शामिल हैं, जो आंशिक अन्धता, रतौंधी एवं रंग अन्धता को जन्म देते हैं, दृष्टि अक्षमता के प्रमुख कारण हैं—

1. **संक्रामक रोग** : संक्रामक रोगों में असावधानी के कारण प्रायः 60% से 70% तक बालकों में दृष्टिदोष होने की पूर्ण संभावना रहती है।
2. **दुर्घटना एवं चोट** : सुरक्षा एवं निर्देशन के अभाव में मारपीट या दुर्घटना के कारण नेत्र में लगी घातक चोट भी दृष्टि अक्षमता का कारण बन जाती है।
3. **वंशागत** : कभी—कभी बालक में होने वाली दृष्टि से संबंधित समस्याएं आनुवंशिकता का परिणाम होती हैं।
4. **गंभीर बीमारी** : कुछ बीमारियों के कारण भी आँखों की रोशनी चले जाने का खतरा रहता है।

1.6.2 दृष्टि क्षमता का व्यक्तित्त्व पर प्रभाव

कम दिखाई देना या दृष्टिदोष होना बालक के विकास में एक अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसा बालक शारीरिक और मानसिक विकास के साथ—साथ अन्य इंद्रियों के विकास में भी सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है अर्थात शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मनुष्य की पांचों ज्ञानेंद्रियों का सही प्रकार से कार्य करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शारीरिक और मानसिक विकास का सही प्रकार से न हो पाना बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

1. **गतिहीनता** : जीवन की प्रारंभिक अवस्था में एक दृष्टिबाधित बालक विभिन्न वस्तुओं, रीति—रिवाजों, समाज में रहने के तरीके, खेलकूद आदि से परिचित होता है, लेकिन परिवार व समाज द्वारा विभिन्न दुर्घटनाओं के भय से उसको अलग रखा जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि वह बालक समाज में गतिशीलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वह गतिहीन हो जाता है हालांकि ऐसे

बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। लेकिन दिखाई नहीं देने या कम दिखाई देने के कारण उनमें गतिहीनता आ जाती है।

2. **निष्क्रियता** : सामुदायिक व औपचारिक विकास में दृष्टिबाधित बालक पीछे रह जाते हैं जिसके कारण घर परिवार, विद्यालय, समाज की किसी भी क्रियाओं में वे अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते और सामान्य वालों से पीछे रह जाते हैं और इसी कारण से इनके स्वभाव में निष्क्रियता आ जाती है। वे दूसरे बालकों के साथ सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो सकते। उन्हें उन बालकों के साथ खेलने, उनके साथ बात करने में हिचकिचाहट अनुभव होती है।
3. **संवेदनशीलता** : दृष्टिदोष से युक्त बालकों का विकास सामान्य बालकों की गति से ही होता है। शारीरिक क्षमता या विकास वातावरण या अभ्यास पर निर्भर करता है। इनमें वाणी विकास कुछ विलंब से होता है किंतु अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रवण, स्पर्श, ज्ञानेद्रियां अधिक चेतन होती हैं। ये अपनी संवेदी प्रतिरोध शक्ति के कारण सीखने की प्रक्रिया में गति से उन्नति करते हैं। पाचन, क्षमता, कौशल, कार्य, ध्वनि, संगीत, गायन आदि में यह वर्ग संवेदनशील होता है।
4. **तीव्र स्मरण शक्ति** : दृष्टिदोष से ग्रसित बालकों की स्मरण शक्ति प्रायः बहुत तीव्र होती है। इनमें एकाग्रता सामान्य बालकों से अधिक होती है, जिसके कारण एक बार सुनी हुई बातों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक उन बातों को स्मरण रख सकते हैं।

1.6.3 दृष्टिबाधित बालकों की पहचान

भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये वे बालक होते हैं जो कि–

1. अपनी पूर्ण दृष्टि लुप्त कर चुके हैं।
2. दृष्टिबाधिता 6/60 या 20/200 से अधिक न हो तथा चश्मे का प्रयोग एक आंख हेतु उत्तम हो।
3. दृष्टिदोष का क्षेत्र सीमित हो तथा 20 डिग्री या इससे कम का कोण बने।

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित बालक ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी है तथा वे बालक ब्रेल लिपि अथवा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्री का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें आंशिक रूप से बाधित भी कहा जाता है जो कि चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यवस्तु या दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं।

वे बालक जो कि जन्म से अंधे होते हैं उनकी पहचान माता–पिता ही कर पाते हैं तथा जो बालक आंशिक रूप से बाधित होते हैं उनको पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहचान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कई प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता भी ली जा सकती है, क्योंकि कुछ बालक दिखने में तो सामान्य होते हैं, परंतु वे वास्तव में बाधित होते हैं अतः एक प्रशिक्षित अध्यापक ही इनके बारे में पता लगा सकता है।

दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं–

1. इन बालकों को अकसर सिरदर्द की शिकायत रहती है।
2. इनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता है।
3. ये बार–बार आंखों को मलते हैं।

4. कभी–कभी इनकी आंखें लाल हो जाती हैं।
5. किसी दूर की वस्तु को देखते समय इनके शरीर में तनाव रहता है।
6. प्रकाश के प्रति ये बालक अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं।
7. कभी–कभी इनकी आंखों में टेढ़ापन तथा भेंगापन भी हो सकता है।
8. इनकी आंखों का आकार अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है।

कक्षा कक्ष में CWVI के प्रबंधन में युक्तियां एवं रणनीतियां

सामान्य तौर पर देखा जाए तो कभी भी विद्यालय में कम दिखाई देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुतायत होती है। बालकों की पहचान करते हुए उनकी संख्याओं का निध ार्रण करते हुए अध्यापक इस बात पर निर्णय कर सकता है कि उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए या सामान्य कक्षा में विशेष सुविधाओं की सहायता से उन्हें शिक्षा दी जा सकती है सबसे पहले प्राथमिक श्रेणियों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी कम देखने वाले बालकों को शिक्षक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी,। उतनी ही अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। इन बालकों को निम्न शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं–

1. शैक्षिक माध्यम : आंशिक रूप से देखने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें सामान्य बालकों से अलग प्रकार की होनी चाहिए जैसे–

1. एक सामान्य बालक के लिए किताब 10 या 12 पॉइंट टाइप होती है आंशिक देखने वाले विद्यार्थियों के लिए 18 से 24 पॉइंट टाइप होना चाहिए।
2. प्रिंट सॉफ्टवेयर विस्तृत होना चाहिए।
3. सफेद कागज पर काले से लिखा होना चाहिए।
4. दो शब्दों के बीच उपयुक्त दूरी होनी चाहिए।
5. उपयुक्त हाशिया होना चाहिए।
6. मानचित्र व चित्र होने चाहिए।
7. आर्ट व क्राफ्ट के सामानों का प्रयोग होना चाहिए।

2. प्रकाश की उचित व्यवस्था : आंशिक रूप से देखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्राकृ तिक व बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी महत्व रखती है। ऐसे बालकों के लिए कमरा पूर्ण रूप से रोशनी युक्त होना चाहिए। उसमें चमक नहीं होनी चाहिए तथा कक्षा की छत सफेद व दीवारें हल्के रंग से रंगी होनी चाहिए।

3. फर्नीचर : एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला फर्नीचर कक्षा में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर उपयोग कर सकते हैं। फर्नीचर बढ़ते हुए बालकों के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए।

4. कक्षाएं : विशेष कक्षाएं या अलग से कक्षाएं आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती हैं। अतः एक सहकारिता योजना का विकास किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा कम देखने वाले विद्यार्थियों हेतु एक विशेष सामान से युक्त कक्षा कक्ष व योग्य शिक्षक की व्यवस्था की जाती है।

5. सहकारिता : बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल स्वास्थ्य सेवा अध्यापक तथा विशेष अध्यापक साथ ही बालक के माता–पिता पर

है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को शिक्षा के विशेष उद्देश्यों से परिचित होना चाहिए। इन सभी का अलग से वे सहकारी रूप से समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग होना चाहिए। आंशिक रूप से देखने वाले बालकों का विशेष कक्षा में तथा सामान्य कक्षा में भली प्रकार स्वागत करना चाहिए, जिससे वह अपनी कठिनाइयों को समझ कर सबके साथ सामंजस्य कर पाएगा।

6. पाठ्यक्रम : सामान्य व आंशिक दिखाई देने वाले बालकों का पाठ्यक्रम एक जैसा होता है। परंतु शिक्षण के समय अध्यापकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों पर सामान्य बालकों कि अपेक्षा कुछ अलग से ध्यान देने की जरूरत होती है। आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बालकों को आगे की पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए, जिससे इन बालकों की आंखों पर जोर न पड़े।

7. चिकित्सीय परीक्षण : समय–समय पर स्कूल द्वारा विद्यार्थियों का परीक्षण करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर द्वारा आंख से संबंधित निरीक्षण, सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की बीमारियों का इलाज, चश्मे की जांच आदि की जानी चाहिए। डॉक्टरों द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य व आंखों से संबंधित बीमारियों का एक रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। आंख की कसरत का सुझाव दिया जाना चाहिए। बालक के माता–पिता को भी बालक से संबंधित सुझाव देना चाहिए।

8. शैक्षिक निरीक्षण : स्थानीय व राजकीय स्तर पर समय–समय पर शैक्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही इन बालकों की शैक्षिक व सामाजिक कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

9. विशेष अध्यापक : आंशिक रूप से देखने वाले बालकों तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक का अत्यंत महत्व है। इन अध्यापकों को आंख की बनावट, सफाई, आंख की सामान्य बीमारियों व कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। इन बालकों के लिए दवाओं, रोशनी, शारीरिक सामान शैक्षिक सामान का प्रबंध करना चाहिए। विशेष व प्रभावशाली विधियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों को सीखने में सहयोग करना चाहिए। एक कुशल अध्यापक बालक में ऐसे गुणों का विकास कर सकता है, जिससे बालक सामाजिक, शैक्षिक व व्यावसायिक समायोजन कर सके।

10. व्यावसायिक निर्देशन : एक सफल शैक्षिक निर्देशन के लिए यह आवश्यक है कि बालक के व्यक्तित्व से संबंधित प्रत्येक जानकारी हो, जैसे शारीरिक तथा मानसिक योग्यताएं, संवेगात्मक विकास, सामाजिक गुण, इच्छाएं, रुचियां, अभिवृत्तियाँ आदि। यह भी देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति की इच्छाएं स्वयं की है या किसी से प्रभावित हैं। व्यावसायिक निर्देशन हेतु विभिन्न व्यवसाय की रुचि परीक्षण किए जा सकते हैं जिससे बालक की रुचि व अभियोग्यता भी जानी जा सके। सफल निर्देशन के लिए माता–पिता, अभिभावक, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि का सहयोग होना आवश्यक है।

1.6.4 दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा

एक दृष्टिबाधित बालक सामान्य स्कूल में प्रवेश ले सकता है, जिनमें एक सामान्य रूप से देखने वाला बालक प्रवेश करता है। इस अवस्था में बालक का इस योग्य होना

आवश्यक है कि वह अपने रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों को कर सके, अपनी आयु के बालकों से बातचीत कर सके। इन बालकों को विशेष विद्यालयों में भेजा जा सकता है। विशेष कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है, जिसे ब्रेल कक्षा कहा जाता है। ब्रेल कक्षाएं ऐसी सहायता देती हैं जिससे बालक कक्षा की सामान्य पढ़ाई को समझ सके। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य बालक का सामाजिक समायोजन है। इन बालकों हेतु स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए, जैसे– नाच, गाना, स्काउट, गाइड, साहित्यिक गतिविधियां, सांस्कृतिक नाटक आदि।

इन बालकों को सामान्य बालकों तथा अन्य लोगों से ज्यादा से ज्यादा मेलजोल करना चाहिए और बातचीत में शामिल होना चाहिए, जिससे वे अधिक से अधिक अपने वातावरण में समायोजित हो सकें। इसके लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है–

1. **विशेष विधियां** :जब भी दृष्टिबाधित बालक को पढ़ाया जाए तब यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह एक सामान्य बालक है। अधिकतर उनका ज्ञान वृद्धि संवेग उनकी इच्छा अन्य बालकों की तरह ही है एक सामान्य बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान दृष्टिबाधित बालक के मनोविज्ञान को समझने में सहायक हो सकता है। प्रत्येक बालक का दृष्टिदोष अलग–अलग हो सकता है। वास्तव में दृष्टि एक्टिविटी सदा दृष्टि क्षमता नहीं बताती, कई बार कम दृष्टि वाले बालक अपनी दृष्टि का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। घर के वातावरण, सीखने की तत्परता तथा सीखने की क्षमता आदि का इस पर प्रभाव पड़ता है।
2. **विशेष सामान तथा माध्यम** : दृष्टिबाधित बालकों की एक इंद्री काम न करने पर वे अपनी अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में पढ़ने व लिखने का विशेष महत्व है, इसलिए आंखों का विशेष उपयोग है। इनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसमें कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिन्हें छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल में बालक पढ़ भी सकता है तथा लिख भी सकता है। निम्न प्रयोग द्वारा इन बालकों को पढ़ाया जाता है–
   - बोलने वाली किताबें
   - रेडियो तथा समाचार द्वारा
   - लॉग प्लेईंग फोनोग्राफ रिकॉर्ड
   - मानसिक संख्या कार्य (गणित हेतु)
   - एम्बेसड चित्र (गणित हेतु)
   - मानचित्र में ग्लोब का प्रयोग
   - शैक्षिक यात्राएं
   - म्यूजियम द्वारा
3. **आर्ट व रचनात्मक कार्यों द्वारा शिक्षण** : अधिकतर दृष्टिबाधित बालक आर्ट व मॉडलिंग में रुचि रखते हैं। नाटक का मंचन बालक में बोलने, खड़े होने, बातचीत करने की आदत डालने में सहयोगी होता है। इससे सामाजिक समायोजन तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। संगीत का ज्ञान भी इन बालकों को काफी प्रभावित करता है। किसी तरह के संगीत के उपकरण बजाने में ही ये

बालक माहिर हो सकते हैं। धीरे–धीरे संगीत को ये अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं। इन बालकों को नाना प्रकार के कार्य करना जैसे तैरना, नाव खेलना, कुश्ती लड़ना आदि भी सिखाया जा सकता है। इनमें लड़कियों व लड़कों को दोनों को गृहकार्य सिखाए जा सकते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर द्वारा इनकी शिक्षा का कार्य किया जा सकता है।

4. **पढ़ाने के विशेष सिद्धांत** : अध्यापक को विभिन्न शिक्षण विधियों के साथ शिक्षकों से संबंधित सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए यह सिद्धांत निम्न हैं–

(क) ठोसता : दृष्टिबाधित बालक केवल स्पर्श और कान द्वारा अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुनना उनके लिए समाज के साथ सामंजस्य की एक विधि है परंतु किसी वस्तु का ज्ञान वे स्पर्श द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पदार्थ छूने में छोटे मुलायम या सख्त भी हो सकते हैं। इन पदार्थों के गुणों के आधार पर वह धीरे–धीरे सभी चीजों को समझने लगते हैं। लेकिन बालक को इन वस्तुओं के रंग की पहचान नहीं होती है। निर्देशन में उन्हें ठोस अनुभव दिए जाने चाहिए। उन्हें पदार्थों और वस्तुओं को छूने देना चाहिए ताकि वे इनके विशेष गुणों से उन वस्तुओं को समझ सकें। इनकी ठोसता बालकों को अधिगम में सहायता करती है।

(ख) निर्देशन : सामान्य तौर पर देखा जाता है कि दृष्टिबाधित बालक पदार्थ को छूकर समस्त गुणों से अवगत नहीं हो सकता। वह वातावरण की अन्य सूचनाओं को भी एकत्रित करता है। छूने के साथ वस्तुओं को सूंघ कर, कभी–कभी चख कर वातावरण को समझने का प्रयास करता है। इन सब के बावजूद उसे सही अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वे वातावरण की सही समझ विकसित करने में बालकों की सहायता करें। बालक के वातावरण में भली–भांति समायोजन के लिए उसका उचित मार्गदर्शन करें।

(ग) सहायक उत्तेजक : दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टिगत अक्षमता के कारण उनकी योग्यता कम हो जाती है इसलिए समझ विकसित करने में अध्यापक बालकों की सहायता करें। ऐसे निर्देशन को विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए बालकों के समक्ष उत्तेजना प्रस्तुत करनी चाहिए। दो मुख्य विधियों द्वारा उत्तेजना प्रस्तुत की जा सकती है–

1. बालक को अनुभव के लिए ले जाना जैसे शैक्षिक यात्रा करवाना, म्यूजियम ले जाकर वस्तुओं का वर्णन करना।
2. अनुभवों को बालकों के निकट लाना जैसे लोगों को भाषण हेतु बुलाना, रेडियो, टेप रिकॉर्डर सुनवाना आदि। इन सब की सफलता कार्यविधि पर निर्भर करती है।

(घ) स्वयं कार्य करना : सीमित कार्य क्षेत्र होने के कारण दृष्टिबाधित छात्र स्वयं कार्य करके आगे नहीं बढ़ पाता है। उसे कार्य हेतु प्रेरित करना चाहिए। उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं कार्य कर सके। स्वयं करके सीखने पर ही वह आत्मविश्वास प्राप्त करता है। उसे समायोजन में भी सहायता मिलती है। उसे स्वयं कार्य करने की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमें सुस्त या दुखी रहने की आदत न पड़े।

5. **अध्यापक :** अध्यापक को दृष्टिबाधित या कम दिखाई देने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार होना चाहिए। तैयार होने का अर्थ यह है कि बालकों की आवश्यकताओं समस्याओं से अवगत होना तथा उन्हें पढ़ाने हेतु प्रेरित करना।

   इन बालकों के शिक्षण हेतु शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए। उन्हें बालक के मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक संवेगात्मक विकास को आवश्यक रूप से समझना चाहिए उनके वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। उनकी संभावनाएं सहयोगी होना चाहिए। अध्यापक को निम्न तीन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए–

   1. बालक को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना।
   2. उनमें आत्मविश्वास जागृत करना।
   3. उनमें यह भावना जागृत करना कि वे अन्य बालकों के समान ही हैं।

अतः इन बालकों को अच्छी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर किसी कार्य, नौकरी या व्यवसाय में लगाना चाहिए ताकि वे स्वयं पर निर्भर हो सकें। दृष्टिबाधिता आंशिक या पूर्ण हो सकती है। उसी प्रकार के अनुसार उनका प्रबंधन किया जाता है। नेत्र दोष का कारण नेत्र तारे की कमजोरी अथवा आंख से संबंधित मांसपेशियों का ठीक प्रकार से कार्य न करना होता है। दृष्टिदोष वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था उनको दिखाई देने वाली क्षमता पर निर्भर करती है। दृष्टिहीनता वाले बालक की शिक्षा व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं–

1. दृष्टिहीनता वाले बालकों की कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए।
2. पूर्ण अंधे बालकों को विशेष विद्यालयों में ब्रेल लिपि से पूर्ण प्रशिक्षित अध्यापकों से शिक्षण करवाया जाना चाहिए।
3. इन बालकों के लिए विद्यालय में उचित उपकरणों से सुसज्जित संसाधन कक्ष होना चाहिए।
4. दृष्टि से असमर्थ बालकों को विभिन्न कलाओं में निपुण किया जा सकता है।
5. दृष्टि विकास वाले बालकों को कक्षा में आगे बैठाया जाना चाहिए और उनके लिए अध्यापक को श्यामपट्ट पर साफ स्पष्ट अक्षर लिखने चाहिए।
6. इस समस्या से ग्रसित बालकों को पुस्तक और आंखों के मध्य की दूरी का सही अनुपात बताकर उसके अनुसार ही अधिगम की आदत का निर्माण करना चाहिए।
7. इन बालकों को मोटी टाइप से स्पष्ट रूप से लिखी पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए।
8. मूल्यांकन में दृष्टिहीन बालकों को अतिरिक्त समय देना चाहिए।

1.6.5 दृष्टिबाधित दिव्यांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सहायक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी

आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए शिक्षा संबंधी और रोजगार संबंधी कई बाधाओं को हटा दिया है। दृष्टिबाधित छात्र अब सामान्य छात्रों के

साथ अपना गृहकार्य पूरा कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए वस्तु को बड़ा करके देखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी आधुनिक समय में अनेक तकनीकी साधन उपलब्ध हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी से दृष्टिबाधित व्यक्ति अब कंप्यूटर उपकरणों के उपयोग से करियर की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब निम्न प्रकार के सहायक तकनीकी उपकरण बाजार अथवा इंटरनेट पर दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए उपलब्ध हैं–

1. **ब्रेल पत्र** : ब्रेल एक स्पर्श लेखन विशिष्ट प्रणाली है, जो अंधे या नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। यह परंपरागत रूप से उभरे कागज के साथ लिखा होता है। ब्रेल के निर्माता लुइस ब्रेल की बचपन में एक दुर्घटना के कारण दृष्टि खो गई थी, उन्हीं के नाम पर ब्रेल प्रणाली का नाम पड़ा है। फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने 15 साल की उम्र में सन 1824 में कई रातों लिखकर फ्रेंड्स वर्णमाला विकसित की थी। उन्होंने इस प्रणाली को 1829 में प्रकाशित करवाया, जिसमें बाद में संगीत संकेतन भी जोड़ दिए गए। मौलिक रूप से फ्रेंच में विकसित यह वर्णमाला आज विश्व की कई भाषाओं में रूपांतरित हो चुकी है।
2. **ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान पत्रक** : यह तकनीक एक दृष्टिबाधित दिव्यांग अथवा अंधे उपभोगकर्ता को कंप्यूटर में मुद्रित या हार्ड इकाई में मुद्रित सामग्री को स्कैन करने की अनुमति देती है। स्क्रीन किए जाने वाले पाठ को एक स्क्रीन रीडिंग प्रणाली के माध्यम से जोर से पढ़ा जाता है।
3. **ब्रेल एंबोसर** : ब्रेल एंबोसर एक प्रभावी प्रिंटर है, जिसके माध्यम से पाठ्यवस्तु को स्पर्श ब्रेल कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ब्रेल एंबोसर के साथ एक ब्रेल अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा लिखी हुई पाठ्य सामग्री को ब्रेल हार्ड कॉपी में परिवर्तित किया जाता है। यह तकनीक एक दृष्टिबाधित दिव्यांग अथवा अंधे उपयोगकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है।
4. **बोलने वाला केलकुलेटर स्क्रीन रीडर** : बोलने वाला केलकुलेटर स्पीच सिंथेसाइजर सिद्धांत पर बना होता है, जो कि उपयोगकर्ता द्वारा प्रेस किए गए नंबर प्रतीक या ऑपरेशन कुंजी को जोर से पढ़ता है। यह किसी समस्या का जवाब भी श्रवण प्रतिक्रिया से देता है। यह तकनीक एक दृष्टिबाधित दिव्यांग अथवा अंधे उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी है।
5. **बोलकर स्पेलिंग चेक करने वाला इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश** : बोलकर स्पेलिंग चेक करने वाला इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश किसी भी ऐसे शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी के लिए लाभकारी होता है, जिसका शब्दकोश निम्न स्तर का होता है। उपयोगकर्ता चयनित शब्दों को जोर से पढ़ कर उनका अर्थ पता कर सकते हैं। यह तकनीक एक दृष्टिबाधित दिव्यांग अथवा अंधे उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी है।
6. **ब्रेल फोन** : वर्तमान समय में कुछ स्मार्टफोन विशिष्ट फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए होते हैं। कई स्मार्टफोनों ने दृष्टिबाधित लोगों की जरूरतों को समायोजित करने के लिए कुछ विशिष्ट फीचर्स को डिजाइन किया है। कुछ निर्माताओं ने कीपैड पर नंबर्स के

स्थान पर उभरे हुए डॉट्स का उपयोग किया है और 'घर पर कॉल करो' या 'समय क्या हुआ है' जैसी कुछ मौलिक आवाजों को अथवा आदेशों को पांच नंबर की कुंजी पर सेट किया है। इस समय बाजार में दृष्टिहीन लोगों के लिए ऐसे फीचर वाले फोन उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में लंदन की एक कंपनी ने विश्व का पहला ब्रेल फोन बनाया है जो पूरी तरह से ब्रेल प्रणाली पर कार्य करता है।

7. **ब्रेल घड़ी** : ब्रेल घड़ी एक पोर्टेबल घड़ी है जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए समय बताती है। इसमें नेत्रहीन व्यक्ति डायल को छूकर उसमें उभरे हुए नंबरों को पहचान कर उस समय को जान लेते हैं। यह घड़ी एनालॉग और डिजिटल संस्करण में उपलब्ध है।
8. **ब्रेल स्लेट** : यह एक लकड़ी की पटिया होती है। इसके दोनों तरफ छेद होते हैं जिनमें ब्रेल गाइड फंसाते हैं, जैसे–जैसे लिखना पड़ता है गाइड नीचे सरकाते जाते हैं। गाइड के प्रत्येक खाने में 6 बिंदु होते हैं जो 6 डॉट्स का ब्रेल में प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे ऊपर कागज को फंसाने का विकल्प होता है नई खोज के अनुसार बेलगाइड में गड्ढे के स्थान पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, इससे लिखना और पढ़ना एक ही दिशा में होता है।
9. **ब्रेल अनुवादक सॉफ्टवेयर** : आज विश्व की कई भाषाओं में कई विषयों के तकनीकी छात्रों के लिए ब्रेल अनुवादक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए विमेट्स गणित विषय के लिए, म्यूजिकल नोटेशन संगीत के लिए।
10. **ब्रेलर** : यह टाइपराइटर के आकार का होता है और बहुत कारगर होता है। इसमें फिट बैठने वाले टाइप होते हैं जिनके एक तरफ रेखा तथा दूसरी तरफ 2 बिंदु होते हैं, इन्हें अष्टकोण में स्थिति के आधार पर पहचाना जाता है।
11. **अबेकस** : अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विभिन्न अंक गणितीय संक्रियाएँ की जाती हैं, जिनमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना आदि शामिल हैं। अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में किया गया। यह आयताकार फ्रेम होता है, जिसमें लम्बवत रूप से 13 से 15 मोती तारें होती हैं, जिनमें मोती पिरोये होते हैं तथा एक तार में 5 मोती होते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

9. नेत्रहीनों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ने की विधि किसने दी?

   (क) लुई ब्रेल ने (ख) न्यूटन ने

   (ग) डार्विन ने (घ) हेलन केलर ने

10. दृष्टिबाधित बालक किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहते हैं?

   (क) फूलों के (ख) प्रकाश के

   (ग) अग्नि के (घ) बारिश के

1.7 शारीरिक दिव्यांग बालक और स्नायुओं की कमजोरी प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को अगर कक्षा में योग्य मार्गदर्शन किया गया, योग्य अध्यापनीय व्यूह रचना तथा सहकार्यशील तंत्रज्ञान का प्रयोग किया गया तो दिव्यांगता धारण करने वाले बालक भी योग्य दिशा में प्रगति कर लेते हैं।

मूलतः 'दिव्यांगता' के निम्न प्रकार होते हैं–

- संवेदन अक्षमता यानी ज्ञानेंद्रियों की अक्षमता
- शारीरिक अक्षमता
- बौद्धिक अक्षमता
- अध्ययन की दृष्टि से अक्षमता

उपर्युक्त सभी अक्षमताओं वाले व्यक्ति या बालकों के लिए सर्वसमावेशक अनुदेशनात्मक व्यूहरचना की जाती है। क्या होती है यह व्यूह रचना? इसका मत हम पहले जान लेंगे।

सर्वसमावेशक अनुदेशनात्मक व्यूहरचना

ऐसी शिक्षा नीति, जिसे छात्रों/बालकों की विशेष आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर, उनकी पार्श्वभूमि को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी अध्ययन शैली एवं क्षमताओं का विचार करके अपनाया जाता है। इस व्यूहरचना के कारण अध्ययन पूरक पर्यावरण बनता है; मददपूर्ण वातावरण बन जाता है।

पाठशाला स्तर पर उपचारात्मक अध्ययन, संघ या समूह अध्यापन, सहाध्यायी अध्यापन, बड़ी–रिचिंग, ब्लेंडेड लर्निंग इन सारी विभिन्न सर्वसमावेशक अनुदेशनात्मक व्यूहरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इन्हीं विभिन्न प्रकार की सर्वसमावेशक अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के चलते शिक्षा के विशेष ध्येय–उद्देश्य को पूरा किया जाता है।

1.7.1 शारीरिक दृष्टि से अक्षम/दिव्यांग बालक (अस्थि बाधित दिव्यांग बच्चे)

दिव्यांगत्व/अपंगत्व मानवी परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुछ व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए इस दिव्यांगत्व का अनुभव लेते हैं। इस संकल्पना से शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं का आकलन होता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, बोधात्मक तथा मानसिक ज्ञानेंद्रियों संबंधी या इन सबकी होने वाली एकत्रित अक्षमता होती है, समाज जिसे "सर्व साधारण कृति" कहकर मान्यता देता है। इस समाजमान्य वर्तन को (Behaviour) वह व्यक्ति अक्षम है; यह समझा जाता है। दिव्यांगत्व जन्म से ही या फिर जीवन में कभी भी, बीच में ही हो सकता है।

दिव्यांगत्व/अपंगत्व

दिव्यांगत्व या अपंगत्व एक व्यापक (Broader) स्वरूप की संकल्पना है; जिसके द्वारा व्यक्ति के समावेशन (Integration) पर आने वाले निर्बंध, कृतियों पर मर्यादाएँ (Limitations)

तथा उस व्यक्ति या बालक से होने वाले दोष (Mistakes) इस संकल्पना में समाविष्ट किये जाते हैं। दोषों को ही कमियाँ भी कह सकते हैं। इन्हीं कमियों के द्वारा शारीरिक कार्य या शारीरिक रचनाओं में समस्या दिखाई देती है। कृतियों की मर्यादाओं के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति या बालक द्वारा कोई भी कृति करने में मर्यादा दिखाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप दिव्यांगत्व या अपंगत्व एक जटिल घटना होती है; जिसके द्वारा व्यक्ति/बालक के शरीर की जो विशिष्टता (Characteristics) होती है, उसे उसके वर्तन पर पड़ने वाला प्रतिबिंब/छवि तथा वह जिस समाज में रहता है; उस समाज की विशिष्टता इस संकल्पना से प्रतिबिंबित होती हैं।

दिव्यांगत्व के प्रकार (Types of Diabilities)

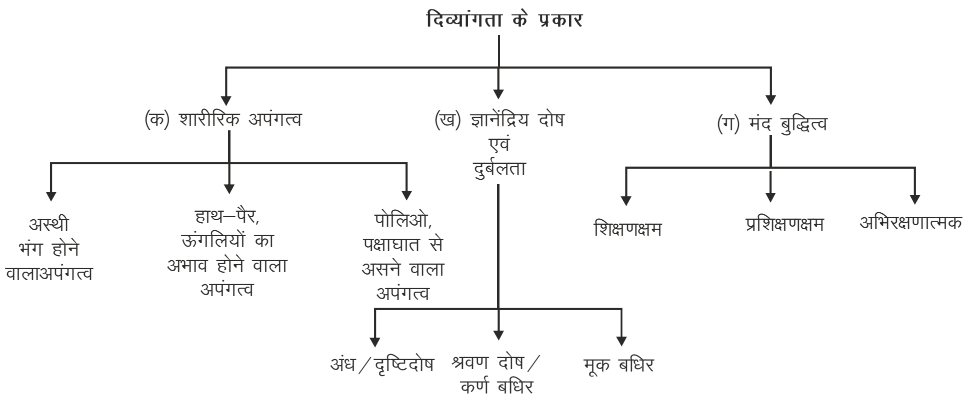

उपर्युक्त चित्र में शारीरिक अपंगत्व तथा उसके प्रकारों की जानकारी दी गई है। उसी से जुड़ी कुछ संकल्पनाओं की जानकारी निम्न है–

लोकोमोटर डिसैबिलिटी : लोकोमोटर डिसैबिलिटी का मतलब है; एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में परेशानी होना यानी टांगों में अक्षमता होना। साधारणतः यह अपंगत्व हड्डियों से, जॉइन्ट से, स्नायुओं से संबंधित होता है। इसी कारण व्यक्ति/बालक के हिलने–डुलने में समस्या आती है, जैसे– चलना, पकड़ना या हाथों में चीजों को पकड़ कर रखना आदि।

"आरोग्य सर्वेक्षण अनुसंधान योजना–2008" के तहत श्री शाह इब्राहिम ने अपने अनुसंधान पेपर में लिखा है– दिव्यांगता का अर्थ सारे जोखिम वाले घटक या कारकों को (Risk Factors) सही ढंग से (Systematic) पुनरावलोकन करके यह साबित करना है, कि किसी भी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोग/व्यक्ति/बालक बड़ी लंबी कालावधि की बीमारी के बाद इस दिव्यांगता तक पहुंचे होते हैं। इसी के साथ–साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का भी विचार किया गया। कुछ स्वतंत्र (Independent) तथा (Chronic) कारक भी अपंगत्व से जुड़े होते हैं।

उपर्युक्त कारणों के द्वारा ही दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे एवं सुलझे जीवन को पाने के लिए अक्षमताओं को कम करना है।

चेतातंतु एवं स्नायुंओं की कमजोरी : शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है–चेतासंस्था। इन चेतासंस्था के भागों को चेतातंतु कहते हैं।

चेतातंतु एवं स्नायुओं से जुड़ी बीमारियाँ शरीर के नर्वस सिस्टम पर सीधे–सीधे (Direct) नियंत्रित/नियंत्रण (Control/Attack) करती हैं। इसके कारण उन्माद

(Spasticity) और पैरोलिसिस / पक्षाघात (Paralysis) होकर दिव्यांगता की समस्या आ सकती है।

चेतासंस्था शरीर के स्नायुओं तथा इंद्रियों की क्रियाओं पर ध्यान रखने वाली, ज्ञानेंद्रियों को संदेश देने वाली तथा विविध कार्य करने वाली संस्था होती है। यह संस्था चेतापेशी और चेतातंतु से बनी होती है।

मज्जा संस्था शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था है, जो अपने अवयवों की कार्यपद्धति पर नियंत्रण रखती है। दिमाग / मस्तिष्क, मज्जारज्जू, मज्जातंतु, चेतापेशी इन सबको मिला कर उसे चेता संस्था कहते हैं।

इस संस्था द्वारा अवयव 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। कुछ गड़बड़ हुई तो बीमारी होती है जिसे Neuro-desease या Disorder कहते हैं।

लक्षण

(1) शारीरिक व बौद्धिक बाढ़ रुकना।

(2) बारंबार फिट्स या अपस्मार के झटके आना।

(3) हाथों–पैरों की ताकत कम होना।

(4) हाथों और पैरों के स्नायुओं में कड़कपन आना।

(5) पेशाब एवं संडास पर नियंत्रण न रहना।

बड़े व्यक्तियों में लक्षण

(1) बार–बार होने वाला, अचानक तथा तीव्र या अतितीव्र सिरदर्द। इसी के साथ–साथ जी मचलाना, उलटियां, बुखार, गर्दन दर्द होना।

(2) बार–बार चक्कर आना, चलते वक्त किसी एक बाजू का झुकना, बार–बार चक्कर आकर गिरकर जख्मी होना।

(3) शरीर के एक बाजू को या हाथ को कमजोरी की वजह से झुनझुनी आना तथा अलग–अलग संवेदनाएं होना। दोनों हाथों–पैरों में झुनझुनी आना या तीव्र वेदना होना। सुइयाँ कोंचने जैसा दर्द होना।

(4) चेहरे के एक तरफ तीव्र तथा अतितीव्र वेदना होना या अचानक करेंट लगने जैसी वेदना होना।

(5) चेहरे को लकवा मारना तथा चेहरे के स्नायुओं में गड़बड़ी होना। गर्दन, पैरों, हाथों के स्नायुओं में दिक्कत होना तथा आंख बंद की बंद या खुली की खुली रह जाना।

कारण : न्यूरो डिसॉर्डर के कई कारण होते हैं–

(1) मस्तिष्क या मज्जारज्जुओं में रक्तपेशिका का बंद होना।

(2) मस्तिष्क या मज्जारज्जु को आघात लगकर तकलीफ होना।

(3) शरीर में अत्यावश्यक होने वाली परंतु विशिष्टिकरण के कारण जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई रोग प्रतिकारक शक्ति।

(4) शरीर को आवश्यक होने वाले जीवनसत्व या इनर पोषक तत्वों की कमी।

(5) वातावरण में होने वाला प्रदूषण या जिस वातावरण में काम किया जाता है, उस वातावरण में एकत्रित हुए रासायनिक तत्व।

टिप्पणी

स्नायु विकारों के लिए डॉक्टर

(1) ऑर्थोपेडिस्टस

(2) शारीरिक व व्यावसायिक चिकित्सक

(3) कार्डिओलॉजिस्ट

(4) आहारशास्त्रज्ञ

(5) अनुवांशिक सलाहकार

(6) न्यूरोलॉजिस्ट

(7) नर्स केस व्यवस्थापक

(8) सामाजिक कार्यकर्ता

(9) भाषण–रोग विज्ञानी

1.7.2 पोलियोग्रस्तता से निर्मित अक्षमता : संकल्पना

पोलियो एक संसर्गजन्य रोग है। पोलियो अथवा पोलियोमायलिटिस इस एक विषाणु के कारण बालकों को होने वाला और अपंग करने वाला एक संसर्गजन्य रोग है। ग्रीक भाषा में पोलियो मतलब 'ग्रे' अथवा 'भूरा', मायलॉन मतलब मज्जारज्जू तथा आयटिस मतलब सूजन होता है। पोलियो के उपसर्ग से 90% घटनाओं में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते; परंतु विषाणुओं के रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाले पोलियो रुग्णों में बहुत सारे अलग–अलग लक्षण दिखाई देते हैं। 1 प्रतिशत से कम रुग्णों में यह विषाणु मध्यवर्ती मज्जा में प्रवेश करता है, एवं शरीर के स्नायुओं की हलचल करने के कारण होने वाले 'गतिप्रेरक न्यूरॉन्स' को तकलीफ पहुंचाता है। इसका परिणाम स्नायुओं की दुर्बलता होने में तथा आखिर पक्षाघात में होता दिखाई देता है।

लक्षण (Identification)

(1) पैर में कोई शक्ति नहीं रहती।

(2) पोलियो के कारण दोनों पैर या दोनों में से कोई एक पैर लुंज होना।

(3) पैरों में वक्रता आना।

पोलियो संसर्ग का इतिहास

हजारों वर्ष पहले पोलियो सक्रिय परंतु स्थिर अवस्था में अस्तित्व में था। 1980 के बाद पोलियो की बीमारी का यूरोप में बड़े पैमाने में उद्रेक होने लगा। इसके बाद तुरंत ही अमरीका में भी पोलियो बीमारी का प्रसार हुआ। 1910 में पूरी दुनिया में पोलियो बीमारी फैल चुकी थी तथा उसका उद्रेक होना यह हमेशा की घटना बन चुकी थी। इस बीमारी के कारण हजारों बालक एवं प्रौढ़ व्यक्ति भी अपंग हो रहे थे।

पोलियो वैकसीन (Vaccine): इसे विकसित करने का श्रेय जोनस सॉल्क (1942) एवं अल्बर्ट सेबिन (1962) इनको जाता है। वैश्विक आरोग्य संघटन (World Health Organisation), युनिसेफ (UNICEF) तथा रोटरी इंटरनेशनल इन संस्थाओं के पोलियो

निर्मूलन प्रकल्पों द्वारा संपूर्ण उच्चाटन की आशा निर्माण हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ–साथ यूरोप पोलियोमुक्त घोषित कर दिया गया। धीरे–धीरे भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान इन 4 देशों में भी यही दिखने लगा और WHO ने भारत देश को 100% पोलियोमुक्त घोषित कर दिया। भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू किये गये पल्स–पोलियो अभियान द्वारा भारत पूर्णतः पोलियोमुक्त हो गया।

परिभाषा : "इस बीमारी को छोटे बच्चों का पक्षाघात कहते हैं।" यह संसर्गजन्य बीमारी मध्यवर्ती चेत पर परिणाम करती है।

परिणाम : सौम्य पक्षाघात परिणाम एवं पूर्ण पक्षाघात परिणाम कुछ घंटों में दिखते हैं। कई बार पेट व पीठ के स्नायु बाधित होते हैं। खड़े रहने की शैली/तरीका बदल जाता है। गर्दन हिलाना मुश्किल हो जाता है। चेहरे के स्नायु तिरछे या अलग आकार में दिखते हैं। आंखों की पुतलियों नीचे गिरती हैं। मस्तिष्क पक्षाघात हुआ तो श्वासोच्छवास में (सांस लेने में) तकलीफ होकर मृत्यु भी हो सकती है।

कारण : यह निम्न कारणों से फैलता है–

(1) संसर्ग से फैलता है।

(2) पोलियो रुग्ण के विष्ठा से दूषित हुए अन्न ग्रहण से होता है।

(3) गटरों का गंदा पानी, दूषित अन्न से फैलाव होकर मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश होता है। धीरे–धीरे अन्य मार्ग से रक्तवाहिनियों में जाता है।

लक्षण : बुखार, अशक्तता (Weakness), गले में खराश, उलटियां आदि पोलियो के लक्षण हैं। यह सौम्य बीमारी होती हैं, जो 2–3 दिनों में ठीक हो जाती है। मगर गंभीर बीमारी ज्यादा बुरे परिणाम दर्शाती है। तीव्र सिरदर्द, गर्दन अकड़ना पीठ या रीढ़ की हड्डियों में वेदनाएं, श्वसन एवं अन्नग्रहण में तकलीफ, हृदय क्रिया एवं रक्तचाप पर असर। कभी–कभी मृत्यु हो जाती है। चेतापेशियों पर ज्यादा प्रभाव हुआ तो हमेशा के लिए पक्षाघात भी हो जाता है।

निदान

बुखार और स्नायुओं की शिथिलता एवं पक्षाघात संवेदी चेताओं का कार्य चालू रहता है। छोटे बच्चे एवं बड़ों के इन लक्षणों के बाद कमर के उपरी भाग से जाने वाली रीढ़ की हड्डियों की नलिकाओं से मज्जा रज्जू के आसपास होने वाले मेरुद्रव के परीक्षण में बढ़ी हुई सफेद पेशियां व जीवाणु नहीं दिखे तो आसेप्टीक मेंदूदाह का निदान होता है। पक्षाघात विरहित पोलियो का निदान नहीं होता है। गले की पेशियों से या शौच परीक्षण के द्वारा पोलियो संबंधित प्रतिपिंड परीक्षण करने पर निदान पक्का होता है।

लसीकरण (Vaccination): पोलियो निर्मूलन की दो पद्धतियां हैं–

(1) जोन्स साल्क (1952): शरीर के स्नायुओं में इंजेक्शन द्वारा वैक्सीन लगाया जाता है।

(2) अल्बर्ट सबिन (1962): मुख मार्ग से 'दो बूंद' दिये जाते हैं।

"दो बूंद जिंदगी के", यह घोषणा हमारे देश का एक वरदान बन चुकी हैं, नन्हे बालकों के लिए।

1.7.3 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों की पहचान

दिव्यांगत्व के प्रकारों में से 'अ' एवं 'ब' प्रकार जो दिए गए हैं, वे शारीरिक अपंगता ही कहलाते हैं।

दिव्यांगत्व में समाविष्ट होते हैं–

- शारीरिक दिव्यांगत्व
- संवेदन में दिव्यांगत्व
- मानसिक/मनोवैज्ञानिक दिव्यांगत्व
- अस्थि दिव्यांगत्व,
- बौद्धिक दिव्यांगत्व

कुछ लोगों और बालकों में बहुदिव्यांगत्व भी होता है। इसकी प्रमुख पहचान होती है कि व्यक्ति या बालक की कोई विशिष्ट कृति करने में असमर्थता दर्शायी जाती है। दिव्यांगत्व के कारण व्यक्ति की जो शारीरिक रचना होती है, उसमें बारंबार बदलाव आता है। दिव्यांगत्व का स्तर साधारणतः कम तीव्रता से लेकर मध्यम स्तर तक तथा बहुत ही तीव्र स्वरूप के दिव्यांगत्व से लेकर उपजत यानी मूल स्वरूप के दिव्यांगत्व तक होता है।

शारीरिक दिव्यांगत्व के प्रकारों के अनुसार लक्षणों का अभ्यास

(अ) अस्थि दिव्यांगत्व

(i) न्यूरो मोटर इम्पेअर मेंट्रस

(ii) पुनरुत्पादकीय बीमारी

(iii) स्नायुओं की स्थिति में दोष

(ब) मस्तिष्क दिव्यांगत्व

(i) स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी

(ii) डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी

(iii) मैटॉक्सिक सेरेबल पाल्सी

(अ) अस्थि दिव्यांगत्व : यह बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों (Educational Achievements) पर बुरा असर दिखाता है। तीव्र अस्थि–दिव्यांगता का छात्रों के अध्ययन पर असर हो जाता है।

(i) न्यूरोमोटर इम्पेअर मेंट्रस : मस्तिष्क (Brain) या रीढ़ की हड्डी को हुई दुखापात या मार के कारण रीढ़ के स्नायु एवं शरीर के स्नायु सही कार्य नहीं कर सकते।

(ii) पुनरुत्पादकीय बीमारी : इस दिव्यांगता (पक्षाघात) बीमारी से व्यक्ति के कारक हालचाल पर दोष आ जाता है।

(iii) स्नायुओं की स्थिति में दोष : इनसे स्नायु एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी और दोष दर्शाए जाते हैं।

(ब) मस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी : इससे शारीरिक दिव्यांगता आती है। इस विकार से बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क पर मज्जारज्जुओं की प्रणाली (System) पर असर पड़ता है। संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए स्नायुओं पर नियंत्रण एवं समन्वयन नहीं रहता।

(i) **स्पैस्टिक सेरेब्रलपाल्सी** : स्नायुओं का अकड़ना तथा उनका कार्य न करना। स्नायुओं तक गलत संदेश पहुंचाये जाना तथा अनियंत्रित स्थिति होना।

(ii) **डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी** : स्नायुओं में अस्वाभाविक व अनैच्छिक स्वरूप की स्थिति होते रहना।

(iii) **मैटॉक्सिक सेरेबल पाल्सी** : जिन व्यक्तियों या बालकों को यह बीमारी होती है, उनकी स्नायुओं की स्थिति में अस्थिरता दिखाई देती है तथा अड़चनें आती हैं।

दिव्यांगत्व होने वाले बालक/व्यक्तियों में एक या एक से अधिक हड्डियों में दोष या अपंगत्व आता है। इसके कई परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे–

(1) रीढ़ की हड्डी में खराबी आना।

(2) रीढ़ की हड्डियों का एक–दूसरे में घुस जाना।

(3) हाथ–पैरों की उँगलियों की कमी होना।

(4) बीमारी के कारण पैरों की हड्डियों की बाढ़ न होना।

(5) अपघात (Accident) दुर्घटना के कारण हाथ/पैर/शरीर का कोई भाग बेकार होना।

(6) गर्दन में विकार आना।

(7) पेन/पेन्सिल/किसी वस्तु पकड़ने में असमर्थता।

(8) पैर के विकार के कारण चलते वक्त झटके लगना।

(9) तिरछा चलना।

(10) हाथों पर जोर देकर या हाथ के आधार पैरों पर देकर चलना।

इन उपर्युक्त लक्षणों का मतलब यह है कि संबंधित हड्डियां एवं मस्तिष्क इनमें समन्वय रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ विशिष्ट उपकरण देने से समायोजन हो जाता है तथा व्यक्ति/बालक अपने काम के चलते हरकत कर सकते हैं।

1.7.4 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के मददगार साधन या यंत्र सामग्री

शारीरिक दिव्यांगता के विभिन्न स्नायुओं के विकारों की प्राथमिक जानकारी हमने पाई है। स्नायुओं के विकारों के लक्षण एवं वैशिष्टयता :

- स्नायुओं की कमजोरी।
- वेदना।
- स्नायुओं में अड़चनें।
- कड़कपन।

- कुछ न समझ में आना।
- लक्षण न दिखना।

स्नायु विकारों के कोई भी लक्षण नहीं दर्शाए गये तो भी वे रुग्णों में समावेशित हो सकते हैं।

स्नायु विकारों के साधारण कारण

(1) दुखना/दर्द।

(2) स्नायुओं का अधिक उपयोग।

(3) आनुवंशिकता से हुआ विकार।

(4) संक्रमण।

(5) स्नायुओं को प्रभावित करने वाले रोग।

स्नायु विकारों के लिए जोखिम वाले घटक/कारक

कुछ घटक/कारक स्नायु विकारों की शक्यताएं बढ़ाते हैं–

(1) जवान/युवा।

(2) पारिवारिक इतिहास।

(3) उच्च तीव्र शक्ति।

(4) अत्यंत पुनरावृत्ती वर्तन।

(5) मनोवैज्ञानिक घटक/कारक।

स्नायु विकारों को टालने हेतु

स्नायु विकारों को प्रतिबंधित करना संभव है; इसलिए निम्न उपाय करके उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए–

(1) ओवरलोडिंग टालना (Overloading नहीं करें)।

(2) म्यैन्युअली चीजें उठाना टालें।

(3) व्यावसायिक कामगारों के कार्यकाल में यांत्रिक लोड़/वजन कम करना।

(4) अनुकूल मुद्दत काल के लिए ही वजन उठाना।

(5) प्रदर्शन का कम से कम काल रखना।

स्नायु विकारों के निदान/उपचार करने के लिए प्रयोगशालाओं में कसौटियाँ (Tests) तथा कार्य प्रणालियाँ प्रक्रिया (Work-Systems/Processes)

प्रयोगशालाओं में कसौटियाँ और प्रक्रियाओं का उपयोग स्नायु विकारों को ढूँढ़ने के लिए किया जाता है।

(1) **शारीरिक चेकअप (Physical Checkup) :** वेदनाएं, लैडनेस तथा सूजन तथा मांसपेशियों की कमजोरी या एट्रोफि के चिन्ह देखने के लिए।

(2) **एक्स–किरण/Ex-rays :** हड्डियां एवं हड्डियों के अंतर्गत होने वाले पतले ऊतकों का मूल्यांकन करना।

(3) **खून की मात्रा (Blood Chacking) :** संधिवात / हड्डी दर्द रोगों के निर्धारण करना।

(4) **इलेक्ट्रोमॅग्राफी** : स्नायुओं के आरोग्यों का मूल्यांकन करना तथा उसके नियंत्रण में होने वाले तंत्रिका पेशियों का मूल्यांकन करना।

(5) **सुई–बायोप्सी** : वैद्यकीय स्थितियों का निदान (Diagnosis) करने के लिए और उपचारों के प्रगति के मूल्यांकन करने के लिए

स्नायु विकारों पर उपचार प्रक्रिया

स्नायु विकारों पर उपचार (Diagnosis) करने के लिए निम्न प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए–

(1) **शस्त्रक्रिया (Operations) :** शरीर के कमजोर स्नायुओं को आधार देना एवं स्नायु विकारों का उपचार करना।

(2) **स्नायु दिव्यांगता हेतु खुद के द्वारा देखभाल** : नीचे दिए अनुसार आत्म–ध्यान (खुद पर ध्यान) देना या जीवनशैली में बदलाव, स्नायु दिव्यांगताओं के उपचार या व्यवस्थापन में मदद करना।

- नियमित व्यायाम (Exercise) करना।
- स्नायुओं की शक्ति, लचीलापन तथा बाकी स्नायुओं को बचाने में मदद करना।

स्नायु विकारों के उपचार के लिए कुछ उपाय

(1) **शारीरिक उपचार लेना** : व्यायाम करना, स्नायुओं की बीमारी रहने वाले रुग्णों को सक्रिय जीवन जीने के लिए मदद करना।

(2) **मालिश करना** : मालिश से आराम मिलता है।

(3) **ऐक्युपंक्चर** : वेदनाएं कम करने में मदद मिलती है।

1.7.5 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए कक्षा में आयोजित योजनाएं

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का अभ्यास करने के बाद यह बात महत्वपूर्ण है कि जब शालेय स्तर पर सर्वसमावेशन का अमल किया जाता है, तब पाठशाला स्तर पर सर्वसमावेशन की यशस्विता हेतु कुछ विशिष्ट समावेशक अनुदेनात्मक व्यूहरचनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

इन सर्वसमावेशक अनुदेशनात्मक व्यूहरचना में समाविष्ट होने वाले कार्यक्रम या कक्षा योजनाएं–

1. उपचारात्मक अध्यापन
2. समूह / संघ अध्यापन
3. बड़ी सिस्टम
4. मित्र / सहाध्यायी अध्यापन

5. ब्लेंडड लर्निंग (मिश्रित)

6. एकात्म एकक में अध्यापक की भूमिका

(1) उपचारात्मक अध्यापन (Diamostic Teaching) : शिक्षा प्रक्रिया में नैदानिक कसौटियों (Tests) का उपयोग करके दोषों की, कमियों और त्रुटियों की निश्चिती की जाती है। केवल दोष दिखाकर नहीं चल सकता, यहां दोषों की दुरुस्ती एवं दोष निर्मूलन शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम ध्येय बन जाता है।

परिभाषा : "छात्रों के अध्ययन में होने वाले दोषों को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गये उपाय–योजनाओं को उपचारात्मक अध्यापन कहते हैं।"

उपचारात्मक अध्यापन बोधात्मक स्वरूप का होता है। इसके द्वारा छात्र या अध्ययनकर्ता, उसे किसी विषय से संबंधित संकल्पनाओं का तथा आशय के पहलुओं का ज्ञान कराया जाता है। उपचारात्मक अध्यापन एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया है; जिसमें कसौटी, अध्यापन कसौटी तथा पुनर्ध्यापन यह चक्र बारम्बार चलता रहता है। सही समय पर उपचारात्मक अध्यापन हुआ तो बालकों का पाठशाला छोड़ जाना, अनुत्तीर्णता इनका प्रमाण कम करते आयेगा। अच्छे अध्यापन का एकात्मिक भाग यानी उपचारात्मक अध्यापन की ओर देखा जाता है। छात्रों की कमियों पर ध्यान केंद्रित कर उनके स्तर का विचार तथा उन्हें अभिप्रेरण भी दिया जाता है। जिससे उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है।

अन्य परिभाषाएं

ग्लेन ब्लेअर के अनुसार, "छात्रों की अयोग्य अध्ययन आदतें कम करना एवं गलत पद्धति से त्रुटियों के समेत पढ़ाया गया आशय भाग पुनः अध्यापन करने हेतु किये गये प्रयासों को उपचारात्मक अध्यापन कहते हैं।"

रोनॉल्ड थॉमसन का कहना है कि, "उपचारात्मक अध्यापन यह एक वैकल्पिक स्वरूप होता है, जिसमें छात्र के स्तर पर से उसे अधिकतम संपादक (Achievent) की ओर ले जाने के प्रयास किये जाते हैं।"

"अपेक्षित उद्देश्य तक न पहुंचने वाले छात्रों के लिए किये जाने वाला अध्यापन।"

उपचारात्मक अध्यापन चक्र

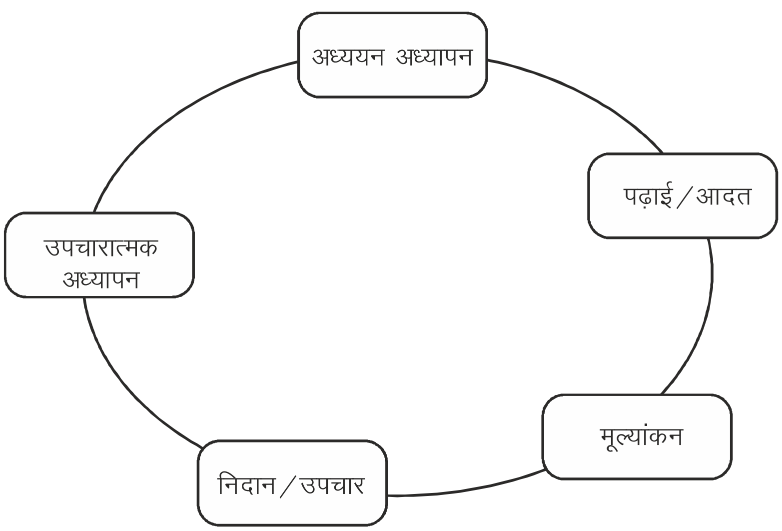

उपर्युक्त चित्र से अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया एवं उपचारात्मक अध्यापन का सहसंबंध (Correlation) स्पष्ट होता है।

उपचारात्मक अध्यापन की पूर्व तैयारी–

(1) अध्यापन पद्धति का विचार किया जाता है।

(2) आशय ज्ञान में वृद्धि (Content Errichment) होती है।

(3) आशय विश्लेषण की प्रणाली विकसित करना (ContentAnalysis)।

(4) अध्ययन अनुभवों की ठीक तरह से आयोजित–श्रृंखला तैयार करना (Learning Experience OR Knowledge Representations)।

(5) अलग–अलग विषयों पर आधारित अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिससे विषयक आशय का अधिक सहज अध्ययन हो सके।

उपचारात्मक अध्ययन के फायदे एवं महत्व–

(1) वक्त पर गलतियों की सुधारणा हो जाती है।

(2) अधिक ज्ञान संपादन हो जाता है।

(3) विषय अभिरुचि निर्मिती बढ़ती रहती है।

(4) अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य में समाधान की प्राप्ति होती है।

(5) छात्रों की अड़चनें/कमियां दूर हो जाती हैं।

(2) समूह/संघ अध्यापन/सांघिक अध्यापन (Group Teaching)

परिभाषा : "दो या दो से अधिक अध्यापकों द्वारा किसी एक पाठ के अध्यापन का ठीक तरह से नियोजन कर अध्यापन कार्य का अमल किया जाता है; उसे सांघिक अध्यापन कहा जाता है।"

सांघिक अध्यापन की विशिष्टता

दो या दो से अधिक अध्यापक होने के कारण अध्यापन में अधिक से अधिक अध्ययन अनुभव दिये जाते हैं। कोई विवेचन करते हैं; तो कोई आकृतियाँ/प्रतिकृतियाँ बनाते हैं। कोई फलक लेखन करते हैं; तो कोई मूल्यांकन विधि कराते हैं। सभी अध्यापकों के एकत्रित गुणों के मिलाप द्वारा अध्यापन कार्य में सुकरता लायी जाती है।

सांघिक अध्यापन के फायदे/गुण–

(1) अध्यापन परिणामकारक (Effective) होता है।

(2) अध्ययन परिणामकारक (Effective) होता है।

(3) अध्यापकों के उपजाऊ/मूल गुणों को अवसर मिलता है।

(4) अध्यापकों में सहकार्य की भावना निर्मित होती है।

(5) अध्यापन कार्य करते समय आदर्श (Ideal) अध्यापन कराने के संयुक्तिक प्रयत्न सफल हो जाते हैं।

(6) आशय का अत्यंत बारीकी से/सूक्ष्मता (Micro Level) से विचार–विनिमय होता है। अध्यापकों की कौशल्य पूर्ण बातों के कारण गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

(7) अध्यापकों को गलतियां सुधारने का अवसर प्राप्त होता है।

(3) बड़ी सिस्टम (Buddy System): बड़ी सिस्टम पद्धति द्वारा अनेकविध अभ्यासक्रम तथा अभ्यासक्रम पूरक उपक्रमों के माध्यम से छात्रों की परस्पर एक–दूसरे से आंतरक्रियाएँ (Interactions) प्रस्थापित की जाती हैं।

वाचन, लेखन, श्रवण इसके लिए बड़ी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से छात्रों के सामने आदर्श निर्माण करके दिये जाते हैं तथा मेंटॉरिंग का अवसर भी दिया जाता है। बड़ी सिस्टम का उपयोग कुछ विशिष्ट हेतु एवं विशिष्ट उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

- प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के छात्रों में कक्षा में या कक्षा के बाहर एक–दूसरे से संपर्क प्रस्थापित कराये जाते हैं।
- छात्रों छात्रों में सामाजिक आंतरक्रिया वृद्धिगत कर छात्रों को एक–दूसरे के साथ खेलने का अवसर प्राप्त करवाया जाता है।
- जिन्हें भी समूह में अड़चनें आती हैं; वे एक–दूसरे के साथ विचार विमर्श करके मदद करते हैं।
- विशेष बालकों को सामान्य बालक मदद करते हैं।

परिभाषा : "छात्रों–छात्रों में होने वाली मैत्रीपूर्णता तथा आंतरक्रियाओं को चालना देकर नये एवं पुराने समवयस्क बालकों में सहकार्य प्रस्थापित कर जो अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है; उसे बड़ी सिस्टम ही कहा जाता है।"

विशेषताएं

(1) संपूर्ण पाठशाला के समूहों में संवेदनशीलता का निर्माण कराया जाता है।

(2) छात्रों का शालेय वर्तन–परिवर्तन हो जाता है।

(3) सकारात्मक सामाजिक कौशलों को विकसित कराने में मदद मिलती है।

यशस्वी बड़ी सिस्टम के लिए व्यूहरचना

(1) उच्च शैक्षिक संपादन होने वाले छात्रों के बराबरी से विशेष बालकों का सहभाग।

(2) प्रत्येक एक छात्र के साथ दूसरे की नियुक्ति/एक–दूसरे की ओर लक्ष्य केंद्रित करने में मदद।

(3) विशेष बालकों की जोड़ी में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे स्पष्ट निर्देश होते हैं– उसकी भूमिका मार्गदर्शक (Guide) की होती है।

(4) दोनों ही छात्रों में आंतरक्रियाएं प्रस्थापित होकर एक–दूसरे का विषय अभ्यास में मदद करना आवश्यक होता है।

(5) बड़ी सिस्टम के द्वारा बने संबंधों से स्वभाव या वर्तन विशेष में बदलाव का अभिलेख तैयार किया जाता है।

(4) मित्र–सहाध्यायी अध्यापन (Peer-Teaching) : छात्रों में आंतरक्रियात्मक जाल उभरकर एक महत्वपूर्ण साधन या तंत्र इस हिसाब से सहोध्यायी अध्यापन की ओर देखा जाता है। इस तंत्र में कई प्रकार से उपतंत्र या उपकौशल्य अस्तित्व में होते हैं। समवयस्क दोस्त या सहाध्यायी के मार्फत इन छात्रों को अध्ययन–अध्यापन को

प्रोत्साहन देना या उद्दिष्ट होता है। विशेष बालकों के अध्ययन में, वर्तन में सकारात्मक बदलाव किया जाता है।

अर्थ : "जिन छात्रों में कुछ विशिष्ट अक्षमता है, या उनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं; उनको छात्रों के समूह में समावेशित करके पारस्परिक सामंजस्य के द्वारा आधारभूत समूह की स्थापना करके अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करवाये जाते हैं।"

- छात्रों में समावेशन का दृष्टिकोण उत्पन्न कर पूरक दृष्टिकोण के रूप में सहाध्यायी के अध्ययन अध्यापन की ओर देखा जाता है।
- एक–दूसरे की समस्या छुड़ायी जाती है।
- समस्या छुड़ाने से एक–दूसरे के साथ आनंदानुभूति महसूस होती है।

सहाध्यायी अध्यापन के उद्देश्य

(1) व्यक्तिगत रीति से सर्वसमावेशन की स्वीकृति का स्तर ऊंचा करना।

(2) विशेष बालकों को अड़चनें/समस्याएं निर्माण होने वाली बातों का निराकरण करके उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण करना।

(3) व्यक्तिगत भाव–भावना तथा वर्तन के साथ–साथ अन्य सभी दोस्तों; लोगों के भाव तथा बर्तन का आकलन हो।

(4) अध्ययन अध्यापन में निर्मित समस्याओं का निराकरण करने हेतु 'आधार समूह' के रूप में काम देखना।

(5) मिश्रित अध्ययन (Blended Learning): मिश्रित अध्ययन यह संकल्पना ई–अध्ययन के (e-learning) लिए उपयोग में लायी जाती है। पारंपरिक कक्षा की पद्धति एवं संकरित शिक्षा पद्धति इनका मिश्रण इस मिश्रित अध्ययन पद्धति में किया जाता है।

मिश्रित अध्ययन में कक्षा में एक से अधिक संगणकों को जोड़कर मूलभूत तंत्र में बदलाव दर्शाया जाता है। अध्यापक और छात्रों को अध्ययन अनुभव देने हेतु मूलभूत बदलाव किये जाते हैं।

मिश्रित अध्ययन को ही 'संकरित', 'मिश्र', 'एकात्म' अध्ययन इन नामों से पहचाना जाता है।

अर्थ : कक्षा में एक–दूसरे के सामने अध्ययन करने के लिए, शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सीखने के लिए मिश्रित अध्ययन होता है। इस अध्ययन से छात्र पाठशाला में तथा पाठशाला के बाद भी उच्च दर्जे का अभ्यास साहित्य व विषय–अभ्यासक्रम–पाठ्यक्रम की दिनदर्शिका देख सकते हैं।

परिभाषा : "मानव एवं तंत्र विज्ञान इन दोनों का अध्ययन प्रक्रिया में उपयोजन करना यानी मिश्रित अध्ययन होता है।"

मिश्रित अध्ययन इस संकल्पनाओं में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम समाविष्ट होता है।

कक्षाओं के लिए मिश्रित अध्ययन का उपयोजन

(1) छात्रों को अध्ययन में मदद मिलती है।

(2) अध्यापकों के लिए उपयुक्त विधि है।

(3) छात्रों का अध्ययन की ओर ध्यान केंद्रित करने में सफल विधि है।

(4) छात्रों की अध्ययन में अभिरुचि बढ़ती है।

(5) अध्ययन की गति में बढ़ोतरी होती है।

(6) छात्रों को सक्षम बनाया जाता है।

(7) छात्रों के विभिन्न कौशलों का विकास होता है।

(6) दिव्यांग एकात्म एकक में अध्यापक की भूमिका (Role) : पाठशालाओं में होने वाले दिव्यांग एकात्म एकक में अध्यापक की भूमिका तीन रूपों में होती है–

- Guide–मार्गदर्शक/अध्यापक
- Friend/मित्र, दोस्त
- Counseller समंत्रक/समुपदेशक

कक्षा में अध्यापक की भूमिका निम्न तरह से होती है–

(1) अध्यापक सामान्य छात्र एवं अक्षमताधारक बालकों के आधार बनते हैं।

(2) कक्षा के सभी छात्रों की संपूर्ण जानकारी का अभिलेख तैयार करना, रिपोर्टिंग करना/रखना तथा सभी मानवीय संबंधों में संपर्क बनवाने का मार्गदर्शन करना।

(3) सर्वसामान्य बालकों के साथ–साथ अक्षमताधारक बालकों को बराबरी से लाने का प्रयास करना।

(4) दिव्यांग बालकों के लिए शासन की जो योजनाएं हैं, इन्हें दिये जाने वाले अवसर (Opportunities) है तथा खर्चे का आयोजन–नियोजन इस पर निगरानी रखना।

(5) दिव्यांग बालकों के अभिभावकों का मार्गदर्शन करना एवं दिव्यांग बालकों की प्रगति का लेखा–जोखा अभिलेख द्वारा तैयार करना/रखना।

(6) दिव्यांग बालकों के बारे में सकारात्मक एवं विधायक दृष्टिकोण बनाकर रखना।

(7) दिव्यांगता से अक्षम बने बालकों के लिए अलग–अलग तंत्र, उपक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न उपयोगी साहित्य का विकसन (Development) करना।

(8) दिव्यांग बालकों के लिए किये काम के बारे में कार्याभिमान तथा सेवावृत्ति का भाव रखना।

(9) साधन व्यक्ति (Resource Person) तथा साधन संस्थाएं (Resource Institutions) की जानकारी लेना तथा देना।

(10) दिव्यांग तथा अपवादात्मक/अक्षमताधारक बालकों के बल स्थानों का विकास करना।

(11) दिव्यांग व बालकों के उपर उनकी दिव्यांगता के अनुरूप उपचार (इलाज) करना/करवाना।

(12) दिव्यांगता वाली संस्था में कार्य करते समय अपने स्वभाव में संयम, जिद, आत्मविश्वास एवं सबके प्रति आत्मीयता का भाव रखना।

1.7.6 शारीरिक अक्षमताओं वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव तथा पुनर्वास व्यवस्था

शारीरिक अक्षमताओं बालकों के प्रकारों के अनुसार कई उपाय योजनाएं करनी पड़ती है। उपायों के चलते कुछ एकसमान (Common) उपाय दिये जा रहे हैं। जिनका हरेक प्रकार की दिव्यांगता के तौर पर उपयोग किया जा सकता है–

उपाय

(1) हस्तकौशल्य निर्मितीक्षम व्यवसाय।

(2) अक्षमताओं का इतिहास जान लेना।

(3) अन्य सुशिक्षित लोगों से वाचन।

(4) अन्य इंद्रियों की कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रिकरण।

(5) शिक्षा द्वारा प्रगति कराने का प्रयास।

(6) अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर देना।

(7) उच्च शिक्षा का अवसर एवं साधन निर्मिती।

(8) सामाजिक वातावरण में सुधार लाना।

(9) पुनर्वास पाठशालाओं का निर्माण।

(10) व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता।

(11) अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं – जैसे प्रौढ़ शिक्षा, वोकेशनल गाइडेंस, निरंतर शिक्षा योजनाएं।

(12) चर्चा विचार–विनिमय प्रगति के लिए सलाहकार समितियों का गठन। (अलग–अलग अक्षमताओं के लिए)

(13) क्रीड़ा योजनाएं।

(14) विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धति से सभी समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास।

उपर्युक्त 14 उपायों का अमल करने से दिव्यांगता का एहसास जरूर कम कराया जा सकता है। उसी तरह विशेष बालकों के लिए कुछ 'विशेष योजनाओं' का आयोजन निम्न तरह से किया जाए तो वे बेहतर जिंदगी पा सकेंगे–

(1) विशेष पाठशालाएँ।

(2) विशेष अध्यापक।

(3) विशेष अध्यापन प्रणालियाँ।

(4) विशेष शिक्षा साधन।

(5) विशेष शैक्षिक माध्यम।

(6) विशेष सेवा, सुविधा, अवसर।

(7) विशेष आर्थिक सुविधाएँ।

(8) विशेष (समाज व्यक्ति) जागृती।

(9) विशेष समस्याओं का समाधान।

(10) विशेष अनुसंधान व प्रयोग।

(11) विशेष प्रतिबंधात्मक उपाय।

(12) बालक/अभिभावक, अध्यापक एवं संस्थाओं के विशेष संबंध।

(13) विशेष रोजगार एवं स्वयं रोजगार।

(14) विशेष नियम कानून और उनका अमल।

उपर्युक्त इन 14–14 मुद्दों/सोपानों के जरिए विशेष दिव्यांग बालकों के लिए सभी सुव्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

पाठ्यक्रम में बदलाव एवं पुनर्वास व्यवस्थाएं

दिव्यांगता के कारण शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के कई प्रकारों का हमने अभ्यास किया। उपर्युक्त 14–14 सोपानों द्वारा उपायों की जानकारी भी हमने पायी। उसी तरह "व्यक्तिगत शैक्षणिक/शैक्षिक योजना" के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे शारीरिक दिव्यांगता कोई भी हो यह शैक्षिक योजना उनके प्रकारों के अनुसार लागू की जा सकती है।

व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (Personal Educational Plan) या IEP = Integrated Educational Plan

व्यक्तिगत शैक्षिक योजना या कार्यक्रम दिव्यांगता के कारण जिनकी अध्ययन अक्षमताएं हैं, उनके हेतु बनाया गया कार्यक्रम है। इसके द्वारा योग्य शिक्षा मिलकर सहायता होती है।

इस योजना में दिव्यांगता धारक बालकों के लिए 'पाठ्यक्रम' (Syllabus) तैयार किया जाता है। यह पाठ्यक्रम तैयार कर लेने के बाद छात्रों की जो विशेष आवश्यकताएँ होती हैं, उसके अनुसार पाठ्यक्रम की उद्देश्यपूर्ति के लिए व्यूह रचनाओं की निर्मिती भी की जाती है।

व्यक्तिगत शैक्षिक योजना की प्रक्रिया (Process)

(1) अध्ययन अध्यापन का एक फौरमैट (Plan of Action) तैयार किया जाता है।

(2) शैक्षिक लक्ष्य (Target) एवं ध्येय–उद्देश्यों की तथा कृतियों की भी निश्चित अभिलेख छात्रों के लिए की जाती है।

(3) यह एक लिखित स्वरूप का कार्यक्रम होता है, जो विशेष छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनवाया जाता है।

(4) पाठशालाओं के विशेष शिक्षा समूहों द्वारा विकसित किया जाने वाला फॉरमैट होता है।

(5) इस योजना के तहत अभिभावकों की ओर से प्राप्त होने वाले आदान (Inputs) की भी जानकारी का विचार–विमर्श होता है।

(6) दिव्यांग बालकों द्वारा साध्य किये जाने वाले शैक्षिक ध्येय व उद्दिष्टों की प्राप्ति के लिए पद्धतियों/प्रणालियों (Methods) का भी जिक्र होता है।

(7) इस योजना में नियोजनानुसार किये जाने वाले बदलावों की रचना भी स्पष्ट कर दी जाती है।

(8) विशेष शिक्षा अधिनियमों के अनुसार विशेष बालकों के अभिभावक, छात्र, सर्वसाधारण, विशेष अध्यापक इन सबके मिलजुलकर प्रयासों का नतीजा होता है।

(9) केवल और केवल दिव्यांगताओं को दूर/कम करने हेतु महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णय में बदलाव लिया जा सकता है।

व्यक्तिगत शैक्षिक योजना के घटक

(1) शैक्षिक और कार्यात्मक कार्यक्षमता की स्थिति।

(2) वार्षिक ध्येय उद्देश्य।

(3) अल्पकालिक।

(4) ध्येय–उद्देश्यों के दृष्टि से प्रगति।

(5) विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवा।

(6) सर्वसाधारण पाठ्यक्रम में सहभाग।

(7) राज्यनिहित मूल्यांकन योजना।

(8) सेवा की बारंबारिता, स्थल जगह (Venue) व कालावधि।

(9) स्थित्यंतर/परिवर्तन।

(10) विस्तारित शालेय वर्ष की सेवा।

(1) शैक्षिक और कार्यात्मक कार्यक्षमता की स्थिति : छात्र विभिन्न छात्रों से, विभिन्न परिस्थितियों से जो भी बातें सीखा है; उसका उपयोग/उपयोजन व कैसे करना है? छात्र की जो अक्षमता है, उससे सर्वसाधारण पाठ्यक्रम में समाविष्ट होने में जो परेशानियां आती हैं, उनका शैक्षिक व कार्यात्मक क्षमता पर कैसा परिणाम होता है। इसका वर्णन किया जाता है।

(2) वार्षिक ध्येय : विभिन्न शैक्षिक उपक्रमों के तथा दैनंदिन अध्ययन अध्यापन के माध्यम से जिन बातों की प्राप्ति करनी होती है; उनका समावेश वार्षिक ध्येय–उद्देश्यों में किया जाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से, अन्य कृतियों के माध्यम से पाठशाला में या पाठशाला के अतिरिक्त जो ध्येय प्राप्त करने वाले होते हैं; उसके लिए जो भी अनुदेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, वह लिखित स्वरूप में होनी चाहिए। निर्धारित किये जाने वाले उद्देश्य मापनीय तथा जानकारी देने योग्य होने चाहिए। ताकि अपने पाल्यकी प्रगति कैसी हो रही है इसका अंदाज अभिभावक एवं अध्यापकों को हो सके।

(3) अल्पकालिक उद्दिष्ट/उद्देश्य : वार्षिक ध्येय–उद्दिष्टों को साध्य करने हेतु अल्पकालिक उद्देश्य सहाय्य करते हैं। यह अल्पकालिक उद्दीष्ट श्रेणी काल में तथा अभिलेख तैयार करने के काल में निर्धारित किये जाते हैं। हर अल्पकालिक उद्देश्य को साध्य करने हेतु हरेक छोटी सीढ़ी का अवलंब किया जाता है।

(4) ध्येय–उद्देश्यों की दृष्टि से प्रगति : पाठयक्रम योजना में छात्रों की प्रगति का मापन पाठशाला द्वारा किस प्रकार किया जाने वाला है? छात्रों की प्रगति अभिभावकों को कब दिखानी है? यह लिखना अनिवार्य होता है। जिससे

अभिभावकों को पाल्यों की प्रगति का अंदाज एवं संपूर्ण सही–सही जानकारी मिलती रहे।

(5) विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवा : विशेष छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित ध्येय–उद्देश्यों को प्राप्त करते रहना चाहिए इसलिए उन्हें अभ्यासक्रम/पाठ्यक्रम पूरक तथा पाठ्येतर कार्यक्रमों सहभाग लेते बने इसके लिए आधारभूत सेवा व पूरक सेवाओं से मदद मिलती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना के द्वारा अभिभावक, अध्यापक एवं शैक्षिक व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण की तथा आधारभूत सहूलियतें और सुविधाओं की निर्मिती करके देना आवश्यक होता है।

(6) सर्वसाधारण पाठ्यक्रम में सहभाग : दिव्यांग बालकों में होने वाली अक्षमता पाठ्यक्रम के समावेशन पर (Integration) तथा शालेय उपक्रमों के सहभाग पर किस तरह निर्भर करती है? यह व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम में स्पष्टीकरण दिया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को अगर सर्वसाधारण पाठ्यक्रम से निकाल दिया तो उसे क्यों निकाला गया यह स्पष्ट होना चाहिए। पुनर्रचित पाठ्यक्रम में छात्रों को शैक्षिक यशस्विता मिलने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

(7) राज्यनिहित मूल्यांकन योजना : अक्षमता धारक बालकों का राज्यनिहाय तथा जिलानिहाय मूल्यांकन होना अनिवार्य होना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित करने वाले संघ/समूह तय करते हैं कि छात्रों का मूल्यांकन सतत एवं पूर्णकाल में होगा या विशिष्ट कामांतर से होगा।

छात्रों का मूल्यांकन सीढ़ी दर सीढ़ी, विशिष्ट कालांतर से होना तथा सतत मूल्यांकित क्यों नहीं हुआ इसका स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिए।

मूल्यांकन में समावेशित निकष (Criteria) छात्रों की मूल्यांकन विधि में लिखा जाना चाहिए।

(8) सेवा की बारंबारिता, स्थल/जगह व कालावधि : विशेष बालकों को कोई विशिष्ट सेवा दी जा रही है? या नहीं? कितने कालावधि के लिए दी जाएगी? यह सेवा कहां उपलब्ध करा दी जाएगी? सर्वसाधारण कक्षा में या विशेष संसाधन कक्ष में सेवा दी जाएगी? सेवा कब शुरू होगी? या हुई? कब तक दी जाएगी? इन सबका जिक्र कार्यक्रम में होना चाहिए।

(9) स्थित्यंतर/परिवर्तन : शालेय जीवन तक छात्रों की आयु साढ़े चौदह साल होती है। जो भी साधन छात्रों को परिवर्तनीय पाठ्यक्रम में लगते हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। साधनों की आवश्यकतानुरूप अभ्यास/शिक्षा (Study) पर जोर दिया जाएगा।

स्थित्यंतरीत सेवाएं विविध समन्वयात्मक कृतियों का सच (समूह) होता है। छात्रों के शैक्षिक संपादन हेतु कुछ कौशलों और क्षमताओं का भी सहभाग होता है। पाठ्यक्रम की परिवर्तनीय सेवाओं में यही कौशल्य सम्मिलित होते हैं।

इन कौशलों में प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार तथा स्वतंत्र जीवन जीने के ध्येय समाविष्ट होते हैं।

परिवर्तन/स्थित्यंतरीत सेवाओं में–

– शैक्षिक अनुदेशन

– संबंधित सेवा

– माध्यमिकोत्तर (माध्यमिक शिक्षा के आने वाली) शिक्षा

– व्यावसायिक प्रशिक्षण

– आधारभूत रोजगार

– समुदाय अनुभव

– दैनंदिन जीवन के कौशल्य

– काम का मूल्य मापन। इनका समावेश होता है।

इस परिवर्तनीय कार्यक्रम में छात्रों के बलस्थान अग्रक्रम तथा उनकी आदतें छंद इनका विचार किया जाता है। सभाओं में भी सहभाग लेना होता है।

(10) विस्तारित शालेय वर्ष की सेवा : शालेय वर्ष सेवा विशेष शिक्षा से जुड़ी होती है। शालेय वर्ष या शालेय दिनों के अतिरिक्त भी शैक्षिक कार्यक्रमों का उपयोग कर लिया जाता है। इसके लिए अभिभावकों से कोई भी रकम नहीं ली जाती। दिव्यांगता की विशिष्ट मर्यादा तक कोई सेवा मर्यादित नहीं होती। वार्षिक सेवाओं के जरिए कौन–सी सुविधाएं दी जानी चाहिए, यह व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम में होता है।

व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के मानवीय घटक

(1) छात्र / दिव्यांग

(2) पालक / अभिभावक

(3) सर्वसाधारण अध्यापक

(4) विशेष शिक्षा अध्यापक

(5) प्रधानाध्यापक

(6) शालेय प्रशासक

(7) दिव्यांगों की संपूर्ण जानकारी होने वाली व्यक्ती

(8) मूल्यांकन करने वाले मूल्यमापक

इन सभी घटकों के मिलजुलकर किये जाने वाले प्रयासों से पाठ्यक्रम के बदलाव से पाठशाला में परिवर्तन लाया जा सकता है तथा दिव्यांग बालकों को उनकी दिव्यांगताओं पर विजय पाने की पराकाष्ठा सफल हो सकती है।

पुनर्वास व्यवस्था : सर्वसमावेशी पाठशालाओं में छात्रों के पुनर्वास हेतु अध्यापक विशेष छात्रों के भेद ध्यान में रखते हुए एकात्मता प्रस्थापित करने के लिए सहकारियों की एवं समवयस्कों के समूह की मदद ले सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत संप्रेषण तथा व्यक्तिगत संवेदन क्षमता के आधार समावेशित होते हैं।

पुनर्वास व्यवस्था हेतु सर्वसमावेशी पाठशाला में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वे निम्न होनी चाहिए–

(1) पाठशाला बस (School Bus) व उसका असंरचित काल / समय।

(2) सर्वसाधारण–तथा विशेष बालकों के समूह।

(3) अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया हेतु प्रतिमान (Models)।

(4) आदर्श कक्षाओं का निर्माण।

(5) अत्यावश्यक सुविधाओं की पूर्ति।

(6) कक्षा में बैठक रचना।

(7) विशेष बालकों के बारे में मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण।

(8) जमीन से जुड़ी कक्षाओं की उपलब्धता (Ground Floor)।

(9) कक्षा में तंत्र विज्ञान की सभी सुविधाएं।

(10) संसाधनों तथा स्रोतों (Resources & Sources) का विभाजन किया होना चाहिए।

(11) छात्रों के वर्तन निरीक्षण की सुव्यवस्था।

(12) अध्ययन अनुभूतियों में बदलाव/परिवर्तन।

(13) अच्छा पढ़ने के लिए सुविधा।

(14) कक्षा और पाठशाला में कौटुंबिक वातावरण।

(15) ब्रेल लिपि का उपयोग।

(16) विशेष शैक्षिक उपस्थिति–टेपरेकॉर्डर, टाइपराइटर, कम्प्यूटर, मनोरंजन के साधन।

(17) छोटी छुट्टियां।

(18) दृक्श्राव्य साधनों का आयोजन।

(19) क्षेत्रभेंट (Picnic), बाग–भेंट, पर्यटन, शैक्षिक क्षेत्र भेटों का आयोजन।

(20) विभिन्न शैक्षिक साधनों की निर्मिती एवं उपयोगिता।

(21) समवयस्क समूहों के उपक्रमों का आयोजन।

(22) पाठशाला में पुनर्वास की व्यवस्था हो तो आने–जाने का रास्ता रेलिंग, व्हीलचेअर।

(23) पूर्णकाल के लिए पुनर्वास जगह (Hostel) पर देख रेख सुविधा।

उपर्युक्त सभी मूलभूत सुविधाओं के द्वारा दिव्यांग बालकों की पुनर्वास व्यवस्था हो सकती है।

अपनी प्रगति जांचिए

11. पोलियो कैसा रोग है?

(क) संसर्गजन्य (ख) साधारण

(ग) मौसमी (घ) छूत का

12. शालेय वर्ष सेवा किस शिक्षा से जुड़ी होती है?

(क) प्राचीन (ख) विशेष

(ग) नवीन (घ) प्रौढ़

1.8 प्रमस्तिष्क घात/पक्षाघात/स्नायुओं की कमजोरी वाले बालक

मस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी यह मस्तिष्क विकार से संबंधित संज्ञा है। इससे व्यक्ति/बालक को अपंगत्व सहना पड़ता है। इस विकार से बालक/रोगी के मस्तिष्क (Brain) तथा मज्जा तंतु प्रणाली पर असर होता है।

सेरेब्रल का असर मस्तिष्क पर होता है; तो पाल्सी का मतलब पूर्ण या आंशिक स्नायुओं को हुआ पक्षाघात (Paralysis) होता है।

सेरेब्रल पाल्सी भारतीयों के छोटे बालकों में अपंगत्व का मुख्य कारण होता है। यह विकार हलचल करने से संबंधित है, जिसमें स्नायुओं की शक्ति, उनका नियमन तथा अतिरिक्त तनाव (Rigidity) के कारण हालचाल करने पर परेशानियां आती हैं।

सेरेब्रल पाल्सी होने के कारण

(1) प्रसूति के दरम्यान मां को होने वाला संसर्ग।

(2) औषधों का सेवन।

(3) गंभीर जख्म।

(4) गर्भावस्था में पूर्ण दिवस होने से 3 महीने पहले जन्मा बालक।

(5) जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना।

(6) जन्म लेते समय बालक को हुए जख्म।

(7) एक ही बार में अनेक बालकों का जन्म।

(8) प्राणवायु की कमी।

(9) पीलिया

(10) मस्तिष्क में पानी भर जाना।

परिणाम

(1) सेरेब्रल पाल्सी विकार के कारण स्नायुओं पर से नियंत्रण एवं समन्वयन नष्ट हो जाता है। कई बार खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है।

(2) हाथ–पैरों के स्नायुओं में कड़कपन (Rigidness) आ जाता है।

(3) दृश्य स्वरूप में हालचाल करने पर नियंत्रण लाने वाला विकार हो फिर भी मस्तिष्क के जिस भाग पर प्रभाव होता है उससे रुग्ण की आकलन क्षमता, अध्ययन क्षमता, बुद्धि, स्वभाव, संवाद, वाचा (Speech), श्रवण, संवेदना तथा दृष्टि पर असर हो सकता है।

सेरेब्रल पाल्सी जीवनभर हमेशा के लिए असर दिखाती है। उससे मस्तिष्क में एक बार हानि पहुंची तो वह बढ़ती नहीं मगर परेशान भी नहीं करती है। परंतु इन लक्षणों में सुधार या बिघाड़ भी रुग्ण की चिंताओं पर निर्भर करता है। इसलिए सेरेब्रल पाल्सी को समझने के लिए उसके परिणामों की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक

होता है, जिससे रुग्णों की तकलीफें न बढ़ें। (डा. नंदिनी गोकुलचंदन—ब्रेन एंड स्पाइनसर्जन)

1.8.1 प्रमस्तिष्क घात वाले बालक : संकल्पना (अप्रगत कारक विकासशील बालक)

सेरेब्रल पाल्सी यह कोई बीमारी नहीं है, न ही कोई रोग है। "बालक के मस्तिष्क की बनावट में निर्माण हुआ एक दोष होता है।"

यह दोष किस वजह से होता है?

(1) वैद्यक शास्त्र के अनुसार मस्तिष्क की पेशियों की पुनरुत्पत्ति शरीर की अन्य पेशियों की तुलना से नहीं हो सकती।

(2) मस्तिष्क में हुई हानि के कारण मृतपेशी कभी जिंदी नहीं हो सकती।

(3) मस्तिष्क के किसी भाग में हानि पहुंची है इससे शारीरिक विकार का बाह्यतः स्वरूप स्पष्ट होता है।

(4) मस्तिष्क की ओर से स्नायुओं की ओर आने वाली आज्ञाओं के मार्ग में अड़चनें/समस्या निर्माण हुई तो स्नायुओं की ताकत कम होती है, कड़कपन आ (Rigidness) जाता है।

(5) ओंठ, आंख के स्नायु, चेहरे के स्नायु इनमें दोष।

(6) आकलनशक्ति, ग्रहणशक्ति कम रहती है। मगर मस्तिष्क में बना जख्म बढ़ता नहीं है।

(7) मस्तिष्क के भाग का नियंत्रण छूटने से शरीर के अवयवों में फर्क आता दिखाई देता है।

सेरेब्रल पाल्सी के कारण/पहचान/लक्षण

(1) गर्भावस्था में (जन्मपूर्व) होने वाला जख्म।

(2) प्रसूति समय होने वाले जख्म।

(3) जन्म के बाद आरंभिक 2–3 वर्षों में होने वाले जख्म।

- अति करीबी रिश्तेदारों में शादी होना भी एक कारण होता है।
- गर्भावस्था में महिलाओं को होने वाली गंभीर बीमारी, जोर की मार लगना। अंदरूनी जख्म, पीलिया आदि भी इसके कारण हैं।
- अन्न घटकों की कमी के कारण मस्तिष्क की पेशियों की हानि होती है।
- प्रसूति में ज्यादा समय लगा तो बालक अंदर ही दम घुटने की वजह से तत्काल मर सकता है।
- कई बार सेरेब्रल पाल्सी आनुवंशिक भी होती है।

सेरेब्रल पाल्सी को संपूर्णतया नहीं मगर कुछ हद तक मात देने के लिए अभिभावकों तथा समाज द्वारा सहकार्य करना जरूरी हो जाता है।

सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार

(1) **स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी** : स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी एवं सेरेब्रल पाल्सी सर्वसाधारण दिखाई देने वाले प्रकार हैं। स्पैस्टिसिटी यानी अकड़े–जकड़े हुए या अकार्यक्षम स्वरूप के स्नायु होते हैं। इसमें स्नायु तक गलत संदेश पहुंचाये जाने से मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण स्नायुओं के अनियंत्रित स्वरूप की हालचाल होती है।

(2) **डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी** : जिसमें स्नायुओं की अस्वाभाविक तथा अनैच्छिक स्वरूप की हालचालें होती हैं।

(3) **अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी** : अैटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी या जिसे ॲटैस्झिया कहा जाता है। यह कोई अनदेखा प्रकार नहीं है। जिन बालकों को इस प्रकार का सेरेब्रल पाल्सी होता है, उनकी हालचालों में अस्थिरता या अड़चनें दिखाई देती हैं। उसी तरह समतोल विषयक (Balancing) की समस्या निर्माण हो सकती है। अैटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होने वाले बालकों को डिस्टोनिया रहने की आशंका होती है।

जिन बालकों को मस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी होता है, उन बालकों को मानसिक दृष्टि से अक्षम अथवा मानसिक अस्वस्थ भी माना जाता है। वैसे ही उनको अध्ययन अक्षमता भी होती है।

1.8.2 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों की पहचान/लक्षण

प्रमस्तिष्क घात यानी सेरेब्रल पाल्सी वाले बालकों को जो विशिष्ट अक्षमताएं होती हैं, उन्हें मिलाकर 'अध्ययन अक्षमता' भी कहा जाता है।

अध्ययन अक्षमता वाले बालकों में अध्ययन प्रक्रिया के संबंध में लगने वाला डर कुछ आवश्यक कौशलों का उपयोग न करने के कारण होता है।

वाचन, लेखन, श्रवण, भाषण, कार्यकारण संबंध दर्शाना, गणित अभ्यास आदि सारे अध्ययन कौशल्य अक्षमता से प्रभावित होते हैं।

हर बालक की अध्ययन अक्षमताएं भिन्न–भिन्न स्वरूप की होती हैं। अलग–अलग बालकों में अलग–अलग अक्षमताएं दिखाई देती हैं।

अध्ययन अक्षमता के प्रकार

अध्ययन अक्षमता निम्न प्रकार के होते हैं–

(1) पढ़ीक/वाचिक अक्षमता

(2) गणन अक्षमता

(3) लेखन अक्षमता

(4) कारक कौशलों की अक्षमता

(5) अशाब्दिक अध्ययन अक्षमता

(1) पढ़ीक/वाचिक अक्षमता

- भाषा पर आधारित अक्षमता।
- शब्द, अक्षर, वाक्य, पैराग्राफ आकलन में परेशानी।

- क्या पढ़ रहा है? इसका आकलन नहीं होता।
- ऐसे बालक संगीत, कला, विविध तांत्रिक क्षमता में प्रवीण होते हैं।

(2) गणन अक्षमता

- जीवन भर चलने वाली अध्ययन अक्षमता।
- गणितिय संकल्पनाओं के आकलन में परेशानी।
- गणित / गणन नहीं छुड़ा सकना।
- एक बार में अनेक संख्याओं का एकीकरण करना मुश्किल।
- गणित करते समय सूत्र या क्रिया पद्धति ध्यान में रहना असंभव।

(3) लेखन अक्षमता

- लेखन कौशलों की अक्षमता।
- लेखन असमान तथा असातत्यपूर्ण।
- धीरे–धीरे लेखन।
- अक्षर बहुत ही छोटे।
- अक्षर, वर्णमाला ध्यान में नहीं रख सकते।
- अक्षर लेखन के कौशल्यों में असमाधान कारकता।
- वाक्य लिखने में असमर्थता, अधिक काल तथा बड़ी उर्जा लगना संभव।

(4) कारक कौशलों की अक्षमता

- कारक कौशलों की अक्षमता।
- कृति कौशलों का नियोजन करना न आना।
- कृति कौशलों को अमल (Implement) करना न आना।
- जीवनभर परिणाम कराने वाली अक्षमता।
- वैद्यकीय उपचार नहीं।
- कारक अक्षमताओं से आने वाली समस्याओं का निराकरण नहीं

  विशिष्ट क्रियाओं की विचारपूर्वक आदतें डालने से बालकों की कृति–कारकता में वृद्धि लायी जा सकती है।

(5) अशाब्दिक अध्ययन अक्षमता

- यह अध्ययन कमी मस्तिष्क के दहिने भाग के कारण होती है।
- स्मरणशक्ति (Memory) की अधिकता।
- सक्षम शाब्दिक क्षमता एवं शाब्दिक कौशल।
- शब्दों की रचना करने की क्षमता।
- उत्कृष्ट धारणा क्षमता होती है।
- मगर ये बालक व्यक्ति के चेहरे के हावभाव तथा देहबोली (Body Language) समझ नहीं पाते।

- सामाजिक कौशलों का विकास नहीं होना।
- परिवर्तन को योग्य प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
- सामाजिक विषयों के अंदाज गलत होते हैं।
- सामाजिक समन्वय का अभाव।
- संतुलन विषयक समस्याएं।
- कारक कौशलों में अड़चनें।

अध्ययन अकार्यक्षमता के लक्षण

सेरेब्रल पाल्सी के कारण आने वाली अध्ययन अकार्यक्षमता के लक्षणों का 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है—

(1) बोधात्मक क्षेत्र से संबंधित अकार्यक्षमता।

(2) भाषिक अकार्यक्षमता।

(3) कारक कौशलों संबंधी अकार्यक्षमता।

(4) सामाजिक अकार्यक्षमता।

(1) बोधात्मक

- एकाग्रता का अभाव।
- मर्यादित अवधान कक्षा।
- स्मरण प्रक्रिया में समस्या।
- संबंध न लगाते आना।
- मर्यादित आकलन।

(2) भाषिक

- मर्यादित शब्द भंडार।
- व्याकरण में गलतियां।
- बोलने में अड़चनें—हकलाना।
- श्रवण में बाधाएं।
- वाचन/पठन में दोष।

(3) कारक

- हालचालों में समन्वय साध्य करने में असमर्थता।
- हालचाल में बेडौलता।
- बेजोड़पन।
- चलने में बेडौल।
- पागलपन जैसा रहन—सहन।
- अव्यवस्थिता।

(4) सामाजिक

- भावनिक अस्थिरता।
- अति–भावविवशता।

* अध्ययन अकार्यक्षम बालकों में निश्चित मिलने वाले दो लक्षण–

- मर्यादित अवधान कक्षा।
- वर्तन में चंचलता।

1.8.3 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के लिए मददगार यंत्र सामग्री/साधन

"भाषा, अभिव्यक्ति, वाचन तथा सामाजिक आंतरक्रियाओं के लिए आवश्यक संप्रेषण कौशलों में समस्याएं मतलब अध्ययन अक्षमता होती है।"

अध्ययन अकार्यक्षमता यह संज्ञा विविध अध्ययन समस्याओं के लिए उपयोग में लायी जाती है। विविध समस्याओं के कारण अध्ययन अकार्यक्षमता की परिभाषा करना मुश्किल हो जाता है।

1975 में अमेरिकन पब्लिक लॉ 14–142 में अपंग बालकों के लिए शिक्षा संबंधी एक परिभाषा दी गई है, जो सर्वसमावेशक लगती है।

"The term Children with Specific learning disabilities means those children who have a disorder in one or more of the basic psychological processess, involved in understanding or in using language, spoken or written, which disorder may manifest itself in an imperfect ability to listen and think, speak, read, write spell or to do mathematical calculations.

The term includes such conditions as perceptual handicaps, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental aphasia.

Such term does not include children who have learning, problems which are primarity the result of visual, hearing or motor handicaps, of mental retardation, of emotional disturbances or of environmental, cultural or economic disadvantages."

इस परिभाषा से यह कह सकते हैं; अध्ययन अकार्यक्षम बालकों में एक या अनेक मूलभूत मानसिक प्रक्रिया में त्रुटि दिखाई देती है। यह मानसिक प्रक्रिया, भाषा बोलना, लिखना, भाषा आकलन से संबंधित होती है।

इसी कारणवश अध्ययन अकार्यक्षम बालकों के श्रवण, विचार, बोलचाल, गणिती क्रिया इन क्षमताओं में दोष पाये जाते हैं।

इन्हीं वैशिष्टों के जरिए अध्ययन अकार्यक्षम बालकों में बौद्धिक स्तर, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं प्रत्यक्ष शैक्षिक प्राविष्य तथा वर्तन इनमें फर्क रहता है। "It is the discrepancy between ability & achievement."

प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के निदान (Diagnosis) करके उपचार आवश्यक करने होते हैं। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा निदान एवं उपचार का अंतर कम करने के प्रयासों की शृंखलाएं विशेष अध्यापकों द्वारा होनी जरूरी हैं।

अध्यापक द्वारा निदान

(1) अध्ययन अकार्यक्षम छात्रों की खोज : अध्यापक छात्रों की अध्ययन अक्षमताओं के बारे में संवेदनशील हो।

(2) मूल्यांकन–मूल्यांकन के बाद करने/किये जाने वाले उपचारों के बारे में सूचना एवं सहकार्य करना होता है।

(3) सुधारात्मक योजनाएं एवं कार्यवाही अमल : अध्ययन अकार्यक्षमता के मूल्यांकन तंत्र के बाद नई प्रणाली को अपनाना, उसकी कार्यवाही हेतु प्रयास, सुधार करना सुझाना।

अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक कार्यक्रम सुझाए गए हैं– वे सारे बालकों के शिक्षा हेतु मददगार साधन एवं यंत्र सामग्री के तौर पर उपयोग में लाये जाते हैं।

(ट्रेनिंग प्रोग्रॉम : प्रशिक्षण कार्यक्रम)

- कारक कौशल्य प्रशिक्षण–शारीरिक शिक्षा : हालचालों में सुसूत्रता, तोल। Balance संभालना।

निकष

(1) लचीलापन (Flexibility) बनाए रखना। वेग, जोश, जिद एवं सहनशीलता निर्मिती।

(2) शरीर के लिए योग्य जानकारी तथा विकसित होने हेतु प्रशिक्षण।

(3) शरीर रचना का ज्ञान तथा इतर घटकों से संबंधित ज्ञान का प्रशिक्षण।

- योजनाबद्ध कृतियों एवं कौशलों का प्रशिक्षण
  - o खिलौने तैयार करना।
  - o विभिन्न कृतियाँ करवाना।
  - o हस्त व्यवसाय (Hand made-work)।
- **दृष्टि अवबोध प्रशिक्षण**– पांच क्षेत्रों का विचार होता है।

(क) दृष्टि एवं हालचालों का समन्वय।

(ख) आकृति एवं पार्श्वभूमि–समन्वय।

(ग) अवबोध सातत्य।

(घ) अवकाश में खुद का स्थान।

(ङ) खुद का अन्य लोगों से, स्थान से संबंध।

कार्यक्रम/कृति : लेखन, चित्र निकालना, नकल उतारना, मानचित्र निकालना, विभिन्न आकृतियां निकालना।

भूगोल तथा भूमिती जैसे–विषयों का पर्यावरण के अन्य घटकों से होने वाले संबंधों के द्वारा अवबोध प्राप्त करना।

श्रवण अवबोध प्रशिक्षण

- ध्वनिशास्त्र व श्रवण खेलों का उपयोग।

- बोलने से निकली हुई ध्वनि व अन्य ध्वनियों की तुलना कराके अवबोधन/अवधान का प्रशिक्षण।
- ITPA की कसौटी द्वारा भाषा प्रशिक्षण उपक्रम (ITPA-Illinois Test of PsycholinguisticAbilities)। यह कसौटी Lioyd Dunn एवं क्विन्सलैंड विद्यापीठ के N.S.W. Heart की है।

  ITPA यह भाषा कार्य मूल्यांकन करती है। इस कसौटी में हालचालें, अवबोध क्षमता, संबोधनिर्मिती, स्मरण व भाषा के विकास कार्यों के संकेत मिलते हैं।
- केवल श्रवण अवबोध कार्य मूल्यांकन हेतु (The Wepman Test of Auditory Discrimination) इसका उपयोग किया जाता है, जो शब्दों की ध्वनि पहचानने की क्षमता, शब्द के साम्य–भेद पहचानने का मापन तथा वाचन एवं उच्चारण की महत्ता जानने वाली कसौटी है।

विचार प्रक्रिया प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण प्रणाली में बूनर, E.A. Peel तथा Aurelia Levi ने जीन पियाजे के सिद्धान्त पर कार्यक्रम सुझाया है। जिसमें उन्होंने कहा है–

"Comprehensive training in higher cognitive functions involves training in the ability to visualise to remember to classify to arrange in series, to develop concepts, to manipulated thoughts, to keep a thought in mind while working towords a goal, to work with symbols and to perceive relationship, thereby being able to infer and to judge."

विभिन्न क्षमताओं का निर्माण, जानकारी याद रखना, अवधान केंद्रिकरण, गणित श्रेणियां व प्रक्रिया, अंक गणित छुड़ाना, संकल्पनाओं का निर्माण, नई परिभाषाएं, गलत विचारों को भूलकर नये ध्येय एवं उद्देश्यों को साध्य करने हेतु विचार, चिन्ह, लक्षणों में संबंध बनाए रखना, क्षमता वृद्धि तथा उन्हें न्याय देना, यह कार्यप्रणाली ही उच्च बोधात्मक सर्वसमावेशक प्रशिक्षण में पायी जाती है।

भावनिक व सामाजिक विकास

इस शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा भाषा, हालचाल, अवबोध, विचार इन प्रक्रियाओं का महत्व है–

- भावनिक एवं सामाजिक समायोजन में सहाय्य करना।
- छात्रों को रोजगार के अवसर देना।
- विवाह एवं सामाजिक एकता निर्माण करना।
- जो छात्र सब जगह पर स्वीकारा जाता है, वह मान्य होकर यशस्वी जीवन जीता है।

1.8.4 प्रमस्तिष्क घात वाले विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु विशेष कक्षा व्यवस्थापकीय योजनाएं

सेरेब्रल पाल्सी वाले बालकों को विशेष शिक्षकों द्वारा उनकी विशेष आवश्यकताएँ पूर्ण करने हेतु निम्न उपाय योजनाएं की जानी चाहिए–

(1) पाठ्यक्रम सुधार

(2) संप्रेषण

(3) कक्षा वातावरण

(4) वर्तन व्यवस्थापन

(5) व्यावसायिक विकास

(6) सहकार्य

(7) सहअध्यापन

(8) सूचनाएं एवं अनुदेशन करना

उपर्युक्त उपायों की जानकारी हमने पायी है; इसके अलावा विशेष शिक्षा हेतु सहायक तंत्र ज्ञान वाले साधनों के उपयोग से कक्षा में विशेष व्यवस्थापकीय योजना साध्य की जा सकती है–

(1) संक्षेप विस्तारक का उपयोग

(2) वैकल्पिक की–बोर्ड का उपयोग

(3) श्रव्य पुस्तकें एवं प्रकाशन

(4) इलेक्ट्रॉनिक गणित वर्कशीट

(5) स्वतंत्र डेटाबेस सॉफ्टवेअर

(6) ग्राफिक ऑर्गनायजर एंड आउटलाइन

(7) डेटा जानकारी तथा कच्ची जानकारी (Raw data) व्यवस्थापक

(8) ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकॉग्नेशन (OCR)

(9) पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर

(10) प्रूफरीडिंग प्रोग्राम

(11) स्पीच रिकॉग्नीशन प्रोग्राम

(12) टॉकिंग कैलकुलेटर

(13) वर्ड प्रेडिक्शन प्रोग्रॉम

(14) वेहेरिएबल–स्पीच टेपरिकॉर्डर

इन दृक् साधनों के द्वारा अमूर्त कल्पनाएं मूर्त स्वरूप में दिखाई देती हैं। इस कारण छात्रों को विषयानुसार संकल्पनाएं पता चलती हैं। श्रव्य साधनों द्वारा छात्र कोई भी जानकारी कई बार सुन सकते हैं। गतिजन्य साधनों द्वारा छात्रों की अध्ययन कृतियों में गति आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है।

कक्षा शैक्षिक उपक्रम

सेरेब्रल पाल्सी के कारण अध्ययन अक्षमता यह मस्तिष्क कार्य विकास में आती है। कोई भी कृति बारंबार करना, पठन/पाठांतर करने इससे यह समस्या दूर नहीं हो सकती। इसलिए अध्यापक द्वारा कल्पक उपायों से उपचारात्मक अध्यापन पद्धति का उपयोग किया जाए।

टिप्पणी

अध्यापक द्वारा—

(1) छात्रों को पहचानना।

(2) उनकी ओर सहृदयता रखना।

(3) गलत, विशेषण नहीं लगाना। जैसे—अंधे, मूरख, गूंगे।

(4) अशुद्ध लेखन को दुरुस्त करना।

(5) 'हम उनके साथ हैं'—ऐसा विश्वास दिलाना।

इतना व्यक्तिगत स्तर पर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा अध्यापक को कक्षा में जो प्रणाली उपयोग करनी चाहिए वह है—

(1) छात्रों को लेखन का काम कम दें।

(2) हस्ताक्षर को विशेष महत्व न दें।

(3) पढ़ाई, पाठशाला का द्वेष निर्माण न होने दें।

(4) छात्रों की स्वप्रतिमा पहले ही कम होती है, वह और कम न हो इसलिए प्रयास करें।

(5) छात्रों को उनकी कमियां समझ में आती हैं, मगर क्यों आती हैं; यह मौखिक समझाकर सुधार करें।

(6) उन्हें मारे नहीं।

(7) छात्रों में न्यूनगंड न हो, इसलिए प्रयास करें।

(8) अति महत्वपूर्ण समस्याएं पुनः—पुनः समझाएं।

(9) छात्रों को ग्रुप/समूह में काम करने के लिए अवसर दें। सहकार्यशील अध्ययन के माध्यम से पढ़ाएं।

(10) छात्रों के लेखन में आशय देखें, न कि Spellings।

(11) अलग—अलग तंत्र साधन का उपयोग छात्रों से करवाएं।

(12) एक लाइन के बाद तीसरी लाइन पर लिखवाएं।

(13) गणित के लिए चौकट वाली कापियां उपयोग करें।

(14) अलग—अलग चिन्हों के लिए अलग रंगों का उपयोग करें।

(15) आशय पढ़ते वक्त छात्रों को स्केलपट्टी का उपयोग करवाकर सिखाएं, ताकि उन्हें ज्यादा आशय से डर न लगे।

(16) आशय पढ़ने की दिशा एवं गणित छुड़ाने की दिशा का ज्ञान करवाएं।

(17) निबंध लेखन छात्रों के पंसदीदा विषय पर करवाएं।

(18) दो छात्रों को मिलाकर (एक सर्वसामान्य एवं एक विशेष) काम या अध्ययन करने को कहें।

(19) छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कक्षा में जिम्मेदारी के काम दें।

(20) छात्रों के अभिभावकों के संपर्क में रहें जिससे छात्रों को परिवार से भी प्रोत्साहन मिले एवं समस्या समझें।

(21) बड़े एवं कठिन आशय को छोटे–छोटे विभागों में विभाजित करें, ताकि समझने में आसानी हो।

(22) किसी भी नई बात का पुरानी बातों से संबंध जोड़ कर बताएं।

(23) मौखिक परीक्षा, मौखिक जवाब ज्यादा से ज्यादा लें। चर्चा करवायें।

(24) ज्यादा कालावधि की परीक्षा न लें।

(25) परीक्षा में प्रश्नपत्र पढ़कर सुनाएं। जिनका हस्तलेख ज्यादा खराब है, उन्हें लेखनिक की सहायता दें।

(26) हस्ताक्षर के कारण स्पेलिंग एवं गलतियों पर गुण कम न करवाएं। आशय का ही गुणांकन करें।

(27) छात्रों के प्रयत्न के हेतु उनकी प्रशंसा करें। प्रेरणा दें।

(28) अधिक अध्ययन अक्षमता वाले बालकों का मार्गदर्शन केंद्र में भेजें।

(29) छात्रों के अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक में चर्चा आयोजित करवायें।

(30) छात्रों की पूर्व पीठिका समझ लें ताकि परिसर में जो तथ्य उपलब्ध हैं, उनकी मदद ले सकें।

1.8.5 प्रमस्तिष्क घात वाले बालकों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन तथा उनकी पुनर्वास व्यवस्था

1986 की राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के तहत शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करने के साथ–साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता विकास भी करना जरूरी था। इस योजना में किसान अध्ययन क्षमता संकल्पना लायी गयी थी।

इसके कई वैशिष्ट्य माने गये–

(1) यह अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया बाल केंद्रित हो।

(2) पाठ्यक्रम क्षमताधिष्ठति हो।

(3) अध्ययन अध्यापन उपक्रमशील हो।

(4) अध्ययन प्रक्रिया छात्रों की अध्ययन प्रवृत्तियों को चलाने देने वाली तथा स्वयं अध्ययनशील बनाने वाली हो।

इन्हीं आह्वानों (Challanges) को लेकर तब से पाठ्यक्रम में दिव्यांग बालकों को भी इसी आधार से बदलाव/सुझाव लाये गये।

अध्ययन कक्ष में बालकों में भी कई तरह की अभिक्षमताएं निर्माण होने हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए तथा दुनिया की नई संकल्पनाएं तथा नवकल्पनाओं का विश्व छात्रों के लिए खुलासा करने का नया संकल्प चित्र (Mapping) इस 2020–2022 की नई शिक्षा नीति में भी सामने आ गया है।

अब नई शिक्षा नीति सन 2022 से लागू होगी। उस हिसाब से–

(1) स्वयं अध्ययन (Self-learning) तंत्र द्वारा प्रभुत्व प्राप्त कर अध्ययन प्रक्रिया अधिक अच्छी हो सकती है।

टिप्पणी

(2) आने वाली पीढ़ी (Generation) को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के आधार पर अध्ययन करना होगा।

(3) स्वयं अध्ययन साहित्य का उपयोग करके अध्ययन आवश्यक है।

छात्रों के साथ–साथ अध्यापकों की अभिक्षमता अधिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम (Competency Based Training Programme) तैयार करना आवश्यक है। वही (School Based Teacher Education Programmes) शालाधिष्ठित शिक्षक / अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन जरूरी है।

पाठ्यक्रम बदलाव–सुझाव–

(1) प्राथमिक स्तर पर : वाचन, गणित कौशल्य बढ़ाना, अभ्यास कौशलों का विकास, समस्या ढूंढ़कर उसका निराकरण, सामाजिक विकास की कृतियों का आयोजन हो।

(2) माध्यमिक स्तर पर : विशिष्ट विषयों के आशय में अध्ययन कार्यक्षमताओं का विचार होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण में भी यह विचार अवश्य हो।

(3) दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों के समतल लाने के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना का आयोजन करें। छात्र किस क्षेत्र में दुर्बल व अक्षम हैं; उस क्षेत्र में काम करवाना होगा।

(4) लेखन, वाचन, भाषिक कौशल पहचानने के लिए अध्ययन अक्षमता होने वाले बालकों की कसौटियां उपलब्ध हैं, उनके जरिए तंत्र उपयोग करें।

(5) गणित अकार्यक्षमता, भाषा विकास, वाचन कौशल्य, इनके विकास हेतु विभिन्न दृक् श्रव्य साधनों का प्रयोग करें।

(6) किसी भी कौशल्य विकास हेतु Cognitive Intervention Strategy का उपयोग करें। यह एक मार्ग है जिसके तंत्र पहचान से प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(7) व्यक्तिगत ध्यान देना, छात्रों की देखभाल आदि अध्यापक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है।

(8) कृति संशोधन / अनुसंधान प्रकल्प के द्वारा व्यक्तिगत प्रशिक्षण तंत्र, अध्ययन अक्षमता दूर करने वाले तंत्र नैदानिक कसौटियाँ, बौद्धिक स्तर आदि क्षेत्रों में संशोधन जरूरी है।

दिव्यांगता होने वाले बालक कभी–कभी द्वेष के शिकार हो जाते हैं। मगर उन्हें मुख्य प्रवाह तक लाने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। उनके प्रति होने वाला नकारात्मक दृष्टिकोण भी दूर करने हेतु शास्त्रीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तभी "सबके लिए शिक्षा" का विचार सफल हो पायेगा।

पाठ्यक्रम में थोड़े से बदलाव की आवश्यकता इसलिए होती है कि सर्वसमावेशक पाठशालाओं में पाठ्यक्रम का जो भाग विशेष अध्यापन के सिवा सीखते आत्मसात करते हैं, इसलिए जिन बालकों को मदद की आवश्यकता होती है, उन्हें अध्ययन के लिए अलग अधिगम की भी आवश्यकता होती है।

इनमें से कई बालक अव्यंग भी नहीं रहते। उनके लिए पाठ्यक्रम के आशय घटक का सूक्ष्म विश्लेषण करके धीरे–धीरे अध्यापन कराके उन्हें पल्ले पड़ेगा, यह नीति अपनायी जानी चाहिए।

कई प्रकार के अपंगत्व होने वाले बालकों तथा तीव्र प्रकार का अपंगत्व होने वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम के अलग–अलग विश्लेषण कराने पड़ते हैं। कुछ पाठ्यक्रम बदलने पड़ते हैं। तो कुछ के लिए पाठ्यक्रम की वह इकाई निकाल कर उसकी जगह अलग इकाई तैयार कर आशय पढ़ाना होता है।

जैसे मूकबधिरों के लिए त्रिभाषा सूत्र शिथिल कर दिया गया है। ये अंध दिव्यांगों के लिए गणित विषय 7वीं कक्षा तक ही रखा जाता है। मतिमंद दिव्यांगों के लिए तो हर रोज के आवश्यक कौशलों के तथा हस्त व्यवसाय कृतियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है।

पुनर्वास व्यवस्था

मूलभूत (Basic) कारक कौशलों का विकास ठीक ढंग से न होने के कारण विशेष बालकों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। उसी हिसाब से इन विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण (Classification) एच.एम. वॉरनॉक ने अलग तरह से किया है और उसी वर्गीकरण के अनुसार दिव्यांगों के पुनर्वास व्यवस्था के उपाय भी सुझाए हैं।

(1) **विशेष उपकरण तथा साधन सामग्री के सहाय्य से** : जिन बालकों में इंद्रियजन्य अपंगत्व होता है, उनके संपर्क के लिए, संज्ञापन (Communication) के लिए तथा अभिव्यक्ति (Expressions) के लिए विशेष मदद की आवश्यकता होती है। उनके हालचाल करने के दोषों के कारण भी अलग साधनों द्वारा दिव्यांगता दूर किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

(2) **पाठ्यक्रम में बदलाव** : पिछले सोपान में इसकी जानकारी दी है।

(3) **शैक्षिक वातावरण निर्माण एवं सामाजिक व भावनिक तनावों से दूर ले जाना** : जिस जगह दिव्यांग बालक यह शिक्षा लेते हैं वहां शैक्षिक वातावरण का निर्माण सही होने के लिए पाठशाला तथा प्रशासन को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसी तरह दुनिया के भावनिक तथा सामाजिक तनावों से उन्हें दूर ही रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।

दिव्यांग छात्रों का पाठशाला पर अधिक से अधिक विश्वास बढ़ाने तथा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराकर सामान्य बालकों के साथ लाने का प्रयास होना चाहिए।

(4) **अध्यापकों द्वारा अलग उपाय** : अध्यापक को विशेष छात्रों के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। छात्रों के भावनिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास के लिए जो भी उपाय करने होंगे, उस हेतु शिक्षकों के पास कुछ अलग तरह के गुण विशेष होने चाहिए। जिनके माध्यम से वे अपनी कृतियों द्वारा निम्न आवृत्ति में दिखाई देंगे–

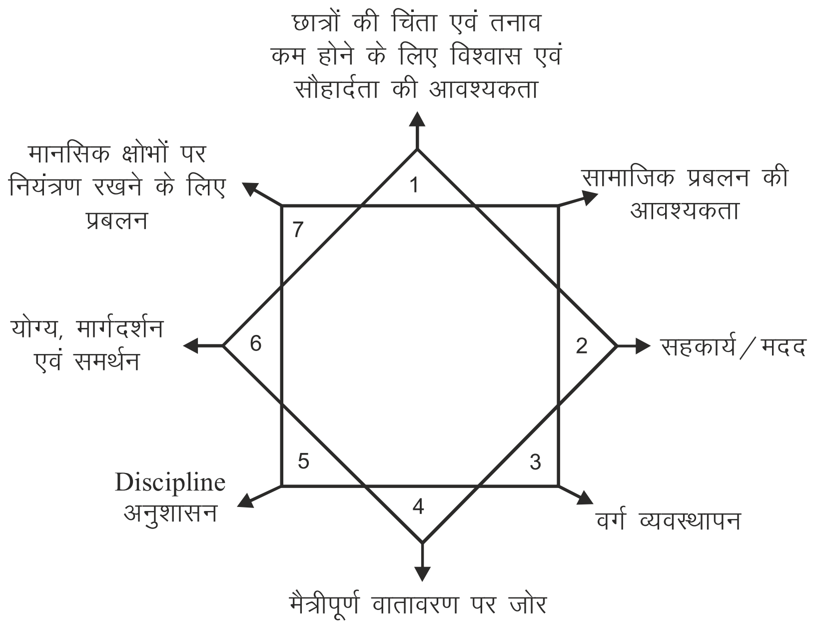

दिव्यांगों के भावनिक एवं सामाजिक विकास एवं शिक्षा हेतु अध्यापकों द्वारा उपाय

दिव्यांग बालकों का जीवन समस्याओं से भरा होता है; मगर उनकी अपने घर में अगर व्यवस्था नहीं होती है तो सर्वसमावेशी शिक्षांतर्गत पाठशाला में उनकी पुनर्वास व्यवस्था होकर उनकी दिव्यांगता पर उन्हें मात करना सिखाना तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश से ही उनके जीवन में आशा की किरन आ सकती है।

RCI–Delhi (Rehabilitation Council of India) के अपने नियम एवं उसूल हैं उनके अनुदान, मदद एवं मार्गदर्शन से देश के हर दिव्यांग व्यक्ति/बालक को पुनर्वास (Rehabilitate) प्राप्त करना हक बनता है।

शारीरिक दिव्यांगताओं/स्नायुओं की कमजोरी वाले अन्य बालक (Children with other Locomotors Impairments)

इस इकाई में दिव्यांगत्व के प्रकार के नामों की जानकारी दी गई है। 'अ' में हमने शारीरिक अपंगत्व, 'ब' में दृष्टिदोष, श्रवणदोष तथा मूकबधिरता की जानकारी पाई।

इस इकाई में अब हम 'ग' प्रकारों की जानकारी पाएंगे।

(ग) मंदबुद्धित्व

- शिक्षण क्षम
- प्रशिक्षण क्षम
- अभिरक्षणात्मक

मंदबुद्धित्व यानी मतिमंदित्व/मतिमंदत्व यानी बौद्धिक अपगत्व

बुद्धि से बालक कैसा है? इस पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे बहुत ही होशियार तीव्र बुद्धि के बालक वैसे ही मंदबुद्धि के बालक होते हैं। मंदबुद्धि बालकों की आकलन क्षमता कम होती है। वे अध्ययन में कम पड़ते हैं। उनके बुद्धयंक (Intelligent Quotioner) तय करके समूह तैयार किये जाते हैं।

परिभाषाएं

(1) "ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति/बालक का मानसिक विकास खंडित होता या अपूर्ण रहता है; उसमें बौद्धिक अपसामान्यत्व का लक्षण होता है; वह मतिमंद कहलाता है।"

(2) "मतिमंदत्व यानी सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता औसत (Average) से भी कम रहना। समायोजन में कम तथा पकवता में दुर्बल रहना।"

(3) "मानसशास्त्र या मनोविज्ञान की दृष्टि से तथा वातावरणात्मक घटकों के कारण जिन बालकों की बुद्धि का सही विकास नहीं हुआ, ऐसे बालकों को मतिमंद बालक कहा जाता है।"

बुद्धयंक के अनुसार वर्गीकरण

सामान्य/औसत बुद्धयंक	90–100
मंदबुद्धि बालक	80–90
सीमा रेखा पर मंदबुद्धि बालक	70–80
क्षीणबुद्धि बालक	50–70 (Morons)
जड़बुद्धि बालक	20–25 (Imbecile)
निर्बुद्ध बालक	25 से नीचे (Idiots)

बुद्धयंक के अनुसार एक और वर्गीकरण एवं जानकारी

शिक्षणक्षम	प्रशिक्षणक्षम	अभिरक्षणात्मक
1. क्षीणबुद्धि	जड़बुद्धि	निर्बुद्धि
2. बुद्धयंक 50–70 (morons)	25 से 50 (Imbecile)	25 के नीचे Idiot
3. प्राथमिक शिक्षा लेते हैं।	शारीरिक आवश्यकताएं ही पूरी कर सकते हैं।	पढ़ने नहीं आते।
4. घर में काम, धुलाई, सिलाई, Newspaper बांटना।	स्वरक्षण करते हैं। आग से बचाव, तेज वाहन से बचाव कर सकते हैं।	आदतें नहीं लगती। खुद की चिंता, बचाव नहीं कर सकते।
5. अर्थार्जन (पैसे कमाना) थोड़े ही प्रमाण में कर सकते हैं	अर्थार्जन नहीं	अर्थार्जन नहीं, दूसरों पर निर्भर।
6. अकुशल काम करते हैं।	किसी के मार्गदर्शन से काम कर सकते हैं।	काम कर नहीं सकते। ये शिक्षणक्षम या प्रशिक्षणक्षम नहीं होते इसलिए सेवाभावी संस्था (NGO) में रखना फायदेमंद होता है।

मतिमंदत्व के कारण

(1) मस्तिष्क का अधूरा विकास।
(2) गुणसूत्रों में फर्क।
(3) कठिन प्रसूति।
(4) बचपन में हुआ आघात/अपघात।
(5) प्रसूतिकाल/गर्भकाल में तकलीफ।
(6) मज्जा संस्थाओं से संबंधित बीमारियां।
(7) गर्भधारण कालावधि में प्रकृति तनाव/अस्वस्थता।
(8) रक्त के (R.H.) घटकों की विभिन्नता।

मतिमंदत्व पहचानने के लक्षण

(1) मस्तिष्क अकार्यक्षम।
(2) मन की एकाग्रता न होना।
(3) एक जगह पर स्थायी न रहना।
(4) शारीरिक बाढ़ एवं विकास से मानसिक विकास एवं बाढ़ ज्यादा न होना।
(5) शारीरिक अपंगत्व।
(6) निर्मिती क्षमता का अभाव।
(7) अमूर्त स्तर पर विचार करना अशक्य।
(8) बोधशक्ति कमजोर।
(9) शरीर धर्म पर नियंत्रण का अभाव।
(10) शैक्षिक गुणवत्ता कम।
(11) मर्यादित आदतें।
(12) कौशल्य में असुसूत्रता।
(13) अपयश का डर।
(14) चंचलता।
(15) तत्काल पुरस्कार की अपेक्षा।
(16) पुनर्प्रवृत्ति की आवश्यकता।
(17) दुर्बल स्मरणशक्ति।
(18) 'स्वत्व' का अभाव।
(19) आत्मविश्वास का अभाव।
(20) मर्यादित अपधान कक्षा।

इन्हीं लक्षणों के चलते मतिमंदत्व बालकों के लिए घर में, पाठशाला में तथा कक्षा में विभिन्न उपायों की जरूरत है। जिसमें रिश्तेदार, अभिभावक प्रधानाध्यापक, अध्यापक द्वारा उपायों के जरिए उन्हें पुनर्वास (Rehabilitation) करवा सकते हैं।

मतिमंदत्व पर उपाय

लक्षण एवं कारणों का विचार करके उपाय योजना करना अत्यावश्यक है–

(1) विशेषज्ञ (Expert) व अनुभवी (Experienced) डाक्टर का उपचार (Treatment)।

(2) पाठशाला का वातावरण Team Work।

(3) संप्रेषण हेतु भाषा, कुछ इशारों की भाषा एवं लिखित मार्ग।

(4) 3R का उपयोग–

Rehabilitation,

Reconstruction,

Research।

(5) दृक्‌श्रव्य साधनों का उपयोग।

(6) एक बार में एक ही बात को सिखाना।

(7) व्यक्तिगत लचीला पाठ्यक्रम।

(8) शिक्षणक्रम/पाठ्यक्रम जीवन व्यवहार एवं स्वावलंबन पर आधारित।

(9) सूचनाओं में द्विरुकती/दो–तीन बार मार्गदर्शन।

(10) प्रशिक्षित विशेषज्ञ एवं अध्यापक वर्ग की उपलब्धता।

(11) चर्चा सत्र (Seminar), कार्यशालाएं (Workshops) का आयोजन।

(12) गर्भनिरोधक शास्त्र क्रिया एवं लैंगिक शिक्षा की आवश्यकता।

कई राज्यों में मतिमंदत्व की पाठशालाओं के लिए समान आकृतिबंध (Format) तैयार किया गया है। विशेषज्ञ तथा अनुभवधारक सलाहकारों (Advisors) की मदद से समान पाठ्यक्रम तैयार कर मान्य किया जा चुका है। पूना में श्रीमती सिंधुताई जोशी की 'कामायनी' तथा नागपुर के मातृसेवा संघ द्वारा 'नंदनवन' जैसी पाठशालाएं शुरू हैं। ऐसी ही कई संस्थाएं मुंबई में भी स्थित हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

13. भारतीयों के छोटे बालकों में अपंगत्व का मुख्य कारण क्या होता है?

(क) सेरेब्रल पाल्सी (ख) सर्दी

(ग) लू (घ) बारिश

14. अमेरिकन पब्लिक लॉ 14–142 में अपंग बालकों के लिए शिक्षा संबंधी परिभाषा कब दी गई?

(क) वर्ष 2000 में (ख) वर्ष 2011 में

(ग) वर्ष 1963 में (घ) वर्ष 1975 में

टिप्पणी

1.9 बौद्धिक अक्षमता

जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अन्य लोगों से भिन्न हो। जैसे संवाद करने, किसी भी कार्य के बारे में सोचने या अन्य सामाजिक कौशलों को करने में दूसरों से कमजोर हो या देरी से कर पाए या न कर पाए, उन्हें बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कारण इन बच्चों की सीखने और विकसित करने की क्षमता सामान्य बच्चे की तुलना में कम होगी।

बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे को बोलने, चलने और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे कि ड्रेसिंग या खाने के लिए सीखने में अधिक समय लग सकता है। उन्हें स्कूल में सीखने में परेशानी होने की संभावना है। वे सीखेंगे, लेकिन इसमें उन्हें अधिक समय लगेगा। कुछ चीजें हो सकती हैं जो वे नहीं सीख सकते।

बौद्धिक अक्षमता, जिसे पहले 'मानसिक मंदता' कहा जाता था, को दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा अधिनियम (IDEA) के साथ परिभाषित किया जाता है। "सामान्य रूप से सामान्य बौद्धिक कामकाज, मौजूदा समवर्ती ख्एक ही समय में, अनुकूली व्यवहार में कमी के साथ और विकासात्मक अवधि के दौरान प्रकट होता है। जो बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।" इस परिभाषा के भीतर दो प्रमुख घटक हैं– एक छात्र का आईक्यू और उसकी या उसकी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, आमतौर पर इसे अनुकूली व्यवहार के रूप में जाना जाता है।

बौद्धिक अक्षमता के कारण

डॉक्टरों ने बौद्धिक अक्षमताओं के कई कारण पाए हैं–

- **आनुवंशिक स्थितियां** : कभी–कभी बौद्धिक अक्षमता माता–पिता से विरासत में मिली असामान्य जीन, त्रुटियों के कारण होती है जब जीन गठबंधन करते हैं, या अन्य कारण। आनुवांशिक स्थितियों के उदाहरण डाउन सिंड्रोम, नाजुक एक्स सिंड्रोम और फेनिलकेटोनुरिया (पीकेयू) हैं।
- **गर्भावस्था के दौरान समस्याएं** : एक बौद्धिक अक्षमता का परिणाम तब हो सकता है जब बच्चा ठीक से माँ के अंदर विकसित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से बच्चे की कोशिकाएं बढ़ती हैं, उसके साथ एक समस्या हो सकती है। एक महिला जो शराब पीती है या गर्भावस्था के दौरान रूबेला जैसा संक्रमण पाती है, उसके साथ एक बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा भी हो सकता है।
- **जन्म के समय समस्या** : यदि शिशु को प्रसव और जन्म के दौरान समस्याएं होती हैं, जैसे पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलना, तो उसकी बौद्धिक अक्षमता हो सकती है।
- **स्वास्थ्य समस्याएं** : काली खांसी, खसरा या मेनिन्जाइटिस जैसी बीमारियां बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बन सकती हैं। अत्यधिक कुपोषण (सही भोजन न करना), पर्याप्त चिकित्सा देखभाल न मिलने या सीसा या पारा जैसे विषों के संपर्क में आने के कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है।

बौद्धिक अक्षमता कोई बीमारी नहीं है। आप किसी से बौद्धिक अक्षमता नहीं पकड़ सकते। यह अवसाद जैसी एक प्रकार की मानसिक बीमारी भी नहीं है। बौद्धिक अक्षमताओं का कोई इलाज नहीं है। हालांकि, बौद्धिक अक्षमता वाले अधिकांश बच्चे कई चीजें करना सीख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अन्य बच्चों की तुलना में अधिक समय और प्रयास लगता है।

बौद्धिक अक्षमता की पहचान

एक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे की पहचान–

1. अन्य बच्चों की तुलना में बैठना या चलना देरी से सीखता है।
2. बोलने तथा बात करने में परेशानी।
3. चीजों को याद रखना मुश्किल होता है।
4. समझ में नहीं आता कि चीजों का भुगतान कैसे किया जाए।
5. सामाजिक नियमों को समझने में परेशानी होती है।
6. उनके कार्यों के परिणामों को देखने में परेशानी होती है।
7. समस्याओं को हल करने में कठिनाई होती है।
8. तार्किक रूप से सोचने में परेशानी होती है।

बौद्धिक अक्षमता का निदान

बौद्धिक अक्षमताओं का निदान दो मुख्य चीजों को देखकर किया जाता है। ये हैं–

किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सीखने की क्षमता, सोचने, समस्याओं को हल करने और दुनिया की समझ बनाने की क्षमता (जिसे IQ या बौद्धिक कार्यप्रणाली कहा जाता है); और क्या उस व्यक्ति के पास कौशल है जिसे उसे स्वतंत्र रूप से जीने की आवश्यकता है (जिसे अनुकूल व्यवहार, या अनुकूली कार्य कहा जाता है)।

बुद्धिलब्धि, आमतौर पर एक आईक्यू टेस्ट नामक टेस्ट द्वारा मापा जाता है। जिसका औसत स्कोर 100 होता है। 70 से 75 से नीचे स्कोर करने वाले लोगों को बौद्धिक अक्षम माना जाता है। अनुकूली व्यवहार को मापने के लिए अपने बच्चे की तुलना उसकी उम्र के अन्य बच्चों से करके देख सकते हैं। अनुकूली व्यवहार के लिए कुछ कौशल महत्वपूर्ण हैं। ये हैं–

1. दैनिक जीवन कौशल, जैसे कपड़े पहनना, बाथरूम जाना और स्वयं भोजन करना।
2. संचार कौशल, जैसे कि समझी गई बात और जवाब देने में सक्षम होना।
3. साथियों, परिवार के सदस्यों, वयस्कों और अन्य लोगों के साथ सामाजिक कौशल।

बौद्धिक अक्षमता का निदान करने के लिए, पेशेवर व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं (आईक्यू) और उसके अनुकूल कौशल को देखते हैं। हमारे देश के विशेष शिक्षा कानून, दिव्यांग शिक्षा अधिनियम (IDEA) के साथ इस दिव्यांगता की परिभाषा में इन दोनों को उजागर किया गया है। प्क्म। संघीय कानून है जो यह बताता है कि शिशुओं, बच्चों

और युवाओं को दिव्यांगताओं के लिए शुरुआती हस्तक्षेप और विशेष शिक्षा सेवाएं कैसे प्रदान की जाती हैं।

1.9.1 बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

एक सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण है, जिसका उपयोग दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है। एक सहायक प्रौद्योगिकी सेवा का मतलब किसी भी सेवा से है जो किसी व्यक्ति को एक सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण (2004 का सहायक प्रौद्योगिकी अधिनियम) का चयन, अधिग्रहण या उपयोग करने में मदद करता है।

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (E & IT) में कंप्यूटर और संबंधित संसाधन और संचार उत्पाद जैसे टेलीफोन, लेनदेन मशीन जैसे कि एटीएम के लिए बैंकिंग, वर्ल्ड वाइड वेब साइटें, और ऑफिस कॉपियर और फैक्स शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी का बौद्धिक दिव्यांगों के लिए लाभ

केल्कर (1997) ने निम्नलिखित सूची का विकास करते हुए संकेत दिया कि सहायक तकनीक को तब उपयुक्त माना जा सकता है जब वह निम्नलिखित में से कोई भी या सभी काम करती है–

- किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जो किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- एक व्यक्ति को सामान्य प्रवाह, दर, या मानकों को अनुमानित करने में सक्षम बनाती है।
- कार्यक्रमों या गतिविधियों में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करती है जो अन्यथा व्यक्ति के लिए बंद हो जाएगा।
- धीरज रखने या कार्य को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाती है अन्यथा नियमित रूप से प्रयास करने के लिए बहुत श्रमसाध्य होता है।
- किसी व्यक्ति को यांत्रिक कार्यों के बजाय सीखने या रोजगार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।
- सूचना तक अधिक पहुंच प्रदान करती है।
- साथियों और वयस्कों के साथ सामान्य सामाजिक संपर्क का समर्थन करती है।
- सबसे कम प्रतिबंधात्मक शैक्षिक वातावरण में भागीदारी का समर्थन करती है।

बौद्धिक दिव्यांगों द्वारा तकनीक का उपयोग

बौद्धिक अक्षमता वाले बालक सहायक तकनीक के उपयोग द्वारा अपने दैनिक जीवन के कार्यों को तथा अध्ययन से संबंधित कार्य आसानी से करने में सक्षम हो सकते हैं।

संचार : उन व्यक्तियों के लिए जो प्रौद्योगिकी के साथ संवाद नहीं कर सकते, उन्हें संवाद करने में मदद कर सकते हैं। ऑगमेंटेटिव और वैकल्पिक संचार (एसीसी) में कम तकनीक वाले संदेश बोर्डों से लेकर कम्प्यूटरीकृत वॉयस आउटपुट संचार एड्स और संश्लेषित भाषण तक की तकनीक शामिल हो सकती है।

चलना फिरना : वर्तमान समय में साधारण व सरलता से कार्य करने वाले कंप्यूटर नियंत्रित सहायक सामग्री उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का उपयोग दिशा–खोज में सहायता करने के लिए किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को गंतव्यों के लिए निर्देशित कर रहा है। बौद्धिक अक्षमताओं के साथ उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर क्यूइंग सिस्टम और रोबोट का भी उपयोग किया गया है।

वातावरण नियंत्रण : सहायक उपकरण बिजली के उपकरणों, ऑडियो/वीडियो उपकरण जैसे कि होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को नियंत्रित करने या लॉक और अनलॉक दरवाजे के रूप में बुनियादी रूप से कुछ करने के लिए गंभीर या कई दिव्यांग लोगों की मदद कर सकते हैं।

दैनिक जीवन की गतिविधियां : प्रौद्योगिकी दिव्यांग लोगों की सहायता कर रही है ताकि स्व–देखभाल के रोजमर्रा के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। उदाहरण के रूप में–

- स्वचालित और कम्प्यूटरीकृत भोजन उपकरण एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति देते हैं जिसे अधिक स्वतंत्र रूप से खाने के लिए भोजन के समय सहायता की आवश्यकता होती है।
- ऑडियो प्रॉम्प्टिंग डिवाइसों का उपयोग किसी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी बिस्तर बनाने या दवा लेने जैसी गतिविधियों में शुरू से अंत तक चरणों की एक निश्चित अनुक्रम का पालन करने के लिए स्मृति कठिनाइयों वाले व्यक्ति की सहायता के लिए किया जा सकता है।
- वीडियो–आधारित शिक्षण सामग्री लोगों को किराने की खरीदारी, चेक लिखने, बिलों का भुगतान करने या एटीएम मशीन का उपयोग करने जैसे कार्यात्मक जीवन कौशल सीखने में मदद कर सकती है।

शिक्षा : प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा में संचार, दैनिक जीवन की गतिविधियों का समर्थन करने और सीखने को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से सहायता प्राप्त निर्देश कई क्षेत्रों में मदद कर सकता है, जिसमें शब्द मान्यता, गणित, वर्तनी और यहां तक कि सामाजिक कौशल भी शामिल हैं। गैर–अक्षम साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर भी पाए गए हैं।

रोजगार : प्रौद्योगिकी, जैसे कि वीडियो–सहायता वाले एनिंग, का उपयोग नौकरी प्रशिक्षण और नौकरी कौशल विकास और उचित नौकरी व्यवहार और सामाजिक संपर्क के लिए जटिल कौशल सिखाने के लिए किया जा रहा है। ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर और कंप्यूटर–आधारित प्रॉम्प्टिंग उपकरणों का उपयोग करने वाले त्वरित सिस्टम का उपयोग श्रमिकों को काम पर रहने में मदद करने के लिए किया गया है। कंप्यूटराइज्ड प्रॉम्प्टिंग सिस्टम लोगों को नौकरी की गतिविधियों के समय निर्धारण में मदद कर सकते हैं।

खेल और मनोरंजन : खिलौनों को बच्चों के लिए खेलने की सुविधा के लिए स्विच और अन्य तकनीकों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। कंप्यूटर या वीडियो गेम उम्र–उपयुक्त सामाजिक अवसर प्रदान करते हैं और बच्चों को संज्ञानात्मक और आंख–हाथ समन्वय कौशल सीखने में मदद करते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किया गया इंटरनेट–एक्सेस सॉफ्टवेयर बौद्धिक अक्षम लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने

में मदद कर सकता है। व्यायाम और शारीरिक फिटनेस को वीडियो–आधारित तकनीक द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

1.9.2 बौद्धिक अक्षमता के लिए विशेष पाठ्यक्रम

बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियाँ जैसे योग, संगीतय नृत्य, कला और शिल्प आदि से इन बच्चों को परिचित करवाया जा सकता है क्योंकि वे इन गतिविधियों को करते हुए बातचीत करना सीख सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाना चाहिए, जिसमें अभ्यास और खेल शामिल हो सकते हैं। सांकेतिक भाषा का उपयोग करके उनके संचार कौशल में सुधार किया जा सकता है। उन्हें शिक्षा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया इन बच्चों को यथासंभव स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य पर टिकी होनी चाहिए। उन्हें किताबी ज्ञान प्रदान करने के बजाय उन्हें दिन–प्रतिदिन के कौशल और गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

यह एक मिथक है कि इन बच्चों को केवल संस्थागत होने पर ही शिक्षित किया जा सकता है। बल्कि यह दूसरा रास्ता है। उन्हें स्वतंत्र जीवन के तरीके सीखने के लिए समावेश और देखभाल की आवश्यकता है। राज्य उन्हें शैक्षिक और अन्य सेवाओं की गारंटी भी देता है।

उनकी व्यापक शैक्षिक योजनाओं को चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों, किशोर मनोचिकित्सक, भाषण चिकित्सक और परिवार और स्कूल प्राधिकारियों की टीम द्वारा मंदता के स्तर के अनुसार विकसित किया जाना है। किसी भी कक्षा में बच्चे को पेश करने से पहले, उसके मनोवैज्ञानिक मुद्दों को ठीक से संबोधित करने की आवश्यकता है। बच्चे में हीनता की भावना विकसित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे सीखने की इच्छा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बच्चे को सामान्य स्कूल में भेजा जा सकता है या विशेष स्कूल में भेजा जाना है, यह निर्णय करते समय अधिक सोचने समझने की आवश्यकता होती है। कभी–कभी गलत फैसले उसकी क्षमता से आगे निकल सकते हैं और उसकी सीमाओं पर भी अधिक दबाव डाल सकते हैं। अकादमिक ज्ञान प्रदान करने के अलावा, उन्हें व्यवहार संशोधन तकनीक सिखाई जानी चाहिए और व्यवसाय व आत्मनिर्भरता के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

भारत में, शहरी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में मानसिक मंदता का महत्वपूर्ण प्रचलन है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम में कहा गया है कि रोकथाम, जल्दी पहचान, शिक्षा, रोजगार और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अन्य सुविधाओं के लिए अनिवार्य समर्थन होना चाहिए।

विशेष शिक्षा अध्यापकों के लिए व्यावहारिक सुझाव

यह पहचानें कि आप इस छात्र के जीवन में भारी बदलाव ला सकते हैं!

विशेष रूप से सामान्य और आपके छात्र में बौद्धिक अक्षमता के बारे में अधिक जानें।

बौद्धिक दिव्यांग छात्रों की मदद करने वाले आवास और सहायता प्रदान करें। आवास प्रायः पाँच मुख्य क्षेत्रों में बनाए जाते हैं–

टिप्पणी

- शेड्यूलिंग (जैसे, छात्र को असाइनमेंट या टेस्ट पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना)।
- सेटिंग (जैसे, एक छोटे समूह में या साथी के साथ छात्र का काम करना)।
- सामग्री (जैसे, छात्र को शिक्षक नोट्स या टेपयुक्त व्याख्यान प्रदान करना)।
- निर्देश (जैसे, किसी पाठ को छोटे भागों में तोड़ना, छात्र के ट्यूटर के साथ काम करना)।
- छात्र प्रतिक्रिया (जैसे– छात्र को मौखिक रूप से या कंप्यूटर पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है)

जितना संभव हो उतना ठोस हो : एक प्रभावी शिक्षण पद्धति यह दर्शाना है कि मौखिक निर्देश देने के अलावा आपका क्या मतलब है? मौखिक रूप से साझा की गई नई जानकारी के साथ, एक तस्वीर भी दिखाएं और केवल एक तस्वीर दिखाने के बजाय, छात्र को हाथों से सामग्री और अनुभवों और चीजों को आजमाने का अवसर प्रदान करें।

चरण दर चरण आगे बढ़ें : लंबे समय तक, नए कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ें। चरणों का प्रदर्शन। छात्र एक समय में एक कदम है। आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें। छात्र को प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं और सभी चरणों को एक साथ अभ्यास करने के लिए कई अवसर दें।

तत्काल प्रतिक्रिया दें : तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करने से छात्रों को उनके उत्तर, व्यवहार या प्रश्न और आपके द्वारा शिक्षक के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के बीच संबंध बनाने में मदद मिलती है।

छात्र को जीवन कौशल सीखने में मदद करें : स्कूल इन जीवन कौशल सीखने में छात्रों की मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिष्टाचार, दूसरों के साथ मिलना, बुनियादी गणित और पढ़ना, धन प्रबंधन और कार्यस्थल के लिए कौशल शामिल हैं।

स्कूल के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दें : बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों को अकसर सामाजिक कौशल से परेशानी होती है, जिससे उनके लिए अपने साथियों के साथ उचित रूप से बातचीत करना और स्कूल में होने वाली सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना मुश्किल हो जाता है। वे अकसर बदमाशी के लिए एक लक्ष्य भी होते हैं, जिन्हें बस अनुमति नहीं दी जा सकती है। शिक्षक कक्षाओं में और पूरे स्कूल में बौद्धिक अक्षमताओं वाले छात्रों को शामिल करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

अपने छात्र के माता–पिता के साथ संवाद करें : छात्र के माता–पिता के साथ नियमित रूप से जानकारी का आदान–प्रदान करें और छात्र की जरूरतों को पूरा करने में मदद करें।

बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों को पढ़ाना

जब एक पूर्ण, उपयुक्त और उत्पादक सीखने के माहौल के साथ छात्रों को आईडी प्रदान करने की बात आती है, तो बच्चे और अन्य छात्रों के रूप में मुख्यधारा की शिक्षा सेटिंग में बच्चे को प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो सकती है।

यहाँ कुछ शिक्षण विधियाँ दी गयी हैं जो शिक्षक एक बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों को समर्थन देने के लिए नियोजित कर सकते हैं–

छोटे पदों का उपयोग करना : बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए, प्रत्येक शिक्षण कार्य को छोटे, आसान पदों में तोड़ना आसान हो सकता है। शिक्षक प्रत्येक सीखने के कार्य को बड़ी तस्वीर को देखने के बजाय लघु, व्यक्तिगत क्रियाओं की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करके अपने मौजूदा पाठ्यक्रम को संशोधित कर सकते हैं। यह चरण–वार दृष्टिकोण सभी प्रकार के छात्रों के लिए कई अलग–अलग सीखने के मॉडल का आधार है, व्यक्तिगत छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक चरण और निवेश का स्तर भिन्न होता है।

शिक्षण को अधिक हाथों से संशोधित करना : बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्र अमूर्त अवधारणाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ पारंपरिक शिक्षण शैलियों को उनकी विशिष्ट चुनौतियों के साथ असंगत बनाते हैं। शिक्षण के साथ अधिक हाथों में जाने का विकल्प छात्रों के लिए एक अधिक गतिज दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इसका एक उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल का चित्रण करने के लिए किसी वस्तु को गिराकर वास्तविक दुनिया में कैसे कार्य करता है, यह प्रदर्शित करके किया जाएगा।

दृश्य को सोचो : दृश्य दुनिया और बच्चे के सामने क्या है, एक छात्र को आईडी सिखाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। वे ऐसे वातावरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जहां दृश्य सहायता प्रदान की जाती है, चाहे वह विशिष्ट विषयों को सीखना हो या अपनी पूर्ण प्रगति का मानचित्र बनाना हो। आईडी छात्रों के साथ चार्ट का उपयोग अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, खासकर प्रत्यक्ष, तत्काल प्रतिक्रिया के साथ संयोजन में।

अपनी कक्षा में बौद्धिक दिव्यांगता रणनीतियों को शामिल करने के पांच तरीके

जबकि कक्षा में बौद्धिक दिव्यांगता के लिए कई सामान्य रणनीतियाँ और सुझाव हैं, अवसरों को लागू करना, और उन्हें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना, पूरी तरह से एक अलग चुनौती है। लेकिन मुख्यधारा के स्कूलों में, अपने छात्रों को सहायता प्रदान करने और एक अच्छी तरह शिक्षण अनुभव प्रदान करने के बीच एक संतुलन बनाना आवश्यक है।

ये पांच विधियाँ न्यूनतम व्यवधान और उत्कृष्ट परिणामों के साथ, किसी भी कक्षा में उपयुक्त दिशानिर्देशों के तत्वों को शामिल करने के लिए सरल, प्रभावी तरीके प्रदान करती हैं–

1. **छोटे छोटे पदों का इस्तेमाल करें** : प्रत्येक पाठ को उसके सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण घटकों में तोड़कर शुरू करें। ये चरण एक विस्तृत कक्षा को पढ़ाने के साथ–साथ आईडी छात्रों को प्रदान किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने साथियों के समान समझ विकसित कर

सकें। निराशा को कम करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, यह विधि अत्यधिक प्रभावी है।

2. **भौतिक वस्तुओं को सीखने के अनुभवों को शामिल करें** : चाहे वह विज्ञान या गणित में सीखने का समर्थन करने के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा हो या बस छात्रों को वास्तविक दुनिया से अपनी शिक्षा को जोड़ने के लिए एक सीधा तरीका पेश कर रहा हो, यह विधि आपके सभी छात्रों के लिए अमूल्य हो सकती है, ताकि वे अपने ज्ञान को और अधिक अच्छी तरह से विकसित कर सकें।
3. **एक प्रतिक्रिया पुस्तक या चार्ट शुरू करें** : आईडी वाले छात्र तत्काल और सुसंगत प्रतिक्रिया से बहुत लाभ उठा सकते हैं। फीडबैक बुक या चार्ट का उपयोग करके उस फीडबैक का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, जिससे छात्र काले और सफेद रंग में अपना विकास देख सकता है।
4. **कक्षा में संगीत को प्रोत्साहित करें** : संगीत किसी भी छात्र के लिए सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन आईडी वाले लोगों के लिए, यह एक विशेष रूप से शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अवधारणाओं या पाठों के साथ संगीत का उपयोग करने से उन्हें जानकारी बनाए रखने और हाथ में विषय के अधिक से अधिक जुड़ाव की पेशकश करने में मदद मिल सकती है।
5. **दृश्य उत्तेजना प्रदान करें** : चाहे वह केवल उस अवधारणा को चित्रित कर रहा हो जो आप एक व्हाइटबोर्ड पर वर्णन कर रहे हैं, या छात्रों को अध्ययन के लिए वीडियो या फोटोग्राफिक सामग्री प्रदान कर रहे हैं, आईडी छात्रों का ध्यान केंद्रित करना आसान है जब वे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

एक बौद्धिक दिव्यांगता के साथ कई छात्रों के लिए यह एक सामान्य कठिनाई है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब वे किसी अन्य छात्र के रूप में अपनी शिक्षा की बात करें तो उन्हें देखभाल और ध्यान का समान स्तर प्राप्त हो। इसी समय, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और अभिभावक यह सुनिश्चित करने के लिए साथ काम करें कि वे प्रत्येक छात्र के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान कर रहे हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

15. बौद्धिक अक्षमता को पहले क्या कहा जाता था?
    (क) मूर्खता (ख) मानसिक मंदता
    (ग) होशियारी (घ) कमजोरी
16. बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों को अकसर किससे परेशानी होती है?
    (क) सामाजिक कौशल से (ख) राजनीति से
    (ग) परिवार से (घ) स्कूल से

1.10 सीखने की अक्षमता

सीखने की दिव्यांगता एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। सरल शब्दों में, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में 'विएर्ड' होने के तरीके से एक अंतर दिव्यांगता का परिणाम होता है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में अधिक स्मार्ट या होशियार होते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने, लिखने, वर्तनी, तर्क, याद करने और/या सूचना को व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है यदि चीजों को खुद से निकालने या पारंपरिक तरीकों से पढ़ाया जाता है।

एक लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह एक आजीवन मुद्दा है। सही समर्थन और हस्तक्षेप के साथ, हालांकि, सीखने की अक्षमता वाले बच्चे स्कूल में सफल हो सकते हैं और अकसर जीवन में, प्रतिष्ठित करियर में सफल हो सकते हैं।

अभिभावक सीखने में अक्षम बच्चों को उनकी ताकत, उनकी कमजोरियों को जानने, शैक्षिक प्रणाली को समझने, पेशेवरों के साथ काम करने और विशिष्ट कठिनाइयों से निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में जानने के द्वारा ऐसी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन तब तक पढ़ नहीं सकते थे जब तक वह नौ साल के नहीं थे? वॉल्ट डिजनी, जनरल जॉर्ज पैटन और उपराष्ट्रपति नेल्सन रॉकफेलर को अपना सारा जीवन पढ़ने में परेशानी हुई। व्हूपी गोल्डबर्ग और चार्ल्स श्वाब और कई अन्य लोगों के पास सीखने की अक्षमता है जो उनकी अंतिम सफलता को प्रभावित नहीं करती है।

सीखने की अक्षमता के बारे में तथ्य

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, अमेरिकी आबादी के पंद्रह प्रतिशत या सात अमेरिकियों में से एक के पास कुछ प्रकार की सीखने की दिव्यांगता है।

बुनियादी पढ़ने और भाषा कौशल के साथ कठिनाई सबसे आम सीखने की अक्षमता है। सीखने की अक्षमता वाले 80 प्रतिशत छात्रों में पढ़ने की समस्या है।

सीखने की अक्षमता को अन्य अक्षमताओं जैसे कि आत्मकेंद्रित, बौद्धिक दिव्यांगता, बहरापन, अंधापन और व्यवहार संबंधी विकारों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। इन शर्तों में से कोई भी अक्षमता नहीं सीख रहा है। इसके अलावा, उन्हें शैक्षिक अवसरों की कमी जैसे स्कूलों के लगातार बदलाव या उपस्थिति समस्याओं के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। साथ ही, जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनके पास सीखने की अक्षमता नहीं है।

ध्यान विकार, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) और सीखने की अक्षमता अकसर एक ही समय में होती है, लेकिन दो विकार समान नहीं होते हैं।

सामान्य सीखने की अक्षमता

- **डिस्लेक्सिया (पढ़ने संबंधी विकार)** : डिस्लेक्सिया को भाषायी और सांकेतिक कोडों, भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया

जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषायी दक्षता को प्रभावित करता है यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है।

डिस्लेक्सिया के लक्षण– इसके निम्नलिखित लक्षण हैं–

1. वर्णमाला अधिगम में कठिनाई
2. अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई
3. एकाग्रता में कठिनाई
4. पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना
5. शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर–उधर कर पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान या शावक को शक पढ़ा जाना
6. वर्तनी दोष से पीड़ित होना
7. समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान पाना
8. शब्दकोष का अभाव
9. भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव तथा
10. क्षीण स्मरण शक्ति

उपचार– भारत में इसके उपचार के लिए अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार अंसभव है लेकिन इसको उचित शिक्षण–अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है।

• **डिसग्राफिया (लेखन संबंधी विकार)**: डिसग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, ख़राब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिवद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है।

डिसग्राफिया के लक्षण– इसके निम्नलिखित लक्षण हैं–

1. लिखते समय स्वयं से बातें करना।
2. अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना।
3. पठनीय होने पर भी कापी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना।
4. लेखन समग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना।
5. अपठनीय हस्तलेखन।
6. लाइनों का ऊपर–नीचे लिया जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना तथा।
7. अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना।

उपचार– डिस्ग्राफिया के उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करा कर इस विकार को दूर किया जा सकता है।

• **डिस्कैलकुलिया (गणितीय कौशल संबंधी विकार)**– यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है इसके अंतर्गत अंकों

संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिंद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है। इसका करण मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्यविरूपता को माना जाता है। कभी–कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण या कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिस्ग्राफिया उत्पन्न होता है।

डिस्कैलकुलिया के लक्षण– इसके निम्नलिखित लक्षण हैं–

1. नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई
2. अंकगणितीय संक्रियाओं के चिह्नों को समझने में कठिनाई
3. अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना
4. गिनने के लिए उँगलियों का प्रयोग
5. वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई
6. चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई
7. दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ
8. नकद अंतरण या भुगतान से डर
9. समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय–सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना।

डिस्कैलकुलिया का उपचार– उचित शिक्षण–अधिगम रणनीति अपनाकर, जैसे– जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण और फ्लैश काड्र्स और कम्प्यूटर गेम्स का प्रयोग कर डिस्कैलकुलिया को कम किया जा सकता है।

• **डिस्फैसिया (वाक् क्षमता संबंधी विकार)**– डिस्फैसिया का शाब्दिक अर्थ वाक् अक्षमता से है। यह एक भाषा एवं वाक् संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे व्याख्यान के समय विचार की अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति (ब्रेन डैमेज) को उत्तरदायी माना जाता है।

डिस्फैसिया एक भाषण विकार है जिसमें भाषण, लेखन, या संकेत द्वारा अभिव्यक्ति की शक्ति की हानि होती है, या बोली जाने वाली या लिखित भाषा की समझ की शक्ति की हानि होती है। डिस्फैसिया के अधिक गंभीर रूपों को एपेशिया कहा जाता है। डिस्फैसिया एक प्रकार का विकार है जहां किसी व्यक्ति को संचार के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्सों में किसी प्रकार की क्षति के कारण भाषा को बोलने में कठिनाई होती है।

लक्षणों के आधार पर अलग–अलग डिस्फैसिया की दो श्रेणियां हैं– ग्रहणशील डिस्फैसिया और अभिव्यंजक डिस्फैसिया।

1. **ग्रहणशील डिस्फैसिया** : रिसेप्टिव डिस्फैसिया वाले व्यक्ति को ज़ोर से पढ़ने में भी परेशानी हो सकती है, चाहे वह सामग्री स्वयं उनके द्वारा लिखी गई हो या किसी और ने लिखी हो, और वे जानकारी को जल्दी भूल सकते हैं।
2. **अभिव्यंजक डिस्फैसिया** : अभिव्यंजक डिस्फैसिया वाले व्यक्तियों को खुद को शब्दों में व्यक्त करने में परेशानी होती है। यदि वे बोल सकते हैं, तो उन्हें सही शब्द खोजने में परेशानी हो सकती है जिसका वे उपयोग करना चाहते हैं।

उसके विपरीत शब्द का उपयोग कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला शब्द हो सकता है, लेकिन उन्हें इसका बिलकुल भी एहसास नहीं होता है।

टिप्पणी

डिस्प्रेक्सिया (लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार)– यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। डिसप्रेक्सिया विकास संबंधी समन्वय में कमी से जुड़ा एक विकार है जो दिमागी संदेशों के समन्वय को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बच्चे सूक्ष्म मोटर गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करते हैं जैसे दांतों को ब्रश करने में, बटन लगाना, पैंसिल पकड़ना, कैंची चला पाना, बच्चों और वयस्कों से मिलना जुलना, स्कूल या घर में किए जाने वाले कामों के सिलसिले या क्रम को याद रखना और उन्हें पूरा कर पाना (स्कूल का बस्ता लगाना, होमवर्क पूरा करना, लंच बॉक्स रखना आदि), जूते के फीते बांधने में, चीज़ों को पकड़े रहने में, चीज़ों को इधर से उधर रखने या उन्हें व्यवस्थित करने में या ठीक से उठने बैठने या चलने फिरने में। डिसप्रेक्सिया आमतौर पर मस्तिष्क से जुड़े अन्य विकारों के साथ ही मौजूद पाया जाता है जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या एटेंशन डेफ़ेसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ए.डी.एच.डी)।

उपचार– डिसप्रेक्सिया के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन यह पाया गया है कि यह विकार उन तंत्रिकाओं की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है जो समन्वय के लिए मस्तिष्क से पेशियों तक संकेत भेजती हैं। किसी स्पीच थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ या बाल मनोचिकित्सक से भी समस्या को समझने के लिए संपर्क किया जा सकता है।

- **डिसऑर्थोग्राफिया (वर्तनी संबंधी विकार)**– यह एक अधिगम अक्षमता है। इसमें बालक की वर्तनी सम्बंधित विकार उत्पन्न हो जाता है। बालक बोलने में कठिनाई अनुभव करता है अर्थात बालक की वर्तनी अस्पष्ट होती है। इसे 'डिस्आर्थोग्राफिया' कहते हैं। वर्तनी संबंधी विकार में आमतौर पर वर्तनी के साथ व्याकरण के सही प्रयोग संबंधी कठिनाइयां आती हैं। इससे प्रभावित लोग भाषा संरचना और शब्दों में अक्षरों की अल्प स्मृति या जानकारी में कमजोर होते हैं। एक वर्तनी विकार में विद्यार्थी अक्सर पढ़ने या गणित में अल्प कौशल के रूप में प्रदर्शन करते हैं। ऐसी कठिनाइयों में शब्द रचना में चूक, मनमाने ढंग से गलत वर्तनी या प्रतिस्थापन स्वरों या अक्षरों का उत्क्रमण, अस्पष्ट लेखन अभिव्यक्ति, विकार और व्याकरण में त्रुटि आदि होती है।

'लर्निंग डिसएबिलिटीज' कई प्रकार के विकारों को संदर्भित करता है जो मौखिक और/या गैर–मौखिक जानकारी के अधिग्रहण, अवधारण, समझ, संगठन या उपयोग को प्रभावित करता है। ये विकार सीखने से संबंधित एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के परिणामस्वरूप होते हैं, अन्यथा सोचने और तर्क के लिए आवश्यक औसत क्षमताओं के साथ संयोजन में। सीखने की अक्षमताएँ वैश्विक हानि नहीं हैं और बौद्धिक अक्षमताओं से अलग हैं।

सीखने की अक्षमता निम्नलिखित महत्वपूर्ण कौशलों में से एक या अधिक के अधिग्रहण और उपयोग में हस्तक्षेप करती है–

- मौखिक भाषा (जैसे– सुनना, बोलना, समझना)
- पढ़ना (जैसे– डिकोडिंग, समझ)

- लिखित भाषा (जैसे– वर्तनी, लिखित अभिव्यक्ति)
- गणित (जैसे– संगणना, समस्या समाधान)

सीखने की अक्षमता संगठनात्मक कौशल, सामाजिक धारणा और सामाजिक संपर्क के साथ कठिनाइयों का कारण बन सकती है। दुर्बलताएं आम तौर पर जीवन भर होती हैं। हालाँकि, समय के साथ–साथ परिवेश की माँगों और व्यक्ति की विशेषताओं के बीच मिलान के आधार पर उनके प्रभावों को अलग तरह से व्यक्त किया जा सकता है। प्री–स्कूल के वर्षों के दौरान कुछ कमियाँ नोट की जा सकती हैं, जबकि अन्य बहुत बाद तक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। स्कूल के वर्षों के दौरान, सीखने की अक्षमता अप्रत्याशित रूप से कम शैक्षणिक उपलब्धि या उपलब्धि द्वारा सुझाई जाती है जो केवल उच्च स्तर के प्रयास और समर्थन से स्थायी होती है। सीखने की अक्षमता आनुवंशिक, अन्य जन्मजात और/या अधिग्रहीत न्यूरो–जैविक कारकों के कारण होती है। वे सांस्कृतिक या भाषा के अंतर, अपर्याप्त या अनुचित निर्देश, सामाजिक–आर्थिक स्थिति या प्रेरणा की कमी जैसे कारकों के कारण नहीं होते हैं, हालांकि इनमें से कोई भी और अन्य कारक सीखने की अक्षमता के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अकसर सीखने की अक्षमता अन्य स्थितियों के साथ सह–अस्तित्व में होती है, जिसमें शामिल हैं, चौकस, व्यावहारिक और भावनात्मक विकार, संवेदी हानि या अन्य चिकित्सा स्थितियां। सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों को घर, स्कूल, समुदाय और कार्यस्थल में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो उनकी व्यक्तिगत शक्तियों और जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें शामिल हैं–

- विशिष्ट कौशल निर्देश,
- प्रतिपूरक रणनीतियों का विकास,
- स्व–पक्ष समर्थन कौशल का विकास,
- उपयुक्त आवास।

सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करना

कई बच्चों को पढ़ने, लिखने या किसी बिंदु पर सीखने–संबंधी अन्य कार्य करने में परेशानी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास सीखने की अक्षमता है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे में अकसर कई संबंधित संकेत होते हैं और वे समय के साथ दूर नहीं होते हैं या बेहतर नहीं होते हैं। सीखने की अक्षमता के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं।

किसी व्यक्ति में सीखने की अक्षमता होने के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं–

- पढ़ने और/या लिखने में समस्याएँ
- गणित में समस्या
- कमजोर स्मृति
- समस्याओं पर ध्यान देना
- निर्देशों का पालन करने में परेशानी
- समय बताने में परेशानी
- एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित होना

सीखने की अक्षमता वाले बच्चे में निम्न में से एक या अधिक लक्षण हो सकते हैं–

- संभावित परिणामों (आवेग) के बारे में वास्तव में विचार किए बिना कार्य करना
- स्कूल या सामाजिक स्थितियों में 'भूमिका'
- ध्यान केंद्रित रहने में कठिनाई
- विचलित होना
- एक शब्द को सही ढंग से जोर से कहने या विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई
- छोटे बच्चे की तरह बोलना, छोटे, सरल वाक्यांशों का उपयोग करना, या वाक्यों में शब्दों को छोड़ना
- समय पर सुनने में कठिनाई होना
- स्थितियों में परिवर्तन से निपटने में समस्याएं
- शब्दों या अवधारणाओं को समझने में समस्याएं

ये संकेत अकेले यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि कोई व्यक्ति सीखने में अक्षम है। केवल एक पेशेवर ही सीखने की अक्षमता की पहचान कर सकता है।

प्रत्येक सीखने की दिव्यांगता के अपने संकेत हैं। एक विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्ति में उस दिव्यांगता के लक्षण नहीं भी हो सकते हैं।

1.10.1 सीखने में अक्षम बच्चों के लिए अनुकूलन और सहायक उपकरण

सीखने की क्षमता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कई बच्चों के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र अकसर अधिक सफलता का अनुभव करते हैं, जब उन्हें अपनी क्षमताओं (चुनौतियों) के इर्द–गिर्द काम करने की अनुमति दी जाती है। सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण इन दोनों प्रथाओं का सबसे अच्छा संयोजन करते हैं।

सीखने की अक्षमता के लिए सहायक तकनीक

लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सहायक तकनीक को किसी भी उपकरण या सिस्टम रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट सीखने की कमी के लिए कार्य करे, उसके आसपास काम करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद करता है। पिछले एक दशक में, कई अध्ययनों ने सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है।

सहायक तकनीक सीखने की कठिनाइयों को ठीक नहीं करती है या समाप्त नहीं करती है, लेकिन यह बच्चे को उसकी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकती है क्योंकि यह उसे उसकी ताकत और कठिनाई के क्षेत्रों को बायपास करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, लेकिन जिसके पास अच्छा सुनने का कौशल है, ऑडियो पुस्तकों को सुनने से लाभ उठा सकता है।

सामान्य तौर पर, सहायक प्रौद्योगिकी किसी छात्र के कौशल कमी या दिव्यांगता के क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए क्षतिपूर्ति करती है। हालांकि, सहायक तकनीक का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को कमी को कम करने के उद्देश्य से उपचारात्मक निर्देश प्राप्त नहीं किया जा सकता है (जैसे कि सॉफ्टवेयर खराब सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया)। एक छात्र रेमेडियल रीडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है और साथ ही ऑडियो बुक्स भी सुन सकता है। वास्तव में, अनुसंधान से पता चला है कि सहायक तकनीक कुछ कौशल कमियों (जैसे– पढ़ना और वर्तनी) में सुधार कर सकती है।

सहायक तकनीक एक बच्चे की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ा सकती है। स्कूल में संघर्ष करने वाले बच्चे अकसर असाइनमेंट की मदद के लिए माता–पिता, भाई–बहन, दोस्तों और शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। सहायक तकनीक का उपयोग करके, बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करने के साथ सफलता का अनुभव कर सकते हैं।

सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग व उपकरण

सहायक तकनीकी कई प्रकार की अधिगम कठिनाइयों का समाधान कर सकती है। जिस छात्र को लिखने में कठिनाई होती है, वह विद्यालय की रिपोर्ट को निर्धारित करके और उसे विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा पाठ में परिवर्तित कर सकता है। एक बच्चा जो गणित के साथ संघर्ष करता है वह एक दोस्त के साथ गेम खेलते समय स्कोर रखने के लिए हाथ से पकड़े कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता है। और डिस्लेक्सिया के साथ एक किशोर को सहायक तकनीकी से लाभ हो सकता है जो अपने नियोक्ता के ऑनलाइन प्रशिक्षण मैनुअल को जोर से पढ़ेगा। संघर्ष करने वाले छात्रों की सहायता के लिए सहायक तकनीकी उपकरण हैं–

सुनना

कुछ सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें भाषा को बोलने और याद रखने में कठिनाई होती है। ऐसे उपकरणों का उपयोग विभिन्न सेटिंग्स में किया जा सकता है (जैसे– एक कक्षा व्याख्यान, या कई वक्ताओं के साथ बैठक को रेकॉर्ड करके सुनना)।

गणित

गणित के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण ऐसे लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो गणित की समस्याओं को कंप्यूटिंग, व्यवस्थित करने, संरेखित करने और गणित की समस्याओं को कागज पर उतारने में मदद करते हैं। दृश्य और/या ऑडियो सामग्री की सहायता से, उपयोगकर्ता बुनियादी गणित समस्याओं को बेहतर ढंग से सेट और गणना कर सकते हैं।

संगठन और स्मृति

सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण एक व्यक्ति को अपने कैलेंडर, शेड्यूल, कार्य सूची, संपर्क जानकारी और विविध नोटों की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और रखने में मदद कर सकते हैं। ये उपकरण उसे विशेष सॉफ्टवेयर और हाथ से पकड़े गए उपकरणों की मदद से ऐसी जानकारी को प्रबंधित करने, संग्रहीत करने और पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

पढ़ना

पढ़ने की समस्या वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। जबकि प्रत्येक प्रकार का उपकरण थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, ये सभी उपकरण पाठ को भाषण के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। ये उपकरण डिकोडिंग, पढ़ने के प्रवाह और समझ की सुविधा प्रदान करते हैं।

लिखना

लेखन की समस्या वाले छात्रों की सहायता के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इनमें से कुछ उपकरण छात्रों को लेखन के वास्तविक शारीरिक कार्य को रोकने में मदद करते हैं, जबकि अन्य उचित वर्तनी, विराम चिह्न, व्याकरण, शब्द उपयोग और संगठन की सुविधा प्रदान करते हैं।

सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण

'सहायक तकनीक' शब्द आमतौर पर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू किया गया है। हालाँकि, कई सहायक तकनीकी उपकरण अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। सहायक तकनीकी उपकरण जो सीखने में अक्षम बच्चों का समर्थन करते हैं, उनमें शामिल हैं–

संक्षिप्तीकरण विस्तारक : शब्द संसाधन के साथ उपयोग किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोगकर्ता को अकसर उपयोग किए जाने वाले शब्दों या वाक्यांशों के लिए संक्षिप्त रूप बनाने, संग्रहीत करने और पुनः उपयोग करने की अनुमति देते हैं। यह उपयोगकर्ता कीस्ट्रोक्स को बचा सकता है और उन शब्दों और वाक्यांशों की सही वर्तनी सुनिश्चित कर सकता है जिन्हें उन्होंने संक्षिप्त रूप में कोडित किया है।

वैकल्पिक कीबोर्ड : इन प्रोग्रामेबल कीबोर्ड में विशेष ओवरले होते हैं जो मानक कीबोर्ड की उपस्थिति और कार्य को अनुकूलित करते हैं। जिन छात्रों के पास सीखने की अक्षमता है या टाइप करने में परेशानी है, वे अनुकूलन से लाभ उठा सकते हैं जो इनपुट विकल्पों को कम कर देता है, रंग/स्थान के आधार पर समूह कुंजियाँ बनाता है, और समझने में सहायता के लिए ग्राफिक्स जोड़ता है।

ऑडियो पुस्तकें और प्रकाशन : रिकॉर्ड की गई पुस्तकें उपयोगकर्ताओं को पाठ सुनने की अनुमति देती हैं और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑडियोकोड, सीडी और एमपी 3 डाउनलोड। विशेष प्लेबैक इकाइयां उपयोगकर्ताओं को पृष्ठों और अध्यायों को खोजने की अनुमति देती हैं। सदस्यता सेवाएं व्यापक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय संग्रह प्रदान करती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक गणित कार्य पत्रक : इलेक्ट्रॉनिक गणित वर्कशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर गणित की समस्याओं के माध्यम से उपयोगकर्ता को व्यवस्थित, संरेखित करने और काम करने में मदद कर सकते हैं। ऑनस्क्रीन दिखाई देने वाले नंबरों को स्पीच सिंथेसाइजर के जरिए भी पढ़ा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सहायक हो सकता है जिन्हें पेंसिल और पेपर के साथ गणित की समस्याओं को संरेखित करने में परेशानी होती है।

फ्री फॉर्म डेटाबेस सॉफ्टवेयर : वर्ड प्रोसेसिंग या अन्य सॉफ्टवेयर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, यह उपकरण उपयोगकर्ता को किसी भी लम्बाई

और किसी भी विषय की प्रासंगिक जानकारी 'नीचे' लिखकर इलेक्ट्रॉनिक नोट बनाने और संग्रहीत करने की अनुमति देता है। वह बाद में मूल नोट के किसी भी टुकड़े को टाइप करके जानकारी प्राप्त कर सकता है।

ग्राफिक आयोजक और रूपरेखा : ग्राफिक ऑर्गनाइजर और आउटलाइनिंग प्रोग्राम उन उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं, जिन्हें राइटिंग प्रोजेक्ट शुरू करने में जानकारी को व्यवस्थित और आउटलाइंग करने में परेशानी होती है। इस प्रकार का कार्यक्रम एक उपयोगकर्ता को असंरचित तरीके से 'डंप' जानकारी देता है और बाद में उसे उचित श्रेणियों और आदेश में जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है।

सूचना/डाटा प्रबंधक : इस प्रकार के उपकरण से व्यक्ति को अपने कैलेंडर, कार्य सूची, संपर्क डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्य जानकारी को व्यवस्थित करने, संग्रहीत करने और पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत डेटा मैनेजर पोर्टेबल, हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या 'साझाकरण' डेटा द्वारा एक साथ काम करने वाले उपकरणों का संयोजन हो सकता है।

ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान : यह तकनीक उपयोगकर्ता को मुद्रित सामग्री को कंप्यूटर या हैंडहेल्ड इकाई में स्कैन करने की अनुमति देती है। स्कैन किए गए पाठ को तब भाषण संश्लेषण/स्क्रीन रीडिंग सिस्टम के माध्यम से जोर से पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्टैंड–अलोन यूनिट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पोर्टेबल, पॉकेट–आकार के उपकरणों के रूप में उपलब्ध है।

व्यक्तिगत एफएम श्रवण प्रणाली : एक व्यक्तिगत एफएम श्रवण प्रणाली उपयोगकर्ता के कान में सीधे स्पीकर की आवाज प्रसारित करती है। यह सुनने वाले को बोलने वाले पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। यूनिट में स्पीकर द्वारा पहना जाने वाला वायरलेस ट्रांसमीटर (माइक्रोफोन के साथ) और श्रोता द्वारा पहना गया एक रिसीवर (ईयरफोन के साथ) होता है।

पोर्टेबल शब्द प्रोसेसर : एक पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर हल्का उपकरण है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान है (जैसे– कक्षा से घर तक)। यह उन बच्चों के लिए मददगार हो सकता है जिन्हें हाथ से लिखने में परेशानी हो सकती है और कीबोर्ड का उपयोग करना पसंद करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता को अपने लिखित कार्य को हाथ से करने की तुलना में अधिक कुशलता से संपादित करने और सही करने की अनुमति देता है।

प्रूफरीडिंग प्रोग्राम : जो छात्र लेखन (जैसे, वर्तनी, व्याकरण, विराम चिह्न, शब्द उपयोग और वाक्य संरचना) की समस्या का अनुभव करते हैं, वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (कई वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टमों में शामिल) से लाभ उठा सकते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेजों को स्कैन करते हैं और उपयोगकर्ता को संभावित त्रुटियों के लिए सचेत करते हैं।

भाषण–मान्यता कार्यक्रम : एक भाषण मान्यता कार्यक्रम एक शब्द प्रोसेसर के साथ संयोजन के रूप में काम करता है। उपयोगकर्ता माइक्रोफोन में 'डिक्टेट करता है', और उसके बोले गए शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देते हैं। यह एक ऐसे उपयोगकर्ता की मदद कर सकता है जिसकी मौखिक भाषा की क्षमता उसके लेखन कौशल से बेहतर है।

भाषण सिंथेसाइजर/स्क्रीन रीडर : ये सिस्टम कंप्यूटर स्क्रीन पर पाठ को प्रदर्शित और पढ़ सकते हैं, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए पाठ, मुद्रित पृष्ठों (जैसे– किताबें, पत्र) या इंटरनेट पर दिखाई देने वाले पाठ से स्कैन किया गया है।

बात करने वाले कैलकुलेटर : बात करने वाले कैलकुलेटर में एक अंतर्निहित स्पीच सिंथेसाइजर होता है जो उपयोगकर्ता के प्रत्येक नंबर, प्रतीक या ऑपरेशन कुंजी को पढ़ता हैय यह समस्या के उत्तर को भी मुखर करता है। यह श्रवण प्रतिक्रिया उसे उन कुंजियों की सटीकता की जांच करने में मदद कर सकती है जिन्हें वह दबाता है और उत्तर को सत्यापित करने से पहले उसे कागज पर स्थानांतरित करता है।

चर–गति टेप रिकार्डर : टेप रिकार्डर/प्लेयर उपयोगकर्ता को पहले से रिकॉर्ड किए गए पाठ को सुनने या बोली जाने वाली जानकारी (जैसे– एक कक्षा का व्याख्यान) को सुरक्षित करने और बाद में इसे वापस खेलने की अनुमति देते हैं। चर गति नियंत्रण टेप रिकार्डर 'स्पीकर' की आवाज को विकृत किए बिना प्लेबैक दर को तेज या धीमा कर देता है।

शब्द–भविष्यवाणी कार्यक्रम : वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर शब्द प्रसंस्करण के दौरान एक उपयोगकर्ता की मदद कर सकता है, 'भविष्यवाणी' द्वारा एक शब्द जिसे उपयोगकर्ता टाइप करना चाहता है। भविष्यवाणियां वर्तनी, वाक्य रचना और अकसर/हाल ही के उपयोग पर आधारित होती हैं। यह उन बच्चों को संकेत देता है जो कम कीस्ट्रोक्स के साथ उचित वर्तनी, व्याकरण और शब्द विकल्पों का उपयोग करने के लिए लेखन से संघर्ष करते हैं।

1.10.2 सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की विशेष आवश्यकताओं के प्रबंधन की रणनीतियाँ, पाठ्यचर्या अनुकूलन

सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विघटन होता है जो उन्हें अकादमिक विषयों को प्रभावी ढंग से सीखने से रोकते हैं। यह मुश्किलों को हल करने, सोचने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी और गणितीय गणना करने में कठिनाइयों के रूप में प्रकट होता है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले कुछ छात्र ध्यान की कमी की कुछ डिग्री को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कार्य को पूरा होने तक ध्यान देना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। कुछ धारणा और समझ में कठिनाई का प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ उनकी याददाश्त से सीखी गई बातों को याद करने में।

इसलिए–

- सुनिश्चित करें कि छात्रों ने एक कार्य करने से पहले निर्देश को समझ लिया है।
- एक छात्र को केवल इतना काम दें कि वह बड़ी कठिनाई के बिना प्रबंधन कर सके।
- हर बार बच्चे को 'कार्य पर' सकारात्मकता दें।
- सीट के काम के लिए शांत कोनों का उपयोग करें।

पढ़ने के कौशल

पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक द्वारा प्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से मौखिक जानकारी प्राप्त होती है। कुशलता से पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को भाषा के

प्रतीकात्मक स्वरूप की ध्वनि समझ की आवश्यकता होती है यानी शब्द, वाक्य और पैराग्राफ बनाने के लिए इसकी ध्वनि प्रणाली। पढ़ने में समस्याएँ एक खराब अवधारणात्मक परिपक्वता या खराब भाषा कौशल से उत्पन्न होती हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं–

- शिक्षार्थियों को विषय–वस्तु की एक पंक्ति प्रदान करना जो वे पढ़ने वाले हैं। इससे उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि उनके पढ़ने के लिए क्या महत्वपूर्ण है यानी महत्वपूर्ण बिंदु।
- सामग्री में मुख्य शब्दावली सिखाना उन्हें अधिक कठिन पठन सामग्री को समझने और स्कैन करने में सहायता कर सकता है। इन शब्दों को दृष्टि शब्द तकनीक का उपयोग करके सिखाया जा सकता है जैसे शब्द को संबंधित चित्र के साथ बाँधना।
- पीयर टेप रिकॉर्डेड अध्याय और पीयर ट्यूटर, अध्ययन और असाइनमेंट पूरा करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर सकते हैं।
- अच्छे अध्ययन और नोट लेने का कौशल सिखाना। सर्वेक्षण, प्रश्न, पढ़ना, सुनाना और दृष्टिकोण की समीक्षा करना। मूल रूप से शिक्षार्थियों को सामग्री का सर्वेक्षण करने के लिए सिखाया जाता है, मुख्य बिंदुओं का पता लगाना। फिर, मुख्य बिंदुओं को प्रश्न में बदलें जो उनकी समझ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वे तब तक पढ़ते हैं जब तक कि वे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बाद समीक्षा कर सकते हैं।
- कमजोर शिक्षार्थियों के लिए मेमोरी एड्स कौशल का महत्वपूर्ण समूह है। कुछ सहायक उपकरण जैसे काव्य डिवाइस, लिंकिंग तकनीक– मानसिक छवि बनाने के लिए शब्दों को जोड़ना और व्यायाम के माध्यम से स्थान तकनीक–दृष्टि से चलना।
- सीखने की अक्षमता वाले कई छात्र पठन में अपने घाटे के कारण सामग्री आधारित परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शिक्षक वैकल्पिक परियोजनाओं को विकसित करने में सहायता कर सकते हैं जो शिक्षार्थी के ज्ञान का आकलन करते हैं, फिर भी केवल पढ़ने की क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं।

पढ़ने के लिए विशिष्ट रणनीतियां

इन रणनीतियों में उन तरीकों का उपयोग शामिल है जो छात्र की बोली जाने वाली या लिखित भाषा और शब्द पहचान को सही करने में मदद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये विधियाँ कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के पढ़ने के स्तर को बढ़ाने के लिए हैं। कुछ सुधारात्मक रणनीति नीचे दी गई हैं–

ड्रिल कार्ड विधि : यह विधि बहु–संवेदी दृष्टिकोण का उपयोग करती है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से प्रत्येक अक्षर की ध्वनि सिखाई जाती है। एक ध्वनि वाले पत्रों को ड्रिल या फ्लैश कार्ड पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मुद्रित पत्र की एक पुस्तक भी छात्र को दिखाई जा सकती है। इससे छात्र को मुद्रित और लिखित शब्द के बीच तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। इस तकनीक में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है–

- केवल एक पत्र दिखाने वाला फ्लैश कार्ड छात्र को दिखाया जाता है।
- शिक्षक तब अक्षर द्वारा दर्शाई गई ध्वनि बनाता है।

- शिक्षक फिर छात्र के लिए पत्र लिखता है धीरे–धीरे, यह बताते हुए कि यह कैसे बनता है। छात्र पत्र का पता लगाता है और उसे कॉपी करता है। छात्र तब शिक्षक द्वारा लिखे गए पत्र या मुद्रित पत्र को देखे बिना पत्र सीखता है और लिखता है।
- छात्र द्वारा इस तरह से लगभग 10 अक्षरों को जानने के बाद, वह अब शब्दों को बनाने के लिए इन अक्षरों को संयोजित करने के लिए तैयार है।
- जब शिक्षक एक पत्र बोलता है, तो छात्र शब्द दोहराता है, पत्र का नाम देता है, पत्र लिखता है क्योंकि वह इसे बोलता है और उस शब्द को पढ़ता है जो उसने बनाया है।

संयुक्त मौखिक सीखने की विधि : पढ़ने की कठिनाइयों वाले छात्रों के साथ यह विधि बहुत प्रभावी है। इसका उद्देश्य छात्र को स्वचालित रूप से पढ़ने की प्राप्ति में मदद करना है। इस पद्धति में शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा तीव्र गति से संयुक्त मौखिक शिक्षण शामिल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक छात्र अपनी खुद की आवाज सुनने के साथ–साथ किसी और की आवाज को संयुक्त रूप से एक ही सामग्री को पढ़कर बेहतर सीख सकता है। इस पद्धति में, छात्र शिक्षक के सामने बैठता है ताकि पढ़ते समय शिक्षक की आवाज छात्र द्वारा सुनी जाए। इसके अलावा, छात्र यह भी देख सकता है कि शिक्षक पाठ को कैसे पढ़ता है। इस पद्धति के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है और छात्र और शिक्षक दोनों ही जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं।

इस विधि के चरण नीचे सूचीबद्ध हैं–

- शिक्षक पहले जोर से और सामान्य गति से पढ़ता है।
- छात्र गलतियों के बारे में चिंता किए बिना शिक्षक के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- शिक्षक तब शब्दों को खोजने के लिए उंगली को स्लाइड करता है जैसे वे पढ़ते हैं।
- जैसे ही छात्र गति बढ़ाता है, शिक्षक अपनी आवाज कम कर सकता है।
- छात्र शब्द पढ़े जाने के लिए अपनी उंगली का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार, छात्र धीरे–धीरे पढ़ना शुरू कर देता है।
- इन बच्चों के साथ चार्ट और चित्रों जैसे दृश्य एड्स का उपयोग मुख्य महत्व है।
- चित्र की सहायता से बच्चे को पढ़ना सिखाने का एक सीधा आगे का तरीका होगा–
    - o बोर्ड पर एक चित्र प्रोजेक्ट करें।
    - o चित्र में वस्तुओं को लेबल करें।
    - o बच्चे को शब्द पढ़ने के लिए कहें।
    - o बच्चे को चित्र के बारे में एक कहानी सुनाने के लिए कहा जा सकता है।
    - o छोटे समूह भी बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में, सभी बच्चे ऐसी गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं।

लेखन कला

पढ़ने की समस्या वाले बच्चों को लिखित रूप में समस्या हो सकती है। ये खराब विजुओ मोटर एकीकरण, खराब भाषा कौशल या वर्तनी की खराब स्मृति के कारण हो सकते हैं। यहां सुझाव ऐसी गतिविधियां हैं जो लेखन कौशल को बढ़ावा देती हैं। कुछ उदाहरणों में, रचनात्मक लेखन कौशल इन शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनने में मदद कर सकता है।

- कंप्यूटर दिव्यांग बच्चों को उनकी लिखित अभिव्यक्ति में सुधार करने में सीखने में काफी मदद कर सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज उन शिक्षार्थियों की सहायता कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से ही हाथ से लिखने, वर्तनी, विराम चिह्न और अन्य कौशलों में गंभीर कमी के कारण लेखन को बहुत कठिन पाया है।
- छात्रों को उन शब्दों की सूची प्रदान करना, जिनका उपयोग वे वाक्य बनाने के लिए कर सकते हैं, जो उन लोगों के लिए एक सार्थक अभ्यास हो सकते हैं जिनके पास पर्याप्त शब्दावली का अभाव है।
- उनके द्वारा समाप्त करने के लिए आवश्यक अधूरे वाक्यों के साथ छात्रों को प्रदान करना, मुख्य विचार की आपूर्ति करके उन्हें अपने विचारों को पूरा करने में मदद कर सकता है। प्रक्रिया धीरे–धीरे शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए शब्दों की संख्या को फीका करना होगा।
- उन छात्रों के लिए जिनके सामाजिक अनुभव सीमित हैं, एक कहानी के लिए विचारों को साझा करने के लिए समूहों का आयोजन सामग्री उत्पन्न करने के लिए एक उपयोगी तरीका हो सकता है। छात्रों की टीमें एक कहानी बनाने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं।
- पांडुलिपि लेखन को सिखाना आसान है, क्योंकि यह बहुत ही बहुमुखी है। पढ़ने के दौरान शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को सम्मिश्रित करने में कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए कर्सिव लेखन सबसे उपयुक्त होता है। सबसे अच्छा अभ्यास प्रत्येक छात्र के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक से मेल खाने के लिए हो सकता है।
- कर्सिव लेखन सिखाने के लिए व्यावसायिक रूप से निर्मित विधियाँ एक प्रभावी संरचित कार्यक्रम के साथ शिक्षक प्रदान कर सकती हैं।
- पढ़ना और वर्तनी इतनी बारीकी से संबंधित हैं कि उन्हें एक साथ जितना संभव हो उतना जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, छात्र अपनी रीडिंग में उन शब्दों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने वर्तनी और लिखना सीखा है।

लेखन के लिए विशिष्ट रणनीतियां

लेखन समस्याओं वाले छात्रों को कुछ विशेष तरीकों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो उनके लेखन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेखन समस्याओं वाले छात्रों के लिए कई उपचारात्मक तरीके तैयार किए गए हैं। लेकिन एक छात्र को लिखना सिखाने से पहले, यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन छात्रों ने अपनी तत्परता कौशल विकसित किया है। दूसरे शब्दों में, छात्र को कागज पर डॉट्स कनेक्ट करने

में सक्षम होना चाहिएय हाथ के आंदोलनों जैसे कि अप–डाउन, लेफ्ट–राइटय लंबवत और क्षैतिज रेखाएँ और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वृत्त और रेखा खींचना।

कवर–लिखें विधि

इस बहु–संवेदी विधि में निम्नलिखित चरण हैं–

- छात्र शब्द को देखता है और कहता है।
- छात्र तब इसे देखकर शब्द लिखता है, दो या तीन बार हो सकता है।
- छात्र शब्द को कवर करता है और इसे मेमोरी से लिखता है।
- वर्तनी स्वयं जाँचता है।

नकल करने की विधि

यह विधि गंभीर लेखन समस्याओं वाले छात्रों के लिए है। इस विधि के चरण इस प्रकार हैं–

- शिक्षक/अभिभावक सबसे पहले शब्द का उच्चारण करते हैं और शब्द का लिखित रूप प्रदान करते हैं।
- छात्र शब्द की वर्तनी और इसे लिखकर मॉडल की नकल करता है।
- प्रतिक्रिया सही होने पर छात्र तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया (प्रशंसा) प्राप्त करता है।
- यदि प्रतिक्रिया गलत है, तो छात्र को फिर से पढ़ाया जाता है और उपरोक्त दो चरणों को दोहराया जाता है।

गणित की रणनीतियां

सीखने की दिव्यांगता वाले कुछ बच्चों को गणित सीखने में समस्या होती है। गणित को करने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक सोच में कठिनाई के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, अवधारणात्मक या भाषा समझ में कमी, जैसे कि संख्याओं को सही ढंग से पढ़ना, उन्हें सही कॉलम में लिखना या सही संचालन करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इन्हें गणना में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कुछ बच्चों को समस्या को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जैसे कि कहानी में। इन्हें गणितीय तर्क में कठिनाई या गणितीय अनुप्रयोग में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कुछ सुझाए गए समाधान आपके द्वारा निर्दिष्ट समस्याओं की संख्या को कम करते हैं। उस विशिष्ट कठिनाई को पहचानें जिसे छात्र ने संबोधित किया है।

- रंग कोड उन छात्रों के लिए प्रसंस्करण संकेतों को उजागर करने के लिए जो एक पृष्ठ पर परिचालन संकेतों में परिवर्तन के लिए असावधान हैं।
- रंग छात्रों को (यूनिट) कॉलम को डॉट्स करता है ताकि छात्रों को यह याद दिलाया जा सके कि कम्प्यूटेशन कहां शुरू करना है।

अपनी प्रगति जांचिए

17. सीखने की दिव्यांगता कैसा विकार है?

    (क) सामान्य (ख) असामान्य

    (ग) न्यूरोलॉजिकल (घ) दैवीय

18. सीखने की अक्षमता वाले कितने प्रतिशत छात्रों में पढ़ने की समस्या है?

    (क) 50 प्रतिशत (ख) 60 प्रतिशत

    (ग) 70 प्रतिशत (घ) 80 प्रतिशत

1.11 बहु दिव्यांगता

शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगता वाले बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता होती है। इन्हें बहु दिव्यांग या एकाधिक दिव्यांग बालक कहते हैं

बहु दिव्यांग बच्चों में एक से अधिक दिव्यांगता का संयोजन होता है, जैसे कि बौद्धिक दिव्यांगता, गतिशीलता के मुद्दे, दृश्य या श्रवण की कमी, भाषा में देरी, मस्तिष्क की चोट, और बहुत कुछ। शब्द ष्बहु दिव्यांगष यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किसी छात्र की संभावित अक्षमता कितनी हैं और न ही यह निर्दिष्ट करता है कि वे अक्षमता कितनी गंभीर हैं। व्यक्ति विशेष में ये भिन्नताएं भिन्न–भिन्न होती हैं।

बहु दिव्यांग दो या अधिक अक्षम स्थितियों के संयोजन का उल्लेख करते हैं, जो बच्चे के संचार, गतिशीलता और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के प्रदर्शन पर संयुक्त प्रभाव डालते हैं। इसमें बधिर अंधापन, श्रवण हानि, अंधापन और बौद्धिक अक्षमता जैसे दिव्यांगों का संयोजन हो सकता है – संक्षेप में, दिव्यांगों का एक संयोजन। बहु दिव्यांगता वाला हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसमें अक्षमता का विविध संयोजन हो सकता है।

बहु दिव्यांगता के कुछ उदाहरण हैं बहरा और अंधा बालक, प्रमस्तिकीय पक्षाघात और मेरुदंड या वक्र से पीड़ित बालक, गूंगा–बहरा–अंधा बालक, मिर्गी और अपंगता से पीड़ित बालक, बहरा एक आंख वाला, हाथ कटा वाक दोष से पीड़ित बालक आदि।

कुछ ऐसे पहलू हैं जो ऐसे बच्चों में दिखाई देते हैं–

- यह बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है।
- दूसरों के साथ सम्प्रेषण गंभीर रूप से प्रभावित होता है।
- पर्यावरण के साथ समायोजन के अवसर बहुत सीमित हो जाते हैं।
- दिन भर की गतिविधियों जैसे शर्ट पहनना, दरवाजा खोलना, बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ़ना आदि में नियमित रूप से मदद की आवश्यकता होती है।
- एक उच्च संरचित शैक्षिक/पुनर्वास कार्यक्रम उनके प्रशिक्षण में मदद कर सकता है।

टिप्पणी

बहु दिव्यांगता के प्रकार

बहु दिव्यांगता से ग्रसित बालक कई के प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

- श्रवणबाधित बालक : भाषा बाधिक तथा वाणी बाधित भी होते हैं।
- दृष्टिबाधित बालक : मानसिक मंदित तथा भावनात्मक रूप से भी बाधित होते हैं।
- मानसिक मंदित बालक : अधिगम में असमर्थ भी होते हैं।
- अस्थि बाधित बालक : शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से बाधित होते हैं।
- संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक : सामाजिक रूप से असमायोजित भी होते हैं।
- बहु विकारों से बाधित बालक : ये बालक अनेक बाधिताओं से ग्रसित होते हैं।
- प्रतिभाशाली बालक : ऐसे बालकों में सृजनात्मक बाधिता भी आ जाती है।
- रचनात्मक कार्यों में निपुण बालक : प्रतिभाशाली भी होते हैं।

1.11.1 बहु दिव्यांगता के कारण

बहु दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों में इस अक्षमता के उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चों में इसके कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे की दिव्यांगता जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है। इस श्रेणी के बालकों में बहु दिव्यांगता के अन्य कारणों में शामिल हो सकते हैं—

- गुणसूत्र असामान्यताएं
- समय से पहले जन्म
- जन्म के बाद कठिनाइयाँ
- मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का खराब विकास
- आनुवंशिक विकार
- दुर्घटनाओं से चोट
- गंभीर रोग से ग्रसित

कारण जो भी हो, परिणाम यह है कि बच्चे की कई अक्षमताएं हैं। सौभाग्य से, इनके लिए सहायता उपलब्ध है।

बहु दिव्यांगता के प्रभाव

बहु दिव्यांगता के प्रभाव शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक होते हैं। ज्यादातर माता–पिता बहु दिव्यांग बच्चे को बोझ मानकर अपने पापों के प्रतिफल के रूप में मानते हैं। इस कुंठा को माता–पिता बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करके भी व्यक्त करते हैं। दिव्यांगता के कारण स्वाभाविक हैं कि बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एक बहरा, गूंगा, अंधा बच्चा न तो सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है और न ही अपने विचारों को संप्रेषित कर पाता है। सूचना के अभाव में उसका ज्ञानात्मक संसार कितना अंधकारमय होगा यह स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और गूंगापन एक बहु दिव्यांग बच्चे को ज्ञान के संसार में प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार सामाजिक व मानसिक विकास न हो पाने के कारण अनेकानेक संवेगात्मक समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, शांत

रहने लगता है, बढ़ती उम्र के साथ वह अधिक अशांत हो जाता है, फलस्वरुप एक सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से विकार युक्त और अविकसित बालक वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, जिसका वह अधिकारी है। अतः शैक्षिक रूप से या तो शून्य हो जाता है अथवा अत्यंत पिछड़ा हुआ।

एक बहु दिव्यांग बालक जो दो या दो से अधिक प्रकार की इंद्रिय अपंगता पीड़ित है। वह सबसे अधिक शैक्षिक समस्या का शिकार होता है

बहु दिव्यांग बच्चों की पहचान

बहु दिव्यांग बच्चों की पहचान वैसे तो एक समय के बाद माता–पिता द्वारा कर ली जाती है। परंतु कुछ मामलों में ऐसे बालकों की समस्यों का पता विद्यालयों या चिकित्सकों के संपर्क में आने से लगता है। ऐसे बच्चों में मौजूद निम्नांकित विशेषताओं द्वारा उनके बहु दिव्यांग होने का अंदाजा लगाया जा सकता है–

बहु दिव्यांग बच्चों के लक्षण या विशेषताएं

- अल्पकालिक/दीर्घकालिक स्मृति
- समस्या समाधान में असमर्थता
- प्रतिक्रियाओं को सुलझाने/व्यवस्थित करने में असमर्थता
- सम्प्रेषण कौशल प्रभावित होता है
- भाषण में प्रतिस्थापन, चूक की विशेषता हो सकती है
- उच्च स्तर की सोच और समझ के कौशल को खो देता है
- गुस्सा आना
- अमूर्त सोच में परेशानी
- एडीएल/सेल्फ केयर स्किल में समस्याएं
- गतिशीलता में कठिनाई
- सीखने में पिछड़ापन (शिक्षा प्रभावित होती है)
- लोगों के साथ सीमित बातचीत
- आमतौर पर दूसरों पर निर्भर होते हैं
- समाज से हटने की प्रवृत्ति
- जबरन या अप्रत्याशित परिवर्तनों से भयभीत, क्रोधित और परेशान हो सकते हैं
- आत्म–अनुचित व्यवहार को अंजाम दे सकते हैं
- अपरिपक्व व्यवहार उन्हें उम्र के बराबर प्रदर्शित नहीं करता है
- दिखावटी आवेगपूर्ण व्यवहार
- गंभीर दिव्यांगता के साथ चिकित्सा समस्याएं हो सकती हैं (दौरे, संवेदी हानि आदि)
- शारीरिक रूप से अनाड़ी और अजीब
- शारीरिक–कौशल से जुड़े खेलों में भाग लेने में कठिनाई

- सीखे गए कौशल को भूल जाना
- एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कौशल को सामान्य बनाने में परेशानी
- समस्या को सुलझाने के कौशल में कमजोर
- ध्वनि की दिशा जानने में कठिनाई हो सकती है
- वस्तुओं और उनके संबंधों के बारे में सीखने में कठिनाई

1.11.2 बहु दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

प्रभावी शिक्षण एक बच्चे को उसके आसपास की दुनिया में यथासंभव स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई दिव्यांग बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम व्यक्तिगत पर्याप्तता, सामाजिक योग्यता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बच्चे को सक्षम करने के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, उसके जीवन को आसान और स्वस्थ बनाता है।

संचार, समस्या समाधान, अन्वेषण और स्वतंत्र गतिशीलता के लिए विकल्प देना शिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र हैं। बच्चे और उसके माता–पिता या अन्य देखभाल करने वालों के बीच परस्पर संपर्क महत्वपूर्ण है। यह उसके लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद दुनिया बनाने में मदद करेगा। पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण बच्चे के सीखने के माहौल के लिए बहुत आवश्यक हैं। वांछनीय व्यवहार और प्रशंसा करना बहु दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है।

बहु दिव्यांग बालकों को शिक्षित करना एक जटिल कार्य है तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। विश्व प्रसिद्ध हेलेन केलर श्रवण, दृष्टि, वचन और सांवेगिक रूप से अपंग थी। परंतु माता–पिता के प्रयास तथा अपने आत्म बल से वह अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त करने में सफल रही और उसने एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया।

बहु दिव्यांग बालक समान्यतरू ऐसे दोषों से पीड़ित होते हैं, जो उनको साधारण दशाओं में अपनी मांसपेशियां, हड्डी या जोड़ का अभ्यास करने में समस्या का अनुभव करवाते हैं। ये बालक या जन्मजात ही दोष युक्त होते हैं या दुर्घटनाओं के कारण या किसी बीमारी के प्रभाव से दोष युक्त हो जाते हैं।

इनकी मानसिक योग्यता तो साधारण या तीव्र होती है। ये दूसरों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं परंतु जब किसी से बात करते हैं तो शारीरिक कमी के कारण इनमें हीन भावना आ जाती है। इस प्रकार बहु दिव्यांग बालक को शिक्षा के साथ–साथ समायोजन का भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए–

1. शारीरिक अक्षमता वाले बालकों को, जो साधारण बुद्धि होते हैं, उन्हें मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहिए।
2. शिक्षा द्वारा उनके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वे अपनी हीन भावना को कम कर सकें और उपयुक्त से उपयुक्त व्यवहार को विकसित कर सके।

3. उनकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में विशेष प्रकार के भौतिक संसाधन होने चाहिए, जिससे वे बिना किसी बाधा के पढ़ने और लिखने का कार्य कर सकें।
4. ऐसे बालकों के लिए अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था हो। अलग कक्ष होने से ऐसे बालकों को शारीरिक विकास की सुविधा मिल सकती है, किंतु उनका सामाजिक विकास उचित रूप से न हो सकेगा।
5. बहु दिव्यांग बालकों को हमें ऐसी व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो उनकी शारीरिक अक्षमता में बाधा न बनते हुए उन्हें आय प्राप्ति में सहायक हो सके और जिसे वे आसानी से कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें।

पृथकीकरण

बहु दिव्यांग बालक को सामान्य कक्षा में बैठाकर पढ़ाना असंभव सा है। अध्यापक ऐसे बालकों की ओर व्यक्तिगत ध्यान इसलिए नहीं दे पाते है, क्योंकि उन्हें कक्षा के अन्य बालकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य शिक्षण करवाना होता है। बहु दिव्यांग बालक भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित होते हैं अतः उन्हें विशेष और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें सामान्य कक्षा में न बैठाकर उनके लिए विशेष कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां वे अपनी आवश्यकतानुसार विशेष साधनों, अध्यापकों और मनोवैज्ञानिक की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करें। परंतु यदि दिव्यांगता गंभीर है और बालक दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता का शिकार है तो उसके लिए विशेष विद्यालयों का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि जिन अनेक उपकरणों, विशेषज्ञ, चिकित्सा सुविधाओं और मनो चिकित्सकों की आवश्यकता ऐसे बालकों को होती है। वे प्रत्येक सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। इनके लिए विशेष विद्यालय में बालकों को यदि पूर्णकालिक रहने की सुविधा दी जाए तो वह बालक के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभप्रद होगा क्योंकि बालक विशेषज्ञों की देखरेख में रहेगा और विशेष उपकरणों की सुविधा प्राप्त कर सकेगा।

शैक्षिक सुविधाएं

बहु दिव्यांग छात्रों को अपने पूरे सीखने के माहौल में अद्वितीय निर्देश, अनुकूलन और संशोधनों की आवश्यकता होती है। इन छात्रों के लिए एक कार्यात्मक पाठ्यक्रम में भाग लेना महत्वपूर्ण है जो उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है जो छात्र को यथासंभव स्वतंत्र और सक्रिय होने में मदद करते हैं। निर्देश को छात्र की वर्तमान और भविष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि अनुदेश का ध्यान यथार्थवादी है और छात्र को उन कौशलों को प्रदान करना है जो उसे या उसकी दुनिया के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने में मदद करेंगे। पर्यावरण की स्थापना करते समय, उन्हें संवेदी क्षेत्रों के साथ प्रदान करना आवश्यक है जो उनकी अद्वितीय दृश्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये क्षेत्र सुलभ और उपलब्ध होने चाहिए जहां वे हैं। यदि छात्र अपनी व्हीलचेयर या पोजिशनिंग उपकरण में समय बिताते हैं, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए उन क्षेत्रों में गतिविधियां होनी चाहिए।

कार्यात्मक कौशल

जो छात्र अंधे या नेत्रहीन हैं, उन्हें पाठ्यक्रम के अनुकूलन की आवश्यकता होती है जो उनकी अद्वितीय सीखने की जरूरतों को संबोधित करते हैं, लेकिन यह बहु दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रूप से सच है।

व्यक्तिगत कार्यक्रम

ऐसे बच्चों के लिए एक व्यक्तिगत कार्यक्रम की सूची तैयार की जानी चाहिए, जिसके अनुसार वह अपने सम्पूर्ण दिन के कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए समय प्रबंधन कौशल को विकसित करने में सक्षम होगा।

शिक्षक निर्मित सामग्री

शिक्षक द्वारा निर्मित दृश्य सहायक सामग्री इन विद्यार्थियों को सीखने में मदद कर सकती है। दृश्य या श्रव्य सामग्री ऐसे बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है।

बहु दिव्यांग बालक को कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक अपंग बालक अथवा ऐसे दिव्यांग बालक जो केवल एक प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित होता है, को दी गई सुविधा में बहु दिव्यांग बालक हेतु रूपांतर और सुधार अथवा परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे– एक श्रवण क्षति युक्त बालक को शिक्षित करने के लिए चमकीली रोशनी का प्रयोग किया जाता है। परंतु ऐसे बालक के लिए जो श्रवण क्षतियुक्त है और साथ ही अंधा भी है। उसके लिए चमकीली रोशनी कोई अर्थ नहीं रखती है। इस प्रकार रंग द्वारा गूंगे और बहरे बालकों को पढ़ाया जा सकता है परंतु बहरे–अंधे बालक को नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुविधाएं हम एक ऐसे बालक को देते हैं जो अंधा है और जो सुविधाएं हम एक ऐसे बालक को देते हैं जो बहरा है, उसका समुच्चय उस बहु दिव्यांग बालक को दिया जा सकता है, जो अंधा–बहरा दोनों है। बहु दिव्यांग बालक हेतु उसकी दिव्यांगता के विभिन्न संस्थाओं के अनुसार शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके लिए प्रत्येक संभावित संख्या के अनुसार शैक्षिक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए।

कुछ जैव चिकित्सकीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने अभिनव साधनों की रचना की है जिनकी सहायता से कुछ बहु दिव्यांग बालक गति कर सकते हैं और अपने को संचालित कर सकते हैं

एक स्नायु शारीरिक वैज्ञानिक, विद्युत इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो–

- गंभीर रूप से पीड़ित बहु दिव्यांग बालक को सिर संतुलन में सहायता करते हैं।
- मांसपेशियों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं।
- श्रवण उत्तेजकों को संचार हेतु दृश्य चित्रों में परिवर्तित कर देते हैं।

इस प्रकार यह प्रोग्राम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघाती, अंधे, गूंगे, बहरे आदि गंभीर रूप से बहु दिव्यांग बालकों के लिए एक वरदान है। भारतवर्ष में भी ऐसे प्रोग्राम विकसित किए जाने चाहिए और पृथक बहु दिव्यांग विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए इस प्रकार उचित शैक्षिक सुविधाएं बहु दिव्यांग बालक की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण सोपान है।

शिक्षण टीचिंग

सभी बहु दिव्यांग बालकों के लिए एक से शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक बालक में दिव्यांगता का अनोखा संचय होता है। अतः शिक्षण व्यवसाय भी प्रत्येक भिन्न प्रकार के समय के अनुसार भिन्न होगा। सर्वप्रथम बहु दिव्यांगता के

अनुसार उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए जो बहु दिव्यांग बालकों में प्रत्येक के लिए भिन्न होंगे। प्रायः बहु दिव्यांग बालकों को शिक्षित करने के दो उद्देश्य होते हैं–

गामक क्रियाएँ सिखाना : जिन गामक क्रियाओं का शिक्षण किया जाना है, वे हैंरू बैठना, खड़े होना, खाना खाना चलना, खेलना, शौच आदि करना।

इन सभी क्रियाओं में धनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए इस प्रकार बहु दिव्यांगों के शिक्षण का प्रथम अध्याय उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्य करने योग्य बनाता है और स्व सहायता करने की कला सिखाता है।

बौद्धिक कार्य सिखाना : बौद्धिक कार्य सिखाने हेतु संपूर्ण तैयारी और कार्य विश्लेषण की आवश्यकता होती है। संगीत और कला मुख्यतः निम्न लिखित रूप से सहायक सिद्ध होते हैं– 1. गति शिक्षण 2. संबोध शिक्षण 3. सामंजस्य शिक्षण 4. विश्राम शिक्षण।

शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन

बहु दिव्यांग बालक की शिक्षा के अंतर्गत उसे शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। अतः ऐसे बालकों को समय–समय पर निर्देशित किया जाना चाहिए। कुछ बहु दिव्यांग बालक छोटे–मोटे कार्य और वस्तुएं रखना, उठाना, दरवाजा खोलना, बंद करना, कागज मोड़ना आदि कर सकते हैं। अतः फैक्ट्री मालिकों से सहयोग कर ऐसे बालकों को उनकी क्षमता अनुसार इन कौशलों की शिक्षा दी जानी चाहिए।

इस प्रकार बहु दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा उपलब्ध करवाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। सरकार द्वारा विशेष सुविधाओं, विशेषज्ञों और निर्देशन सेवाओं का प्रबंध कर बहु दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। साथ ही समाज द्वारा बहु दिव्यांगों के साथ उचित व्यवहार की अत्यंत आवश्यकता है, जो ऐसे बालकों पर मनौवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इनकी शिक्षा के विशेष प्रबंध के साथ–साथ विद्यालय के वातावरण को इनकी जरूरतों के अनुकूल बनाया जाना तथा शिक्षकों का प्रेमपूर्वक व्यवहार व प्रोत्साहन इनकी शिक्षा व जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अपनी प्रगति जांचिए

19. जिन बालकों में कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता होती है, उन्हें क्या कहते हैं?

    (क) बहु दिव्यांग (ख) अपंग

    (ग) चक्षुहीन (घ) साइको

20. क्या करना बहु दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है?

    (क) आलोचना (ख) बहस

    (ग) निंदा (घ) प्रशंसा

1.12 स्वलीनता

स्वलीनता (Autism) एक जटिल स्थिति है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं शामिल हैं। इसमें लक्षणों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। स्वलीनता एक छोटी समस्या या दिव्यांगता हो सकती है जिसे एक विशेष परिवेश में पूर्णकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।

स्वलीनता से पीड़ित लोगों को संचार में परेशानी होती है। उन्हें यह समझने में परेशानी होती है कि दूसरे लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं। इससे उनके लिए खुद को अभिव्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, या तो शब्दों के साथ या हावभाव, चेहरे के भाव और स्पर्श के माध्यम से।

स्वलीनता से पीड़ित लोगों को सीखने में समस्या हो सकती है। उनके कौशल असमान रूप से विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें संवाद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन कला, संगीत, गणित या स्मृति में असामान्य रूप से अच्छे हो सकते हैं। इस वजह से वे विशेष रूप से विश्लेषण या समस्या–समाधान के परीक्षणों में अच्छा कर सकते हैं।

यह ऐसी विकृतियों का समूह है जिसमें विकास के एक या एक से अधिक क्षेत्र जैसे– भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र प्रभावित होते हैं तथा इसकी शुरुआत जीवन के प्रारंभिक वर्षों से होती है। स्वलीनता एक ऐसी विकृति है जिससे पीड़ित व्यक्ति में दूसरे से संबंध स्थापित करने में कमी, भाषा कौशल में असमानता तथा सीमित एवं पुनरावृति व्यवहार प्रतिरूप के लक्षण दिखाई देते हैं।

स्वलीनता का अर्थ

स्वलीनता शब्द ग्रीक भाषा के 'आट्स' शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है– 'स्वयं में लीन रहना'। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1911 में मानसिक विकृति सिजोफ्रीनिया के रोगियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों में उपस्थित कमी के लक्षण को संबोधित करने के लिए किया गया। परंतु वर्तमान समय में इस शब्द का उपयोग बच्चों में पाए जाने वाली व्यापक विकासात्मक विकृति के लिए किया जाता है। ऐडिसन भी एक 'आटिज्म' बालक ही थे।

परिभाषा

अमेरिकन दिव्यांगता अधिनियम 1990 के अनुसार, स्वलीनता एक विकासात्मक क्षमता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक–अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतर्क्रिया को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष की उम्र के पूर्व शुरू होती है और बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है। प्रायः इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे– एक ही क्रिया को बार–बार दोहराना, पुनरावृति, अनावश्यक अनुक्रिया एवं संवेदी अनुभूतियां इत्यादि। क्योंकि इस प्रकार के बच्चों में गंभीर रूप से भावनात्मक कमी होती है, इसलिए बच्चे का शैक्षिक निष्पादन विपरीत होता है।

स्वलीनता (Autism) के तीन प्रकार होते हैं–

शिशु के जन्म के समय ऑटिज्म विकार का पता लग पाना मुमकिन नहीं होता लेकिन जैसे–जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, इस विकार के लक्षण साफ होने लगते हैं। ऑटिज्म विकार तीन तरह का होता है–

अल्प (Mild) : इस विकार को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे आमतौर पर देरी से बोल–चाल शुरू करते हैं। उनका व्यवहार असामान्य होता है और उन्हें बौद्धिक समस्याएं भी होती हैं

गंभीर (Moderate)– इस विकार को एस्पर्जर सिन्ड्रोम कहते हैं। इससे पीड़ित बच्चों में आमतौर पर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के भी कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे बच्चों की रुचियां व व्यवहार असामान्य हो सकता है पर आमतौर पर इस केस में पीड़ित को भाषा या बौद्धिक समस्याएं नहीं होतीं।

अति गंभीर (Severe)– इस विकार को परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। जिन बच्चों में उपर्युक्त दोनों विकार होते हैं, वह परवेसिव डेवलपमेंटल विकार से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे मामलों में केवल सामाजिक और बोल–चाल संबंधी परेशानियां आती हैं।

1.12.1 स्वलीनता के कारण

अनेक शोध अध्ययनों के उपरांत अभी तक स्वलीनता के स्पष्ट और निश्चित कारणों का पता नहीं चला है। समान्यतया उन अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित कारणों को इस विकृति की उन्नति में योगदान देने वाला माना गया है–

वंशानुक्रम स्थिति

जुड़वा युग्मज अध्ययन विधि तथा परिवार अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े एवं परिणाम इस मत का समर्थन करते हैं कि इस विकृति की उत्पत्ति में अनुवांशिकता का योगदान है। अध्ययनों के अनुसार पाया गया है कि इस विकृति के होने की संभावना उस परिवार के बच्चों में अधिक होती है, जिसके परिवार में इसका इतिहास देखने को मिला है। इस विकृति की दर समजातीय युग्मज में विषमजातीय युग्मज की अपेक्षा अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 2 प्रतिशत स्वालीन बच्चों के भाई बहनों में यह है विकृति देखने को मिलती है जो सामान्य जनसंख्या से 50 से 100 गुना अधिक है।

मस्तिष्कीय संरचना में दोष

अध्ययनों के अनुसार यह पाया गया है कि ऐसे बच्चों की मस्तिष्क की संरचना में दोष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन चरणों में दोष के कारण ऐसे बच्चों के व्यवहार संवेग एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं में यह कमी सामान्यतया पाई जाती है।

विषाणु का संक्रमण

यदि जन्म के समय बच्चा स्वयं साइटोमेगालोवायरस हरपीस इंसेफलाइटिस इत्यादि से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे बच्चों में मानसिक मंदता तथा स्वलीनता के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है।

मानसिक मंदता से संबंधित कारक

यह विकृति मुख्यतः मानसिक मंदता से जुड़ी होती है। अतः विद्वानों का यह मानना है कि मानसिक मंदता से जुड़े कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों में स्वलीनता को उत्पन्न करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से गुणसूत्र संबंधी विकृतियां हैं, जो मानसिक मंदता तथा स्वलीनता के विकास में सहायक होती है। फिगर एवं सहयोगियों 1986 के अनुसार 10 से 20 प्रतिशत स्वलीन बच्चों में गुणसूत्रीय विकृतियाँ पाई जाती हैं।

मस्तिष्क की चोट

अधिकांश अध्ययन इस मत का समर्थन करते हैं कि जन्म के पूर्व या जन्म के समय मस्तिष्कीय चोट इसका एक प्रमुख कारण है। कुछ मामलों में प्रारम्भिक एक या दो वर्षों में मस्तिष्क की चोट भी इसका कारण बन सकती है।

इसके अलावा गर्भावस्था के समय माँ को कोई बीमारी होना, जरुरी टीकाकरण न होना, मानसिक रूप से बीमार होना, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास न होना भी स्वलीनता के कारण बन सकते हैं।

यह बात विस्तृत रूप से उभर कर आई है कि ऐसे कारण जैसे– माता शिशु के संबंध या शिक्षा स्वलीनता के कारण नहीं है। स्वलीनता के सही कारकों की जानकारी के अभाव में अधिकतर पीढ़ियों में माताएं अनुसूचित रूप से दोषी ठहरा दी जाती रही हैं। उन्हें गंभीर अक्षमता ग्रस्त बच्चे के दायित्वों का निर्वहन करते हुए दोषी ठहराया जाता है। अनेक शोधों के द्वारा उन्नीस सौ साठ से सत्तर के दशक में स्वलीनता की जैविक उत्पत्ति के कारण का पता चला, जिसका नैदानिक अध्ययन बर्नार्ड रिमलैंड ने 1964 में किया।

स्वलीनता की पहचान एवं विशेषताएं

स्वलनीता की पहचान और विशेषताओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है–

व्यवहारात्मक विशेषताएं : सामाजिक संबंधों में गुणात्मक कमी स्वलीनता का एक प्रमुख लक्षण है। ऐसे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ संज्ञानात्मक संबंध स्थापित कर सकने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चों में सामाजिक मुस्कान का अभाव पाया जाता है। ऐसे बच्चे प्रायः बातचीत करते वक्त या अंतरूक्रिया करते समय आंख से आंख मिलाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल जाने की उम्र आने पर दोस्त बना सकने में अथवा संबंधों को जोड़ने में असमर्थ होते हैं। इनकी दोस्तों की संख्या न करने के बराबर होती है। इनमें परानुभूति के गुणों का अभाव पाया जाता है।

भाषा संबंधी विकृति : ऐसे बच्चों की भाषा में काफी क्षति और असामान्यता दिखाई देती है। ऐसे बच्चों में भाषा का विकास भी होता है तो इन्हें बातचीत को शुरू करने उसे बनाए रखने और उसे अंत करने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है।

पुनरावृति व्यवहार : ऐसे बच्चों की व्यावहारिक इच्छा एवं प्रेरक में पुनरावृति के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये बच्चे अधिकतर निर्जीव खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत से पेशीय पुनरावृति व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे परिवर्तन के विरोध में काफी दृढ़ होते हैं।अतः यदि इनके दैनिक जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन लाया जाए तो इन्हें बहुत परेशानी होती है।

संवेगात्मक आस्थिरता : कुछ स्वलीन बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता भी लक्षण देखने को मिलते हैं।

अन्य लक्षण : ऐसे बच्चों में अति चंचलता, आक्रामकता, आत्मघाती तथा निम्न बौद्धिक क्षमता के लक्षण भी पाए जाते हैं।

1.12.2 स्वलीनता से ग्रसित बालकों के लिए सहायक तकनीकें

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता अधिनियम, 1988 में एक सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण के रूप में वर्णित है– "किसी भी वस्तु, उपकरण, या उत्पाद प्रणाली, चाहे वह व्यावसायिक रूप से, संशोधित या अनुकूलित हो, जिसे बढ़ाने, बनाए रखने, या करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार।"

सहायक प्रौद्योगिकियां 'उच्च तकनीक' और 'निम्न तकनीक' हो सकती हैं– कैन और लीवर से लेकर वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और संवर्धित संचार उपकरण (स्पीच जनरेटिंग डिवाइस)।

संचार कौशल

जो बालक स्वलीनता से ग्रसित हैं, वे विभिन्न प्रकार की संचार कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। स्वलीनता वाले कुछ लोग पूरी तरह से गैर–मौखिक हो सकते हैं और कुछ को सामाजिक संकेत या उपयुक्त वार्तालाप विषयों को समझने में कठिनाई हो सकती है। निम्नलिखित सहायक प्रौद्योगिकियां स्वलीन बालकों को संचार में सहायता कर सकती हैं–

स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस

एक स्पीच–जनरेटिंग डिवाइस "एक पोर्टेबल है जिसमें एक या एक से अधिक पैनल या स्विच होते हैं, जो कि उदास होने पर पहले से रिकॉर्ड किए गए डिजीटल या संश्लेषित स्पीच आउटपुट को सक्रिय करेगा।" ये एक स्टैंडअलोन उपकरण हो सकता है, आमतौर पर बहुत छोटा और हल्का, या यह एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो टैबलेट या फोन में स्थापित होता है।

सामाजिक कौशल

स्वलीनता में सामाजिक कौशल का विकास भी अवरुद्ध होता है। कुछ संस्थान स्वलीन बालकों में सामाजिक कौशल को प्रौद्योगिकी और विधियों के द्वारा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको चेहरे और व्यवहार संबंधी संकेतों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, जो सामाजिक कामकाज में मदद कर सकते हैं। इन विधियों के दो उदाहरणों में वीडियो मॉडलिंग और स्क्रिप्ट प्रशिक्षण शामिल हैं, जिनसे ये बालक सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। इन कौशलों को निम्नलिखित जैसे खेलों में सीख सकते हैं–

दैनिक जीवन कौशल : स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, दैनिक जीवन कौशल जैसे स्वच्छता, संगठन कौशल और मनोरंजक कौशल महत्वपूर्ण हैं। इन कौशल के साथ देखभाल करने वाले स्वलीन बालकों की मदद कर रहे हैं।

स्वलीनता से ग्रसित बच्चों के प्रबंधन हेतु युक्तियां, रणनीतियां एवं उपचार

समाज में व्याप्त स्वलीनता की विकृति से ग्रसित बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप से रोक सकते हैं, जो व्यावहारिक उपचार से प्रीस्कूल तक के वर्षों में स्वलीनता ग्रस्त बच्चों के लिए आवश्यक होता है। शीघ्र हस्तक्षेप स्वलीनताग्रस्त बच्चों के अनुकूल व्यवहार और संप्रेषण को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रभावशाली शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे को उसके

विद्यालय के समायोजन हेतु प्रतिभागी होने में मदद करता है। ऐसे में शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशित शिक्षा तथा सामाजिक समावेशित शिक्षा के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं।

स्वलीनता के उपचार एवं प्रबंधन में कई उपागम तथा विधियों का एक साथ उपभोग किया जाता है। ऐसे बच्चे विशेषकर जिनकी बौद्धिक क्षमता में ज्यादा क्षीणता नहीं होती, उपचार में मनोवैज्ञानिक जैविक तथा शैक्षणिक हस्तक्षेप के द्वारा काफी सुधार लाया जा सकता है।

- बच्चे की शिक्षण एवं समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाना।
- शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले नकारात्मक व्यवहारों को दूर करना।
- परिवार को इस समस्या से उत्पन्न तनाव एवं प्रतिबल से निपटने में मदद करना।
- शालीनता से जुड़ी अन्य विकृतियों के उपचार में सहायता करना इत्यादि।

इन बच्चों को समुचित प्रबंधन के लिए समूह उपागम की आवश्यकता होती है, जिससे नैदानिक, मनोविज्ञानिक, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, बाल रोग विशेषज्ञ, वाणी एवं भाषा चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता, सामूहिक रूप से योगदान देते हैं। इनके प्रबंधन में मुख्यतः दो तरह की प्रवृधियों का उपभोग किया जाता है–

1. जैविक चिकित्सा प्रविधि :स्वलीन बच्चों में पाई जाने वाली कुछ व्यावहारात्मक विकृतियों जैसे– अति चंचलता, आक्रामकता इत्यादि के उपचार के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है। औषधि चिकित्सा विधि का उपयोग एक सहायक चिकित्सा प्रविधि के रूप में किया जाता है।

2. मनोसामाजिक चिकित्सा प्रविधि : स्वलीनता के उपचार में कई प्रकार की मनोसामाजिक प्रविधि का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख प्रविधियां निम्न हैं–

- **शैक्षणिक हस्तक्षेप** : इन बच्चों के शैक्षणिक कार्यक्रम में भाषा विकास संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें माता–पिता का सहयोग भी वांछनीय होता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष एवं विद्यालय में बच्चे के अवांछनीय व्यवहार को दूर करने तथा वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए मनौवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करे। इनके पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक वातावरण में ज्यादा परिवर्तन न करके आवश्यकतानुसार धीरे–धीरे करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे परिवर्तन के विरुद्ध बहुत दृढ़ होते हैं। इनके शिक्षण में बहुसंवेदी उपागम तथा संवेदी एकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए ऐसा अधिगम वातावरण तैयार करना चाहिए, जिसमें इन्हें सामान्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक अंतःक्रिया करने का अवसर मिले। ऐसे बच्चों का शैक्षणिक वातावरण काफी संरचनात्मक रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण के दौरान सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। पाठ्य विषय को छोटे–छोटे हिस्सों में बांट कर इन बच्चों के पाठ्यक्रम में संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जैसे संगीत कला, नाट्य कला इत्यादि। इनके शाब्दिक संप्रेषण के साथ–साथ अशाब्दिक संप्रेषण के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।
- **मनोचिकित्सा** : इन बच्चों के प्रबंधन में आवश्यकतानुसार संक्षिप्त वैयक्तिक मनोचिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। एक स्पष्ट एवं शाब्दिक समस्या

होती है, जिसमें चिंता या विषाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। विशेषकर उन्हीं बच्चों पर मनोचिकित्सा की विधियों का प्रयोग किया जाता है

- **सामाजिक कौशल प्रशिक्षण** : स्वलीन बच्चों में प्रायः सामाजिक कौशलों का अभाव पाया जाता है। इसमें सामाजिक कौशल के दोनों क्षेत्र संप्रेषण एवं सामाजिक अंतरूक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। इन बच्चों में सामाजिक कौशलों को विकसित करने के लिए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। यह प्रायः उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिनकी बौद्धिक क्षमता तथा कार्य क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है।
- **परामर्श** : ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के विषय में सही जानकारी प्रदान कर उसे अनेक प्रकार की परिस्थितियों से सामना करते हुए योग्य बनाने के लिए मदद की जाती है। चिकित्सक एवं विशेषज्ञ इन बच्चों में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। परंतु स्वलीन बच्चों को परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। अतः ऐसे बच्चों के परिवार को हमेशा प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए।
- **खानपान संबंधी** : प्रायः इन बच्चों के माता–पिता की यह शिकायत रहती है कि कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ हैं, जिनके सेवन से मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका सामाजिक कौशल और पीछे रह जाता है। इंग्लैंड व फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में शोध के द्वारा पाया गया कि कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ भी स्वलीन बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होते हैं। अतः वर्तमान समय में इन बच्चों के खान–पान में विशेष सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
- **अन्य चिकित्सीय सेवाएं** : बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार उपरोक्त विधियों के साथ बहुत सी चिकित्सा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत वाणी चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कला एवं संगीत का उपयोग कर इन बच्चों में संप्रेषण एवं भाषा विकास विशेषकर अशाब्दिक संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

स्वलीनता के संभावित सुधार

इन बच्चों के प्रबंधन पर आधारित किए गए अनेक अध्ययनों में पाया गया कि वयस्क अवस्था तक पहुंचने के बाद दो तिहाई बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। केवल 5 से 16 प्रतिशत स्वलीन किसी कार्य को करने योग्य एवं समाज में आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन करने योग्य बन सकते हैं। स्वलीन बच्चों में सुधार की संभावना मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करती है– बच्चे की बौद्धिक क्षमता तथा भाषा के विकास की क्षमता। यदि इन दोनों का प्रबंधन बच्चे में अधिक अच्छा होता है तो सुधार की संभावना भी अधिक होती है।

रसेल 1960 का मानना है कि 10 से 20 प्रतिशत ऐसे बच्चों में सुधार 4 से 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, जो सामान्य विद्यालय में सम्मिलित हो सकते हैं एवं अपने कार्यों को करने में सक्षम बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 से 20 प्रतिशत ऐसे बच्चे होते हैं, जो अपने दैनिक क्रियाकलाप को नहीं कर पाते और उन्हें विशेष विद्यालय एवं विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है।

अपनी प्रगति जांचिए

21. किससे पीड़ित लोगों को संचार में परेशानी होती है?

(क) भूख से	(ख) हालात से
(ग) स्वलीनता से	(घ) समाज से

22. स्वलीन बच्चों में प्रायः किसका अभाव पाया जाता है?

(क) सामाजिक कौशलों का	(ख) भूख का
(ग) प्यास का	(घ) अनुभूति का

1.13 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)	2. (ग)
3. (क)	4. (घ)
5. (क)	6. (क)
7. (ख)	8. (घ)
9. (क)	10. (ख)
11. (क)	12. (ख)
13. (क)	14. (घ)
15. (ख)	16. (क)
17. (ग)	18. (घ)
19. (क)	20. (घ)
21. (ग)	22. (क)

1.14 सारांश

प्रकृति ने सभी जीवों को एक–दूसरे से भिन्न बनाया है। इसी तरह से मानव जाति में सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या सामाजिक आर्थिक स्तर तथा व्यावहारिक रूप से हो सकती है। यही भिन्नता विद्यालयों में भी देखने को मिलती है। जहां पर अध्ययन करने वाले बालक, बालिकाएं एक–दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता लैंगिक तौर पर, सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर के साथ या विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप में और सीखने की गति से संबंधित हो सकती है।

यूनेस्को के अनुसार, "समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। अतिसंवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समवेशी गुणात्मक शिक्षा का

परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है।"

संविधान प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मानवता की प्रगति के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुंचे। इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्ध्यकता है, जिससे लोकत्रांतिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रुप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा'। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब इसके विस्तृत अर्थ को पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश न करते हुए, इस समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रमुखता से केवल 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' से ही लगाते हैं, जो कि सर्वथा हीं अनुचित जान पड़ता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य तो 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' से हो सकता है, लेकिन इसका संपूर्ण उद्देश्य 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा' कदापि भी नहीं हो सकता है।

किसी व्यक्ति को सामान्य ध्वनि सुनने में परेशानी होती है या जब कोई सामान्य आवाज को सुनने में कठिनाई का अनुभव करे तो उसे श्रवणबाधिता या श्रवण क्षतिग्रस्तता कहा जाता है। भारत में इस समस्या से ग्रसित लोग काफी मात्रा में और आयु के हर वर्ग में पाये जाते हैं। हालांकि इस समस्या के उत्पन्न होने के बहुत से कारण हैं लेकिन ध्वनि प्रदूषण एवं अनेक प्रकार की बीमारियां प्रमुख हैं।

नेत्र मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है, जिसका कार्य किसी वस्तु को देखना है। यदि इसकी कार्य करने की शक्ति अवरुद्ध हो जाए या पूर्णरूप से निष्क्रिय हो जाए, तो मनुष्य दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक समझने लगता है और भाग्य को कोसने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आज के वैज्ञानिक युग में तीव्रता से प्रगति करते हुए मानव ने ऐसे साधन खोजे निकाले हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों की गतिशीलता व कार्यक्षमता अर्थात सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की शक्ति को बढ़ाकर जीवन को व्यवस्थित कर सकता है।

दिव्यांगत्व/अपंगत्व मानवी परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुछ व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए इस दिव्यांगत्व का अनुभव लेते हैं। इस संकल्पना से शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं का आकलन होता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, बोधात्मक तथा मानसिक ज्ञानेंद्रियों संबंधी या इन सबकी होने वाली एकत्रित अक्षमता होती है, समाज जिसे "सर्व साधारण कृति" कहकर मान्यता देता है। इस समाजमान्य वर्तन को

(Behaviour) वह व्यक्ति अक्षम है; यह समझा जाता है। दिव्यांगत्व जन्म से ही या फिर जीवन में कभी भी, बीच में ही हो सकता है।

पोलियो एक संसर्गजन्य रोग है। पोलियो अथवा पोलिओमायलिटिस इस एक विषाणु के कारण बालकों को होने वाला और अपंग करने वाला एक संसर्गजन्य रोग है। ग्रीक भाषा में पोलियो मतलब 'ग्रे' अथवा 'भूरा', मायलॉन मतलब मज्जारज्जू तथा आयटिस मतलब सूजन होता है। पोलियो के उपसर्ग से 90% घटनाओं में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते; परंतु विषाणुओं के रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाले पोलिओ रुग्णों में बहुत सारे अलग–अलग लक्षण दिखाई देते हैं। 1 प्रतिशत से कम रुग्णों में यह विषाणु मध्यवर्ती मज्जा संस्था में प्रवेश करता है, एवं शरीर के स्नायुओं की हलचल करने के कारण होने वाले 'गतिप्रेरक न्यूरॉन्स' को तकलीफ पहुंचाता है। इसका परिणाम स्नायुओं की दुर्बलता होने में तथा आखिर पक्षाघात में होता दिखाई देता है।

मस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी यह मस्तिष्क विकार से संबंधित संज्ञा है। इससे व्यक्ति/बालक को अपंगत्व सहना पड़ता है। इस विकार से बालक/रोगी के मस्तिष्क (Brain) तथा मज्जा तंतु प्रणाली पर असर होता है।

सेरेब्रल मस्तिष्क का एक भाग का असर मस्तिष्क पर होता है; तो पाल्सी का मतलब पूर्ण या आंशिक स्नायुओं को हुआ पक्षाघात (Paralysis) होता है।

सेरेब्रल पाल्सी भारतीयों के छोटे बालकों में अपंगत्व का मुख्य कारण होता है। यह विकार हलचल करने से संबंधित है, जिसमें स्नायुओं की शक्ति, उनका नियमन तथा अतिरिक्त तनाव (Rigidity) के कारण हालचाल करने पर परेशानियां आती हैं।

जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अन्य लोगों से भिन्न हो। जैसे संवाद करने, किसी भी कार्य के बारे में सोचने या अन्य सामाजिक कौशलों को करने में दूसरों से कमजोर हो या देरी से कर पाए या न कर पाए, उन्हें बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कारण इन बच्चों की सीखने और विकसित करने की क्षमता सामान्य बच्चे की तुलना में कम होगी।

बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे को बोलने, चलने और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे कि ड्रेसिंग या खाने के लिए सीखने में अधिक समय लग सकता है। उन्हें स्कूल में सीखने में परेशानी होने की संभावना है। वे सीखेंगे, लेकिन इसमें उन्हें अधिक समय लगेगा। कुछ चीजें हो सकती हैं जो वे नहीं सीख सकते।

सीखने की दिव्यांगता एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। सरल शब्दों में, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में 'विएर्ड' होने के तरीके से एक अंतर दिव्यांगता का परिणाम होता है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में अधिक स्मार्ट या होशियार होते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने, लिखने, वर्तनी, तर्क, याद करने और/या सूचना को व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है यदि चीजों को खुद से निकालने या पारंपरिक तरीकों से पढ़ाया जाता है।

शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगता वाले बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता होती है। इन्हें बहु दिव्यांग या एकाधिक दिव्यांग बालक कहते हैं

बहु दिव्यांग बच्चों में एक से अधिक दिव्यांगता का संयोजन होता है, जैसे कि बौद्धिक दिव्यांगता, गतिशीलता के मुद्दे, दृश्य या श्रवण की कमी, भाषा में देरी, मस्तिष्क की चोट, और बहुत कुछ। शब्द ष्बहु दिव्यांगष यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किसी छात्र की संभावित अक्षमता कितनी हैं और न ही यह निर्दिष्ट करता है कि वे अक्षमता कितनी गंभीर हैं। व्यक्ति विशेष में ये भिन्नताएं भिन्न–भिन्न होती हैं।

स्वलीनता एक जटिल स्थिति है जिसमें संचार और व्यवहार की समस्याएं शामिल हैं। इसमें लक्षणों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। स्वलीनता एक छोटी समस्या या दिव्यांगता हो सकती है जिसे एक विशेष सुविधा में पूर्णकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।

स्वलीनता से पीड़ित लोगों को संचार में परेशानी होती है। उन्हें यह समझने में परेशानी होती है कि दूसरे लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं। इससे उनके लिए खुद को अभिव्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, या तो शब्दों के साथ या हावभाव, चेहरे के भाव और स्पर्श के माध्यम से।

स्वलीनता से पीड़ित लोगों को सीखने में समस्या हो सकती है। उनके कौशल असमान रूप से विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें संवाद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन कला, संगीत, गणित या स्मृति में असामान्य रूप से अच्छा हो सकता है। इस वजह से वे विशेष रूप से विश्लेषण या समस्या–समाधान के परीक्षणों पर अच्छा कर सकते हैं।

1.15 मुख्य शब्दावली

- **प्रकृति** : कुदरत।
- **मानसिक** : दिमागी।
- **घोषणा** : ऐलान।
- **दृष्टिकोण** : नजरिया।
- **उन्नति** : तरक्की, प्रगति।
- **धारणा** : विचारधारा।
- **वंचित** : रहित।
- **वातावरण** : माहौल।
- **अवांछित** : अनचाही।
- **अक्षम** : असमर्थ।
- **अस्थि** : हड्डी।
- **श्रवणदोष** : सुनने में परेशानी।
- **दृष्टिदोष** : आंखों की परेशानी।
- **अपेक्षा** : तुलना में, मुकाबले।
- **सृजन** : निर्माण।
- **विशिष्ट** : विशेष।

- **अनुरूप** : मुताबिक, अनुसार।
- **अवसर** : मौका।
- **समानता** : बराबरी।
- **बधिरता** : बहरापन।
- **कर्ण** : कान।

1.16 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं?
2. समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं?
3. एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
4. श्रवणबाधित बालक की क्या विशेषताएं हैं?
5. श्रवणबाधिता के प्रकार बताइए।
6. दृष्टिदोष क्या है?
7. दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण क्या हैं?
8. दिव्यांगत्व किसे कहते हैं?
9. बौद्धिक अक्षमता के कारण क्या हैं?
10. सीखने में अक्षमता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे?
11. बहु दिव्यांगता का अर्थ क्या है?
12. स्वलीनता का क्या अभिप्राय है?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी स्कूल के छात्रों की विशेष शैक्षिक जरूरतों का विवेचन कीजिए।
2. समावेशी शिक्षा के क्षेत्र और परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए।
3. श्रवणबाधिता के कारणों की व्याख्या कीजिए।
4. श्रवणबाधित की पहचान की विस्तृत विवेचना कीजिए।
5. दृष्टिबाधित बालक की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।
6. कक्षा कक्ष में CWVI के प्रबंधन में युक्तियों व रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।
7. पोलियोग्रस्तता से निर्मित अक्षमता की विवेचना कीजिए।
8. सेरेब्रल पाल्सी के कारण, पहचान तथा लक्षणों की समीक्षा कीजिए।
9. बौद्धिक दिव्यांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी के महत्व बताइए।
10. सीखने में अक्षम बालकों हेतु सहायक उपकरण क्या हैं?
11. बहु दिव्यांगता के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

12. स्वलीनता के कारण, पहचान तथा विशेषताओं की विस्तृत विवेचना कीजिए।

1.17 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Loreman, Deppeler and Harvey, *Inclusive Education,* Allwenand Unwin Australia.
2. Corbett Jenny, 2001, *Supporting Inclusive Education*, Routledge Falmer.
3. Felicity Armstrong and Michele Moore, 2004, *Action Research for Inclusive Education*, Routledge Falmer.
4. Mike Adams and Sally Brown, 2006, *Towards Inclusive Learning in Higher Education*, Routledge.
5. Peter Mittler, 2000, *Working Towards Inclusive Education*, David Fulton Publishers.
6. Nind, Sheehy and Simmns, 2006, *Inclusive Education – Learners and Learning Context*, Devid Fulton Pub.
7. Advani, Lal. Chadha, Anupriya, 2003, *You and Your Special Child*, UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd. New Delhi.
8. Mahapatra, B.C., Sharma, Kaushal, *Inclusive Education in India*, Daryaganj, Delhi, Sarup and Sons, 2007.
9. Choate, J.S., 1997, *Successful Inclusive Teaching,* Allyn and Baeon Publishers.
10. Daniels, H., 1999, *Inclusive Education*, London: Kogan.
11. Garter, A. & Lipsky, D.D., 1997, *Inclusion and School Reform Transferring America's Classrooms*, Baltimore: P.H. Brookes Publishers.
12. Gore, M.C., 2004, *Successful Inclusion Strategies for Secondary and Middle School Teachers*, Crowin Press: Sage Publications.
13. Karten, T. J., 2007, *More Inclusion Strategies that Work*, Corwin Press, Sage Publications.
14. Rayner, S., 2007, *Managing Special and Inclusion Education*, Sage Publications.
15. Vlachou D.A., 1997, *Struggles for Inclusive Education: An Ethnographic Study*, Philadelphia: Opem University Press.
16. चव्हाण, (2006, 2007), नाशिक, 'विकास आणि अध्ययनाचे मानसशास्त्र', इनसाईट पब्लिकेशन।
17. फणसक्कर, (1990, 95, 96, 99, 2000), पुणे, "शिक्षण प्रवाह", जीवन शिक्षण प्रकाशन।
18. जगताप ह.ना., (1988-98), पुणे "शैक्षणिक आणि प्रायोगिक मानस शास्त्र," नूतन प्रकाशन।
19. कदम तेजस्विनी; (2007), "सैद्धान्तिक अधिष्ठान, शिक्षा शास्त्र", नाशिक, याज्ञी प्रकाशन।

टिप्पणी

20. Bhave, Shinde,Aher Vidap, (2016), "School & Inclusive Education", (Pune), Success Publication.
21. Suryavanshi Milind Bhave, Gudipudi, (2016), "Inclusive Education", Pune Success Publication.
22. Kad, Kurhade, Pongade, (2017), Education of Children with special needs., Pune, Success Publication.

इकाई 2 समावेशी शिक्षा का नियोजन एवं प्रबंधन

टिप्पणी

संरचना

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 बाधारहित विद्यालयों का निर्माण
  2.2.1 शिक्षा के आयाम
  2.2.2 समावेशी पाठशालाओं की संरचनात्मक/अधोसंरचना की सुविधाएं
  2.2.3 आदर्श समावेशी विद्यालय
2.3 समावेशी कक्षा का प्रबंधन
  2.3.1 संसाधन कक्ष का प्रबंधन
  2.3.2 समावेशी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन व प्रबंधन
2.4 समावेशी शिक्षा की अनुदेशन एवं मूल्यांकन प्रणाली
  2.4.1 विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन
  2.4.2 सहभागित्व अध्ययन
2.5 कक्षा में अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग
2.6 अध्ययन हेतु जगन्मान्य अभिकल्प/सार्वभौमिक प्रारूप
2.7 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप निवास व्यवस्थाएं एवं वैकल्पिक मूल्यांकन
  2.7.1 निवास व्यवस्थाएं
  2.7.2 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप वैकल्पिक मूल्यांकन
2.8 समावेशी शिक्षा हेतु सहयोगी क्रियाएं
  2.8.1 समावेशी शिक्षा में बालकों को समावेशित कराने हेतु अभिभावक या परिवारजनों की भूमिका
  2.8.2 समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को समावेशित करने में समुदायों की भूमिका
2.9 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता को समुपदेशन एवं नियम–कानूनों की जानकारी
  2.9.1 अभिभावकों को समुपदेशन
  2.9.2 नियम कानूनों की जानकारी
2.10 समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाओं हेतु कौशल्य एवं क्षमताएँ
  2.10.1 अध्यापक के कौशल्य गुण
  2.10.2 अध्यापक की क्षमताएं – भूमिका
2.11 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.12 सारांश
2.13 मुख्य शब्दावली
2.14 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.15 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय

भारत की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि हमारे देश में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का अवलंब किया जाता था। आजादी की प्राप्ति के साथ–साथ देश में हुई शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव आने लगे। देश की अन्य क्षेत्रों की प्रगति के बराबर शैक्षिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप

टिप्पणी

देश में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली का अवलंबन हुआ। शिक्षा व्यवस्था का विकास ऐसी कई बातों की पुष्टि करता है कि, भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं तथा विभिन्न सीमाओं के बावजूद एक ही शैक्षिक नीति के अंतर्गत अलग–अलग शिक्षा के आयामों पर कार्य किया गया।

वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई क्रांतिकारक बदलाव सुझाए गये हैं। जैसे बहुशाखिय (Interdesciplenery) और एकात्मिक शिक्षा पर जोर, अध्ययन–अध्यापन में संकल्पनात्मक आकलन (Conceptual Understanding), आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक (Critical & Creative) विचारों का आदान–प्रदान और शिक्षा में सर्व–समावेशिकता का नियम (Principle of Inclusiveness) अवलंब किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अनुसार समावेशन की नीति हर पाठशाला से जुड़ी रहे। दिव्यांगों के जीवन में हर जगह (घर, समाज, पाठशाला या अन्य कोई भी जगह जहां वे जाना चाहें वहां) उनकी भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है। पाठशालाओं को ऐसा केंद्र (Centre) बनया जाए, जहां दिव्यांगों को अपने जीवन की तैयारी करते बने एवं कठिन परिस्थिति से छुटकारा मिले।

दिव्यांग बालकों को सीखने के समुचित अवसर प्राप्त हों तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी व मानसिक सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयास हों। शिक्षा हेतु शिक्षा अनुसंधानों द्वारा विकसित विभिन्न अधिगमों की सहायता से उपलब्धियां (Achievement) कराना भी मुख्य उद्देश्य हो। मुख्यतः दिव्यांग बालकों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी (Information and Communication Technology) कई प्रकार की सहायता देने में प्रभावी ढंग से मददगार साबित हुई है तथा कक्षा में गुणवत्ता (Qualitative) परिणाम दिखाई दिये हैं। उसी तरह 'जैसे व्यक्ति वैसी प्रकृति' इस कहावत के अनुसार दिव्यांगों के लिए उनकी अक्षमताओं के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली भी अपनायी जानी चाहिए।

समावेशी पाठशाला में एकात्मिक एकक को अधिक बलवान करना तो अध्यापक एवं पाठशाला प्रशासन का काम होता है, किन्तु विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की चुनौतियां कम करना तथा उनकी चुनौतियों का सामना करने की ताकत बढ़ाना भी आद्य (Preferebaly) कर्तव्य होता है। यदि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें दिव्यांग बालकों को तैयार करना है; तो उनकी दिव्यांगता की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी का प्रयोग करना होगा, जिससे उनका दैनिक जीवन–यापन भी सुकर हो।

प्रस्तुत इकाई में समावेशी शिक्षा की अनुदेशन व मूल्यांकन प्रणाली, बाधा रहित विद्यालयों के निर्माण तथा समावेशी शिक्षा हेतु सहयोगी क्रियाओं का अध्ययन किया गया है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- समावेशित शिक्षा धारित एक आदर्श विद्यालय की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय में संसाधन कक्ष की जानकारी हासिल कर पाएंगे;

- कक्षा प्रबंधन के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया संगठित करने का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा की बाधाओं की जानकारी ग्रहण करेंगे तथा उन्हें दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे;
- दिव्यांग बालकों के लिए पाठ्य सहभागी क्रियाओं द्वारा जीवन में अहम भूमिका एवं खुशहाली लाने की प्रक्रिया को जान पाएंगे;
- दिव्यांगता के अनुसार बहुज्ञानेंद्रियों के विकास की दिशा प्राप्त कर पाएंगे;
- बहुसांस्कृतिकीकरण करने हेतु उपायों की प्रणाली की जानकारी हासिल कर पाएंगे;
- विभक्त/स्वतंत्र अनुदेशन व्यवस्था कराने का अवसर पाएंगे;
- अध्ययन में सहभाग लेकर अधिक क्रियाशील बनने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे;
- अनुदेशन एवं संप्रेषण/संचार तकनीकी का उपयोग कर अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया सुगम करा पाएंगे;
- दिव्यांग छात्रों के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प के द्वारा अध्ययन प्रक्रिया सुलभ कराने की प्रक्रिया अपना पाएंगे;
- छात्रों को उनकी अक्षमताओं के अनुरूप निवास/पुनर्वास योजनाएं तथा पर्यायी मूल्यांकन प्रणालियों का आयोजन करने हेतु प्रयास करने की दिशा करा पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में बालकों को समावेशित कराने के लिए अभिभावकों/परिवार जनों की भूमिका की प्रक्रिया को विशद कर पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा में छात्रों को समावेशित करने हेतु समुदायों की साझेदारियाँ/भूमिका कैसे निभानी चाहिए? इसका मार्गदर्शन कर पाएंगे;
- अभिभावकों को समुपदेशन करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे;
- अभिभावकों को दिव्यांगों के लिए बने कायदे कानूनों की तथा सरकारी नियम/योजनाओं की जानकारी का उपयोजन कर पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा हेतु अपने कौशल्य एवं क्षमताओं का निर्माण कर पाएंगे;
- समावेशी शिक्षा में सहयोगी या सहभागित्व क्रियाओं द्वारा शिक्षा प्रक्रिया में अपना योगदान दे पाएंगे।

2.2 बाधारहित विद्यालयों का निर्माण

समावेशी विद्यालय की समस्याएं अनेक होती हैं तथा अनेक कारणों से होती हैं। जैसे रिश्तेदारों द्वारा, अध्यापकों व प्रधानाध्यापक द्वारा, सहाध्यायियों द्वारा निर्मित समस्याएं भी परिणाम दर्शाती हैं।

इसके अलावा अभिरुचि का अभाव, अनुदानों का अभाव, संसाधनों की कमी और इन सभी के कारण विद्यालयों में समन्वय का अभाव भी बना रहता है। इन सब समस्याओं के कारण विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

टिप्पणी

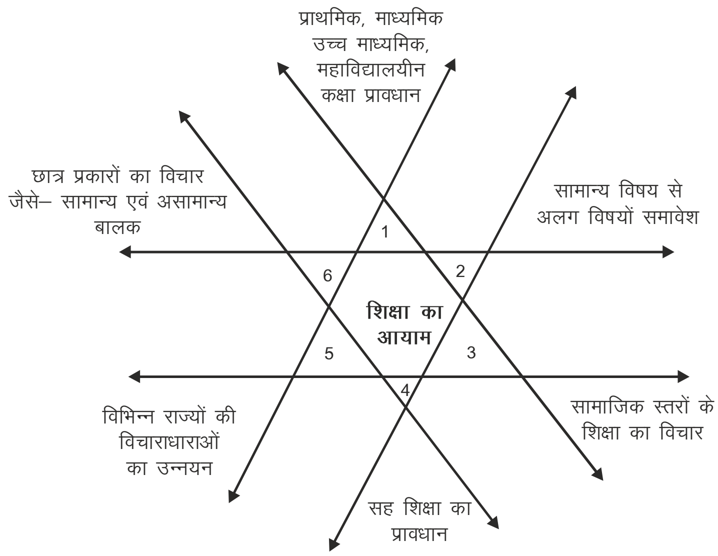

शिक्षा के आयाम

2.2.1 शिक्षा के आयाम

समावेशी शिक्षा का विचार स्वतंत्रतापूर्व से ही किया गया था। अलग–अलग आयोगों ने समावेशी शिक्षा को विचाराधीन रखकर शिक्षा विकास हेतु सिफारिशों की पुष्टि की है। जैसे–

(1) 1944 में सार्जंट आयोग की सिफारिश में दिव्यांगों को राष्ट्रीय प्रणाली का एक भाग मानकर वित्तीय अंदाजपत्रक में 10% भाग देना बंधनकारक किया।

(2) 1960 में यही संकल्पना अधिक विकसित हुई।

(3) 1964 में भारतीय शैक्षिक आयोग ने भी संकल्पना का विचार किया।

(4) 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना में शैक्षिक सुविधाओं में विचार सुझाए।

(5) 1974 में इंटिग्रेटेड एज्युकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन योजना आयी।

(6) 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'अंतरराष्ट्रीय अपंग वर्ष' की घोषणा की।

(7) 1986 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में 'समानता हेतु शिक्षा' विचार हुआ।

(8) 1990 में जागतिक स्तर पर थाइलैंड में शिक्षा परिषद में 'समावेशी शिक्षा की आवश्यकता' पर चर्चा हुई।

(9) 1994 में भारत के साथ 92 देशों ने तथा 25 जागतिक संघटनाओं ने इस संकल्पना को मान्यता दी।

(10) 1995 में दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान करता है।

(11) 2001 में सर्व शिक्षा अभियान में 'गुणवत्तापूर्ण मूलभूत शिक्षा' पर जोर दिया गया।

(12) 2005 में सर्वसमावेशी शिक्षा की 'कृति–संरचना' दी गई।

(13) 2005 में ही एन.सी.एफ. में एकात्मिक शिक्षा पर जोर दिया गया।

(14) 2006 में सामाजिक न्याय एवं सबलिकरण मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की।

(16) 2010 में शिक्षा अधिकार अधिनियमन तथा RPwD अधिनियम आया।

(16) 2015 में पुणे स्थित अंतरराष्ट्रीय जागतिक परिषद में भी विचार हुआ।

टिप्पणी

उपर्युक्त मुद्दों से यह साबित होता है कि, शारीरिक रूप से बाधित; क्षतियुक्त, अपंग तथा अन्य अक्षम/असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ हो। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त बाधितों, अपंगों को विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशित करें। उन्हें सामान्य बालकों जैसे ही अधिकार प्राप्त हों तथा वे समाज में, राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़े रहने के भागीदार बनें। इसलिए समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर कर आदर्श समावेशी विद्यालयों का निर्माण हो।

सभी मनुष्य प्राणियों की भावनाएं होती हैं। व्यक्ति हर्ष, खेद, द्वेष, क्रोध, संयम, आक्रामकता, लज्जा, नैराश्य, डर जैसी भावनाओं का प्रकटन करता है। मगर इन्हीं भाव तथा प्रवृत्तियों को विशिष्ट दिशा में प्रवृत्त होने या बढ़ाने की क्रियाओं की सिद्धि करके भी कुछ कमियां रह जाती हैं। इन्हीं के चलते अपंग/दिव्यांग बालकों को भावभंगिमा की दृष्टि से तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। अभिभावक अपने सामान्य तथा अपंग बालक में भेदभाव करते हैं। वे नकारात्मक दृष्टिकोण, परवरिश की दृष्टि से अपंग बालक को बोझ समझते हैं। कई बार अपमान एवं निंदा सुननी पड़ती है। माता–पिता एवं कुटुंब के अन्य सदस्यों की ओर से तिरस्कार पूर्ण व्यवहार–दिव्यांगों के लिए अभिशाप बन जाता है। इन प्रवृत्तियों के कारण बालकों की शिक्षा पर ध्यान न देकर उन्हें उनकी आजीविका के लिए अक्षम ठहराया जाता है।

कई बार घर में ही ऐसे बालकों के प्रति अलगाववादी भाव का निर्माण हो जाता है। इससे भी बालक के व्यक्तित्व पर फर्क बढ़ सकता है। इन्हीं प्रवृत्तियों के चलते सामान्य विद्यालयों के मानवी घटकों द्वारा दिव्यांगों से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जिससे उनमें हीनता की भावना बढ़ती रहती है।

भावभंगिमा की दृष्टि से तिरस्कारणीय व्यवहारों के कारण दिव्यांग बालकों पर अनिष्ट परिणाम दिखाई देते हैं तथा उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भावभंगिमा से समस्या

(1) ऐसे बालकों को दुःखी देखा जाता है।

(2) नकारात्मक दृष्टिकोण को निर्मित होता है।

(3) खुद के प्रति हीनता के भाव का निर्माण होता है।

(4) खुद को कुछ भी न करने योग्य तथा असमर्थ समझने लगते हैं।

(5) विद्यालय के प्रति तथा घर के प्रति भी आसक्ति एवं रुचि नहीं रहती।

(6) निराशाजनक कार्य किए जाते हैं, जैसे– अंगूठा मुंह में रखना, दांतों से नाखून काटना, बाल नोंचना, शरमाना।

(7) भावहीन चेहरा बनाना जिससे निर्विकार भाव प्रकट होते हैं।

(8) ऐसे बालकों की अंतरक्रिया कम हो जाती है या अप्रभावी बन जाती है।

(9) खुद के प्रति नकारात्मक भाव का निर्माण हो जाता है।

(10) खुद को पुनर्वास के योग्य तथा आजीविका की दृष्टि से असमर्थ/अयोग्य समझते हैं।

टिप्पणी

भावभंगिता/प्रवृत्तिात्मक बाधाओं तथा उनके दिव्यांग बालक पर होने वाले परिणामों की जानकारी हमने प्राप्त की। मगर इन्हें तिरस्कार से न देखते हुए कुछ ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन यापन की दृष्टि प्राप्त हो सके। प्रवृत्ति/भावभंगिमा की बाधाएँ दूर करने हेतु सुझाव एवं शैक्षिक उपाय–

दिव्यांग बालकों का सबसे पहला और सबसे अधिक संबंध आता है, अपने माता–पिता और भाई–बहनों से। इन्हीं अभिभावकों द्वारा बालक को भावभंगिमा की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अभिभावकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि यह समस्या अधिक दुर्लभ नहीं है। अपने बालकों के प्रति सकारात्मक एवं सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण का निर्माण हो। बालक की प्रगति एवं विकास हेतु अनेक प्रयास हों। प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा अभिभावक एवं घर के अन्य सदस्यों को यह प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि उनके बालक के गुणों को या बल स्थानों को (Strong Points) अधिक पुष्टि देकर उभारकर सामने लाया जा सके एवं सही दिशा में उन्हें विकसित कर उसके जीवन योग्य कौशल्य एवं क्षमताओं द्वारा जीवन–यापन सुख कर बनाया जाए।

भावभंगिमा की बाधाओं को दूर करने हेतु शैक्षिक उपाय भी किये जाने चाहिए, जैसे–

(1) पुनर्वास केंद्र द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य।

(2) शैक्षिक, वैद्यकीय उपचार।

(3) कौशल्य संपादन एवं क्षमता विकास का प्रशिक्षण।

(4) पुनर्वास कार्यक्रम में अभिभावकों का सहभाग।

(5) विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर कमियां दूर करने के प्रयास।

(6) अभिभावकों एवं समाज का दिव्यांगों की ओर सुयोग्य दृष्टिकोण बनाने हेतु शैक्षिक सुविधाएं।

सामाजिक बाधाएं

दिव्यांग बालकों को सामाजिक जीवन में कोई भी स्थान नहीं मिलता; इन कारणों से उनके विचारों को, कृतियों को स्वातंत्र्य नहीं मिलता तथा उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य में समाविष्ठ नहीं किया जाता। दिव्यांगों की सामाजिक दुर्बलता आने के कई कारण होते हैं। जैसे– कौटुंबिक कारण, आर्थिक कारण, नैसर्गिक आपत्तियों के कारण, अभिभावकों की मृत्यु तथा बीमारी के कारण, कुटुंब के विघटन (तलाक) के कारण। उपर्युक्त कारणों से सामाजिक दुर्बलता आने की संभावनाएं आती हैं और विभिन्न सामाजिक बाधाएं आती हैं।

दिव्यांगों के प्रति समाज के प्रतिकूल भाव, दया एवं सहानुभूति के भाव के कारण नकारात्मकता आती है। समावेशी शिक्षा में यह बड़ी सामाजिक बाधा है। कई बार लोग इन्हें मदद करने से पीछे हट जाते हैं। शिक्षित समाज व अशिक्षित समाज, देहाती एवं शहरी समाज इन दोनों की तुलना में दिव्यांग बच्चों के साथ जो बर्ताव किया जाता है

उन दो पाटों के बीच ये बच्चे पिसते जाते हैं। समाज के तिरस्कार के कारण उन्हें क्षति पहुंचती है और वे दैनंदिन जीवन–यापन में सामाजिक क्रियाओं में सहभाग नहीं ले पाते और सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधा आती है।

टिप्पणी

दिव्यांगों की मूल बाधाओं से जो सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं; उन्हें निम्न आकृति में दर्शाया गया है।

1. दरिद्रता की स्थिति
2. पालन पोषण की कमी
3. बेकारी एवं भुखमरी
4. कुपोषण एवं निकृष्ट रहन–सहन
5. अनारोग्य
6. स्थलांतर
7. लड़का–लड़की भेद
8. अंधविश्वास व रूढ़िवाद

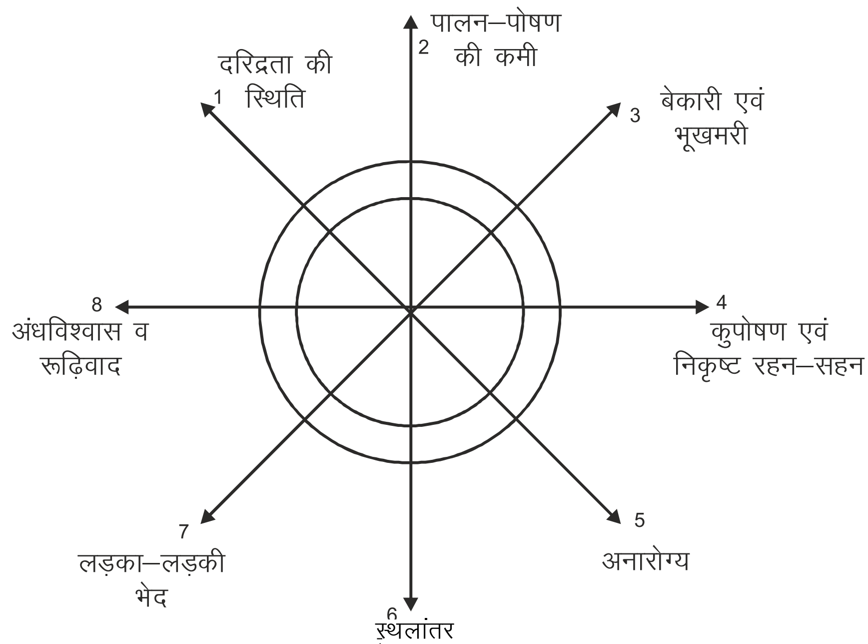

सामाजिक बाधाएं

हालांकि समावेशी विद्यालयों से जुड़े दिव्यांग बालकों को उपर्युक्त समस्याओं से कम जूझना पड़ता है। मगर समस्याएं बिलकुल नहीं आती हैं; ऐसा हम नहीं कह सकते। समावेशी विद्यालयों की अपनी समस्याएं होती हैं। जहां सामान्य बालकों की समस्याएं छुड़ाना असंभव हो वहां विशेष बालकों की ओर अधिक ध्यान देना भी मुश्किल होने लगता है। सरकारी अनुदानों, अध्यापकों के वेतन/पगार (Salary) आदि का मुद्दा भी आता है।

सामान्य छात्रों के अभिभावकों का असामान्य बालकों का स्वीकार न करना जैसी बातें सामाजिक बाधाएं उत्पन्न कराती है।

सामाजिक बाधाओं को दूर करने/कम करने के उपाय

दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना अत्यावश्यक है। अभिभावकों का, पड़ोसियों का तथा समावेशी शिक्षा से जुड़े मानवी घटकों द्वारा यह दृष्टिकोण बदलने से बालकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके विचार जीवन की ओर देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हर जगह, हर राह पर उन्हें सहयोग और प्रेरणात्मक शक्ति देकर मुख्य स्रोत में (Mainstreaming) जोड़ने का प्रयास हो।

सामाजिक बाधाओं का विचार करते हुए अगर हम उपाय योजना करें तो बेहतर परिणाम दिख सकता है। जैसे–

(1) सामाजिक एवं शासन स्तर पर प्रयत्न व योजनाएं

(2) दिव्यांगों का सामाजिकीकरण

(3) कारक कौशलों का विकास

(4) दिव्यांगों का पुनर्वास

(5) उनकी ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ाना।

(6) TR - यानी 3R का उपयोग

(क) रचनात्मक सर्जरी (Reconstructive Sergery)

(ख) पुनर्वास (Rehabilitation)

(ग) संशोधन/अनुसंधान (Research)

इस तरह के उपायों से सामाजिक बाधाओं पर धीरे–धीरे नियंत्रण होने लगेगा और हमारे दिव्यांग बालक अपने भावी जीवन में देश व समाज को बड़ा योगदान देने के प्रयास से अपनी राह सुगम बना सकते हैं।

शारीरिक बाधाएं

समाज में हमें कई तरह के दिव्यांग दिखाई देते हैं। कोई शारीरिक तो कोई मानसिक दृष्टि से, किसी को दृष्टिदोष होता है, तो किसी को श्रवणदोष, किन्हीं को वाचादोष होता है, तो कोई अध्ययन में मतिमंद होता है। अपंगत्व के प्रकारों के अनुसार शारीरिक बाधाएं दिखाई देती हैं, जो निम्न आकृति में दर्शायी गयी हैं–

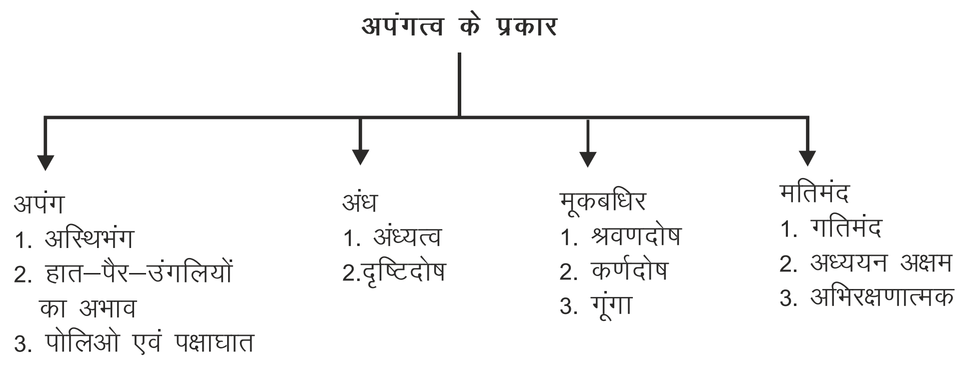

शारीरिक बाधाएं

उपर्युक्त आकृति में दिखाई देने वाले प्रकारों के अनुसार शारीरिक बाधाओं का सामना दिव्यांगों को करना पड़ता है। दुर्घटनाओं के कारण अपंगत्व आता है। इस कारण वे ठीकठाक ढंग से चल फिर नहीं सकते। बैसाखियों कुबड़ियों का तथा अन्य साधनों का आधार लेना पड़ता है। कारक कौशलों पर नियंत्रण कम होता है। पढ़ने की, बैठने–उठने की, चीजें उठाने की समस्याएं आती हैं। शारीरिक अक्षमताओं के साथ–साथ ज्ञानेंद्रियों की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता के कारण दिव्यांग बालक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसके पीछे अस्थिरता एवं चंचलता यह वर्तनदोष भी कारण होता है।

शारीरिक बाधाएं दूर करने हेतु उपाय

विशेष कार्यक्रमों की कार्यपद्धति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अपंगों को एकात्मक एकक में (Integrated Unit) समावेशी शिक्षा की (Integrated Education) सहूलियत दी गयी है। इसी के आधार पर निम्न उपाय किये जाने आवश्यक हैं–

उपाय

(1) दिव्यांग बालकों का मुफ्त वैद्यकीय उपचार हो।

(2) जरूरत के अनुसार कृत्रिम अवयवों का प्रत्यारोपण हो।

(3) एकात्म शिक्षा में समन्वय एवं एक संघता रहे।

(4) प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शैक्षिक, सांस्कृतिक उपक्रमों का आयोजन।

(5) शिक्षा विकास हेतु स्वतंत्र विद्यालय, वहां उनके पुनर्वास व खाने और रहने की व्यवस्था हो।

(6) समावेशी विद्यालय में रैम्प की व्यवस्था हो, पर्याप्त मात्रा में व्हील चेयर्स हों, बस्ते का बोझ कम करने हेतु ट्रॉली हो।

(7) दिव्यांग बालकों के अभिभावकों को समायोजन हेतु मार्गदर्शन हो, जिसके द्वारा बालकों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले।

(8) शारीरिक बाधाएं न बढ़ें इसके लिए उपचारात्मक, प्रतिबंधात्मक तथा शैक्षिक उपायों की संकल्पना का नियोजन किए जाने से दिव्यांग बच्चों को समाज के मुख्य स्त्रोत में आने का/लाने का अवसर प्राप्त होगा।

शैक्षिक बाधाएं

समावेशी शिक्षा में सर्वसामान्य बालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर है कि दिव्यांग बालकों की तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इनमें से शैक्षिक समस्या मुख्य समस्या मानी जाती है, इसलिए हमें अपंग एकात्म शिक्षा का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। किसी भी प्राथमिक या माध्यमिक पाठशाला में एकक होता है। उसमें कर्णदोष, अंध–अपंग एवं मतिमदों को समावेशित किया जाता है। किसी भी एक एकक में 1 से 10 छात्रों को प्रवेशित किया जाता है। उनके शिक्षाध्यापन हेतु विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तथा किताबें, कापियां और अन्य सुविधायें दी जाती हैं। राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा अनुदान की पूर्ति होती है, जिनके द्वारा दिव्यांग बालकों का शैक्षिक तथा सर्वांगीण विकास किया जाना आवश्यक होता है। मगर शैक्षिक समस्या निर्माण होने के भी कई कारण होते हैं–जैसे दिव्यांग बालकों को पाठशाला में

टिप्पणी

प्रवेशित ही नहीं किया जाता। क्योंकि उनके अभिभावक अनपढ़'गंवार होते हैं। वे शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को नहीं जानते। शहरी शिक्षा एवं ग्रामीण शिक्षा का फर्क भी शैक्षिक समस्या बढ़ाता है। अपंग एकात्म शिक्षा का स्वरूप देखते हुए एकक को विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंधन हो तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी विशेष ढंग से होनी चाहिए मगर यह असंभव हो तो शैक्षिक बाधाएं आती हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षा व्यवस्था में भी कई समस्याएं होती हैं, जिनसे दिव्यांग छात्रों का विकास रुका हुआ हो जाता है।

जैसे–

(1) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

(2) दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं की अनदेखी

(3) इन बालकों के विशेषताओं और बल स्थानों की अनदेखी

(4) इन बालकों के निरीक्षण का अभाव

(5) बालकों की शैक्षिक प्रगति एवं उनकी कमियों का समन्वय नहीं साधा जाता

(6) विभिन्न बालकों की अभिरुचियां, अभिवृत्तियां, भाव एवं प्रज्ञा इनमें विविधता रहती है। उस दृष्टि से शैक्षिक सुविधाओं की अपूर्णता होती है इसलिए शैक्षिक समस्याएं रहती हैं।

शैक्षिक समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय

समावेशी शिक्षा का मतलब सर्वसामान्य छात्रों की बराबरी से दी जाने वाली शिक्षा है। इस एकात्मकता में भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक वातावरण द्वारा शिक्षा योजना पूर्ति समाविष्ट है। इस हिसाब से अपंग/दिव्यांग बालकों के विशेष कार्यक्रम के घटकों का विचार अत्यावश्यक है।

वे घटक हैं–

(1) दिव्यांगता का निदान एवं शोध

(2) वैद्यकीय चिकित्सा

(3) शिक्षा व्यवस्था

(4) साधन एवं यंत्र

(5) अध्यापन प्रशिक्षण

(6) अध्यापकों को मदद

(7) व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना

(8) अभिभावकों का तथा लोगों का सहभाग

(9) नियोजन एवं प्रबंधन

(10) विद्यालयों का सबलिकरण

(11) विद्यालय की संरचना में बदलाव

(12) संशोधन

टिप्पणी

(13) देखभाल व मूल्य मापन प्रणाली

(14) दिव्यांग लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं

इन सभी घटकों का आधार लेकर दिव्यांग बालकों हेतु ठोस योजनाएं बनायी जाएं, जिसमें अभिभावक, भाई–बहन, परिवार के अन्य जन, पड़ोसी, अध्यापकगण, सहपाठी इन सबका सहयोग अपेक्षित है, जिनके द्वारा दिव्यांग बालकों का एकाकीपन दूर होकर समाजीकरण हो। उन्हें सामान्य अनुभव देने हेतु विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन व सहभाग हो। दुनिया के एवं सर्वसामान्यों के प्रवाह में सम्मिलित होने की स्पर्धा में खुद को ढो देना। इसी स्पर्धा में टिके रहना ऐसी क्षमता को विकसित कर न्यूनखंड को कम करना सहजसाध्य हो सके।

दिव्यांगों के पाठ्यक्रम में जो भी दोष हैं उन्हें दूर कर छात्र–केंद्रित पाठ्यक्रम, सक्रियता से जुड़ा रोचक एवं सांस्कृतिक व दैनंदिन जीवनयापन से जुड़ा पाठ्यक्रम बनाया जाए। विद्यालय के सर्वसामान्य छात्रों से परस्पर संवाद बनवाकर सहकार्य शिलवृत्तियों का निर्माण हो और उनके पुनर्वास हेतु कृतियों को अपनाया जाए।

छात्रों का परिरक्षण, निरीक्षण करके उपचारात्मक प्रणाली द्वारा उनकी कमियां ढूंढ़कर तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह पाठ्यक्रम द्वारा सहज साध्य कराना शिक्षा संस्था पर निर्भर होता है। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा परिचित आशय के विवेचन का प्रयास, आसान गृहकार्य, सही प्रत्याभरण एवं नाविण्यपूर्ण उपक्रमों से छात्रों का अध्ययन सहज बनाना होगा।

2.2.2 समावेशी पाठशालाओं की संरचनात्मक / अधोसंरचना की सुविधाएं

समावेशी शिक्षा हेतु एकात्मता (Integration) तथा मुख्यप्रवाह / मुख्य स्रोतिकरण (Mainstreaming) इन दो को प्रयोग में लाया जाता है, जिनकी जानकारी पाना आवश्यक है।

'एकात्मता' यह संज्ञा अपंगों के लिए होने वाली सुविधाओं के बारे में उपयोग में लायी जाती है।

"अपंग / दिव्यांगों को मिलने वाली सारी सुविधाओं का यशस्वी ढंग से समन्वय रखना / बनाना इसे ही एकात्मता कहा जाता है।" इसमें (1) दिव्यांग की पहचान होना, (2) उनके शालेय उपक्रमों में, समाज में, नौकरी के बारे में, समाज में सम्मिलित होने में मध्यस्थि करना। इनका विचार होता है।

विशेष बालकों की एक से अधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिणामदेह समन्वय को साध्य करना। जैसे– दृष्टिदोष, कर्णदोष, अध्ययन गतिमंद और अपंग बालकों की शिक्षा सर्वसामान्य बालकों के बराबरी से शिक्षा प्राप्त करना ही 'एकात्मिक शिक्षा / समावेशी शिक्षा' है।

मुख्य प्रवाह

पारंपरिक / नियमित / सामान्य पाठशालाओं में दिव्यांग बालकों को सम्मिलित कर लेना ही 'मुख्यप्रवाह' में समा लेना है।

'मुख्यप्रवाह' एक दृष्टिकोण है, जो 'एकात्मता' को अधिक महत्व देता है। इन दिनों स्वतंत्र पाठशालाएं दिव्यांग बालकों को विलग रखने पर जोर देती दिखाई देती हैं; इसके एकदम विरोधी बात यानी 'मुख्यप्रवाह'।

टिप्पणी

"कम से कम नियंत्रित वातावरण में दिव्यांग बालकों को रखना 'मुख्य प्रवाह' कहलाता है।"

इसका मतलब यह नहीं कि दिव्यांग बालकों को सामान्य बालकों की कक्षा में बैठाना है – बल्कि शिक्षा का दृष्टिकोण नियमित वर्ग/कक्षा में से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना है। यानी दिन में से आधा वक्त या कुछ वक्त सामान्य वातावरण उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। दिव्यांग बालकों को कभी–कभी नियमित कक्षा में वह नहीं मिल पाएगा जो विशेष कक्षा में सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मगर विशेष कक्षा की सेवाएं नियमित कक्षा के साथ होंगी। ज्यादा अभ्यास वर्ग की, कुछ ज्यादा अभ्यासेतर। अभ्यासपूरक उपक्रम जो छात्रों का अध्ययन सुकर होने में मददगार साबित होते हों वे बालकों के संपादन (Achievement) में सहाय्यिभूत होंगे। इसलिए सामाजिक सामान्यीकरण हेतु कम से कम नियंत्रण का वातावरण इससे यह संकल्पना जुड़ी है।

इन्हीं दो संज्ञाओं के बनते समावेशी विद्यालय की अधोसंरचना यह मुख्य संकल्पना विकसित हुई है। दिव्यांग बालकों की दिव्यांगता कम हो या यूं कहिए कि उनकी अक्षमताएं अधिकवश गंभीर भी नहीं हैं, तो वे सामान्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में उतने ही सक्षम होते हैं। इस हिसाब से शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य तक पहुंचना तथा समायोजन स्थापित करना इस हेतु समावेशी शिक्षा के विद्यालय की अधोरचना निम्न प्रकार से होनी चाहिए।

समावेशी पाठशाला के अधोसंरचना का स्वरूप

एकात्मता एवं मुख्यप्रवाह परिणामकारक होने हेतु रेनॉल्ड (1950) ने कुछ तत्व सुझाएं हैं। वे हैं–

(1) अभ्यासक्रम
(2) मूल/मूलभूत कौशल्य अध्यापन
(3) वर्ग–अध्यापन
(4) व्यावसायिक तंत्र और संप्रेषण तंत्र
(5) अध्यापक–अभिभावक संबंध और बालक संबंध
(6) बालक–बालक संबंध
(7) अपवादात्मक (Genuine) स्थिति
(8) व्यक्तिगत अध्यापन
(9) व्यावसायिक मूल्य
(10) मुख्य प्रवाह

टिप्पणी

इन्हीं विचार तत्वों के चलते विद्यालय का स्वरूप निर्धारित किया जाता है/या किया जाना चाहिए

निम्न में विद्यालय संरचना के आवश्यक घटकों की जानकारी सहजता से मिलेगी–

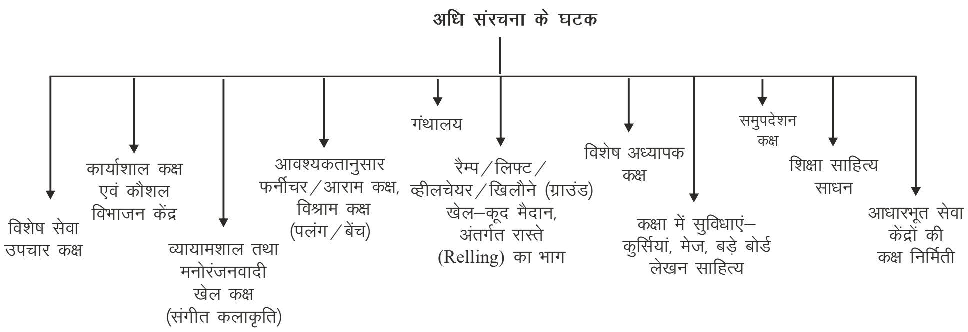

समावेशी विद्यालय अधिसंरचना के घटक

चित्र स्पष्टीकरण

(1) **विशेष सेवा उपचार कक्ष** : दिव्यांगों की दिव्यांगतानुसार उपचार कक्ष (Phisical Theropy Room) का निर्माण होना अत्यावश्यक है।

(2) **कार्यशाला एवं कौशल विकसन केंद्र** : समावेशी विद्यालय की अपनी कार्यशाला (Work Place) हो जहां बालकों के सुप्त गुणों को चालना देने हेतु कुछ कौशलों का विकास हो तथा उनके आवश्यक उपकरणों का निर्माण हो सके।

(3) **व्यायामशाला (Fitness Class) तथा मनोरंजनादि खेल कक्ष (संगीत कला–कृति)** : दिव्यांगों की शारीरिक अक्षमताओं को दूर करने हेतु व्यायामशाला कक्ष जरूरी होता है। स्नायु मजबूतीकरण हेतु इसकी आवश्यकता है। मनोरंजन कक्ष में उनके द्वारा सुप्त गुणों के विकसन हेतु गायन, वादन, नृत्य, नाटक ऐसी कलाकृतियों का विकसन हो। T.V. Projector, Laptop, VCD Player ई–साधन हों।

(4) **फर्नीचर/विश्राम कक्ष** : कक्षा में सुविधाजनक फर्नीचर बनवाया जाना चाहिए। जिससे छात्रों को बढ़ने, उठने, चलने, घूमने, खेलने में आसानी हो तथा जरूरत के अनुसार विश्राम कक्ष अवश्य बने।

(5) **ग्रंथालय/पुस्तकालय** : सही और वाचन योग्य किताबें हो, जो सही जगहों पर रखी हों ताकि छात्रों को पढ़ने के लिए किताब निकालने एवं बैठने की पर्याप्त जगह हो।

(6) **रैम्प/लिफ्ट/व्हीलचेयर/खिलौने/खेलकूद का मैदान एवं अंतर्गत रास्ते** : समावेशी विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था की जाए इससे छात्र व्हीलचेयर द्वारा आना–जाना आसानी से कर सकेंगे। लिफ्ट के रहते कई मंजिलों वाली इमारतों पर जा सकते हैं। खेलकूद के लिए बड़े से मैदान में आसानी से पूरे जोश के साथ खेल सकते हैं। खिलौने भी दिव्यांगता के अनुरूप हों ताकि खेल का मजा सहजता से मिले। Relling के द्वारा भी अपनी कृतियां आसान हो सकती हैं।

(7) छात्रनिवास : कई जगह दिव्यांग छात्रों को घर से आने–जाने के लिए बहुत सारा वक्त जाया करना पड़ता है; तथा उनकी दिव्यांगता के कारण अक्षमता का एहसास उनकी प्रगति में अड़चनें ला सकता है; इसके लिए विद्यालयों से जुड़े छात्रावास के कारण व्यवस्था से कई समस्याओं का हल निकल सकता है।

(8) विशेष अध्यापक कक्ष : समावेशी विद्यालयों में अध्यापक गण छात्रों की प्रगति हेतु कई योजनाएं, प्रोजेक्ट तथा परिवर्तन हेतु समस्याओं का विचार करते हैं। इसके चलते कई बार अध्यापकों को चर्चा विचार–विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी चर्चाओं के लिए एक स्वतंत्र कक्ष का होना फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां शैक्षिक तंत्र वैज्ञानिक साधन भी हो।

(9) कक्षा में सुविधाएं : हर कक्षा में दिव्यांग बालकों की आवश्यकतानुरूप ब्लैकबोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, चॉक रखने की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक उपकरण तथा वे चलाने के बटनों का स्थान उचित जगहों पर हो। बालकों के बैठने की जगह जैसे– कुर्सियां, मेज, Side tables, दरवाजे उनके अनुरूप हों।

(10) समुपदेशन (Counselling) कक्ष : दिव्यांग बालकों की दिमागी हालत बहुत नाजुक होती है। हर घटना, हर दिन, अध्ययन विषय तथा बाहरी नियंत्रण के साथ–साथ उनके स्वभाव विशेषों को लेकर उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए अध्यापकों द्वारा छात्रों का समुपदेशन तथा डॉक्टरों द्वारा उपचार एवं निदान करके समुपदेशकों का समुपदेशन भी विकास की ओर एक कदम बढ़ाने की ही प्रक्रिया है।

(11) शिक्षा साहित्य साधन : छात्रों को प्रत्यक्षानुभूति हेतु कई बार विद्यालयों में शैक्षिक, क्षेत्र भेटों का आयोजन जरूरी होता है। दिव्यांग बालकों को ले जाना कई बार असंभव होता है, यह बात उनकी प्रगति के आड़े भी आ सकती है, इसका उत्तम पर्याय है कि उन्हें कक्षा में ही Virtual टूर कराया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रिक साधनों, जैसे T.V., Audio साधन, Projector, L.C.D., VCD Player, Over Head Projector, अलग–अलग Programmes की CDS और उन्हें चलाने की तकनीकी व्यवस्था भी हो। अलग–अलग लैबोरेटरीज की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके लिए अध्यापकों को वक्त–वक्त पर प्रशिक्षण भी दिया जाए।

(12) **दिव्यांगों को आधारभूत सेवा** : ओपन स्कूल्स, दूरस्थ शिक्षा, विशेष एवं पर्यायी स्कूल्स, होमबेस शिक्षा, Remedial Coaching, अर्धकाल कक्षा, सामूहिक पुनर्वास, वोकेशनल मार्गदर्शन इत्यादि।

समावेशी विद्यालय की अभिसंरचना के आधार पर ही दिव्यांग बालकों का सर्वांगीण विकास अवलंबित / निर्भर करता है। भौतिक वातावरण का बालक के मन पर अधिक प्रभाव होकर वह विद्यालय और कक्षा को ही अपना घर समझने लग जाता है। इन्हीं कुछ नैसर्गिक घटकों द्वारा एवं मानवी घटकों द्वारा उसका जीवन–यापन सहज सुंदर–सरल बनाने का प्रयास हो तो छात्रों की प्रगति के बराबर हमारे समाज, राज्य एवं राष्ट्र की प्रगति में भी बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की कड़ी बनने में वे सहयोग भी दे सकते हैं।

2.2.3 आदर्श समावेशी विद्यालय

टिप्पणी

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की समानता का तत्व स्वीकार किया। समान सहूलियतों की उपलब्धताओं के लिए समावेशी शिक्षा की संकल्पना स्वीकार की गई।

समावेशी पाठशाला एक ऐसे स्वरूप की शैक्षिक कार्यनीति होती है, जहां दिव्यांग बालकों का गुट/समूह पूरा वक्त या आधा वक्त सर्वसामान्य बालकों के साथ कक्षा में शिक्षा प्राप्त करता है। मगर हर व्यक्ति का अपना अलग–अलग व्यक्तित्व होता है। इस तत्व के अनुसार दिव्यांग बालकों को समान कक्षा में, समान अध्यापन प्रणाली द्वारा तथा समान अध्ययन अनुभव देकर शिक्षा के उद्देश्य साध्य नहीं होंगे। मगर वे साध्य करने हेतु कुछ विशेष प्रयत्न कर समावेशी विद्यालय की संकल्पना का चित्र साकार किया जा सकता है। इस कारणवश आदर्श समावेशी शिक्षण केंद्र/विद्यालय का स्वरूप कैसा हो? इसकी जानकारी आवश्यक है।

आदर्श समावेशी विद्यालय का स्वरूप

दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं का संबंध कुटुंब तथा शिक्षा प्रणाली से जुड़ा होता है। कुटुंब की पार्श्वभूमि, शिक्षा, स्वभाव, रहन–सहन, खानपान तथा घर का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण बालक के जीवन में खूब मायने रखता है। मगर उससे भी ज्यादा शिक्षा प्रणाली का छात्रों के जीवन पर प्रभाव होता है और इस कारण शिक्षा प्रणाली का मुख्य विचार स्वरूप से जुड़ जाता है।

शिक्षा प्रणाली के मुख्य घटक

(1) पाठशाला का वातावरण
(2) पाठ्यक्रम
(3) अध्यापन प्रणालियां
(4) सुविधाएं और शैक्षिक साधन
(5) छात्रों का परीक्षण
(6) मूल्यांकन प्रणालियां
(7) कक्षा की रचना
(8) पाठशाला की कालावधि
(9) पाठशाला के मानवी घटकों का सहभाग
(10) समुपदेशन एवं मार्गदर्शन
(11) मित्र–सहपाठी–सहध्यायी
(12) निरीक्षण और रेकॉर्ड
(13) दिव्यांगों की निदान प्रणाली
(14) उपचारात्मक अध्यापन
(15) विशेष अध्यापकों की नियुक्ति

टिप्पणी

उपर्युक्त घटकों के आधार पर समावेशी विद्यालय का निर्माण फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे समावेशी विद्यालय में दिव्यांग बालक सामान्य छात्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण (Qualitative) शिक्षा प्राप्त करते हैं। सभी बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अभ्यासक्रम/पाठ्यक्रम, संघटनात्मक रचनाएं, अध्यापन की व्यूह रचना तथा संसाधनों का उपयोग कर पाठयशाला चलाई जाती है।

आदर्श समावेशी पाठशाला के फायदे

(1) दिव्यांग बालकों के अध्ययन हेतु सुस्पष्ट एवं सुस्थापित उद्देश्यों के आधार से उच्च अपेक्षा स्थापित की जाती है।

(2) पाठशाला के वातावरण में अपनेपन की भावना उपजती और बढ़ती है।

(3) छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठशालाओं में योजना का प्रयोजन व अमल होता है।

(4) अध्यापकों एवं प्रशासकों का आधार मिलता है।

(5) अध्यापन क्रियाओं में तथा अभ्यासपूरक कृतियों में सहभाग लिया जाता है। जैसे– संगीत, कला, समूह कृति।

(6) खेल मैदान एवं खेल साधनों द्वारा विकास एवं वाचनालय जैसी सुविधाओं की पूर्णता की जाती है।

(7) शिक्षा का नियोजन और उसके द्वारा शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाता है।

(8) अभिभावकों तथा समुदायों के सहभाग से प्रगति का मार्ग सुकर बनता है।

(9) सरकार की योजनाओं द्वारा किताबें, लेखन–सामग्री, परिवहन सहूलियत, अध्ययन साहित्य के लिए आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है।

(10) पाठशाला की ग्रामीण तथा नागरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना, नैदानिक चिकित्सा करना एवं सुविधाएं और उपकरणों की पूर्ति छात्रों का विकास दर्शाती है।

एक आदर्श समावेशी विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों के कृति–कौशलों से समायोजन कराना महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। दिव्यांगों की सारी कमियां दूर करने के प्रयासों से व्यक्ति विकास और समाज विकास साध्य हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार समावेशी आदर्श विद्यालय के वैशिष्ट्य ये हो सकते हैं–

(1) सुस्पष्ट तथा सुस्थापित उद्देश्य के आधार पर विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के अध्ययन द्वारा उच्च अपेक्षा स्थापित की जाती है।

(2) स्वीकार्यता वैविध्यता एवं अपनेपन की भावनाएं विकसित होती हैं।

(3) साधारणतः शैक्षिक प्रणाली में औपचारिक एवं नैसर्गिक स्वरूप के आधार दिव्यांगों को सहज प्राप्त होते हैं।

(4) दिव्यांगों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु विद्यालय को मुख्य आधार माना गया है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. अपंग बालकों को भावभंगिमा की दृष्टि से कैसी नजर से देखा जाता है?
   (क) सम्मान की (ख) तिरस्कार की
   (ग) प्रशंसा की (घ) भरोसे की
2. कैसे बालकों को सामाजिक जीवन में कोई भी स्थान नहीं मिलता?
   (क) दिव्यांग (ख) शिक्षित
   (ग) तेजतर्रार (घ) बुद्धिमान
3. दिव्यांगों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं का यशस्वी ढंग से समन्वय रखना क्या कहलाता है?
   (क) सहजता (ख) सुगमता
   (ग) एकात्मता (घ) विविधता
4. कम से कम नियंत्रित वातावरण में दिव्यांग बालकों को रखना क्या कहलाता है?
   (क) धारा प्रवाह (ख) प्रवाह
   (ग) अप्रवाह (घ) मुख्य प्रवाह
5. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किसकी समानता का तत्व स्वीकार किया?
   (क) शिक्षा की (ख) परीक्षा की
   (ग) धन की (ग) बुद्धि की
6. दिव्यांगों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु किसे मुख्य आधार माना गया है?
   (क) आधार कार्ड को (ख) विद्यालय को
   (ग) घर को (घ) बाजार को

2.3 समावेशी कक्षा का प्रबंधन

प्रबंधन एक तरह का टीम वर्क होता है; जिसमें पाठशाला के द्वारा संघटनात्मक निर्णय, कृतियों का नियोजन, आयोजन एवं सभी मानवी घटकों का आदान–प्रदान होता है। कक्षा प्रबंधन अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया हेतु ही अपेक्षित है। परिणामकारक अध्यापन परिणामकारक अध्ययन पर ही निर्भर होता है। इसके चलते शैक्षिक मानसशास्त्र के तत्वों की पूर्ति होना अत्यावश्यक है।

कक्षा प्रबंधन संकल्पना

अर्थ : समावेशी विद्यालय एक ऐसा रूप परिलक्षित होता है, जिसमें दिव्यांगों की विभिन्नताओं (जैसे– शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान–सृजन करने का अवसर मिलता है एवं कक्षा में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मसम्मान, प्रभावी संप्रेषण गुणों का विकास अपेक्षित है।

परिभाषा : "अध्यापक और छात्र के सम्बन्ध तथा अन्य माध्यमों द्वारा अधिगम प्रक्रिया का सम्पादन इसके साथ–साथ पाठ्यक्रम पूर्तता हेतु विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अध्ययन परिस्थितियों का निर्माण ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है।"

टिप्पणी

प्रबंधन अध्यापक के हाथ का एक प्रभावी साधन है, जो चिंतापूर्वक व्यवस्थापन एवं उद्दिपकों का निदर्शन होता है।

मुख्यतः कक्षा प्रबंधन अध्यापक की कृतियों का समावेशण है। इस प्रबंधन के कुछ कारकों/घटकों को निर्धारित किया जा सकता है।

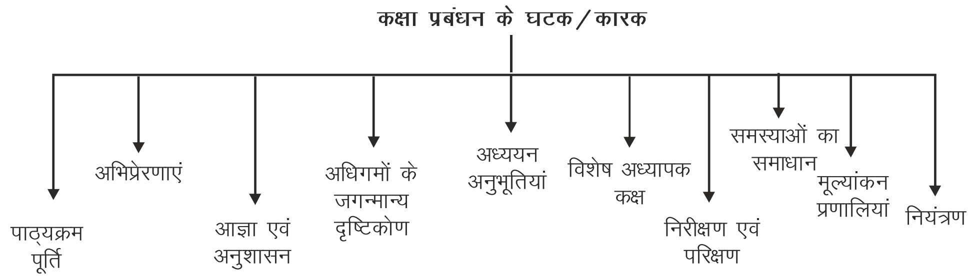

कक्षा प्रबंधन के कारक

उपर्युक्त आकृति में दर्शाए घटकों/कारकों का अत्युत्तम संघटन कर कक्षा प्रबंधन का काम सुयोग्य रिति से करना अध्यापक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती भी है। इस जिम्मेदारी की पूर्ति करने हेतु अध्यापक अपने कौशलों का सही–सही एवं पूरा–पूरा उपयोग करते दिखने चाहिए। केवल इतना ही नहीं बल्कि कक्षा प्रबंधन हेतु जो भी विवेचन इस इकाई में हुआ है, उनकी पर्याप्तता साध्य करने के लिए पाठशाला प्रशासकों द्वारा कुछ नियमावली तैयार की जाती है। इस नियमावली को अध्यापक को अमल में लाना अत्यावश्यक होता है। इसलिए इस मुद्दे के अंत में हमें प्रबंधन के यशस्विता के लिए आचार संहिता का/बंधनों का विचार करना होगा।

कक्षा प्रबंधन की यशस्विता हेतु आचार संहिता

समावेशी शिक्षा के कक्षा प्रबंधन में मानवी संसाधनों के साथ अन्य संसाधनों का महत्वपूर्ण विचार होता है। कक्षा के लिए प्रबंधन पाठशाला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, मगर उसका अमल अध्यापक द्वारा किया जाता है। यशस्विता के साथ अमल दर्शाना इस हेतु कुछ आचार संहिता एवं नियमन (Ethics) करना या नियम बनाना पाठशाला के चलते अत्यावश्यक प्रक्रिया होती है।

(1) अध्यापक द्वारा कक्षा में हर बालक को अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए।

(2) कक्षाध्यापन में छात्रों के दिव्यांगता के प्रकारों के अनुसार अध्ययन–अध्यापन के तरीकों में विविधता और बदलाव लाने चाहिए।

(3) दिव्यांगता प्रकार तथा दिव्यांगता की तीव्रता के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु–

(क) हर दिव्यांग बालक को क्या आता है और क्या नहीं इसकी सूची तैयार करें।

(ख) निरीक्षणों की सूची तैयार करें।

टिप्पणी

(ग) छात्रों की अवधान कक्षा का मापन करें।

(घ) पूरक स्थितियों का निर्माण करें।

(ङ) अध्ययन अनुभूतियों की सूची तैयार करें।

(4) छात्रों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सीखने–सिखाने के अवसरों का एवं सहूलियतों का निर्माण।

(5) अध्यापन घटकों द्वारा निर्मित तथ्य (Facts) तथा उनके विचारों में संबद्धता/एकरूपता को निर्माण करना।

(6) अध्ययन–अध्यापन के आशय की दृढ़ता हेतु–

(क) आशय सहज, सरल एवं स्पष्टता से विवेचन करना होगा।

(ख) आसान गृहकार्य दिये जाने चाहिए।

(ग) अध्ययन आशय के अभ्यास के लिए कई आवृत्तियों की पूर्ति हो।

(घ) क्रमान्विन अध्ययन तंत्र का उपयोग हो।

उपर्युक्त आचार संहिता के चलते अध्यापकों द्वारा छात्रों के प्राप्त ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोजन कराने की कोशिश भी की जानी चाहिए। इसमें समस्या हो तो अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम की पुनर्रचना करनी चाहिए। पाठ्याशय एवं अध्यापन प्रणालियों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2.3.1 संसाधन कक्ष का प्रबंधन

समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालक परिवार के बाद 'विद्यालय' के छोटे समाज से ही अधिक परिचित होता है। छात्रों का किसी न किसी अध्ययन कृति में सक्रिय सहभाग लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मगर दिव्यांग छात्रों का सक्रिय सहभाग (Active Participation) होने तथा बढ़ाने हेतु हर समावेशी विद्यालय में एक परिपूर्ण संसाधन कक्ष जरूर हो।

संसाधन कक्ष के स्वरूप की जानकारी पर एक नजर डालेंगे–

- किसी भी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में एकात्म एकक (Integrate Unit) हो।
- दिव्यांगताओं के प्रकारों के अनुसार एक एकक में सीमित छात्रों को प्रवेशित किया जाए।
- विशेष अध्यापक की नियुक्ति।
- किताबें, कापियां, यातायात की व्यवस्था, शैक्षिक साधन–अध्ययन अनुभूति हेतु विभिन्न परिस्थितियों के निर्माण हेतु जगह।
- मार्गदर्शक अध्यापक के वेतन, सेवा शर्तें।
- छात्रों के खेल हेतु खेल साधन।
- प्रत्येक दिव्यांग बालक का केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों की पूर्ति हेतु व्यवस्था एवं संसाधन।

एकात्म एकक को यशस्वी रूप से चलाने के लिए हर विद्यालय में संसाधन कक्ष समृद्ध हो। केवल उपकरणों की उपलब्धता ही नहीं बल्कि दिव्यांगों को उनके मानसिक,

भावनिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक विकास की योजना का भी फायदा मिलना जरूरी है।

टिप्पणी

संसाधन कक्ष का सबसे अधिक सम्बन्ध अध्यापक की समृद्ध एवं सर्जनशील दृष्टि से होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाई सिफारिशों में संसाधन कक्ष का प्रबंधन करने के अध्यापक द्वारा विभिन्न कारक निर्मिती विचार महत्वपूर्ण माने गये हैं।

वे कारक निम्न चित्र में दिये गये हैं–

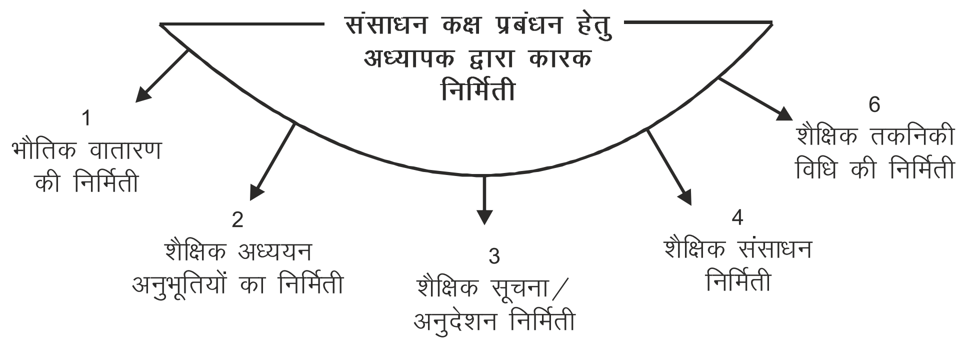

(1) भौतिक वातावरण की निर्मिती : कक्षा प्रबंधन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, भौतिक वातावरण। इसकी समृद्धता के लिए अध्यापक को निम्न कार्य करने होंगे'

(क) छात्रों को सुयोग्य लिखावट के लिए लिपि लेखन की पट्टियां + चार्ट्स; सहजता से अध्ययन के साधन।

(ख) अपनी चीजें कक्षा में व्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्थित डेस्क, फर्नीचर तथा शिक्षकों द्वारा तथ्ययुक्त मार्गदर्शन।

(ग) यातायात की व्यवस्था के लिए आर्थिक अनुदानों का उपयोग कर रिक्शा, बस, गाड़ियों की व्यवस्था।

(घ) वास्तु रचना में सुविधाजनक बदलाव।

(ङ) छात्रों के लिए किताबें, गणवेश, कापियां, बस्ते।

(च) उत्तेजनात्मक/प्रेरणा हेतु वस्तुओं की खरीदारी।

(छ) कारक कौशलों पर नियंत्रण लाने हेतु सर्जरीज करवाना।

(ज) समाज एवं जनजागृति हेतु नाटक, पथनाट्य व लोकनाटयों का प्रदर्शन–आयोजन।

(2) शैक्षिक अध्ययन अनुभूतियों का निर्माण

(क) छात्रों को भाषा अध्ययन हेतु वर्णमाला के अक्षरों, शब्दों, वाक्यों की पट्टियां बनाना।

(ख) कविता का गायन/रेकॉर्ड।

(ग) वाक्य रचनाओं, चित्रों के निर्माण हेतु साहित्य।

(घ) दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार आईने का उपयोग कर बोलने के ढंग में तथा लिखावट में सुधार।

(ङ) छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पुनर्वास केंद्र कार्यरत हो; जहाँ शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैद्यकीय उपचार हो।

(च) पाठ्यपूरक कृतियों के खेल साहित्य, शिक्षा के विभिन्न आयामों पर केंद्रीकरण करके साधनों का निर्माण

(छ) वर्तमान पत्र/समाचार पत्र; शैक्षिक पत्रिकाओं की खरीदारी जिससे अध्यापकों की आशय अभिवृद्धि में मदद हो।

(ज) पाठ्यक्रम परिचर्या, पाठ–लेखन, इकाई नियोजन, वार्षिक नियोजन सर्जनशीलता का उपयोग करके करना, जिससे अध्ययन सहज होने में मदद होगी।

(3) शैक्षिक सूचना/अनुदेशन निर्मिती : संसाधन कक्षा में विभिन्न कृतियों को संघटन करने के लिए निम्न कार्य करने होंगे–

(क) संसाधन कक्ष में दो–दो छात्रों की जोड़ियां बनाकर उनसे प्रकल्प बनवाना/कृतियां करवाना।

(ख) दिव्यांगों में बड़े आयु के बच्चों को भी प्रवेशित करना जिससे उन्हें शैक्षिक समायोजन की सहूलियत प्राप्त हो।

(ग) दिव्यांगों के संगोपन का अभिभावकों को प्रशिक्षण दें।

(घ) अभिभावकों से संपर्क रख प्रगति की जानकारी लेकर उसका अभिलेख बनवाना।

(ङ) परीक्षा/मूल्यांकन करने के लिए अलग प्रश्नपत्र, अलग प्रश्न प्रकारों का निर्माण करना।

(4) शैक्षिक संसाधन निर्मिती : समावेशी शिक्षा में मानवी संसाधनों का सहयोग बहुत आवश्यक तो है ही बल्कि उनकी उपलब्धता हेतु प्रयास करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए निम्न कार्य करने होंगे–

(क) संसाधन कक्ष में प्रकल्पों/नवोपक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रीय शैक्षिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद् (N.C.E.R.T.) को सादर करना; प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षित मानवी घटकों का पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त कर विशेष सुविधाओं को अपनाना।

(ख) शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र का निर्माण; जिसके द्वारा दिव्यांग बालकों को उनकी क्षमता विकास के अनुसार सरकारी एवं निजी छात्रों में नौकरी हेतु आरक्षण (Reservation Quota) रखने की योजना ;त्मेमतअंजपवद फनवजंद्ध बनाना।

(ग) नौकरी हेतु प्रशिक्षण, समुपदेशन एवं मार्गदर्शन।

(घ) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति।

(ङ) विशेष क्षेत्र में नये–नये प्रतिभाशाली प्रयोग करने वालों की सहायता लेकर कक्षा में संशोधन प्रकल्प की योजना निर्धारित करना।

(च) पाठ्यक्रमानुधारित कार्यक्रमों के आयोजन एवं परिपूर्ति के साहित्य एवं उपकरणों की उपयोगिता का प्रशिक्षण लेना।

(छ) दूरशिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण में विशेष शिक्षा का अंतर्भाव करना।

टिप्पणी

(5) शैक्षिक तकनीकी विधि की निर्मिती : इन दिनों आधुनिकता का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग करना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा उपकरणों की भरमार भी हो। जैसे–

(क) आकाशवाणी (Radio) कार्यक्रम, दूरदर्शन (Television) कार्यक्रम, रेकॉर्ड प्लेयर, वीसीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर (OHP) इन साधनों की आवश्यकता एवं उपयोग की विधियों का प्रशिक्षण तथा छात्रों को भी ज्ञान देना।

(ख) कक्षा प्रबंधन कार्य में संगणकीय प्रणाली का उपयोग करना। छात्रों को भी संगणक प्रणाली एवं तकनीक का ज्ञान देना।

संसाधन कक्ष का प्रबंधन हर हाल में प्रभावशाली होने के प्रयास समावेशी शिक्षा द्वारा किये जाते हैं। इसी से समावेशी समाज का विकास सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशल उपयोग पर भी निर्भर करता है।

2.3.2 समावेशी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु नियोजन व प्रबंधन

समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहभागी करवाना, ताकि उनके विकास में कोई कमी न रह जाए क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया सामान्य बालकों के साथ चल रही है। मगर इनमें कोई स्पर्धा नहीं होती। कई बार सामान्य बालक एवं विशेष बालक एक ही स्पर्धा में सहभाग ले सकते हैं। जरूरी यह है कि छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन करने के लिए उन्हें शैक्षिक पाठ्याशय पूरक अनुभूतियां दी जाएं। इन उपक्रमों में सहभागिता से उनकी वैचारिक प्रगति, शारीरिक क्षमताओं की वृद्धि, मानसिक धैर्य बढ़ाना, भावनाओं में बदलाव एवं निजी जीवन को परखने की एक सहूलियत प्राप्त होती है।

शिक्षा के उद्देश्य साध्य करने का मुख्य साधन होता है; पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमों को पूरा करते, समावेशी शिक्षा के व्यक्तिभेद ध्यान में रखकर कई कृतियों का आयोजन करना होता है; जिससे कि पाठ्यक्रम आसानी से समझाया जाए। पाठ्यक्रम पढ़ाकर खत्म करना महज एक औपचारिक कृति न होकर रुचिपूर्ण रूप से छात्रों के जहन तक आशय पहुंचाना, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनिक सहभाग बढ़ाना एवं उनकी दिव्यांगता की ओर से उनका दुर्लक्ष (Neglect) करवा कर मुख्य प्रवाह में लाने हेतु सर्वसाधारण क्रियाकलापों की सहज ढंग से पूर्ति कराना होता है। पाठयांतर क्रियाओं का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्त्व है; जितना कि विभिन्न विषयाध्यापन द्वारा शिक्षा उद्देश्यों को सफल करना। छात्रों को जीवनानुभव देने हेतु पाठ्यांतर क्रियाएं पाठ्यक्रम से भी अधिक उपयोगी साबित हो सकती हैं।

पाठ्य सहगामी–क्रिया : इसमें दो संज्ञाएं समावेशित की जाती हैं– (1) पाठ्यपूरक क्रियाएं/कार्यक्रम, (2) पाठ्यांतर कार्यक्रम।

टिप्पणी

(1) पाठ्यपूरक कार्यक्रम (Co-curricular Activities)

परिभाषा : "पाठ्यक्रम में होने वाले दोषों को नष्ट कर अनौपचारिक ढंग से एवं विशेष छात्रों के सहयोग से पाठशाला में आयोजित कार्यक्रमों को ही पाठ्यपूरक कार्यक्रम कहते हैं।"

किताबों में बद्ध पाठ्यक्रम यह तासिकाएं दिन एवं साल में विभाजित होता है, उनमें छात्रों का सहभाग निसर्गतः होने के अलावा सक्ति द्वारा भी होता है; परंतु छात्रों द्वारा उत्स्फूर्तता से ही उपयोजन हो, ऐसा इनका स्वरूप होता है। इससे छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन होता है। शिक्षा का विकास ऐसी ही अलग पद्धति के परिणामदेह होता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में निश्चित स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए इन्हें 'पाठ्यपूरक' संबोधन हैं।

पाठ्यपूरक कार्यक्रमों में वक्तृत्व, वाद–विवाद, निबंधलेखन, कथाकथन, हस्तलिखित इत्यादि उपक्रमों का समावेश होता है।

(2) पाठ्यांतर कार्यक्रम (Extra Curricular Activities)

परिभाषा : "पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कई विषय एवं छंदों को पाठशाला परिसर में छात्रों को अनुभूतियां देने की आधुनिक पद्धति है। अब इन्हें पाठ्यक्रम के बाहर के कार्यक्रम न कहकर पाठयांतर कार्यक्रम कहा जाता है।"

इस तरह से छात्रों के सर्वांगीण विकास में उपर्युक्त विषयों में से अनुभव संहिता का उपयोग होता है।

इन दोनों ही संज्ञाओं को इस एकक में 'पाठ्य–सहगामी क्रिया' का संबोधन दिया गया है। इन क्रियाओं के कुछ समूह–

(क) खेल, स्पर्धाएं

(ख) शैक्षिक यात्राएं, शिविर (Educational Trips-Tours)

(ग) मंडल, वाद–विवाद स्पर्धाएं, नाट्य साहित्य, संगीत

(घ) नियतकालिक (Magazine), छपाई, हस्तलिखित

(ङ) नित्य नैमित्तिक सभाएं, स्मृतिदिन, जन्मदिन, सांस्कृतिक–राष्ट्रीय समारोह

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ एवं महत्व

(1) क्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है।

(2) प्रत्येक शरीरावयव के संबंधों की पहचान होती है एवं महत्व पता चलता है।

(3) सभी ज्ञानेंद्रियों को उपयोग में लाया जाता है।

(4) गतिशीलता आती है। कोई भी कार्य सहजता से करके उसमें सफाई, अचूक कृति का प्रदर्शन किए जाने का प्रयास किया जाता है।

(5) व्यक्तित्व संघटन। कक्षा के सभी मानवी घटक हैं; उनके स्वभाव तथा हर घटक के स्वभाव की पहचान, गुणावगुणों की भी पहचान होती है।

(6) दिव्यांगों की उनकी अक्षमताओं पर विजयप्राप्ति सहभागी क्रियाओं में सहभाग द्वारा उनके अन्य अंगों के द्वारा कृति–कौशलों का विकास किया जाता है।

(7) कल्पना शक्ति का विकास। अध्यापकों द्वारा दिव्यांगों की कल्पना शक्ति हेतु प्रत्यक्ष वस्तुओं की मदद से/Model/प्रतिकृति द्वारा जानकारी देने से लाभ हो जाता है।

टिप्पणी

(8) शारीरिक विकास में सहायक।

(9) न्यूनगंड दूर हो जाता है।

(10) समूहभाव को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न कृतियों में समावेश के कारण दिव्यांग छात्रों में शनैः शनैः एकसंघ भाव का निर्माण बढ़ने लगता है।

(11) मनोबल वृद्धिगत होता है।

(12) दिव्यांग बालकों को उनकी प्रशंसा करने से तथा उपहार देने से और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(13) विद्यालय में रहने की व्यवस्था हो तो धीरे–धीरे सहगामी कृतियों के कारण उसे वहां रहने की यानी पुनर्वास में रुचि बढ़ने लगती है।

(14) छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से की जाती है, उसके कारण वे धीरे–धीरे खुलने लगते हैं।

(15) नेतृत्व–गुणों का विकास होता है।

(16) विद्यालय एवं विद्यालय से जुड़ी हर बात के बारे में आदरभाव वृद्धिगत होता है।

जिन पाठ्यसहगामी क्रियाओं से लाभ होता है; उन क्रियाओं के प्रकारों के अनुसार उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं–

(1) शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं।

(2) शैक्षिक विकास संबंधी क्रियाएं।

(3) भाषिक विकास संबंधी क्रियाएं।

(4) उदारता/फुर्सत के समय की गतिविधियां।

(5) कलाविकास की क्रियाएं।

(6) विज्ञान/शास्त्रज्ञान में वृद्धि लाने हेतु क्रियाएं।

(7) नागरिक शिक्षा का ज्ञान बढ़ाने हेतु क्रियाएं।

(8) समाजसेवा संबंधी क्रियाएं।

(9) बहुआयामी गतिविधियों की क्रियाएं।

(10) राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक विकास हेतु क्रियाएं।

समावेशी शिक्षा की स्वीकृति ही अध्यापकों का सर्वसामान्य छात्रों तथा दिव्यांग छात्रों की ओर 'सर्वसमावेशकता' से देखने का दृष्टिकोण है; उस पर निर्धारित है। यह दृष्टिकोण सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है। अगर शालेय प्रबंधन तथा सरकार (केंद्र/राज्य/स्थानिक) इन्हें यशस्वी समावेशण शिक्षा प्रणाली अमल करने में अधिक रुचि रखते हैं, तो अध्यापकों को छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इसके साथ–साथ छात्रों का कृतियुक्त सहभाग भी अत्यावश्यक है, जिसके कारण उन्हें आधार एवं सहाय्य मिल सकता है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

7. कक्षा प्रबंधन किस प्रक्रिया हेतु ही अपेक्षित है?
   (क) अध्ययन–अध्यापन (ख) भ्रमण
   (ग) खरीदारी (घ) व्यापार
8. कैसी शिक्षा के कक्षा प्रबंधन में मानवी संसाधनों के साथ अन्य संसाधनों का महत्वपूर्ण विचार होता है?
   (क) विदेशी (ख) समावेशी
   (ग) सामान्य (घ) प्रौढ़
9. समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालक परिवार के बाद कहां के छोटे समाज से ही अधिक परिचित होता है?
   (क) घर के (ख) शहर के
   (ग) गांव के (घ) विद्यालय के
10. संसाधन कक्ष का सबसे अधिक संबंध किसकी समृद्ध एवं सर्जनशील दृष्टि से होता है?
   (क) प्रधानमंत्री की (ख) प्रबंधन की
   (ग) अध्यापक की (घ) अभिभावक की
11. शिक्षा के उद्देश्य साध्य करने का मुख्य साधन क्या होता है?
   (क) सहपाठी (ख) पुस्तक
   (ग) पाठ्यक्रम (घ) वातावरण
12. समावेशी शिक्षा की स्वीकृति ही किसका सर्वसामान्य छात्रों तथा दिव्यांग छात्रों की ओर सर्वसमावेशकता से देखने का दृष्टिकोण है?
   (क) अध्यापकों का (ख) अभिभावक का
   (ग) सहपाठियों का (घ) डॉक्टरों का

2.4 समावेशी शिक्षा की अनुदेशन एवं मूल्यांकन प्रणाली

कक्षा में अध्यापक को अध्यापन के दौरान व्यक्तिभेदों का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र अध्ययन में अक्षम होते हैं, तो कुछ दिव्यांग होते हुए भी अध्ययन में पिछड़े नहीं होते। कुछ छात्र वाचन, भाषण, लेखन या मापन जैसी मूलभूत क्रियाओं में पिछड़े होते हैं, तो कुछ को आकलन (Understanding) की समस्या होती है। कम सुनाई देने के कारण किसी को आकलनादि समस्याएं होती हैं; तो किसी को अवबोधात्मक (Perception) दोषों की समस्या होती है। अध्यापक कितना भी दिशादर्शक अध्यापन कर दे; मगर किन्हीं छात्रों के लिए वह बेअसर सा ही होता है। कई बार समस्याओं का पता लग नहीं पाता क्योंकि कुछ छात्रों के सभी ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम (Capable) होते हैं।

इससे यह साबित होता है कि अध्ययन अक्षमता, मतिमंदत्व या शारीरिक अपंगत्व होना या ना होना, इससे केवल बौद्धिक स्तर (Cognitive level) शैक्षिक उपलब्धि (Achievement) और वर्तन (Behaviour) इनमें फर्क (Discrepancy) नजर आता है।

समावेशी शिक्षा में एक ही कक्षा में दिव्यांगताओं के प्रकारोनुसार अनेक अन्य ज्ञानेंद्रियों में सक्रियता एवं सहजता दिखाई देती है।

दिव्य–इंद्रियों (Sensory Organ) की क्षमता कम होने के भी अलग–अलग कारण दिखाई देते हैं; जिनके द्वारा शैक्षिक अध्ययन अक्षमता भी आ जाती/सकती है।

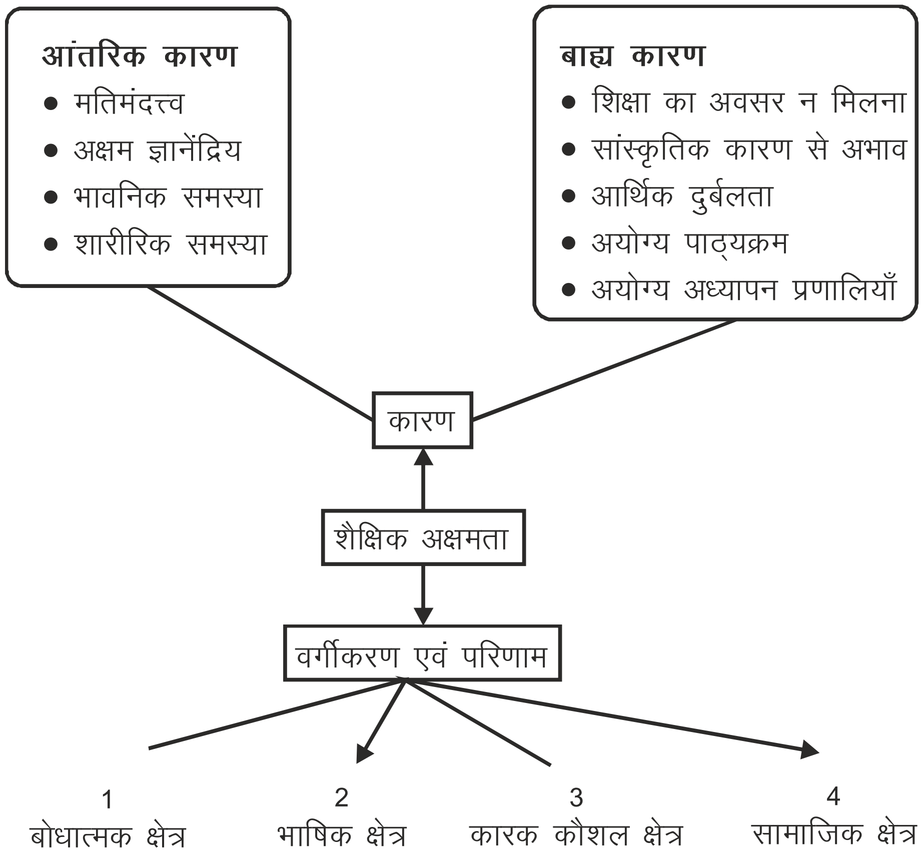

शैक्षिक अक्षमता कारण, वर्गीकरण एवं परिणाम

उपर्युक्त चित्र में दर्शाए शैक्षिक अक्षमता के वर्गीकरण एवं परिणामों का विवेचन–

1. **बोधात्मक क्षेत्र** (Cognitive Field): बोधात्मक क्षेत्र अविकसित होने के कारण एकाग्रता का अभाव, कम अवधान (Attention) कक्षा, स्मरण प्रक्रिया में समस्या (Memory Problem), अलग–अलग बातों के संबंधों की समस्या, कम आकलन (Low-Understanding) आदि लक्षण होते हैं।
2. **भाषिक क्षेत्र** (Lingeuistic Field): भाषिक क्षेत्र में कम शब्द भंडार (Low Vocabulory), व्याकरण दोष बोलने में दिक्कत, श्रवणदोष, वाचनदोष दिखते हैं।
3. **कारक कौशल्य क्षेत्र** (Motor Skills Filed): अविकसित स्नायुबंध, शरीरावयवों में समन्वय साध्यकरणे/बनाने में दिक्कत, बेजोड़पन, सुव्यवस्थित शरीरयष्टि का अभाव, चेहरे पर भावाभाव, चेहरे से अलग पहचान जैसे परिणाम दिखाई देते हैं।

4. **सामाजिक क्षेत्र** (Socialistic Field): सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी अक्षमताओं में भावनिक अस्थिरता एवं भाव विवशता भी दिखाई देती है।

बहुज्ञानेंद्रियों की अक्षमता के साथ–साथ अन्य ज्ञानेंद्रियों की कार्यक्षमता अच्छी एवं कार्यक्षेम होती है। जैसे– अंध/दृष्टिदोष बालकों की श्रवण, गायन क्षमता, शारीरिक क्षमता अधिक विकसित होती है। कर्णबधिरों की भी अन्य शारीरिक क्षमताएं अच्छी होती हैं। जिन्हें विकसित करने का आवाहन ही अध्यापकों के सामने होता है। इसी कारण समावेशी शिक्षा में छात्रों के दिव्य–बहु–ज्ञानेंद्रियों का विचार आवश्यक माना जाता है। उनके विकास हेतु अनुदेशन योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

अध्यापक को चाहिए कि अध्यापन प्रणाली कक्षा के उन दिव्यांग छात्रों की विविध क्षमताओं का सुधारात्मक (Improvement) विचार कर होनी चाहिए जिससे अनुदेशन में भी विविध स्तर पर अनुदेशित कार्य हो। विभिन्न अध्यापन प्रणालियों बहु–दृष्टिकोणों को सम्मिलित करके व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य को अमल कराने की योजना बनानी चाहिए। इसमें छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटकों के अनुसार अनुदेशित कार्य दिए जाते हैं।

निम्न चित्र में सुधारात्मक योजना के कुछ दिशादर्शक दिए गये हैं; छात्रों के बहु–सांस्कृतिकरण में इस जानकारी से हमें मदद मिलेगी।

छात्रों के बहुसांस्कृतिकरण हेतु सुधारात्मक तथा अनुदेशनात्मक दिशा दर्शक

(1) प्रशिक्षणात्मक
- कौशल विकास/कृति प्रशिक्षण दिशादर्शक
- प्रक्रिया/क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण दिशादर्शक
- प्रक्रिया–कृति–मार्ग दिशादर्शक
- ज्ञानात्मक दिशादर्शक

(2) अनुदेशनात्मक
- प्रत्यक्ष अनुदेशन
- सहायक तकनीकी
- पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन

बहुसांस्कृतिकरण के दिशार्दशक

आकृति में दिखाए गये (1) प्रशिक्षणात्मक (Training Mode), तथा (2) अनुदेशनात्मक (Instructional Mode) प्रकार द्वारा सुधारों का विभाजन किया हुआ है।

(1) प्रशिक्षणात्मक

कौशल विकास/कृति प्रशिक्षण दिशादर्शक (Task of Skill training mode): छात्रों में जिस कौशल को विकसित कराना है, उसे उसके उपकौशल घटकों में विभाजित कर उस उपकौशल को स्वतंत्र, एक–एक सीढ़ी द्वारा पढ़ाना उनका संयोजन करना अपेक्षित है। जैसे– वाचन अक्षमता दूर करने हेतु वाचन कौशल के अध्ययन का पृथककरण (Analysis) करना।

टिप्पणी

– शब्दों में ध्वनिशास्त्र (Phonetics)

– उच्चारावयव (Syllables)

– स्वतंत्र शब्द (Word)

– संपूर्ण वाक्य (Sentence)

इस तरह उपकौशलों का प्रशिक्षण देकर उनका अभ्यास।

प्रक्रिया/क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण दिशादर्शक (Ability or Process Training Mode): जिन ज्ञानेंद्रियों की कार्यक्षमता की अध्ययन गति धीमी–धीमी है उसको दूर करना है। उदाहरण वाचन में दृक्–स्मरण में (Visual Memory) दोष हैं तो विशेष प्रशिक्षण देकर उसे दूर करना।

प्रक्रिया–कृति–मार्ग दिशादर्शक (Process Task Approach Mode): उपर्युक्त दोनों दिशादर्शकों को एकत्रित करके इस दिशा दर्शक का निर्माण हुआ है। उपकौशलों का आधार अक्षमताओं पर जोर कृतियों को सही दिशा में मोड़ देना।

ज्ञानात्मक दिशादर्शक (Cognitive Intervention Strategies): कुछ दिव्यांग बालकों को मूल कौशल (Basic Skills) हैं, मगर फिर भी वे अभ्यास में पिछड़े हैं, उन्हें अभ्यास कौशल सिखाकर (Practice Skills) अक्षमताएं दूर कराएं, जैसे–

– अग्रत संघटक (Advance Organizer)

– शोधन प्रशिक्षण (Search Strategies Training)

– शाब्दिक अभ्यास (Verbal Rehearsal)

– स्व–प्रश्नावली (Self Questioning)

इन तंत्रों का प्रयोग समावेशित किया जाता है। किसी भी विषय में प्रावीण्य (Mastery) पाने हेतु यह दिशादर्शक उपयोगी होता है।

(2) अनुदेशानात्मक

प्रत्यक्ष अनुदेशन (Direct Instruction) : दिव्यांगों का अध्ययन कृतियों द्वारा उनके कार्यात्मक जीवन कौशल (Functional Life Skills) और उनकी स्वीकार्यता (Acceptance) को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष अनुदेशन करना।

जैसे– दृष्टिदोष वाले को रास्ते पर अकेले ही चलते जाना है। यातायात का उपभोग लेना है। इसके लिए प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा तैयार करना।

सहायक तकनीकी (Assisted Technology): अध्यापनीय प्रणालियों में (Teaching Strategies) छात्रों की कमियों का ध्यान रखते हुए सहायक तंत्रज्ञान/तकनीकी का उपयोग करना जैसे–

– रेडियो/Audio द्वारा गायन।

– प्रत्यक्ष दिग्दर्शन (Demonstration)

– उपकरणों का उपयोग (Instruments Handling)

पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन (Evaluation of Syllabi): अध्यापन में अनुदेशित कार्यप्रणाली को विकसित कर उसके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, जैसे–

टिप्पणी

– पाठ्यक्रम की इकाई का विश्लेषण

– हर पाठ की जानकारी का विवेचन

– प्रस्तुति हेतु दी गई अध्ययन–अनुभूतियां

इन सबका छात्रों पर कैसा असर हुआ इसका मूल्यांकन (Evaluation) होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी बात से दिव्यांग वंचित न हों, उन्हें हर बात का अधिकार प्राप्त हो, जैसे कि वे जहाँ रहते हैं, वहां की स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, वंश, जातियां, वर्ग, धर्म, लिंगभाव, क्षमता इन घटकों को सम्मिलित कर दिव्यांगों में सकारात्मकता (Possitivity) का दृष्टिकोण निर्मित करके शिक्षा प्रणालियों में समावेशित करना ही विकास की ओर ले जाता है।

2.4.1 विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन

समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों के लिए अध्ययन सुलभ कैसे किया जा सकता है? इसके लिए अनुदेशन प्रणाली कैसी हो? तथा उसके द्वारा बहुज्ञानेंद्रियों की अक्षमताओं पर विजय कैसे प्राप्त करनी है? इन सभी सवालों के जवाब विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन से प्राप्त होंगे।

विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन

"विभिन्न अध्ययन तत्व (Principles) तथा कक्षा अनुदेशन प्रक्रियाओं (Class Instructional Process) का उपयोजन (Application) द्वारा कक्षा के हरेक बालक का स्वतंत्र रूप से अलग–अलग मार्गदर्शन (Guidance) तथा समुपदेशन (Counselling) करना ही विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन कहलाता है।"

शिक्षा में 'व्यक्तिगत अनुदेशन' यह संज्ञा इसी कारणवश लायी गई है।

व्यक्तिगत अनुदेशन की शुरुआत छात्रों के द्वारा छात्रों का निरीक्षण करके की जाती है।

व्यक्तिगत अनुदेशन का शुरुआती चक्र

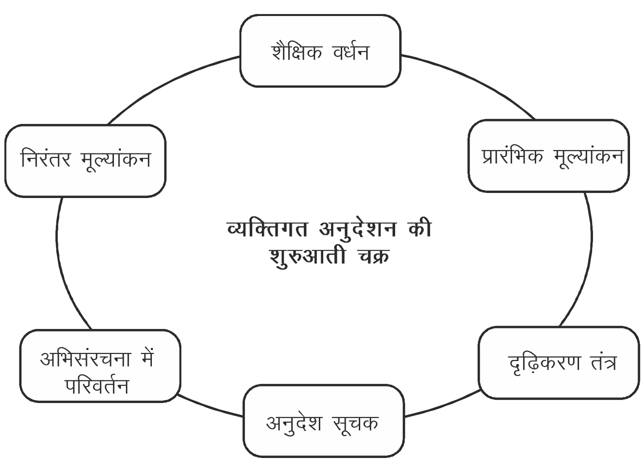

व्यक्तिगत अनुदेशन का शुरुआती चक्र

अध्यापक द्वारा छात्रों के विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन कार्यक्रम द्वारा दैनंदिन मापन कार्य में सातत्य रखना इसमें वर्तन की गति अवलंबित होती है।

टिप्पणी

दिव्यांग छात्रों की वर्तन गति को नियमबद्धता से चलाते रहने हेतु विभक्त अनुदेशन की सीढ़ियों का विचार करना अत्यावश्यक है।

विभक्त/अलगिकृत अनुदेशन की सीढ़ियां

(1) मापन (Assessement)

(2) निदानात्मक तंत्र (Diagnositic Techni)

(3) प्रत्यक्ष/वास्तविक निरीक्षण (Real/Direct Observation)

(4) निरंतरता (Continuity)

(5) वातावरणीय घटक (Environmental Elements)

(6) योग्य दिशा में परिवर्तन (Systematic Change)

विभक्त अनुदेशन ही व्यक्तिगत अनुदेशन है। उपर्युक्त सीढ़ियों का इसमें बहुमूल्य योगदान होता है। जैसे– मापन करते वक्त अध्यापक द्वारा छात्रों के अध्ययन उपयुक्त घटक (elements) या बाधायुक्त (Distraction) घटकों को पहचानने हेतु वर्तन का स्पष्ट उल्लेख/निर्देश दिया जाना चाहिए।

मापन किये जाने वाले वर्तन की शुरुआत एवं आखरी मार्ग निश्चित हो।

वर्तन में निरीक्षण योग्य कृति की जानी चाहिए।

कृतियों की पुनरावृत्ति हो।

इसी तरह विभक्त अनुदेशन में मापन क्षम वर्तन हेतु संपूर्ण कृति चक्र दिया गया है। छात्रों को धनात्मक दृष्टिकोण देने हेतु उपर्युक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हीं के आधार पर अध्यापक इसका प्रभावी साधन/उपकरण के तौर पर कक्षा एवं छात्रों को अनुदेशन का प्रबंधन कर सकता है।

इस अनुदेशन के प्रबंधन या उद्दिपक के प्रदर्शन हेतु अध्यापक शैक्षिक कृति चक्र का आयोजन करके छात्रों से निम्न कृति करवा लेते हैं, जैसे–

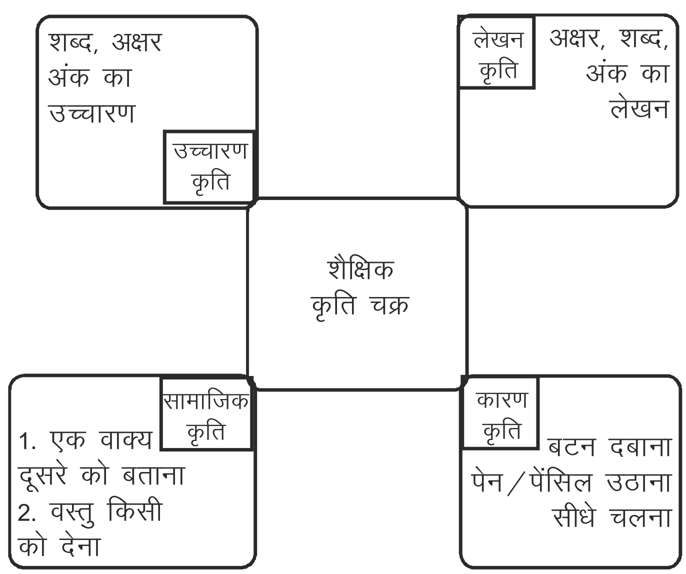

चित्र 2.7 शैक्षिक कृतिचक्र

टिप्पणी

इस तरह कृतिचक्रों को चलाते अध्यापक छात्रों में कौशलों का निर्माण कराते हैं।

अनुदेशन मापन (Assessment of Differeniated Instruction)

छात्रों को कक्षा में प्रतिक्रिया देने हेतु उत्तेजना देना, वर्तमान जीवन सुलभ एवं तुरंत सुधार का अवसर देने वाला बनाना, सफलता का अनुभव दृढ़ करके उसका प्रत्यक्ष पुनर्भरण करने के बंधन को हटाना– इन उद्देश्यों से अनुदेशन मापन होना चाहिए।

विभक्त अनुदेशन की आवश्यक कृतियाँ

(1) **सूक्ष्म घटक पर ध्यान** : अनुदेशन हेतु किसी भी कृतिचक्र के छोटे–छोटे भाग करना आवश्यक है। दिव्यांग की विशिष्ट समस्या पर उपाय करने हेतु उसके वर्तन के अतिसूक्ष्म घटक पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ऐसी क्रमबद्ध रचना करने से छात्रों को विफलता नहीं मिलती एवं वे बिना–झिझक अभ्यास करने में व्यक्तिगत अनुदेशन उपयुक्त हो जाते हैं।

(2) **पाठ–नियोजन** : छात्रों को जो 'आशय' (Content) सिखाना है, उसके अध्ययन संबंधी घटनाओं का लेखन, उनकी क्रमबद्ध श्रेणी रचना यही पाठ–लेखन होता है। छात्रों के विशिष्ट मापन हेतु मिलने वाले पुनर्भरण–आशय की जानकारी से अध्यापन में योग्य बदलाव लाकर लचीलापन (Flexibility) लाया जाता है।

(3) **अभिलेख (Record) निर्मिती** : दिव्यांग छात्र की निर्वर्तन (Misbehaviour) की जानकारी का अभिलेख तैयार करना। कक्षा में दिव्यांग बालकों के वर्तन–निर्वर्तन की जानकारी का लेखा–जोखा अभिलेख द्वारा किया जाना चाहिए जिससे अध्यापक को अनुदेशन कार्यक्रम बनाने एवं उसमें बदलाव लाने में मदद मिलेगी।

(4) **निर्वर्तन का विश्लेषण** : अध्यापन का सही परिणाम एवं छात्रों की प्रगति तय करने के लिए निर्वर्तन का विश्लेषण करना; इस विश्लेषण द्वारा स्वतंत्र अनुदेशन को सफल बनाना इस पर सोच–विचार अध्यापक की महत्वपूर्ण कृति है।

अध्ययन सुलभ एवं सफल बनाने हेतु अभिलेखों द्वारा प्राप्त जानकारी विस्तृत तथा योग्य हो तो व्यक्तिगत एवं पूर्ण कक्षा के लिए यह अनुदेशन प्रणाली विकसित की जा सकती है। पाठ्यक्रम एवं परिस्थितिजन्य उद्दीपकों (Stimuluses) द्वारा आशय एवं घटक बदलने का अवसर मिल पाता है।

विभक्त अनुदेशन की अभिसंरचना तैयार करना, इससे अध्यापक के हाथ महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध हो जाता है। छात्रों के विकास एवं प्रगति में उनकी दैनंदिन क्रियाओं के सही व गलत वर्तन अंकों की पृच्छा (Inquiry) ही मापन है। इस प्रकार अनुदेशन कार्यक्रम से छात्रों की व्यक्तिगत घटनाओं में पुनः–पुनः अनुलेखन से दृढ़ता आती है। यह मापन प्रणाली विशेष शिक्षक और शैक्षिक तकनीकी क्षेत्रों की प्रगति है।

2.4.2 सहभागित्व अध्ययन

समावेशी शिक्षा में सहभागित्व अध्ययन का अपना महत्त्व माना जाता है। "दिव्यांगों के संपूर्ण अंगों का विकास" यह शिक्षा का उद्देश्य होता है। अध्यापक को अध्यापन प्रभावशील बनाने के लिए अनेक कौशलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस अध्यापक का, जो कौशल्य अधिक प्रभावी होता है; उसे अध्यापन के विशिष्ट भाग के अध्यापन का

टिप्पणी

अवसर प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम का कुछ आशय एक तासिका में अनेक शिक्षकों में विभाजित करके दिया जाने के बाद प्रत्यक्ष अध्यापन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, छात्रों के सक्रिय सहभाग से अध्ययन प्रक्रिया को सुलभ करना, यह इस संकल्पना में है।

परिभाषा : "अध्यापन में दो या अधिक अध्यापकों द्वारा एक ही आशय पाठ का सुव्यवस्थित ढंग से, नियोजन कर, छात्रों को प्रभावी ढंग से सम्मिलित करके पढ़ाना। इस एकत्रित क्रिया को ही सहयोगी अध्ययन कहा जाता है।"

इसको सांधिक अध्ययन, सहाध्यायी अध्ययन या सहभागित्व अध्ययन यानी Collaborative Learning यानी एकत्रित– मिलकर किया जाने वाला अध्ययन, इन संज्ञाओं से जाना जाता है।

1955 में हार्वर्ड विद्यापीठ में इसका प्रथम विचार हुआ।

परिभाषा : "दो या अधिक अध्यापकों के परस्पर सहयोग से कक्षाध्यापन एवं अधिकाधिक छात्रों को अध्ययन में सहभागी करके उनके लिए सहायीभूत प्रणाली का विकसन, पाठ्य योजना एवं प्रस्तुति द्वारा करना ही सहयोगी अध्ययन कहलाता है।"

एक अध्यापक द्वारा कक्षाध्यापन से सहयोगी अध्ययन बहुत ही अलग बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण कक्षा का स्वरूप ही बदल जाता है।

सहभागित्व इस संकल्पना में एक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। एक अध्यापक के साथ एक और अध्यापक कक्षा में ज्यादा सक्रियता से प्रदर्शन करवाते हैं, साथ ही साथ कक्षा के सभी छात्रों का सक्रिय सहभाग (Active Participation) बढ़ाया जाता है; जिससे छात्र उत्स्फूर्तता से इस प्रणाली का एक हिस्सा खुशी–खुशी से बन जाते हैं तथा शनैः–शनैः उनका सीखना/अध्ययन हो जाता है।

कक्षाध्ययन में सभी छात्रों को सक्रिय कराना बहुत ही कौशल्यपूर्ण काम है जिसके लिए एक से दो अध्यापकों का सहाय्य पूरक समझा जाता है। कक्षा की संपूर्णतः कृतियुक्तता से स्वरूप बदलना मुमकिन हो सकता है; मगर सुव्यवस्थित, नियोजन द्वारा ज्यादा आवाज, भागदौड़ तथा नियमों का उल्लंघन इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी रहती है।

सहभागित्व अध्ययन की विशेषताएं

(1) कक्षा में दिव्यांग बालकों समेत अन्य बालकों के लिए भी सहभागित्व अध्यापन प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है।

(2) विवेचन, चित्र निकालना व उसका आशय से संबंध जोड़ना, सुयोग्य विवेचन करना, सुंदर, सुस्पष्ट एवं आवश्यकतानुसार फलक लेखन कर के छात्रों का आकर्षण व अवधान का उपयोग किया जाता है।

(3) फलक लेखन कृतियों में छात्रों का सहभाग लेकर फलक लेखन के सभी अंगों को सम्मिलित करते हुए छात्रों को धीरे–धीरे इस कृति का केंद्र बिंदु साध्य कराया जाता है।

(4) दोनों अध्यापकों के अलग–अलग गुणों एवं कौशलों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है।

(5) छात्रों के अध्ययन में इस प्रणाली की सभी क्रियाएं मददगार साबित होती हैं। उनकी सबका सहभागी होना ही एक प्रकार की स्व–आदर (Self-Respect) का निर्मिती होने के कारण उत्स्फूर्तता का तत्व परिणाम दिखाना है।

टिप्पणी

(6) समावेशी शिक्षा कक्षा में दोनों प्रकारों के छात्र (सामान्य एवं असामान्य) होते हैं। इन सभी छात्रों को कक्षाध्ययन में सम्मिलित होने/कराने का प्रयास किया जाता है। परिणामतः छात्रों का भावनिक सहभाग उपयुक्त साबित होता है।

(7) सहाध्यायी अध्ययन में दो अध्यापक के साथ एक–दूसरे की कृति कौशलों में पूरक कराने की कोशिश की जाती है। कक्षा के छात्रों के भी दो से अधिक का समूह बनाकर कृतियां पूर्ण कराने हेतु प्रयत्न किये जाते हैं; कृतियों को गतिशील बनाने के लिए छात्र एक–दूसरे का साथ एवं मदद देते हैं। इस तरह कक्षा में परस्वरपूरकता तत्व का अवलंबन किया जाता है।

(8) सहयोगी अध्ययन में छात्रों के समूहों में अध्यापकों द्वारा सहकार्य (Co-operation) तथा सहयोग (Collaboration) इन दो तत्त्वों के साथ–साथ अध्यापनीय कृतियों के तत्व समावेशित किये जाते हैं। इस तरह अध्यापन योजना फलीभूत होती है।

(9) कक्षा में कई वृत्तियों के छात्र होते हैं। तब उनकी अध्ययन क्षमताएं भी अलग–अलग होती हैं; इसलिए अध्यापन कार्यवाही नियोजन हेतु समयसारणी में लचीलापन लाया जाता है।

(10) छात्रों का अध्ययन प्रभावी हो तथा अनंत काल तक अध्ययन घटक का स्मरण हो इसलिए प्रयोग तंत्र का उपयोग कर अध्ययन अध्यापन के उद्देश्यों को साध्य कर लिया जाता है।

अध्ययन–अध्यापन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए सहयोगी अध्ययन की मर्यादाओं पर ध्यान देना होगा–

(1) सहयोगी अध्यापन में अध्यापकों का संघ एवं संघटन होना अत्यावश्यक होता है। संघ होकर भी सहकार्य भाव होना जरूरी है; अगर नहीं तो अध्ययन प्रक्रिया विफल हो जाती है।

(2) अध्ययन–अध्यापन कार्य में विचलितता आ गई तो सहयोगी अध्ययन में छात्रों को तनाव महसूस होकर कार्य असफल होकर वक्त बरबाद होकर सभी नाराज हो सकते हैं।

(3) सहयोगी अध्ययन में समय सारणी का लचीलापन होता है; मगर उपर्युक्त दो मर्यादाओं से समय बर्बाद हो जाता है। नये सिरे से समय–सारणी में अध्यापन नियोजन करना पड़ता है।

(4) अध्ययन में दो छात्रों में भिन्नता होती है, दोनों की क्षमताएं समान नहीं होतीं। अध्ययन स्तर भी अलग–अलग होते हैं, इससे अध्ययन होने में दिक्कतें आती हैं।

इन सब मर्यादाओं के बावजूद समावेशी शिक्षा में सहयोगी तंत्र के कारण अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया सफल होती है। संपूर्ण समावेशी शिक्षा में सहयोगिता तत्व का अवलंबन फायदेमंद साबित होता है इसलिए सहयोगी अध्ययन के गुण एवं फायदों पर नजर डालेंगे।

सहध्यायी / सहयोगी अध्ययन के गुण / लाभ / फायदे

(1) परिणामी अध्यापन।

(2) परिणामी अध्ययन।

(3) अध्ययन–अध्यापन में सहकार्य भाव का निर्माण।

(4) अध्यापकों के अच्छे गुणों का अवसर प्रदान करना।

(5) आदर्श घटकों (elements) की प्रस्तुति।

(6) सहयोगी अध्ययन प्रणाली सही और गहराई युक्त होती है, जिससे समावेशी शिक्षा कौशल्यपूर्णता से परिपूर्ण की जाती है।

(7) अध्यापकों एवं छात्रों को अपने गुण (Virtues) एवं मूल प्रवृत्तियों में सुधार करने का मौका मिलता है।

शिक्षा उद्देश्यपूर्ण करने के लिए अध्यापन नियोजन प्रणाली का अहम अंग होता है। इसलिए सहयोगी अध्यापन के नियोजन पर गौर करना जरूरी है।

सहयोगी अध्ययन–अध्यापन का नियोजन

- सहयोगी अध्यापन की मानसिक तैयारी
- सहयोगी अध्यापन हेतु अध्यापक का चुनाव
- सहयोगी अध्यापन प्रबंधन का नियोजन

पाठाध्यापन के उद्देश्य

- आशय का चुनाव
- उदाहरणों की, अध्ययन अनुभवों की निर्मिती
- अध्ययन–अध्यापन साहित्य चित्र, प्रतिकृति, अन्य कृतियों की पूर्व तैयारी
- सभी की बैठने की स्थिति की तैयारी
- अध्यापक की भूमिका
- मूल्यांकन विधि

अपनी प्रगति जांचिए

13. कक्षा में अध्यापक को अध्यापन के दौरान किन भेदों का सामना करना पड़ता है?

    (क) मतभेदों का (ख) व्यक्ति भेदों का

    (ग) मनभेदों का (घ) वर्गभेदों का

14. किस क्षेत्र से जुड़ी अक्षमताओं में भावनिक अस्थिरता एवं भाव विवशता भी दिखाई देती है?

    (क) सामाजिक (ख) राजनीतिक

    (ग) आर्थिक (घ) वैश्विक

15. व्यक्तिगत अनुदेशन की शुरुआत किसके द्वारा छात्रों का निरीक्षण करके की जाती है?

(क) अभिभावकों के द्वारा (ख) रिश्तेदारों के द्वारा

(ग) छात्रों के द्वारा (घ) प्रधानाचार्य के द्वारा

16. कृतिचक्रों को चलाते अध्यापक छात्रों में किसका निर्माण करते हैं?

(क) सेहत का (ख) भूख का

(ग) शक्ति का (घ) कौशलों का

17. किस शिक्षा में सहभागित्व अध्ययन का अपना महत्व माना जाता है?

(क) समोवशी (ख) विदेशी

(ग) घरेलू (घ) उच्च

18. कक्षा में दिव्यांग बालकों समेत अन्य बालकों के लिए भी कौन–सी अध्यापन प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है?

(क) नूतन (ख) प्राचीन

(ग) धार्मिक (घ) सहभागिता

2.5 कक्षा में अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग

अनुदेशन तकनीकी के प्रकार के कारण समाज में कई सवाल खड़े हुए हैं। यही छात्रों की भी समस्या है। अनुदेशन संप्रेषण तकनीकी यानी 'आई.सी.टी.' में अनेक संज्ञाओं का समावेश होता है। जैसे– अनुदेशन (Information), संप्रेषण तकनीकी (Communication Technology), संगणक तकनीकी (Computer Technology), अनुदेशन तकनीकी (Information Technology) इत्यादि।

परिभाषा

"विभिन्न तंत्र, प्रणालियों का उपयोग कर अनुदेशन की निर्मिती, अनुदेशन भंडारण (जमा) तथा अनुदेशन पर प्रक्रिया कर उसे गठित कर के सही समय पर प्रदर्शित करके प्रेषक और ग्राहक संप्रेषण करवाने वाला शास्त्र ही अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाता है।"

आई.सी.टी. के व्यापक क्षेत्र

(1) शिक्षा

(2) कुटुंब

(3) कारखाने / प्रौद्योगिकी

(4) व्यापार / अर्थशास्त्र

(5) यातायात

(6) कृषि

टिप्पणी

(7) अभियांत्रिकी

(8) मनोरंजन

(9) कला, साहित्य, क्रीड़ा

(10) संरक्षण व गुनहगारी

(11) विज्ञापन

(12) वृत्तपत्र

(13) वैद्यक शास्त्र व संशोधन

(14) सार्वजनिक क्षेत्र

आई.सी.टी. का व्यापक क्षेत्र ध्यान में लेते, आज छात्रों को तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्त्व को ध्यान में लेना होगा। उस दृष्टि से पुराने साधन, पुराना तंत्र, शिक्षा पद्धति अधूरी पड़ गयी तो नये–नये साधन स्रोतों का (Sources) उपयोग करना होगा। संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के अभ्यास के साथ–साथ भविष्य की संप्रेषण तकनीकी को सीखना पड़ेगा। जिसमें चित्र–ध्वनि घर में उपयुक्त संगणक (Personal Computer), वीडियोटैक्स, टेलीटैक्स, डाटाफैक्स, ईमेल जैसे कई उपकरणों का समावेश किया जाता है।

सफल समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीकी : समावेशी शिक्षा में भी आधुनिकता के चलते सहायक तकनीकी का उपयोग करके सफल समावेशी शिक्षा बनायी गई है। कक्षाध्यापन में विभिन्न अध्यापन प्रणालियां, तंत्र (Techniques), कई प्रकार के संदर्भ (References), शिक्षा साहित्य (Teaching Aids) का उपयोग करते हैं। जो भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग होता है; उसे सहायक तकनीकी कहते हैं।

दिव्यांग बालकों की शिक्षा : दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करना एक कठिन सा कार्य है। मगर अधिगम की दृष्टि से आई.सी.टी. के प्रयोग ने इनकी शिक्षा को भी एक नया मोड़ दिया है। अनुदेशन करना या सूचना देना इसका संबंध छात्रों के व्यक्तिगत कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को अमल करना इससे लगाया जाता है। कम से कम बंधनों के आधार से सूचनाएं दी जानी चाहिए। जिस कारण छात्र भी इनका पालन, अवलोकन तथा अमल करने में न झिझकें।

शिक्षा में सहायक तकनीकी तथा सूचना/अनुदेशन एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता : समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों के वर्तमान व्यवहार में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए अधिगम के कुछ सिद्धान्तों के साथ–साथ शिक्षा परिस्थितियों के कार्यों के उपकरण तथा नई प्रणालियां/उपागमों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीकी को संगणक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यांत्रिक उपकरणों से जोड़ा जाता है। सहायक तकनीकी में विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है; इन साधनों द्वारा छात्रों को अध्यापन किया जाना विशेष ही होता है। ये साधन निम्न हैं–

(1) उर्ध्व संक्षेप विस्तारक (Over Head Projector)

(2) वैकल्पिक की–बोर्ड्स (Multiple Key-Boards)

(3) श्रव्य पुस्तकें और प्रकाशन (Audio Book & Publications)

टिप्पणी

(4) इलेक्ट्रॉनिक गणित वर्कशीट (Electronic Maths Work Sheet)
(5) स्वतंत्र डेटाबेस सॉफ्टवेयर (Independent Database Software)
(6) ग्राफिक ऑर्गनाइजर एंड आउटलाइन (Graphic Organiser and Outline)
(7) सूचना/अनुदेशन और कच्ची सूचनाएं मैनेजर (Information and Rough Information Manager)
(8) ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नेशन (Optical Character Recognition)
(9) पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर (Portable Word Processor)
(10) प्रूफरिडींग प्रोग्रॉम (Proff Reading Programme)
(11) स्पीच–रिकग्नीशन प्रोग्रॉम (Speech Recognition Programme)
(12) टॉकिंग कैल्कयुलेटर (Talking Calculator)
(13) वर्ड प्रेडिकशन प्रोग्रॉम (Word Prediction Programme)
(14) वेरिएबल–स्पीच टेपरेकॉर्डर (Variable Speech Taperecorder)

शिक्षा के इन सहायक तकनीकी की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी

(1) **उर्ध्व संक्षेप विस्तारक (Vertical Brief Detailed)** : कक्षा में सहायक तकनीकी में विभिन्न तंत्रों द्वारा कार्यप्रणाली चलती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा अध्यापक अनुदेशन/सूचना की निर्मिती, भंडारण और पुनर्उपयोगिता प्रक्रिया कर सूचनाओं का संक्षेप में विस्तार करते हैं।

(2) **वैकल्पिक की–बोर्ड (Multiple Keyboard) :** समावेशी शिक्षा में छात्रों की क्षमतानुसार तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जिन छात्रों को अध्ययन अक्षमता की समस्या आती है; उनके लिए वैकल्पिक साधन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी दिव्यांग छात्र को टाइपिंग करने में अड़चनें आती हैं, उसके लिए वैकल्पिक की–बोर्ड का उपयोग किया जाता है। उसमें रंगों की सहायता से टाइपिंग की जाती है।

(3) **श्राव्य पुस्तक और प्रकाशन (Audio Books & Publications) :** समावेशी शिक्षा में विशेष छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानकर सहायक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण श्राव्य पुस्तक और प्रकाशन में सीडी का, कैसेट्स, गीत आदि श्राव्य साधनों का समावेश होता है।

(4) **इलेक्ट्रॉनिक गणित वर्कशीट (Electronic Maths Worksheet) :** इलेक्ट्रॉनिक गणित/अंकगणित वर्कशीट के द्वारा छात्रों के गणित विषय में निर्माण होने वाली समस्याओं का निराकरण सहज ढंग से किया जाता है। इस कारण जिन छात्रों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनके लिए गणित वर्कशीट काम आती है।

(5) **स्वतंत्र डेटाबेस सॉफ्टवेयर (Independent Database Sorfware) :** इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में छात्र अपने अध्यापकों के अध्यापन विषयों की सूचनाएं/अनुदेशन, महत्वपूर्ण सोपान आदि डेटाबेस या सॉफ्टवेयर में भंडारण करते हैं। जैसे वर्ड–डॉक्यूमेंट फाइल में छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स नोट्स बनाना।

(6) ग्राफिक ऑर्गनाइजर एंड आउटलाइन (Grafic Organizer and Outline) : ग्राफिक ऑर्गनाइजर एंड आउटलाइन प्रोग्राम सूचना संदर्भ की रूपरेखा, गलत सूचनाएं इनका मार्गदर्शन करते हैं। वैसे ही ग्राफिक डिजायनिंग के बारे में प्रबंधनात्मक कार्य किया जाता है।

(7) सूचनाएं/अनुदेशन एवं कच्ची सूचनाएं या कच्ची अनुदेशन व्यवस्थापक (Information & Rough Information Manager) : इस प्रकार के उपकरण किसी भी व्यक्ति के कार्य का नियोजन (Planning), संगठन (Organisation), भंडारण (Save) और पुनर्उपयोग (Re-use) करने के बारे में प्रबंधन भी करते हैं। जैसे दैनिक नियोजन, किसी एक कार्य के चलते उसकी सीढ़ियां, फोन नं. आदि कई प्रकार की सूचनाएं (Information) सॉफ्टवेयर में रख देते हैं।

(8) ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नेशन (Optical Character Recognition) : इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में सूचनाएं स्कैन की जाती हैं। संगणक एवं इंटरनेट के द्वारा अत्यावश्यक सूचनाएं ओ.सी.आर. इस सॉफ्टवेयर उपकरण से स्कैन की जाती हैं।

(9) पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर (Portable Word Processor) : पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर यह प्रक्रिया सूचनाओं का स्थानांतर करने में उपयोगी होता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। इसमें छात्रों को एक फायदा होता है कि उन्हें बार–बार लेखन नहीं करना पड़ता।

(10) प्रूफरीडिंग प्रोग्रॉम (Proof Reading Program) : बहुत बार छात्रों को लेखन में समस्याएं आती हैं, जैसे– स्पैलिंग, व्याकरण, पदचिन्ह, वाक्य रचना। इन सभी समस्याओं का मुद्रित शोधन प्रूफरीडिंग प्रोग्रॉम द्वारा होता है। जैसे– किसी का व्याकरण चेक करना, स्पैलिंग चेक करना, पदचिन्हों का उपयोग करके आगे भी अन्य कृतियां इस प्रोग्रॉम द्वारा की जाती हैं।

(11) स्पीच (Recognition Program) : इसको अध्यापकों द्वारा उपयोग किया जाता है। छात्रों के लिए माइक्रोफोन की मदद से, कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्पीच रिकग्नेशन प्रोग्रॉम की अध्यापन प्रणाली विकसित की जाती है। इसमें से छात्रों की भाषिक क्षमताओं का विकास होता है।

(12) टॉकिंग कैल्क्युलेटर (Talking Calculator) : इस सॉफ्टवेयर प्रोग्रॉम में से गणितीय प्रक्रिया ध्वनि द्वारा सुनाई देती है। इसका उपयोग नेत्र दोषों वाले छात्रों द्वारा भलीभांति होता है।

(13) वर्ड प्रेडिक्शन प्रोग्रॉम (Word Prediction Program) : इस प्रकार के प्रोग्रॉम से शब्दों की योग्य जानकारी दी जाती है; जैसे– व्याकरण, गलत अक्षरों की पहचान, सही उच्चारण।

(14) व्हेरिएबल–स्पीच टेपरिकॉर्डर (Variable Speech Recorder) : इसका उपयोग छात्रों को पुनः–पुनः ध्वनि सुनाने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ जानकारी ध्वनि के रूप में रिकॉर्ड की जाती है, यह रिकॉर्डिंग सेफ रहती है। भविष्य में यही जानकारी सुनाई जा सकती है।

शिक्षा क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता

सफल समावेशी शिक्षा के लिए इन्हीं सर्व उपकरणों को दृश्य (Visual), श्रव्य (Auditory) तथा गतिजन्य (Kineasthetic) यानी VAK साधन कहा जाता है। इन्हीं वैक/VAK साधनों की वैशिष्टयता और उपयोगिताएं निम्न चित्र में दर्शाई गई हैं–

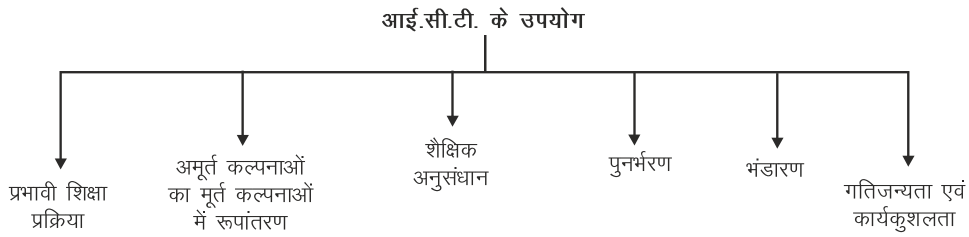

आई.सी.टी. की उपयोगिता

(1) प्रभावी शिक्षा प्रक्रिया : आई.सी.टी. को लेकर शिक्षा प्रक्रिया– प्रभावशाली बनाने में मदद मिलती है। उपकरणों के आधार से अध्यापन में आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग पाठ्यवस्तु को सहज ढंग से प्रभावी बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है।

(2) अमूर्त से मूर्त संकल्पनाएँ : दृश्य साधनों के आधार से अमूर्त कलपनाओं को मूर्त स्वरूप में साकार किया जाता है। इससे छात्रों को विषयानुरूप संकल्पनाएं/जानकारी मिलती हैं।

(3) शैक्षिक अनुसंधान : इन दिनों आई.सी.टी. के बलबूते पर शिक्षा में जो भी अनुसंधानिक कार्य किये जाते हैं; वे अधिक आसानी से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे प्रदत्त जानकारी का विश्लेषण (Data Analysis), विश्लेषणात्मक फल (Analytical Findings)। हर अनुसंधान कार्य में विशेष प्रकार की तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं तथा आवश्यकताएं होती हैं जो बाधित होती हैं। उनमें सुधार एवं आधुनिकता से उपयोजन (Application) कराया जा सकता है।

(4) पुनर्भरण : दृश्य–श्राव्य उपकरणों के द्वारा छात्रों के एक ही विषय के आशय से जुड़ी कई जानकारियां मिल जाती हैं, जिन्हें संग्रहण करके पुनः–पुनः उपयोग में लेकर छात्रों का ज्ञान दृढ़ किया जा सकता है। इस कारण छात्र अगर कुछ भूल भी जाते हैं; तो उन्हें पुनर्भरण की व्यवस्था से सक्षम किया जाता है।

(5) भंडारण : आई.सी.टी. के प्रयोग ने भंडारण प्रक्रिया भी आसान बना दी है। इसके कारण सूचनाओं की प्राप्ति और समस्याओं का निराकरण होने में मदद मिलती है। छात्रों की अक्षमताओं एवं आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर सभी साधनों का प्रयोग कर छात्रों का विकास, क्षमतावृद्धि तथा सहज जीवनयापन का प्रयास कराया जाता है।

(6) गतिजन्यता एवं कार्यकुशलता : आई.सी.टी. संबंधित सभी उपकरण गतिजन्य (Mobilite) होते हैं; जिनके प्रयोगों द्वारा छात्रों के अध्ययन में कृतिशीलता (Activeness) बढ़ाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता बढ़ जाती है।

कोई भी तकनीकी किसी भी भेदभाव के अलावा अपना परिणाम दिखाती है। दिव्यांग बालकों के लिए यह विशेष रूप से मददगार साबित हो चुकी है। अध्यापक गण

विशेष दक्षता से इसका उपयोग करके उसे प्रभावी बनाते हैं। सहायक तकनीकी में लो–टेक (Low-tech), मिड्–टेक (Mid-tech) और हाईटेक (Hightech) ऐसे प्रकारों का समावेश किया जाता है, जिसका दिव्यांगों की अक्षमता के प्रकारानुसार वर्गीकृत किया जाता है। वैसे तो सहायक तकनीकी उपयोग के बाद वह 'विशिष्ट' बन ही जाती है। मान्यता प्राप्त संगठनों ने तकनीकी के वर्गीकरण में कई क्षेत्रों का जिक्र किया है– जैसे– निजी चिकित्सा उपचार, कौशल में प्रशिक्षण, व्यक्तिगत देखभाल और संरक्षण, व्यक्तिगत गतिशीलता, गृह–व्यवस्था, सूचना एवं संचार क्षेत्र, वस्तु एवं उपकरणों का निर्माण, पर्यावरण सुधार, रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजकता, ऐसे सभी क्षेत्रों में तकनीकी का उपयोग अपना अलग–महत्व दर्शाता है।

अपनी प्रगति जांचिए

19. किसके प्रयोग ने दिव्यांग बालकों की शिक्षा को भी एक नया मोड़ दिया है?
    - (क) आई.आई.टी के
    - (ख) आई.सी.टी के
    - (ग) आई.टी.आई के
    - (घ) टी.सी.आई. के
20. समावेशी शिक्षा में किसकी क्षमतानुसार तकनीकी का उपयोग किया जाता है?
    - (क) विद्यालय की
    - (ख) अभिभावकों की
    - (ग) अध्यापकों की
    - (घ) छात्रों की

2.6 अध्ययन हेतु जगन्मान्य अभिकल्प/सार्वभौमिक प्रारूप

समावेशी शिक्षा में अध्ययन करने में जो छात्र पिछड़े होते हैं, उनकी अध्ययन विषयक कुछ आवश्यकताएं होती हैं; वे विशेष आवश्यकताएं (Special Needs) होती हैं। उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती; इसके अनेक कारण होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य वर्ग पद्धति से, एक ही अध्यापन प्रणाली द्वारा समान अध्ययन अनुभूति देकर शिक्षा उद्देश्य तो फलद्रुप होने से रहे मगर इन आवश्यकताओं का संबंध निम्न घटकों से (Elements) आता है– जैसे–(1) छात्र, (2) परिवार (3) प्रणाली। इन तीनों से जुड़ी जो अत्यावश्यक बातें होती हैं वे निम्न चित्र में दर्शायी गई हैं।

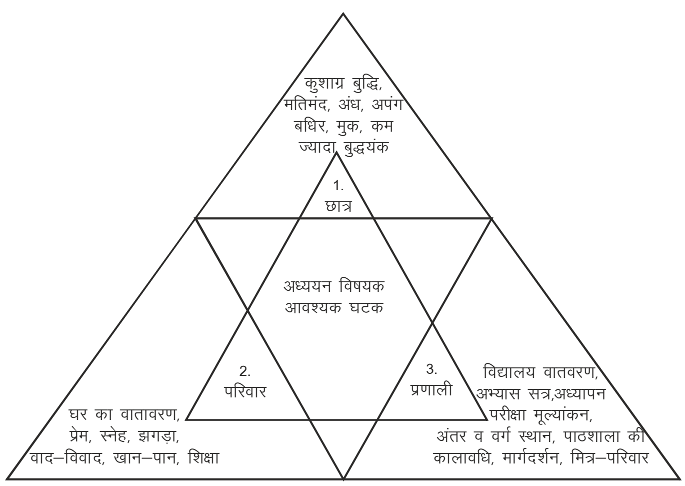

अध्ययन संबंधी आवश्यक घटक

टिप्पणी

विद्यालयों का पाठ्यक्रम, अध्यापन प्रणालियां, सुविधाओं का अभाव, कक्षा–छात्र संख्या, जीवन से असंबंधित शिक्षा, विद्यालय का वातावरण इन सारी बातों का भी छात्रों पर असर होता है। इससे पिछड़ापन निर्मित होकर आवश्यकताओं की निर्मित हो जाती हैं। उन्हें पाने हेतु प्रयास किये जाते हैं।

छात्रों का परीक्षण, निरीक्षण करके निदानात्मक पद्धति का उपयोग कर कमियों को ढूंढ़ा जाता है तथा विशेष पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम एवं अध्ययन प्रणाली में योग्य सुसंगतता लायी जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिगम बनाये जाते हैं। इस तरह अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप बनाया जाता है।

अधिगम के सार्वभौमिक प्रारूप (Universal Design of Learning)

अध्ययन की ऐसी सेवाएं और संसाधन के ऐसे प्रारूप/अभिकल्प विभिन्न क्षमताओं और दिव्यांगताओं के साथ व्यापक मापन (Range) के लोगों के लिए मान्य होते हैं। सार्वभौमिक प्रारूप में ऐसे उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों एवं सेवाओं के घटक होते हैं, जो बिना किसी अनुकूलन या विशेष प्रारूप की आवश्यकता के सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने में आसान हों; दिव्यांगों के विशेष समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीयों समेत सहायक तकनीकी के लिए भी लागू होते हैं।

सार्वभौमिक प्रारूप का स्वरूप (Nature of Universal Design of Learning)

(1) जिससे सीखने–सिखाने में मदद होती है।

(2) सामान्य बालकों के साथ–साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए भी प्रभावी होता है।

(3) शिक्षार्थी जो भी हो सबके लिए अध्ययन आसानी से हो जाता है।

अधिगम के सार्वभौमिक प्रारूप की विशेषताएं

(1) सीखने–सिखाने के मूल (Basic) प्रारूप में सुधार किया जाता है।

(2) छात्रों की विभिन्न क्षमताओं का ध्यान रखकर समझने का दृष्टिकोण रखा जाता है।

(3) अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी को केंद्रिभूत स्थान पर रखा जाता है।

(4) सिर्फ एक नया प्रारूप ही नहीं बल्कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आना है।

(5) वर्तमान अधिगम के चलते ही बनाया जाना है, न की उसे हटाना।

(6) अभी तक किये गये अभ्यास से हम जान जाते हैं, कि दिव्यांगता भी अनेक प्रकार की होती है। मगर यह प्रारूप दिव्यांगता के भेदभाव पर प्रतिबंधित होता है। भेदभाव कम कराता है।

(7) सबकी आवश्यकताओं का विचार किया जाता है।

(8) सभी विद्यालयों में उपयोगी साबित होता है।

(9) लचीला होता है।

(10) प्रक्रियाबद्ध प्रारूप–लक्ष्य (Target) केंद्रित होता है, जिसे प्राप्त करने के प्रयास में एक प्रक्रिया दिखाई देती है।

टिप्पणी

निःशक्त जन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अनुसार अधिगम के "सार्वभौमिक प्रारूप" में उत्पाद, वातावरण कार्यक्रम एवं सेवाएं जुड़ी होती हैं। विश्वभर की शैक्षिक संस्थाओं में जिसके लिए अभिसंधान कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के संगनमत (Unanimouslly) से सार्वभौमिक प्रारूप के साथ सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं।

(1) न्यायसंगत उपयोग

(2) प्रयोग में लचीलापन

(3) सरल और सहज प्रयोग

(4) प्रत्यक्षीकरण योग्य सूचना

(5) त्रुटि के लिए सहनशीलता

(6) न्यूनतम दैहिक प्रयास

(7) उपयोग और दृष्टिकोण हेतु आकार

सिद्धान्तों की विस्तृत जानकारी

(1) **न्यायसंगत उपयोग (Equitable Use) :** प्रारूप ऐसा बना हो, जो सभी लाभार्थियों के लिए बना हो। सभी के उपयोगिता मूल्य में समानता हो, तथा एक ही या समतुल्य साधन प्रदान करते हों। इसी के चलते गोपनीयता, सुरक्षा और जतन/हिफाजत के लिए प्रावधान समान रूप से उपलब्ध हो। सभी लाभार्थियों के लिए यह प्रारूप अपील करते हैं।

(2) **प्रयोग में लचीलापन (Flexibility in Use) :** सार्वभौमिक प्रारूप व्यक्तिगत वरीयताओं को और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त उपयोगिता का अवसर देते हैं। उपयोगिता प्रणाली में भी विकल्पों से मदद मिलती है। लाभार्थियों को ये प्रारूप सटीकता एवं परिशुद्धता की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

(3) **सरल और सहज प्रयोग (Simple & Infinitive Use) :** सार्वभौमिक प्रारूप की यह विशेषता होती है; की इसके उपयोगों को समझना आसान हो। अनावश्यक जटिलता को समाप्त कर देना चाहिए। जो भी इसको लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उन उपयोगकर्ता के अनुभव, ज्ञान, भाषा–कौशल या वर्तमान एकाग्रता के स्तर का भी विचार किया जाना आवश्यक होता है; ताकि साक्षरता एवं भाषा कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के लोगों को सह–समायोजित कर सके।

(4) **प्रत्यक्षीकरण योग्य सूचनाएं (Perceptible Information) :** सार्वभौमिक प्रारूप उपयोगकर्ता के लिए प्रभावी ढंग से आवश्यक जानकारी को संचारित कर सके तथा उपयोगकर्ता की संवेदनशील क्षमताओं की परवाह किये बगैर प्रारूप को अपनी प्रभावशीलता दिखानी चाहिए।

इस प्रारूप के अलग–अलग अंगों का विचार भी जरूरी है; जैसे चित्र (Visuals) के लिए दृश्य, मौखिक (Auditory) एवं स्पर्श (Kinesthetic) आदि का प्रयोग करना आसान हो।

(5) त्रुटि के लिए सहनशीलता (Tolerance for Error) : अध्ययन के सार्वभौमिक प्रारूप को खतरों और आकस्मिक या अनायास परेशानियों के प्रति सहनशील होना चाहिए। उसमें ऐसे तत्व सम्मिलित हों, जिनसे खतरे और त्रुटियाँ कम से कम की जाएं। त्रुटियों की चेतावनी भी हो, ताकि उपयोग करने वाले जानकारी से पहले ही अनभिज्ञता दूर कर सकें।

(6) न्यूनतम दैहिक प्रयास (Low Phisical Efforts) : इस प्रारूप में कुशलता (Skill) होती है। इसके साथ ही इसमें आराम और थकान की एक न्यूनतम स्तर के साथ प्रयोग करने की प्रक्रिया होती है। लाभार्थी को कम से कम शारीरिक प्रयास के साथ कार्य को कराने के बार–बार मौके (Opportunity) नहीं मिलते।

(7) उपयोग एवं दृष्टिकोण हेतु आकार (Size & Space for Approach and Use) : दिव्यांगों के शरीर की रचना कभी–कभी अलग–अलग होती है। जैसे नाटापन, चेहरे का आकार, दिव्यांगता के अनुसार चलन, व्यवहार, बात करने का तरीका आदि। सार्वभौमिक प्रारूप में उचित आकार तथा सार्वजनिक दृष्टिकोण के साथ उपयोगकर्ता के शरीर के आकार, बैठक/आसन तथा गतिशीलता की चिंता न करते हुए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इस तरह सार्वभौमिक प्रारूप विभिन्न दिव्यांगताओं के साथ–साथ व्यापक रेंज के लोगों के लिए भी जगन्मान्य (Universal) होता है। दिव्यांग व्यक्तियों के विशेष समूह के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीयों सहित सहायक तकनीकी के लिए भी लागू होता है।

अपनी प्रगति जांचिए

21. किस प्रारूप में ऐसे उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों एवं सेवाओं के घटक होते हैं, जो बिना किसी अनुकूलन के सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने में आसान हों?

    (क) सार्वभौमिक (ख) सार्वजनिक
    (ग) निजी (घ) व्यक्तिगत

22. अध्ययन के सार्वभौमिक प्रारूप को खतरों व आकस्मिक परेशानियों के प्रति कैसा होना चाहिए?

    (क) लापरवाह (ख) सहनशील
    (ग) असहज (घ) बेचैन

2.7 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप निवास व्यवस्थाएं एवं वैकल्पिक मूल्यांकन

अक्षमताओं के अनुसार निवास व्यवस्थाओं तथा पर्यायी मूल्यांकन के अध्ययन का दायरा बहुत विस्तृत है।

2.7.1 निवास व्यवस्थाएं

समावेशी शिक्षा विद्यालयों में अध्यापकों को सामान्य छात्र तथा विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों में जो भेद/फर्क होता है, उसे कम करके उनमें एकात्मकता स्थापित करने

टिप्पणी

का महत्वपूर्ण कार्य भी करना होता है। इसलिए उन्हें सहकारी समूहों (Groups) तथा समवयस्क समूहों (Peer Groups) की मदद लेनी पड़ती है। दिव्यांग बालकों के अध ययन को प्रेरणा देकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर संप्रेषण (Communication) साध्य करना एवं व्यक्तिगत संवेदनशीलता को आधार देना आवश्यक बन जाता है। समावेशी पाठशालाओं में सभी अक्षम बालकों को इसकी जरूरत है; यह जरूरी नहीं की सारी ही अक्षमताओं का प्रमाण एक जैसा हो; कम या ज्यादा अक्षमता से ही समावेशी विद्यालयों में मूल सुविधाओं का होना अत्यावश्यक होता है– जैसे निवास व्यवस्थाएं। (Accommodation)।

समावेशी विद्यालय से जुड़ी निवास व्यवस्थाएं : वैज्ञानिक आधार पर बालकों को निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है–

(1) शारीरिक रूप से दिव्यांग

- अपंग/अस्थिबाधित बालक
- श्रवण बाधित बालक
- दृष्टिबाधित बालक
- वाणी बाधित बालक

(2) बौद्धिक रूप से दिव्यांग

- प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक
- मंदबुद्धि बालक
- अधिगम/अध्ययन असमर्थ बालक

(3) सामाजिक रूप में दिव्यांग

- समस्यात्मक/(मनोसमस्या) बालक
- बाल अपराधी
- बहु विकारों से/बहुदिव्यांगताओं से पीड़ित बालक

उपर्युक्त विवरणों में अलग–अलग अक्षमताओं से बाधित बालकों के प्रकार दिखाई देते हैं, जिनमें से सभी बालकों को पाठशाला में आने–जाने की, लाने–ले जाने की समस्या से जूझना नहीं पड़ता; क्योंकि वे अपना ख्याल रख सकते हैं। हां, मगर जिन दिव्यांगों को अपना ख्याल रखना कठिन होता है, उन्हें तथा उनके परिवारजनों के हितानुसार निवास व्यवस्था बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है।

समावेशी विद्यालय से जुड़ी निवास व्यवस्था का स्वरूप

पाठशाला में सम्मिलित जिस जगह पर छात्रों की निवास व्यवस्था होती है; वह हर लिहाज से उपयुक्त होनी चाहिए। यदि छात्रों को निवास स्थान से कक्षा तक पहुंचने में/गति करने में तकलीफ होती है, तो उस जगह पर अनुकूल बदलाव कर देने चाहिए। बच्चे अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते; तो कक्षा का स्थान निचले माले ;थ्सववतद्ध पर कर देना चाहिए या त्ंपससपदह की व्यवस्था की जाए। फर्नीचर की व्यवस्था ऐसी हो कि छात्रों को उठने, बैठने, निकलने चलने की गति में बाधा न आये। निवास स्थान में ही बिल्कुल अलग सी कक्षा जुड़ी हो। अध्यापक को इसका ध्यान रहे कि श्रृव्य समस्या संबंधी छात्रों को कक्षा में अगली बेंचों/कुर्सियों पर बैठाया जाए। वैसे ही

दृष्टिबाधित छात्रों को भी अगली बेंचों पर बैठने की व्यवस्था हो, ताकि उन्हें फलक पर लिखे अक्षर देखने एवं पढ़ने में दिक्कत न हो तथा दृष्टिबाधित बच्चों को ज्यादा रोशनी से तकलीफ होती हो तो, उनके चेहरे पर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए; इसकी व्यवस्था हो।

निवास/पुनर्वास सुविधाएं

समावेशी विद्यालय में निवास/छात्रावास हो तो मूल सुविधाएं कौन–कौन सी एवं कैसी कैसी होनी चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

(1) **पाठशालांतर्गत सुविधाएं** : छात्रों में अगर कोई बैसाखी लेकर चलने वाले हों तो उनके लिए उतरने एवं चढ़ने वाले रास्ते समतल व सीमेंट के (बिना सीढ़ी के) हों। प्रकाश योजना सही एवं पर्याप्त हो। दिव्यांगों की आवश्यकताओंनुरूप उपकरण एवं फर्नीचर हों।

(2) **पानी एवं प्रसाधन गृह** : पीने का पानी तथा अन्य कार्यों हेतु पानी की व्यवस्था पर्याप्त एवं शुद्धता के हिसाब से हो। प्रसाधन कक्ष भी सही जगह हो एवं प्रसाधन कक्ष की व्यवस्थाएं दिव्यांगताओं के अनुसार बनाई जाए।

(3) **शारीरिक शिक्षा एवं खेल सुविधाएं** : पाठ्यक्रम पूर्ति के साथ–साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं का अपना महत्व होता है; इसलिए छात्रों के शारीरिक विकास हेतु खेलों का आयोजन किये जाने के लिए क्रीड़ांगण एवं खेल साहित्य उपलब्ध हो।

(4) **कक्षा संख्या एवं सुविधाओं में सुधार** : वैसे देखा जाए तो समावेशी शिक्षा की कक्षा में दिव्यांगों का अनुपात 16% तक होता है, यानी हर 50 बच्चों में 8 और 100 में 16 तक। कई जगह छात्रों को विद्यालयों या होस्टेल्स में भर्ती कराने में ही परिवारजनों को दिक्कत होती है, इसलिए कक्षा में संख्या कम होती है। मगर पाठशाला समितियों एवं समाज घटकों की तरफ से इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए, ताकि निवास/छात्रावास का पूरा–पूरा उपयोग किया जाए। निवास स्थान में भी संभालने के लिए प्रमुख व्यक्ति (Warden) की नियुक्ति हो। समय बदलाव एवं आधुनिकता के चलते सुविधाओं की भरमार हो।

(5) **समय सारणी** : जो छात्र यातायात का उपयोग कर रहे होते हैं, उनके लिए कक्षा की समय–सारणी होती है, उसके अलावा निवास/छात्रालय की अलग समय सारणी होनी चाहिए। यह समय सारणी कक्षा एवं निवास/छात्रावास की मिलाकर होनी चाहिए।

छात्रावास/निवास व्यवस्था की समस्याएं/चुनौतियां

(1) **अधूरी शैक्षिक सुविधाएं** : अधूरी, अप्रगत व अयोग्य बैठने की व्यवस्था, वाचनगृह, शिक्षा–उपकरण, पानी, इमारत, खेल साहित्य, क्रीडांगन में अधूरापन या अभाव।

(2) **अध्यापक प्रशिक्षण का अभाव** : अध्यापकों को सक्षम एवं अक्षम इन दोनों प्रकार के बालकों को संभालने में अड़चनें आती हैं। नये–नये प्रयोग करने में असमर्थता आती है। वे मार्गदर्शन सही ढंग से नहीं कर सकते। इन सबका कारण होता है, प्रशिक्षण का अभाव या निकृष्ट प्रशिक्षण नीति।

(3) **विभिन्न योजनाओं के अवलंबन में दिक्कतें (Lack of Implementation) :** समावेशी पाठशालाओं के लिए सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से कई योजनाएं बनायी जाती हैं, मगर उनका सही अवलंब तथा योजनाओं की पूर्ति ठीक तरह से नहीं की जाती है। इसके संस्थागत एवं शासनकृत कारण भी हो सकते हैं। छात्रों की विकास योजनाएं कम पहुंचने के कारण लोग/अभिभावक अपने पाल्यों को समावेशी शिक्षा से कोसों दूर रखते हैं।

(4) **समायोजन (Adjustment) :** समावेशी शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सोपान है– आंतरव्यक्तिक संबंध (Interpersonal Relations)। छात्रों–छात्रों में, छात्रों और अध्यापकों में, छात्रों और अभिभावकों में तथा अध्यापकों और अभिभावकों में प्रस्थापित होने वाले आंतरव्यक्तिक संबंध योग्य तरीके से निभाए जाने चाहिए। मगर कई बार ये संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं होते। परस्पर सहयोग तथा समायोजन की कमी संबंधों के कारण होती है।

(5) **अध्यापनीय शैक्षिक तथा अन्य साधनों का अभाव** : दिव्यांगों की अक्षमताओं के अनुरूप कक्षा में विभिन्न शैक्षिक उपकरण एवं साधन अनिवार्य होते हैं। अक्षमताएं दूर करने हेतु भाषा साहित्य, गणिती साहित्य, क्षमताएं वृद्धिगत करने हेतु जो उपकरण होते हैं, वे होने आवश्यक हैं तथा हों तो साधन चलाना (Handling) आवश्यक है।

(6) **पाठ आयोजन एवं नियोजन की समसया** : कक्षा एवं छात्रावास की समयसारणी, इन दोनों का तालमेल (Co-ordination) कराना आसान नहीं होता। या फिर अध्यापकों द्वारा किये गये पाठ नियोजन का भी अमल ठीक से नहीं होता। जिसका परिणाम छात्रों के सर्वांगिक विकास पर होता है।

(7) **अभिभावकों की मानसिकता (Mentality of Parents) :** कई बार, कई स्थानों पर हमें यह दिखायी देता है कि अभिभावक अपने बालकों को समावेशी शिक्षा की सहूलियत नहीं देते या फिर उन्हें यह अवसर दिलाने का मौका उपलब्ध नहीं करवाया जाता।

उपर्युक्त चुनौतियों पर मात देने हेतु समावेशी शिक्षा में पुनर्वास/छात्रावास/निवास व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए हम एकात्मिक शिक्षा के विस्तृत/एकत्रित (Broader & Inclusive) उद्देश्यों पर नजर डालेंगे।

एकात्मिक/दिव्यांग शिक्षा के उद्देश्य

(1) दिव्यांगों को सामान्य पाठशाला में प्रवेशित करना।

(2) दिव्यांगों के न्यूनगंड/डर (Fear) को दूर करना।

(3) दिव्यांगों का सामाजीकरण (Socialisation) करना।

(4) दिव्यांगों की समस्याओं पर अनुसंधान द्वारा उपाय ढूंढ़ना।

(5) दिव्यांगों को समाज के उत्पादक घटक बनाना।

(6) एकात्मिक एकक द्वारा पाठशाला में योग्य शैक्षिक वातावरण निर्मित करना।

(7) दिव्यांगों की शिक्षा में स्वाभाविकता लाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समावेशी शिक्षा के निवास/छात्रावास व्यवस्था में कुछ अत्यावश्यक उपाय करने होंगे, उनके द्वारा एकात्मिक शिक्षा एकक की सारी समस्याएं एवं चुनौतियां दूर हो सकती हैं।

टिप्पणी

उपाय योजना

समावेशी शिक्षा के एकात्मिक एकक से जुड़ी निवास व्यवस्था इस घटक की उपयोगिता हमने जान ली। इसके आधार पर दिव्यांग बालकों की अक्षमताओं पर, समावेशी शिक्षा की चुनौतियों के आधार पर हमें निवास व्यवस्था से समायोजित उपायों का अवलंब करना होगा। इन्हीं उपायों के चलते छात्रों में क्षमताएं और कौशलों का विकास होगा।

(1) **हस्त कौशल** : छात्रों को पाठशाला के अलावा भी अन्य ऐसी कई कृतियां दी जा सकती हैं, जिनके द्वारा उनकी क्षमताओं और कौशलों में वृद्धि हो जाती है।

(2) **अन्य इंद्रियों की कार्यक्षमता** : दिव्यांगों की कुछ ही इंद्रियों की क्षमता बाधित होती है, इसके अलावा अन्य इंद्रियों द्वारा कई ऐसे कार्य करवाये जा सकते हैं; जिससे उनका जीवन सहज–सुंदर हो सकता है।

(3) **उच्च शिक्षा के अवसर** : जैसे–जैसे छात्र पाठशाला पाठ्यक्रमों में यश/सफलता पायेंगे वैसे–वैसे उनके अंदर आगे की शिक्षा पाने की जिज्ञासा निर्मित होगी। माध्यमिक पाठशाला के आगे की शिक्षा पाने हेतु वे अपने आप ही प्रयास करेंगे तथा उनकी उपलब्धियां (Achievments) बढ़ती जाएंगी।

(4) **सामाजिक वातावरण में सुधार** : आधुनिकता एवं तकनीकी उपयोगिता के चलते आजकल समाज की यह मानसिकता बन रही है कि दिव्यांशों की सर्वांगिक प्रगति की आस बढ़ाई जाए। दिव्यांगों को उनके सामाजिक स्थान की प्राप्ति हेतु खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी, जो चौबीसों घंटों अपनी ही दिशा खुद तय करेंगे और यह तभी साध्य हो सकता है; जब निवासगृह में इकट्ठे ही सारे घटक इसका जिम्मा उठाएं।

(5) **व्यावसायिक अवसरों की उपलब्धता** : ज्यों–ज्यों छात्रों की शिक्षा के स्तर पूरे होते जाते हैं, त्यों–त्यों उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की भी जानकारी तथा उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियां भी लुभाने लगती हैं। इन व्यावसायिक कार्यक्रमों के द्वारा उनको आर्थिक दृष्टि से प्रबल कैसे बनाया जाए? एवं अपने बलबूते पर जीवनयापन कैसे सुयोग्य बनाया जाए? इसका विचार दृढ़ बन जाता है, यदि हरेक के नौकरी के अवसर समाज में स्थान बनाने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

(6) **शारीरिक (Phisical) स्वास्थ्य (Fitness), उपचार (Theraphy) एवं शिक्षा** : शारीरिक दिक्कत कोई भी हो; उस पर मात देना ही शिक्षा के उद्देश्य सिखाते हैं। शिक्षा एवं सही उपचार इनके द्वारा दिव्यांगों को शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हो जाती है। निवासी व्यवस्थाओं की जगह बालकों को उनकी अक्षमताओं पर विजय पाने तथा अक्षमताओं को भूलकर, उनके परे होकर सबकुछ पाने की जिद जगाने की भी जाने–अन्जाने व्यवस्था होती है।

(7) **सामाजिक एवं शासकीय स्तर पर पुनर्वास (Rehabilitation) :** दिव्यांगों की प्रगति एवं सर्वांगिक विकास हेतु शासन/सरकार एवं स्वयंसेवी, सामाजिक

टिप्पणी

संस्थाएं सभी प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक स्तर पर, समाज कल्याण विभागों द्वारा, जिला प्रशासनिक सेवाओं द्वारा भी दिव्यांगों के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिव्यांगों को हर जगह 'आरक्षण' (Reservation Quota) दिया जाता है जिससे उन्हें पुनर्वास का लाभ हो सके।

(8) **स्वयंसेवी संस्थाओं का सहभाग (Non-government Officials) :** स्वयंसेवी संस्थाओं के उद्देश्य दुर्बल घटकों की प्रगति कराना, उनका गुजर–बसर आसान हो, यह निर्धारित होता है। दिव्यांगों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनका पुनर्वास (Rehabilitation) इनकी जिम्मेवारी कई बार एनजीओज को दी जाती है। जिनका सामाजिक कार्य वृद्धिगत करना भी आद्य–कर्तव्य माना जाता है।

स्वयंसेवी संस्थाओं को समावेशी पाठशाला की पुनर्वास योजना में सहभागी करवाकर छात्रों की प्रगति सन्मुख रखने से योजनाओं का अमल आसानी से होगा।

(9) **आयुर्विमा महामंडल की जिम्मेदारी (Responsibility by Life Insurance Corporation) :** सरकार/शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से दिव्यांग बालकों को आर्थिक रूप से हर माह रकम प्रदान की जाती है ताकि उस रकम के बलबूते पर उनका गुजर–बसर या आगे की पढ़ाई तथा उनकी जीवन बीमा पॉलिसी निकालने से कई फायदे मिल सकते हैं। जीवन बीमा निगम/आयुर्बीमा महामंडल की जीवन बीमा पॉलिसी से दिव्यांगों को कई तरह की मदद हो सकती है।

समावेशी शिक्षा में अगर दिव्यांगों की निवास व्यवस्था की गयी है, तो दिव्यांग छात्रों के लिए एलआईसी की पॉलिसीज के प्रीमियम (Premium) भरने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि उनकी पॉलिसी के द्वारा उन्हें उनके जीवन यापन सहज होने के लिए एकत्रित मिलने वाले पैसों एवं सुविधाओं की मदद चाहे जब, चाहे जहां हो सके।

(10) **कार्यशालाओं पर (Work Schools) जोर** : समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर निवास व्यवस्था की सहूलियत छात्रों को मिल जाती है, तो उस कारण स्कूली शिक्षा के अलावा उनके हाथ जो वक्त होता है, उसमें वे निवास स्थान पर अलग–अलग कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। इन कार्यशालाओं में बालकों की क्षमताएं वृद्धि, कौशलों में बाढ़ एवं वृद्धि से उनका जीवन संवार सकते हैं। उन्हें हस्त कौशलों के अलावा गायन, वादन, वोकल, नाट्य, कला–शिल्प, चित्रकारिता, मॉडेल्स/प्रतिक्रिया बनाना, स्थापत्य शास्त्र ऐसी अनेक काम वे कर सकते हैं तथा मूल उन्नयन से जुड़ी कृतियों द्वारा अपना व्यावसायिक विकास करके आर्थिक दृष्टि से निर्भर हो सकते हैं।

उपर्युक्त सभी उपाय योजनाओं का अमल (Implementation) अगर सही ढंग से हो जाए तो समावेशी शिक्षा के निवासी व्यवस्था के कारण सभी दिव्यांग स्वावलंबी बन सकते हैं। Earn & learn के द्वारा, प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन से सही दिशा में जुड़ सकते हैं। 'Prevention is Better than cure' इस कहावत को साबित कर उनकी मर्यादित शक्तियों द्वारा जागृति बनी रहे तथा स्पर्श, गंध, रस, श्रवण इन चारों ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्ति से जीवन संवर जाए।

2.7.2 विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप वैकल्पिक मूल्यांकन

मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है।

"छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने प्रमाण में आत्मसात किया है, यह ढूंढ़ने की एक सही (Systematic) प्रक्रिया मानसशास्त्रीय मूल्यांकन है।"

समावेशी शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के कई उद्देश्य भी निर्धारित किये जाते हैं।

मूल्यांकन ही एक सर्वसमावेशी स्वरूप की प्रक्रिया है; जिसमें छात्रों के बर्ताव में परिवर्तन यह मापनियम (measurable) तथा अन्वयार्थ (Analysis) इन दोनों का समावेश होता है।

समावेशी शिक्षा के शैक्षिक मूल्यांकन

समावेशी शिक्षा की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किये हैं, उस कक्षा के छात्रों के लिए उपायुक्त हैं या नहीं? उस पाठ्यक्रम के पाठ्यांशों का आकलन हुआ है या नहीं? इसके लिए विभिन्न एककों की वक्त वक्त पर परीक्षाएं ली जाती हैं।

समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य

(1) निर्धारित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, यह नापने के लिए मूल्यांकन होता है।

(2) समावेशी शिक्षा में भिन्न प्रकार की दिव्यांगता के बालक होते हैं, जिनकी क्षमताएं भी भिन्न होती हैं। उनकी क्षमताओं का मापन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

(3) छात्रों की वैकासिक प्रगति (Developmental Process) का मापन करने हेतु मूल्यांकन होता है।

(4) वर्तन परिवर्तन (Behavioural Change) का मापन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया उपयोगी होती है।

(5) अभिभावकों को मार्गदर्शन (Guidance) एवं समुपदेशन (Counselling) करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशित कृतियां

(1) शैक्षिक परिवर्तन हेतु परीक्षाएं।

(2) मानसशास्त्रीय परिवर्तन हेतु परीक्षाएं।

(3) बुद्धिमापन हेतु परीक्षाएं।

(4) प्राविण्य मापन हेतु परीक्षाएं।

(5) अध्यापक आधारित मूल्यांकन/परीक्षाएं।

मूल्यांकन का महत्व

(1) छात्रों की वैकासिक प्रगति का मापन करने के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है।

(2) छात्रों की सर्वांगिक विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं एवं अड़चनें ढूंढ़ने के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण।

टिप्पणी

(3) छात्रों में होने वाले वर्तन में बदलाव साधनों द्वारा करने के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है।

(4) अभिभावकों का मार्गदर्शन व समुपदेशन आसान होता है।

(5) शिक्षकों का मनोधैर्य बढ़ाने के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मूल्यांकन के मूल तत्व (Basic Principles)

(1) मूल्यांकन प्रक्रिया से छात्रों के अध्ययन की एवं प्रगति की जांच होना आवश्यक है।

(2) मूल्यांकन प्रक्रिया लचीली हो।

(3) सभी छात्रों का समावेशन हो।

(4) छात्रों को 'होशियार', 'दब्बू', 'कम दिमाग' ऐसे लेबल/नामकरण न करें।

मूल्यांकन प्रणालियां

मूल्यांकन की मुख्यतः दो प्रणालियां होती हैं–

(1) औपचारिक मूल्यांकन (Formal)

(2) अनौपचारिक मूल्यांकन (Informal)

दोनों प्रणालियों की सूची नीचे दी जा रही हैं, जिनका अभ्यास हमें करना है।

(1) औपचारिक मूल्यांकन

- परीक्षाएं
  - o लेखन/लिखित परीक्षा (Written Exam)
  - o मौखिक परीक्षा (Oral Exam)
  - o प्रात्यक्षिक/प्रायोगिक परीक्षा (Practical Exam)
- मानसशास्त्र परीक्षा
- चिकित्सा/निदानात्मक परीक्षाएं

(2) अनौपचारिक मूल्यांकन

- निरीक्षण (Observation)
- मुलाकात/साक्षात्कार (Intervgiew)
- व्यक्ति अभ्यास (Case Study)
- संकलित वृत्तपत्रिका/नोंदपत्र (Commulative Testing Record)

अनौपचारिक मूल्यमापन से जुड़े अन्य कई साधन होते हैं, जो गुणात्मकता से संबंधित होते हैं, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है–

मूल्यमापन के गुणात्मक साधन

- निरीक्षणात्मक '
  - (क) पड़ताल सूची
  - (ख) पदनिश्चयन श्रेणी

टिप्पणी

(ग) संकलित अभिलेख
(क) प्रासंगिक अभिलेख

- आत्मनिरीक्षणात्मक
  (क) मुलाकात / साक्षात्कार
  (ख) प्रश्नावली / समस्यासूची
  (ग) मतावली
- आविष्कारात्मक (प्रक्षेपण तंत्र)
  (क) वाक्यपूर्ति
  (ख) कक्षा / कवितापूर्ति चित्र निकालना
  (ग) दैनंदिनी लेखन
- नामनिर्देशात्मक
  (क) समाजमिती तंत्र
  (ख) पहचानों तंत्र

छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन करने के लिए गुणात्मक साधन उपयोगी होते हैं।

संख्यात्मक तथा औपचारिक मूल्यांकन साधन

1. लिखित परीक्षाएं : शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोग किया जाता है। यह मूल्यांकन का जरूरी साधन है। इसमें घटक / एकक कसौटी, सत्र परीक्षा, अंतिम परीक्षा एवं पुरवणी परीक्षा लिखित ही होती है।

विशिष्ट विषय के आशय पर निर्धारित प्रश्नपत्र तैयार करना पड़ता है। परीक्षा की नियोजित समयसारणी के अनुसार परीक्षा लेकर परीक्षकों से उत्तर पत्रिकाओं का परीक्षण कराया जाता है; उनके गुणों के अनुसार मूल्यांकन होता है।

दिव्यांग बालकों को यह लिखित साधन उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोगी होता है। छात्रों की अक्षमताओं का विचार करके प्रश्नपत्रों की काठिण्यता तय की जाती है तथा विभिन्न प्रश्न प्रकारों को भी वरीयता (Preference) दी जाती है। इस हेतु लिखित परीक्षा के गुण अधिक होते हैं।

लिखित परीक्षा के गुण

(1) अनेक छात्रों की एक ही समय एक ही बार परीक्षा लेना आसान / वक्त, पैसा एवं श्रम की बचत।

(2) बोधात्मक वर्तन परिवर्तन का मापन।

(3) अनेक विषयों की प्रगति का मापन कर तुलना आसान।

(4) गुणों का विश्लेषण आसान।

(5) विचार प्रकटन, कल्पना–विस्तार के द्वारा अर्थ व आकलन स्पष्टीकरण करने का कौशल्यपूर्ण मापन तंत्र।

(6) लिखित उत्तरों का समीक्षण।

टिप्पणी

(7) लेखन भाषाशैली, नवनिर्मिती क्षमता का मापन सहज।

(8) शिक्षा उद्देश्य, अध्ययन अनुभव तथा आशय का नियोजन करना सहज।

(9) गुणदान में वस्तुनिष्ठता।

(10) पुनर्विलोकन सहज।

दोष

(1) कसौटियाँ तैयार करने, मुद्रित करने में श्रम, वक्त और पैसा अधिक खर्ची काम।

(2) हस्त कौशलों का, अन्य क्षमताओं का मापन नहीं।

(3) केवल स्मरण–क्षमता की कसौटी होती है।

(4) लेखन वेग की परीक्षा।

(5) दीर्घोत्तर के प्रश्न हो तो परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता आती है।

(6) हस्ताक्षर, लेखनशैली, शुद्धलेखन, उत्तरों की लंबाई इन बाह्य घटकों का परिणाम गुणदान पर।

समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन का विचार कर लिखित परीक्षा में निम्न प्रश्न प्रकारों को समावेशित किया जाए।

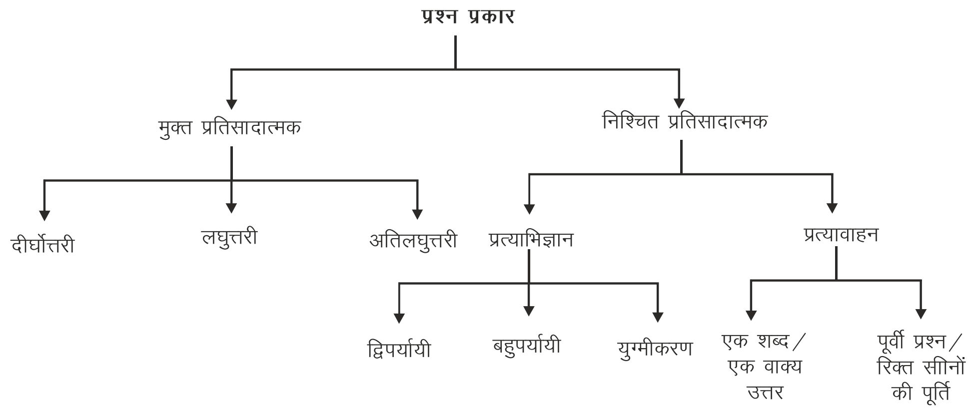

मूल्यांकन प्रश्नों के प्रकार

लिखित परीक्षा यह मूल्यमापन की अधिकतर उपयोग में लायी जाने वाली प्रणाली है; इसलिए प्रश्नपत्र तैयार करने की जानकारी अत्यावश्यक होती है। वे सोपान निम्न हैं–

1. कसौटी का स्थूल (Basic) संकल्प चित्र तैयार करना।
2. संविधान नकल (Blue print) तैयार करना।
3. प्रश्न तैयार करना।
4. कसौटी का संपादन करना।
5. गुणदान योजना एवं उत्तर सूची तैयार करना।
6. प्रश्नपत्र का पुनरावलोकन करना।
7. कसौटी के प्रश्नों का पृथक्करण।

इस तरह प्रश्नपत्र अगर तैयार किये गये तो समावेशी शिक्षा से जुड़े सभी छात्रों को इसका लाभ हो सकेगा तथा वस्तुनिष्ठता से मूल्यांकन हो सकेगा।

2. मौखिक परीक्षाएं : सर्वंकष मूल्यांकन हेतु मौखिक परीक्षाएँ आवश्यक होती हैं। इनसे छात्रों का पाठांतर, संभाषण कौशल्य ज्ञात होता है।

मौखिक परीक्षा के गुण

(1) आशय आकलन की कसौटी।

(2) सातत्यतापूर्ण, सर्वंकष मूल्यांकन हेतु उपयुक्त।

(3) श्रवण, भाषण, वाचन क्षमताओं का मापन।

(4) अभिव्यक्ति क्षमता एवं विचार करने की तत्परता का मापन।

(5) प्रश्नपत्र और उत्तरपत्र का खर्चा नहीं।

(6) जिन दिव्यांग बालकों की लेखन कौशल्य में गति नहीं है, उनकी शैक्षिक प्रगति हेतु मापन का सही जरिया होता है।

(7) परीक्षक एवं छात्र आमने–सामने होने से छात्रों के प्रत्यक्ष वर्तन, हावभाव, कृतियों का निरीक्षण आसान होता है इसलिए दिशानिर्देशक।

(8) सप्रमाण और विश्वसनीयता के अनुसार मूल्यांकन।

दोष

(1) एक बार में एक छात्र की परीक्षा होने के कारण समय अधिक लगना है।

(2) मर्यादित आशय पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं।

(3) छात्रों के प्रतिसादों का पुनर्विलोकन नहीं होता।

(4) वस्तुनिष्ठता कम, व्यक्तिनिष्ठता ज्यादा होने की संभावना।

(5) परीक्षक ऐन वक्त पर सूझे हुए प्रश्न पूछते हैं, इसलिए नियोजन के सिवा काम की प्रवृत्ति निर्माण होने का डर।

(6) सभी से उनकी क्षमता के अनुसार अलग प्रश्न पूछने पड़ते हैं।

(7) मापन त्रोटक (कम) होता है।

उपर्युक्त दोष दूर करने हेतु उपाय

(1) दिव्यांग छात्रों के श्रवण, भाषण, वाचन एवं अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं की ही कसौटी मौखिक परीक्षा द्वारा ली जाए; क्योंकि इन क्षमताओं की कसौटी मापन नहीं होती।

(2) एक समान स्तर के प्रश्नों की सूची तैयार करें ताकि मौखिक परीक्षा में अलग प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे।

(3) मौखिक परीक्षा के लिए एक से अधिक परीक्षक हों।

(4) गुणदान व्यक्तिनिष्ठ न हो इसलिए योग्य दक्षता ली जाए, परीक्षकों को अपना काम स्पष्ट सूचनाओं के आधार पर करना चाहिए।

3. प्रत्याधिक परीक्षाएँ : समावेशी शिक्षा में क्रियात्मक क्षेत्र का विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्रियात्मक यानी कारक क्षेत्र के उद्देश्यों को साध्य करने हेतु प्रात्यधिक परीक्षाएँ ली जाती हैं।

विज्ञान, समाजसेवा, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव, चित्रकला, टंकलेखन, संगीत, नृत्य, पाकशास्त्र, संगणक, कार्य अनुभव जैसे विषयों में कौशलों की जाँच प्रात्यक्षिक परीक्षाओं द्वारा की जाती है।

टिप्पणी

प्रात्यक्षिक परीक्षा के गुण

(1) दिव्यांग छात्रों द्वारा किये जाने वाले उपयोजन एवं कौशलों का मापन किया जाता है– जैसे कला गुण, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव, प्रयोग आदि से संबंधित आशय का मूल्यांकन अत्यंत उपयोगी होता है।

(2) कृति करते समय तथा कृति के बाद भी मूल्यांकन करते हैं।

(3) जिन्हें भाषा का उपयोग करना नहीं आता उनकी क्षमता के मापन हेतु प्रात्यक्षिक कार्य उपयोगी होता है।

(4) दिव्यांग बालकों की अक्षमताओं का विचार करके तथा क्षमताओं के द्वारा प्रात्यक्षिक कार्यों की योजनाएँ बनाकर उन्हीं का प्रात्यक्षिक परीक्षाओं का निरंतर/सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यांकन करना उपयुक्त साबित होता है।

एकात्मिक शिक्षा में प्रात्यक्षिक कार्य के बलबूते पर ही शिक्षा सफल होती है। छात्रों द्वारा किए गए कृतियों का निरीक्षण, तैयार वस्तुओं का निरीक्षण तथा यांत्रिक रचनाओं का अभ्यास इनके द्वारा प्रात्यक्षिक परीक्षा का गुणदान किया जाता है।

प्रात्यक्षिक परीक्षा के दोष

(1) परीक्षा लेने हेतु बड़ी नियोजन योजना बनानी पड़ती है।

(2) वक्त और पैसा बहुत अधिक लगता है।

(3) कृति एवं उत्पादों का/प्रतिकृतियों का दर्जा/स्तर निर्धारित करना/ठहराना कठिन होता है।

(4) दिव्यांग बालकों द्वारा किए गए कृति का निरीक्षण एवं परीक्षण करने हेतु स्वतंत्र परीक्षक की आवश्यकता होती है, मगर समावेशी शिक्षा में विशेष अध्यापकों की संख्या मर्यादित होती है।

(5) प्रात्यक्षिक परीक्षाओं द्वारा किये गये मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता आने की संभावना अधिक होती है।

मूल्यांकन के गुणात्मक साधन

(क) निरीक्षणात्मक साधन : विशिष्ट उद्देश्य आँखों के सामने रखकर बालकों के वर्तन का मापन करना ही निरीक्षण कहलाता है।

निरीक्षण से छात्रों की विशिष्ट स्थिति में किया गया वर्तन, काम करने की पद्धती, स्वभाव–वैशिष्टता आदि बातें अध्यापकों को समझनी हैं। निरीक्षणात्मक साधनों के अंतर्गत निम्न साधन शामिल हैं–

1. पड़ताल सूची : दिव्यांग बालकों को उनकी अक्षमताओं समेत शिक्षा में समायोजित किया जाता है। गुण, कौशल्य तथा वृत्ति ;।जजपजनकमद्ध का विकास सही प्रमाण में हो रहा है या नहीं इसकी जाँच की जाती है। छात्रों के निरीक्षण का चार्ट बनाया जाता है।

गुण

(1) छात्रों के उन्नयन हेतु गुण–अवगुण, कौशल्य एवं वृत्तियों का मापन।

(2) छात्र खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं।

(3) छात्रों की तुलना अधिक वस्तुनिष्ठता से की जाती है।

दोष

(1) दो छात्रों के बीच की तुलना स्पष्ट नहीं होती।

(2) गुण, वृत्ति, कौशल्य है कि नहीं इसका पता चलता है; मगर कितना है; इसका पता नहीं चलता।

2. पदनिश्चयन श्रेणी : छात्रों में गुण, कौशल्य एवं वृत्तियाँ कितनी हैं? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। इनमें दो प्रकार के पदनिश्चयन श्रेणियों का समावेश होता है।

(क) आलेखात्मक पदनिश्चयन श्रेणी

(ख) वर्णनात्मक पदनिश्चयन श्रेणी

गुण

(1) दिव्यांग बालकों ने जो भी प्रत्यक्ष काम किया है, वह निरीक्षण के द्वारा प्राप्त जानकारी का स्तर/दर्जा निर्धारित करने से आता है। जैसे हस्ताक्षर, चित्र, मानचित्र (map)।

(2) वर्तन परिवर्तन का अभिलेख तैयार हो जाता है।

दोष

(1) व्यक्तिनिष्ठता के कारण गलत मूल्यांकन हो सकता है।

(2) चिकित्सा/उपचार न करते हुए मध्यम श्रेणी देने का मानस होता है।

3. संकलित अभिलेख : छात्रा पाठशाला में प्रवेशित होते हैं तब से पाठशाला छोड़ कर जाने तक की जानकारी का अभिलेख होता है; यही संकलित अभिलेख होता है।

जैसे छात्र की व्यक्तिगत, पारिवारिक, शारीरिक, शालेय संपादन (Achievement), व्यक्तित्व विषयक, शिक्षा संबंधी एवं भविष्य विषयक भी जानकारी होती है।

गुण

(1) जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध।

(2) सात्यतपूर्ण अभिलेखन इसलिए गति का पता एवं दिशा मिलती है।

(3) शैक्षिक, व्यावसायिक समस्याओं की जानकारी से भी मार्गदर्शन किया जाता है।

(4) संकलित अभिलेखों से पालकों को भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

दोष

(1) यह कठिन और जाँचपूर्ण ढंग से किया जाने वाला कार्य है।

(2) कार्य संभालक अध्यापक को यह काम करना वक्त के चलते आसानी से नहीं हो पाता।

टिप्पणी

(3) छोटी–छोटी बातों को अभिलेख नहीं कर सकते।

(4) सभी छात्रों के लिए समान अभिलेख नमूना बनाना पड़ता है।

(5) कक्षानुरूप यह बदलना पड़ता है।

(6) कभी कभी यह साल के आखिरी समय में भरा जाना है। इससे सही जानकारी नहीं लिखी जाती। जल्दी–जल्दी में व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है।

4. प्रासंगिक अभिलेख : शालेय जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं। छात्रों का वर्तन अध्यापक रोज देखते हैं। स्वभाव की जानपहचान तो रोज होती हैं। "विभिन्न प्रसंगों में से ध्यान में आये छात्रों के वर्तन का अभिलेख यानी प्रासंगिक अभिलेख" कहा जाता है।

जैसे पिकनिक मनाने गये हुए छात्रों के बर्ताव में जो बदलाव दिखाई देता है, उसमें से अध्यापक को भावात्मक तथा मानसिक परिणाम जाँचने का मौका मिलता है। इस हेतु अभिलेखों में अध्यापक अपना भाष्य लेखन करते हैं।

जैसे– मित्रों में प्रेम, भावनात्मक बर्ताव, मदद आदि गुणों का लेखन।

फायदे

(1) नैसर्गिक घटनाओं में से वर्तन का पता चलता है। वह वास्तव में होता है।

(2) दिव्यांग बालकों के मार्गदर्शन में मदद होती है।

(3) छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी।

दोष

(1) किसी विशेष प्रसंग पर ही यह जानकारी मिलती है। सभी बालकों की ओर से ऐसी जानकारी मिलेगी इसकी हामी नहीं।

(2) अभिलेख हेतु अधिक वक्त लगता है।

(3) अध्यापकों के पूर्वग्रह के अभिलेखक का बुरा असर भी हो सकता है।

(ख) आत्मनिरीक्षणात्मक साधन : कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को कैसा दिखता है, इसके साथ–साथ वह खुद को कैसा दिखता है, यह भी महत्वपूर्ण होता है।

छात्रों को खुद के विचार जान लेने का तंत्र आत्मनिरीक्षणात्मक तंत्र होता है। उसमें से उनका कहना दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है।

1. मुलाकात/साक्षात्कार : साक्षात्कार द्वारा अध्यापक छात्रों के अभिभावकों तथा अन्य लोगों से जानकारी हासिल करते हैं। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण वृत्ति, कौशल्य व स्वभाव का परिचय होने में मदद मिलती है।

लाभ

(1) सहज उपलब्ध कर सकते हैं तथा वापस करने योग्य साधन है।

(2) प्रश्न के साथ उपप्रश्न भी पंछ सकते हैं।

(3) छात्र के व्यक्तित्व का दर्शन होता है।

(4) छात्रों की या शिक्षा में आने वाली समस्या एवं अड़चनों के कारणों का पता चलता है।

टिप्पणी

दोष

(1) वक्त अधिक लगना
(2) व्यक्तिनिष्ठता, पूर्वग्रह एवं दृष्टिकोण का परिणाम।
(3) कम आयु के बालकों का साक्षत्कार असंभव।
(4) सही जवाब नहीं दिये गये तो मूल्यांकन के उद्देश्य साध्य नहीं होंगे।
(5) कुछ अभिलेख असंभव।

2. प्रश्नावली/समस्या सूची : दिव्यांग बालकों के विकास एवं प्रगति में अड़चनें निर्माण करने वाले विभिन्न कारण होते हैं, उन्हीं कारणों को समस्या कहते हैं। छात्रों की ये समस्याएं अगर अध्यापक को समझ आती है तो उसके लिए उन्हें दूर कर प्रगति का मार्ग खुला करने में आसानी होती है। इसके लिए समस्या सूची साधन का उपयोग किया जाता है।

समस्या सूची में अध्यापक समस्याओं की लंबी सूची तैयार कर उसके सामने हाँ/नहीं (Yes/No/✓/x) को टिक करने को कहते हैं। समस्याग्रस्त सभी बालकों की जानकारी ऐसे ही हासिल की जाती है।

गुण

(1) कौन से छात्र समस्याग्रस्त हैं, यह पता चलता है।
(2) समान समस्या हो तो, उनका मार्गदर्शन किया जाता है।
(3) पाठ्यक्रम, अध्ययन आदतें, अध्यापन कार्य में सुधार करने में मदद मिलती है।

इसके साथ जुड़ा एक साधन हैं जिसका जिक्र करना यहाँ उपयोगी होगा वह है 'अभिरूपी प्रश्नावली' (Interest Questionnaire)।

अभिरुचि प्रश्नावली

छात्रों को कौन–सी बातें अच्छी लगती हैं, उनके छंद कौन से हैं? खाली वक्त वे कैसे बिताते हैं इनकी जानकारी के लिए अभिरुचि प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। छात्रों को विभिन्न कृतियाँ समाविष्ट सूची दी जाती है, जिसकी कृतियों के सामने हाँ, 'बता नहीं सकते,' 'नहीं' ऐसे 3 पर्याय होते हैं। उन्हें इनके सामने टिक (✓) करना होता है।

गुण

(1) छात्रों की पसंद पता चलने से उन्हें प्रोत्साहन देना आसान होता है।
(2) उपक्रमों के आयोजन में छात्रों के पसंदीदा कार्यक्रम समाविष्ट किये जाते हैं।
(3) व्यावसायिक मार्गदर्शन करना आसान होता है।

दोष

(1) कुछ बालक अंदाज से ✓ (टिक/Tick) करते हैं। इससे सत्य जानकारी नहीं मिलती।
(2) छोटे बच्चों की अभिरुचि बदलती रहती है; वह कायम नहीं रहती।

3. मतावली : प्रश्नावली एवं मतावली में समानता होती है। प्रश्नावली के प्रश्न कृति एवं काम से संबंधित होते हैं; तो मतावली के प्रश्न विचार, घटना एवं प्रसंगों से संबंधित होते हैं। प्रश्नावली के लाभ मतावली को भी होते हैं। प्रतिसादकों ने सत्य या प्रामाणिकता से मत प्रदर्शन नहीं किया तो मूल्यांकन दिशाहीन होता है। प्रश्नावली की जो मर्यादाएँ हैं वही मतावली की भी हैं।

(ग) आविष्कारात्मक साधन : जहाँ छात्र आत्मनिरीक्षण करने में असमर्थ होते हैं, वहाँ आविष्कारात्मक साधन उपयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रसंगों में छात्र का बर्ताव, उसका बोलना, उसका लेखन इससे उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। विभिन्न प्रसंगों से उसके मन की आशा–आकांक्षाओं का दर्शन होता है। इसी को 'प्रक्षेपण' कहते हैं। इस प्रक्षेपण या आविष्कार तंत्र का उपयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।

1. वाक्यपूर्ति : कुछ अधूरे वाक्य देकर छात्रों से उन्हें पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। ऐसे वाक्य पूर्ण करते समय छात्रों के मन में हलचल होती है संघर्ष तथा सुप्त इच्छाएँ बाहर निकलती हैं। जैसे–

(1) पाठशाला को छुट्टी हो तो ....

(2) मैं पास नहीं हुआ तो ....

(3) मैं नाटक का हीरो बन सकता हूँ, मगर .... ऐसे वाक्यों की पूर्ति से छात्रों के वर्तन संबंधी तथा व्यक्ति विशेष संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

जैसे– किसी को गिरते देख ....

मुझे हँसी आती है।	रमेश
मुझे बुरा लगता है।	प्रमोद
उसे सँभालने के लिए दौड़ना और पकड़ना।	वंदन
कुछ नहीं लगना।	सोपान

उपर्युक्त वाक्यपूर्ति से छात्रों के स्वभाव, कृति एवं व्यक्तित्व का दर्शन होता है। यही मूल्यांकन है।

वाक्यपूर्ति जैसे ही कथापूर्ति, कवितापूर्ति भी की जा सकती है; जिससे छात्रों के मूल उन्नयन, इच्छा, विचार, हलचलों का परीक्षण किया जाता है।

2. कथापूर्ण करना : कथाओं में अलग'अलग व्यक्तियों का चित्रण होता है, इसलिए कथा का चयन छात्रों के जीवन व अनुभव कक्षा की होनी चाहिए। आधी–अधूरी कथा सुनाकर इनके पात्रों का बर्ताव कैसे हुआ होगा? या आगे क्या? इसकी कल्पना करने का मार्गदर्शन किया जाता है। इस अवसर से छात्र अपने खुद के जीवन प्रसंग आँखों के सामने लाकर घटनाओं का अर्थ लगाकर कथा को पूर्ण करते हैं।

कथा के पात्रों की भावनाएँ छात्रों की प्रत्यक्ष भावनाएँ भी हो सकती हैं। अभिव्यक्ति में परिसर/वातावरण, समाज के कुछ निरीक्षण, कुटुंब के व्यक्ति की भावनाएँ एवं परस्पर संबंध इनके परिणाम भी मिल जाते हैं।

3. चित्र निकालना : 'चित्र' भी अभिव्यक्ति का एक सही माध्यम है। चित्रकार अपनी कल्पना भावना चित्र से व्यक्त करते हैं। मगर छोटे बच्चे मुक्त होकर चित्र निकालते

हैं। उन्हें अवसर मिलते ही उनकी भावनाएँ, निरीक्षण, अनुभव तृप्त–अतृप्त इच्छाएँ एवं अनुभव इनका प्रक्षेपण चित्र द्वारा होता है।

चित्रों का आकार, रंग, रचना, सुविधा व विविधता से अंतर्मन तक अध्यापक झाँक सकते हैं। स्वभाव व आशा आकांक्षाओं का चित्रण – निष्कर्ष निकालने में उपयुक्त होता है।

4. दैनंदिनी लेखन : दैनंदिनी लेखन में सामान्यतः दिनमान लिखा जाता है। मगर उतना ही सीमित न रहे। छात्रों को दैनंदिनी लिखते समय खुद के मन में जो विचार आएं; किसी प्रसंग, घटना से उन्हें कैसा महसूस हुआ? विशेष कार्यक्रमों के बारे में उनकी क्या राय है? यह जानने हेतु अध्यापक के लिए दैनंदिनी उपयुक्त साबित होती है।

छात्रों के मन के विचार, उनके प्रश्न एवं समस्याएं पता चलती हैं।

आविष्कारात्मक साधना तंत्र के गुण

(1) इन साधनों में निर्धारित साँचों की तरह उत्तर नहीं होते।

(2) छात्रों के मूल उन्नति हेतु कल्पना विलास हेतु करने वाली क्रिया होने से सचमुच आनंद से वे यह कृति करते हैं। दबाव रहित कृतियों का दर्शन होता है।

(3) भाषा प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं होती।

(4) सर्वकष व्यक्तित्व का प्रतिबिंब दिखता है।

दोष

(1) जो साधनों के बारे में जानते हैं वही उपयोग कर सकते हैं।

(2) प्रतिसादों का अर्थ लगना मुश्किल होता है।

(3) अधिक समय लगता है।

(घ) नामनिर्देशात्मक साधन : नामनिर्देशात्मक साधनों द्वारा एक छात्र की अन्य छात्रों द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। हर छात्र के लिए इन्हीं तंत्रों का प्रयोग किया जाता है।

इनमें सम्मिलित हैं : (1) समाजमिती तंत्र (Sociometrics Technique), (2) पहचान तंत्र (Identify Technique)

1. सामाजिक तंत्र : "छात्र, कक्षा, व्यक्ति एवं उसका उसके समूह में स्थान इनका परस्पर संबंध आजमाने का साधन यानी समाजमिती तंत्र।"

10–12 छात्रों के एक समूह में अध्यापक द्वारा पूछे जाने पर कि तुम्हें किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, वहाँ किसी का किसी से भी मेल हो सकता है। या नहीं भी। इसी को समाजमिती तंत्र कहते हैं।

आगे दिये गये चित्र में यह स्पष्ट होगा।

टिप्पणी

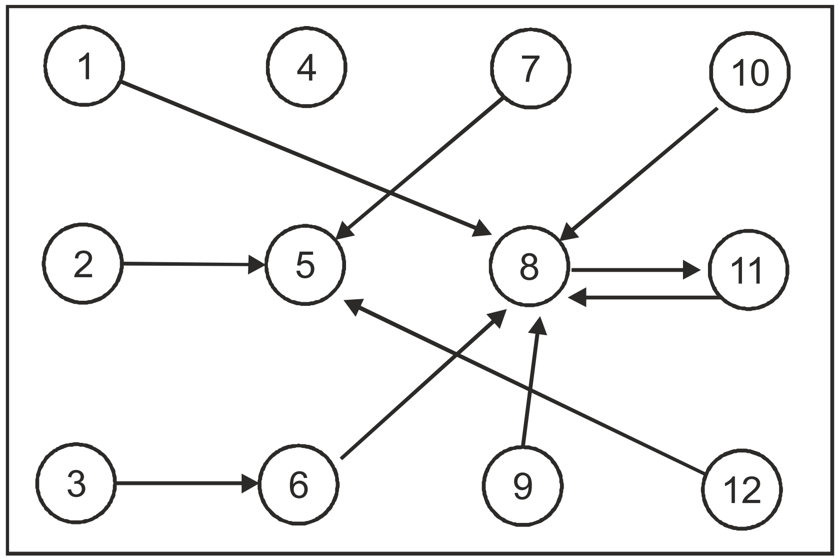

समाजमिती

उपर्युक्त आकृति में क्र. 8 के छात्र के साथ सभी को आना है तथा 5 के साथ भी आना है। मगर अन्य को उनके साथ नहीं आना है।

कभी–कभी अध्यापक कक्षा में लोकतंत्र नीति से चयन करते हैं; तब ऐसा अनुभव होता है। छात्रों के परस्पर संबंध नेतृत्वगुण व एक–दूसरे से लगाव की इच्छाशक्ति से इन बातों का ज्ञान होता है।

इस तंत्र में सहाध्यायी छात्रों के मत एवं दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ समूह वर्तन मूल्य भी नापे जाते हैं। हर बालक की एक भूमिका (Role) होती है, मगर समूह का भी किसी भी बालक से अपेक्षाएँ रखना लाजमी होता है।

2. पहचानो तंत्र : इस तंत्र में स्वभाव–गुण या वैशिष्टता दर्शाने वाले वाक्य दिये जाते हैं। उन विधानों के सामने छात्रों के नाम छात्रों को लिखने होते हैं। जैसे–

(1) हमेशा बोलने वाला/वाली : ....

(2) दुखी : ....

(3) मदद करने वाला/वाली : ....

(4) झगड़ा मोल लेने वाला/वाली : ....

रिक्त स्थानों पर छात्रों को उपर्युक्त स्वभाव के अनुसार बर्ताव करने वालों के नाम लिखने होते हैं। जिस छात्र का नाम अधिक बार आया है, उसके अनुसार छात्र का गुण/दोष उसके साथ हैं, यह निर्णय लिया जाता है।

गुण

(1) सहज, सुलभ साधन।

(2) जानकारी देने हेतु उद्बोधन एवं आदर्श स्थिति अगर तैयार की तो विश्वसनीय निष्कर्ष निकलते हैं।

(3) गोपनीयता रखने (Confendentiality) से इस तंत्र का अधिक उपयोग होना है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

23. समावेशी शिक्षा की कक्षा में दिव्यांगों का अनुपात कितने प्रतिशत तक होता है?
    (क) 50 प्रतिशत (ख) 25 प्रतिशत
    (ग) 16 प्रतिशत (घ) 60 प्रतिशत
24. समावेशी शिक्षा में भिन्न प्रकार की दिव्यांग्ता के बालक होते हैं, उनकी क्षमताओं का मापन किसके द्वारा किया जाता है?
    (क) मूल्यांकन द्वारा (ख) अनुमान द्वारा
    (ग) घरवालों से पूछकर (घ) स्वास्थ्य के आधार पर

2.8 समावेशी शिक्षा हेतु सहयोगी क्रियाएं

समावेशी शिक्षा की कक्षा में साधारण छात्रों की बराबरी से अक्षमता धारण करने वाले तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को भी शिक्षा दी जाती है। छात्रों की अध्ययन विषयक जरूरतें पूर्ण करने के लिए कक्षा में विशेष शिक्षक अन्य साधारण अध्यापक की बराबरी से काम करते हैं। इसमें विशेष अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। विशेष बालकों को शिक्षा देते समय अध्यापकों द्वारा छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा निरपेक्ष आधारभूत सेवा तथा ज्ञान/जानकारियों का जाल (Information Network) उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। विशेष बालकों को अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया के दौरान आने वाली जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने हेतु अध्यापक अभिभावकों की सहायता से विशेष प्रयास करते हैं।

समावेशी शिक्षा में अध्यापक पाठशाला के प्रधानाध्यापक तथा दिव्यांग बालकों के 'मध्यस्थ' (Mediator) की भूमिका निभाते हैं; तो अभिभावकों के लिए समुपदेशक (Counsellor) और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। दिव्यांगों की अक्षमतानुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जो कुछ सुविधाएँ होती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए नई एवं नवोपक्रमित दिशाओं का उपयोग किया जाता है।

2.8.1 समावेशी शिक्षा में बालकों को समावेशित कराने हेतु अभिभावक या परिवारजनों की भूमिका

सफल समावेशी शिक्षा हेतु अभिभावक एवं अध्यापक संघटन (Parents Teachers Association) एक समूह होता है। यह एक मजबूत रिश्तों से बना संघटन होता है; जिसमें अभिभावकों का सहयोग लिया जाता है। कई बार विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के अभिभावक अपने पाल्यों की हलचल, कृतियाँ पसंद नापसंद के प्रति समावेशी शिक्षा प्रणाली में प्रवेशित करने हेतु संकुचित भाव रखते हैं। पाठशाला में सामान्य छात्रों के अभिभावक भी अपने पाल्य/बालक का शैक्षिक क्षेत्र में अध्ययन के बारे में, कोई भी समस्या या अड़चनें (Disturbance/Distraction) न आएं; ऐसा सोचते हैं। इस समस्या का सामना पाठशाला व्यवस्थापन को करना पड़ता है। ऐसे समय में शिक्षा संस्थाओं की यह जिम्मेवारी होती है कि छात्रों के अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के बारे में संपूर्ण

टिप्पणी

जानकारी प्रदान करें तथा अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण होने हेतु प्रयास करें।

अभिभावकों का समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण जगाने के उद्देश्य

(1) समावेशी शिक्षा द्वारा बालकों का सामाजिक विकास करना।

(2) छात्रों की विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाना।

(3) अभिभावकों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

(4) अभिभावकों–अध्यापकों के एकत्रित महत्वपूर्ण सहभाग द्वारा दिव्यांग बालकों को अध्ययन प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं दूर करना।

(5) समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों की सफल शिक्षा के लिए अभिभावकों का सहाय्य/सहकार्य तथा परिणामकारक अध्यापन का मिलाप करवाना।

(6) अभिभावक एवं अध्यापकों की सहयोगात्मक भूमिका एवं कार्य से दिव्यांग छात्रों की व्यक्तिगत शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना।

दिव्यांग बालकों को उनके परिवारजन, विद्यालय तथा समाज से समावेशी अनुभव, समावेशी व्यवहार समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे बालक लोकतंत्र प्रणाली द्वारा समाज के एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में उभरकर आ सके तथा समावेशन के मूल्यों में दृढ़ विश्वास रख सके। परिवार में होने वाले दिव्यांग बालक का समावेशन का दरवाजा परिवार तंत्र से ही समुचित होकर गुजरता है। सभी परिवार इस बारे में एक जैसे नहीं होते; वे ऐसे अपंग/दिव्यांग बालक के बारे में दूजाभाव (Secondary Preference) मानते हैं। अभिभावकों का और अन्य परिवारजन तथा रिश्तेदारों का भी इस मामले में अज्ञान दिखाई देता है। दिव्यांगों की अक्षम इंद्रियों के स्वरूप तथा उनकी समस्याओं की अभिभावकों को सही और वैज्ञानिक (Scientific) जानकारी देकर इन बालकों से कैसे बर्ताव करना है, इसका मार्गदर्शन आवश्यक माना जाता है।

जब दिव्यांग बालक को सर्वसमावेशी पाठशाला में समावेशित किया जाता है तब दोनों ही अभिभावकों (मां–पिताजी) के सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे बालकों को बैठने की व्यवस्था, कक्षा की रचना, अध्ययन के कौन–कौन से पूरक साधन एवं साहित्य उपलब्ध कारए जाएंगे? उनके बालक की व्यक्तिगत दिव्यांगता एवं क्षमतानुरूप उसकी प्रगति हेतु कौन–सी पद्धति (strategy) अपनायी जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब अध्यापकों को एवं पाठशाला प्रशासन को देना पड़ता है। मगर पाठशाला तो कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर बनी होती है। इसलिए पाठशाला के साथ–साथ अभिभावकों की भी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं; जिसके चलते उन्हें भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं।

अभिभावकों की भूमिका

बालकों का सही–सही व्यक्तित्व विकास एवं समाजिकरण परिवार से ही होता है; इसलिए अभिभावकों की कैसी भूमिका होनी चाहिए; इसके अहम मुद्दे निम्न हैं–

(1) बालक का समाजीकरण।

(2) मजबूत सकारात्मकता।

(3) निर्णय में सहभागिता।

(4) समाज में दिव्यांगता को सम्मान देने की चुनौती।

टिप्पणी

(5) लैंगिक भेदभाव का खंडन।

(6) खुद की सुरक्षा का जिम्मा।

(7) लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोजन

(8) समावेशन का अधिक कारगर तरीका

(1) बालक का समाजीकरण : परिवार के सभी सदस्य दिव्यांग बालक के समाजीकरण हेतु आधार भूमि तैयार करते हैं। उसकी ओर व्यक्तिगत ध्यान देना भी उनका प्रथम कर्तव्य बनता है। जैसे बालक को उसकी दिव्यांगता के अनुरूप प्राथमिक सुविधाएँ एवं कामकाज सिखाना, उसी से कामकाज करवाकर उसे व्यक्तिगत कार्य हेतु निर्भर बनाना और उसकी क्षमताओं को जागरूक रखना।

(2) मजबूत सकारात्मकता : 'मुझे सब कुछ आता है।' 'मैं यह कृति कर सकता हूँ।' 'यह मेरे हिस्से का काम है, मैं खुद कर सकता हूँ।' 'मैं आत्मनिर्भर हूं' दिव्यांग के ऐसे विचारों के लिए परिवार में से मजबूत सकारात्मकता दर्शायी जाती है। जिसके हेतु संपूर्ण प्रयास भी किये जाते हैं।

(3) निर्णय में सहभागिता : दिव्यांग बालकों को क्या करना है? क्या नहीं करना है? परिवार में जब कुछ निर्णय लेने की बारी आती है, तब उसके मन की बातों को, इच्छाओं को प्रथम स्थान देना भी निर्णय सहभागिता ही होता है।

(4) समाज में दिव्यांगता को सम्मान देने की चुनौती : बाहरी विकसित देशों में (Foreign Developed Countries) जन्में हुए दिव्यांग बालक को एक सुदृढ़ नागरिक बनाना एक चुनौती माना जाता है। मगर अपने देश की जनसंख्या तथा देश की आर्थिक एवं वैचारिक विचारधाराओं के चलते दिव्यांगों का विकास महज एक कर्तव्य (Duty) बनकर रह जाता है; और दिव्यांग को सम्मान देना एक चुनौती ही रह जाती है।

(5) लैंगिक भेदभाव का खंडन : परिवार में जन्मा दिव्यांग बालक लड़का हो या लड़की; प्रगति और विकास की आड़ में लैंगिक भेदभाव नहीं आना चाहिए। दिव्यांगों का 'जैसे थे' स्वीकार करना भी आदय कर्तव्य होता है। दिव्यांग बालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आने वाली दिक्कतें समावेशी पाठशालाओं पर सौंपना एवं उन पर विश्वास दिखाना यह परिवारजनों/अभिभावकों को करना होता है। ताकि अध्यापक उसी विश्वास के बलबूते पर बालकों को साथ लेकर सभी कृतियों को बिना शिक्षक कर सकें।

(6) खुद की सुरक्षा का जिम्मा : परिवार जनों की ओर से दिव्यांग बालकों में विश्वास एवं सांस्कृतिक आधार पर अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाने का जज्बा भी पैदा कराना होता है। उससे बालक स्वतः आत्मनिर्भर (Self Independent) होने की जिद रखता है।

(7) लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोजन : परिवार द्वारा न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता एवं विचाराभिव्यक्ति जैसे मूल्यों को स्वीकार कर परिवार में पोषक वातावरण का निर्माण किया जाता है। जिससे दिव्यांग बालकों में अधिकारों के प्रति जिद का भी निर्माण होना चाहिए। क्योंकि घर में बैठे–बैठे तो उसका विश्वास बढ़ेगा नहीं और न ही विकास होगा।

(8) समावेशन का अधिक कारगर तरीका : कम उम्र के दिव्यांग बालकों को समावेशी पाठशाला में प्रवेशित करना अभिभावकों को अटपटा सा लगता है, मगर

टिप्पणी

समावेशी पाठशालाओं में सिखायी जाने वाली कुछ जीवन व्यवहार की नीतियों तथा स्वावलम्बन योजनाओं के कारण बालकों के मन में तभी से सकारात्मक भावों का निर्माण होकर धीरे–धीरे आत्मनिर्भरत्व की ओर चलाया जा सकता है।

इसलिए अभिभावकों को अपनी सक्रिय भूमिकाओं के साथ–साथ समावेशी शिक्षा प्रक्रिया पर भी विश्वास रखना चाहिए।

2.8.2 समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को समावेशित करने में समुदायों की भूमिका

कोई भी शिक्षा प्रणाली समुदाय की मदद के बिना नहीं टिक पाती है। अगर समाज या समुदाय का साथ न हो तो शिक्षा प्रणाली का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। इसलिए अभिभावकों के साथ–साथ समावेशी शिक्षा में समाज/समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिव्यांग एवं समाज में समन्वयात्मक संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे कि दिव्यांगों की जो अक्षमताएँ हैं; उनका उन्हें कोई न्यून भाव नहीं लगेगा तथा सामान्य बालकों की तरह वे भी खुद के व्यक्तित्व में सम्यक बदलाव ला सकेंगे।

सामुदायिक जीवन से सप्रयोजित कृतियों से मिलने वाला अध्ययन या अनुभव छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी/मददगार साबित होता है। समुदाय या समाज की ओर से कई बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाले समुदायों द्वारा अनुभव और ज्ञान ग्रहण करके छात्र दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग करते हैं। परंतु यह अनुभव सकारात्मक होना आवश्यक होता है। मतलब छात्रों के लिए समाज या समुदाय अध्ययन पूरक होने आवश्यक होते हैं तथा इस प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका भी आवश्यक मानी जाती है। अध्यापकों द्वारा समाज में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी देकर छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक होता है।

इससे छात्रों को सांस्कृतिक समावेशन अवसर प्राप्त होता है और समाज के लोगों की परिस्थिति वंश, धर्म, जाति, लिंग, क्षमता इनके द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होता है।

समावेशी विद्यालय से जुड़ा हर छात्र, स्टाफ/कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापक की यह प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी होती है। स्थानीय स्तर के जो भी संगठन होते हैं, उनके सहयोग से मिलने वाले लाभ भी अविभाज्य अंग होते हैं। जिससे विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस कारण शिक्षा का प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, अलग–अलग संगठनों/समुदायों से जुड़ा रहना आवश्यक है। जिसमें स्थानीय एवं राज्य स्तर के संस्थान, विद्यालय प्रबंधन समितियों, NGO's स्वैच्छिक संगठन, अन्य विद्यालय एवं विशेष शिक्षा देने वाली संस्थाएँ, अभिभावकों का भी समावेश किया जाता है। समावेशी शिक्षा विद्यालयों के लक्ष्यों को हासिल करने में सबकी मदद, समर्थन एवं प्रोत्साहन आवश्यक एवं उपयोगी साबित होता है। वे समुदाय/संगठन निम्न हैं–

(1) स्थानीय एवं राज्य स्तर के संस्थान

(2) विद्यालय प्रबंधन समितियाँ (SMCOM)

(3) स्वैच्छिक संगठन (NGO'S)

(4) अन्य विद्यालय

टिप्पणी

(5) अनुभवी परामर्शदाता

(6) अन्य विशेष शिक्षा संस्था/विद्यालय

(1) स्थानीय एवं राज्य स्तर के संस्थान : शिक्षा विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर के तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर के संगठनों की साझेदारियाँ अलग–अलग होती हैं। ये संगठन जो कार्य करते हैं, वे कार्य निम्न तरह के होते हैं :–

(क) विद्यालय एवं कक्षा में अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात (Proportion) ठहराना।

(ख) छात्रों हेतु सुरक्षित परिवहन/यातायात की व्यवस्था करना।

(ग) आवश्यक कक्षाओं से स्वतंत्र एवं कार्यशील प्रसाधन गृहों को जोड़ना सुरक्षित व पर्याप्त इमारत का नियोजन करना।

(घ) पर्याप्त एवं सुरक्षित स्वच्छ पानी की व्यवस्था, खेल उपकरण तथा पाकगृह प्रदान करना।

(ङ) पुस्तकालय।

(च) अध्यापकों का सेवांतर्गत प्रशिक्षण।

(छ) अध्यापन अध्ययन सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तक, लेखन सामग्री वर्दियाँ/ मध्यान्ह भोजन व्यवस्था।

राज्य स्तर के कार्यरत संगठन समावेशी शिक्षा को प्रबल [Strong] करने हेतु विभिन्न योजनाएँ बनाकर उनका अमल होने पर तथा प्रगति पर नियंत्रण, निगरानी करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संपूर्ण देश या राज्य स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किये जाने वाले परिवर्तनों में DIET (District Institute of Education and Training) की कार्यप्रणाली में शिक्षा क्रियान्वयन एवं अध्यापक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण साझेदारी की भूमिका निभाती है।

(2) विद्यालय प्रबंधन सामिति : बालकों की शिक्षा में विद्यालय हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मगर विद्यालय हमेशा अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हर निर्णय में विद्यालय अभिभावकों का साथ जरूर लेते हैं। छात्रों के अभिभावकों को साथ लेकर विद्यालय द्वारा 'विद्यालय प्रबंधन समिति' (School Management Committee) का गठन किया जाता है। विद्यालय के हर निर्णय में (Decision making) SMC से मान्यता ली जाती है। जो भी निर्णय छात्रों के लिए लिये जाते हैं वे छात्रों के हितकारक तथा प्रगति के लिए लिये जाते हैं।

समावेशी शिक्षा विद्यालयों में अभिभावकों का ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सहभाग कराने हेतु स्वागत ही होता है। क्योंकि उन्हीं के बालकों की शिक्षा में उनकी सहभागिता उपयोगी एवं दृढ़ साबित होती हैं।

विद्यालय द्वारा विभिन्न यात्राओं का आयोजन किया जाता है। इन क्षेत्र भ्रमण से भी छात्रों का ज्ञान बढ़ता है। क्षेत्र भ्रमण आयोजन की सीढ़ियाँ निम्न प्रकार हैं–

(1) अनुभूतियाँ।

(2) संबंधित लोगों को जानकारी देना।

(3) छात्रों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था/यातायात।

(4) भ्रमण की व्यवस्था।

(5) रहने की व आराम की व्यवस्था।

(6) Spot पर सुविधाओं की उपलब्धि।

उपर्युक्त सुविधाओं के लिए अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इन दोनों संसाधनों का सहयोग महत्वपूर्ण होता है।

विद्यालय द्वारा समुदायों की साझेदारी की जिम्मेदारी अधिक से अधिक हो इसलिए सामुदायिक संगठनों को संलग्न रखना; विभिन्न कार्यकारी प्रथाएँ स्थापित करना तथा उनपर निगरानी रखते हुए प्रभावों का मूल्यांकन करना। ऐसी साझेदारियाँ अधिक लाभकारी होती हैं।

(3) स्वैच्छिक संगठन (NGO's) (Non Government Officials) : स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठन होते हैं। वे गैर सरकारी संगठन (NGOs) कहलाते हैं। समावेशी विद्यालयों में ऐसे समुदायों द्वारा भी काम किया जाता है। गुणवत्ता सुधार लाने हेतु विभिन्न अध्यापन, अध्ययन–संसाधन, अध्ययन–अध्यापन प्रणालियां तथा सामग्री भी दी जाती हैं।

कुछ NGO's खुद के अपनी विशेष पाठशालाओं (Special Schools) को चलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। जैसे NAB-'National Association for a Blind', अंधे एवं दृष्टिदोष रहने वाले बालकों के लिए पाठशाला एवं प्रशिक्षण संस्थाएँ चलाते हैं। ये कई बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों (Universities) से जुड़कर कुछ शिक्षा कार्यक्रमों को अपनाना तथा चलाना (Adaptation and Adoptation) जैसे काम भी करते हैं।

(4) अन्य विद्यालय : समावेशी शिक्षा से जुड़े अन्य विद्यालयों से भी सहभागिता करना आवश्यक होता है। जैसे सामान्य विद्यालय से सामान्य शिक्षा के बारे में लेनदेन, कार्यक्रमों में सहभाग, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं (Workshops) का आयोजन, विज्ञान तथा अन्य विषयों की प्रदर्शनी (Exibition), विभिन्न स्पर्धाएँ, विशेष दिन व दिनविशेषों पर एकत्रित (Collaborative) कार्य योजनाएं (Practices) करना। इस तरह से अन्य (सामान्य) विद्यालयों का सहयोग और समुदाय के रूप में उनकी साझेदारियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

(5) अनुभवी परामर्शदाता : ऐसे कई अनुभवी लोग समाज में होते हैं, जो अपने अनुभवों द्वारा शिक्षा विद्यालयों में विकासशील वातावरण का निर्माण कराते हैं। वे छात्रों समेत अध्यापकों से भी नये– नये कार्य या कृति अनुसंधान (Action Research) के विभिन्न प्रकल्प (Projects) करवाते हैं। जिससे विद्यालयों की अपनी चुनौतियाँ दूर हो सकें। विचारों के आदान प्रदान द्वारा विद्यालय में अच्छी शिक्षा नीतियाँ बनें तथा छात्रों के अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्ति के प्रकारों में सुधार (Improvement) हो। जो भी अध्ययन अनुभव परामर्शदाता देते हैं, तो उनके ही मार्गदर्शन से कई कृतियों का आयोजन भी किया जाता है।

परामर्शदाता की निगरानी के साथ–साथ निरीक्षण और फलदायी प्रत्याभरण (fruitful feedback) भी मददगार एवं उपयोगी साबित होता है। ऐसे कई परामर्शदाता जो विषय के अनुसार छात्रों की दिव्यांगता को दूर करने तथा उनकी क्षमता विकास हेतु काम करने वाले होते हैं, उनका यह सामुदायिक/व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी उत्कृष्ट मूल्य दे जाता है।

(6) अन्य विशेष शिक्षा संस्था/विद्यालय : समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों का सर्वंकष विकास अपेक्षित होता है। मगर केवल विकास ही होता है, ऐसा नहीं है। इसे साथ–साथ कई समस्याएं भी सामने आती हैं। जैसे–

टिप्पणी

- छात्रों की प्रगति की सही दिशा में चर्चा। अभिभावकों के सहयोग की अपेक्षा असफल होना।
- अध्यापकों की सक्रियता।
- छात्रों की समस्याएं दूर करने हेतु नियोजन।
- छात्रों तथा अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई।
- छात्रों के अध्ययनपूरक कार्यक्रम।
- विद्यालय द्वारा अभिक्रमित शैक्षिक, सामाजिक, क्रीड़ा संबंधी कार्यक्रमों पर निगरानी और नियंत्रण।

उपर्युक्त सभी क्रियाकलापों पर अन्य विशेष शिक्षा संस्थानों की ओर से लेखा परीक्षण करवाकर अनुमान निकाला जाता है। इससे संस्थागत प्रगति का जायजा, साझेदारियाँ एवं सफलता की सीढ़ियों को पार करना अपेक्षित होता है।

विद्यालयों द्वारा समुदायों में सहभागिता एवं साझेदारियाँ

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य–छात्रों का सर्वकष विकास, उन्हें उद्योग और उत्पादक कार्यों में निपुण बनाना तथा लोकतंत्र की व्यवस्था में सबल एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाना होते हैं। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय और समुदाय में सहयोग स्थापन करने के लिए कुछ सिद्धान्त होते हैं– वे सिद्धांत निम्न हैं–

(1) सामुदायिक सेवा की भावना।

(2) विद्यालय का ज्ञान।

(3) सामुदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार छात्रों का अनुकूलन।

(4) समुदाय का ज्ञान।

(5) विद्यालय की सहाय्य की भावना

इन सभी सिद्धान्तों के चलते विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाने, शिक्षा सुधार करने तथा शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा विद्यालय को लोकप्रिय बनाने के लिए सहयोग स्थापित किये जाते हैं। इसलिए इन संबंधों को विकसित करने के लिए, कुछ उपायों की भी जरूरत होती है। वे उपाय हैं–

(1) विद्यालय पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकतानुसार हो।

(2) विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए।

(3) छात्र एवं अध्यापकों द्वारा स्थानीय समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता।

(4) विद्यालय में अभिभावकों के संघ की स्थापना हो।

(5) विद्यालय में SMC के सदस्यों को उचित स्थान देकर उनका उत्तरदायित्व (Accountability) बढ़ाई जाए।

(6) छात्रों को क्षेत्रीय भ्रमण करवाएं, ताकि उन्हें समुदाय के विषय में ज्ञानप्राप्ति हो एवं सुविधाओं से विकास बढ़े।

(7) समुदायों द्वारा सामूहिक विकास तथा सेवा कार्यों को विभिन्न परियोजनाओं के रूप में प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाए।

(8) सर्वेक्षणों के द्वारा समस्याओं का निराकरण करने के उपाय करने का मौका पाकर संबंध सुदृढ़ बनाना।

(9) एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट–गाइड, के कैम्स/शिविर लगाकर समुदायों को सहयोगी करना/बनाना।

(10) विद्यालय द्वारा पिछड़े वर्गों के बालकों को शिक्षा में सहयोग, छात्रवृत्तियाँ, शुल्क माफी देना।

(11) विद्यालयों द्वारा जरूरतमंदों के लिए रक्तदान के शिविरों का आयोजन।

(12) राष्ट्रीय संकट काल में विद्यालय द्वारा सहयोग।

(13) आर्थिक सहायता।

(14) अभिभावकों की प्रेरणा पर छात्र–सहभागिता के लिए आवश्यक साधन एवं उपसाधन, संसाधनों की व्यवस्था।

(15) आर्थिक क्षेत्रों में सफलता पाने हेतु विद्यालयों द्वारा उद्योग प्रशिक्षण।

इस तरह विद्यालयों के समुदायों से संबंध बने रहेंगे। समुदायों की सहभागिता से विद्यालय का अस्तित्व बना रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इनमें अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

अपनी प्रगति जांचिए

25. बालकों का सही–सही व्यक्तित्व विकास एवं समाजीकरण किससे होता है?

    (क) परिवार से　　(ख) घर से

    (ग) दोस्तों से　　(घ) बाजार से

26. विकसित देशों में जन्में कुछ दिव्यांग बालक को एक सुदृढ़ नागरिक बनाना क्या माना जाता है?

    (क) फर्ज　　(ख) चुनौती

    (ग) सामान्य कार्य　　(घ) दयाधर्म

27. कोई भी शिक्षा प्रणाली किसकी मदद के बिना टिक नहीं पाती?

    (क) विद्यालय की　　(ख) जनता की

    (ग) समुदाय की　　(घ) मंत्री की

28. समुदायों की सहभागिता से किसका असितत्व बना रहेगा?

    (क) विद्यालयों का　　(ख) सरकार का

    (ग) घरों का　　(घ) शहरों का

2.9 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता को समुपदेशन एवं नियम–कानूनों की जानकारी

समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों/माता–पिता की भूमिका काफी अहमियत रखती है। इसी से जुड़े नियम–कानूनों की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है।

2.9.1 अभिभावकों को समुपदेशन

सफल समावेशी शिक्षा में अभिभावकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने दिव्यांग बालकों को शिक्षा के बारे में कोई समस्या न आये इसलिए अभिभावक शिक्षा संस्थानों से जुड़े रहते हैं। दिव्यांग बालकों की सबसे अधिक देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता परिवारजन एवं अभिभावकों द्वारा ही की जाती है क्योंकि सबसे पहले वे ही उनके संरक्षक होते हैं। उनकी सारी कमियाँ, खूबियाँ, क्षमता–अक्षमताएँ तथा आवश्यकताओं के बारे में वे ही जानते हैं। इसलिए बालकों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए अभिभावक ही जिम्मेदार माने जाते हैं।

कई बार अभिभावक अपने दिव्यांग बालकों का ख्याल नहीं रख पाते; उसके कई कारण होते हैं, जैसे–

(1) गरीबी

(2) दिव्यांगता

(3) बीमारी

(4) अभिभावकों का शिक्षित न होना,

(5) अंधविश्वास

(6) समाज का दबाव

(7) दिव्यांगता–परिवार पर बोझ

(8) उत्पीड़न, उपेक्षा और हिंसा के शिकार होना

इन कारणों की बदौलत अभिभावकों की देखरेख के अभाव से बालक कई प्रकार की उत्पीड़न, शोषण और उपेक्षा जैसे उच्च जोखिम (Risk) उठाकर जीते हैं। शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों को परिवार एवं समुदायों द्वारा बोझ समझा जाता है।

लोग इन बालकों को कोसते रहते हैं और बालक उपेक्षात्मक बर्ताव और हिंसा जैसी बुरी रीतियों का शिकार बेवजह बनते जाते हैं। अपने देश के अनेक समुदायों को अंधविश्वास की जड़ों ने जकड़ रखा है। उनकी बदौलत भी दिव्यांगों पर अन्याय किये जाते हैं। जैसे– लड़का–लड़की भेदों के कारण लड़कियों को सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। दिव्यांग बालक का जन्म होना 'पिछले जन्मों के पापों' या 'कर्मों' से जोड़कर इनके लिए पीड़ाओं को झेलना अनिवार्य सा मान लिया जाता है।

ऐसे अभिभावकों को समुपदेशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्यालय की यह जिम्मेदारी होती है; अभिभावकों को इस शिष्टता प्रक्रिया द्वारा संलग्न रखे एवं छात्रों की विकासशीलता में सहयोग बढ़ाए। अभिभावकों को समुपदेशन द्वारा समावेशक संस्कृति का विकास करवाना होता है। यह समुपदेशन प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक इन दोनों के द्वारा होना अधिक सुलभ होता है। उत्कृष्ट समुपदेशकों की उन्हें भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं।

प्रधानाध्यापक की अभिभावकों के समुपदेशन में भूमिका

(क) विशेषज्ञ के रूप में भूमिका

(ख) मार्गदर्शक के रूप में भूमिका

(ग) जोखिम की तैयारी

(घ) मानवी संबंधों का निर्माण एवं जतन

(ङ) संसाधनीय व्यक्ति के रूप में भूमिका

(क) विशेषज्ञ (Expert) के रूप में भूमिका : समावेशी शिक्षा के प्रधानाध्यापक होने के नाते वे विशेषज्ञ होते हैं। विशेषकर जब कोई दिव्यांग बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ले रहा हो। उस दिव्यांग बालक की दिव्यांगता का स्वरूप, उसके परिणाम और उनके उपायों के बारे में तथा शैक्षिक एवं वैद्यकीय दृष्टिकोण से भी सब कुछ मालूम होना आवश्यक माना जाता है ताकि वे सारा जायजा लेकर अभिभावकों से सही दिशा में बात कर सकें।

(ख) मार्गदर्शक के रूप में भूमिका : दिव्यांग बालकों को कई बार मानवीय तथा भौतिकीय घटकों द्वारा अड़चने/समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इनका निराकरण भी प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। इस हिसाब से वे अभिभावक, अध्यापक, छात्र और समाज के भी समुपदेशक होते हैं।

(ग) जोखिम की तैयारी : समावेशी शिक्षा में कुछ मानवीय तथा कुछ भौतिकीय (Infrastructural) बदलाव भी करने पड़ते हैं और पुनर्रचना (Restructuring) करने का जोखिम भी उठाना पड़ता है। इस कारण अभिभावकों से चर्चा करके निर्णय लेकर मार्गदर्शन करना होता है।

(घ) मानवी संबंधों का निर्माण एवं जलन : प्रधानाध्यापक शैक्षिक प्रशासन, अध्यापक, अभिभावक एवं समाज के मध्यस्थी (Liasen) की भूमिका निभाते हैं। नियमों के दायरे के अंदर रहकर समुपदेशक की भूमिका करते वक्त अभिभावकों में सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करवाते हैं।

(ङ) संसाधनीय व्यक्ति (Resource Person) के रूप में भूमिका : सर्वसमावेशन (Integration) के दौर में विद्यालय में एक संसाधनीय व्यक्ति के रूप में यह भूमिका निभाई जाती है, जिससे सबको मददगार के रूप में प्रधानाध्यापक की ओर से आकर्षण एवं विश्वास होता है।

अध्यापकों द्वारा अभिभावकों के समुपदेशक के रूप में भूमिका

अध्यापकों का अभिभावकों को समुपदेशन का एक निश्चित जरिया/माध्यम तथा निश्चित काल भी होता है। उसके अनुसार वे निम्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं—

(क) समावेशन करवाने वाला एक दूत

(ख) अध्यापनीय कौशलों का स्वीकारकर्ता

(ग) समन्वयात्मक योजनाओं का अमलकर्ता

(घ) मार्गदर्शक एवं सहयोगी

(ङ) शिक्षा क्रिया से बंधन जोड़ने वाला मध्यस्थ

इन सारी भूमिकाओं के माध्यम से अध्यापक अपना कर्तव्य निभाते हैं।

आज की स्थिति का जायजा

कई बार नैसर्गिक आपदाओं के कारण दिव्यांग बालकों के लिए तथा अभिभावकों के लिए 'अग्निपरीक्षा' का काल बन जाता है। जैसे आज की कोरोना की महामारी की

परिस्थिति में पूरी दुनिया भर में हालात बदले हुए हैं। दिव्यांगों के विद्यालय बंद, थेरेपीज बंद, वोकेशनल कोर्सेस बंद, हर रोज का किसी एक विषय का अभ्यास बंद, बाहर घूमना—फिरना बंद; इस कारण से बालक आक्रामक तथा Possessive बन जाते हैं। घर में इनको किसी न किसी काम में कृतियों में जुटाना अत्यंत कठिन हो गया है। इस कारण अभिभावक भी इस चिंता में फँस जाते हैं कि बालकों को कैसे सँभाला जाए?

इस हेतु निम्न प्रकार का समुपदेशन किया जाना चाहिए।

(1) निसर्ग द्वारा आयी विपदा की स्थिति में घर के सारे परिवारजनों, अभिभावकों, पड़ोसियों, हितचिंतकों को दिव्यांग बालकों से हल्की—फुल्की बातें करनी चाहिए जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सभी को दिव्यांग बालकों को सँभालने में मदद करनी चाहिए।

(2) अभिभावकों को यह दिलासा देना है कि उनके इस कठिन समय में वे उनके साथ हैं।

(3) अभिभावकों द्वारा घर में निराशावादी बातें नहीं बोली जानी चाहिए। नसीब को नहीं कोसना तथा बालकों पर गुस्सा नहीं उतारना है।

(4) सभी बालकों के साथ दिव्यांगों को भी छोटे—छोटे कामों में जुटाना चाहिए।

(5) खेल में सहभाग लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए।

(6) कलाकृतियों में जुटाना, जैसे— चित्रकला। गीत, कहानी सुनना—सुनाना। किताबों का सामूहिक वाचन।

(7) दिव्यांग बालकों को सामान्य लोगों में मिलवाना, इससे वे sharing & caring, मदद करना, friendship करना, अभिव्यक्त करना, आगे आना (Leading) जैसी बातें सीखते हैं।

(8) पुनः—पुनः नई—नई बातें सीखना। अभिभावकों को बालकों के साथ खेल खिलवाना एवं उनमें रम जाना।

(9) अभिभावकों द्वारा वक्त का सही—सही नियोजन, काम तथा अभ्यास का नियोजन व अमल कराने का मार्गदर्शन भी अपेक्षित हैं।

(10) अभिभावकों को अपने दिव्यांग बालक को नकारात्मक भाव एवं नकारात्मक अनुभवों से दूर रखने का समुपदेशन आवश्यक है।

(11) दिव्यांगों के प्रति अतिसुरक्षा भी उनकी स्वनिर्भरता की प्रक्रिया में बाधा बन जाती है। अभिभावकों को चाहिए कि दिव्यांग की सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार इसे समाज में समावेशन करना सिखाएं।

(12) कई बार अभिभावकों को अपने दिव्यांग बालक की सामर्थ्य एवं क्षमता पर विश्वास नहीं होता इस कारण वे अस्वीकार करते हैं कि बालक को कहीं साथ ले जाएँ। कई बार ऐसे बालक को कुछ प्रसंगों पर छुपाया जाता है। इससे बालक की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बालक की यह अनुभूति, विश्वास एवं मूल्य प्रस्थापित करके बालक को समावेशन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाएँ।

इस तरह अभिभावकों को समुपदेशन, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एवं विकास की सिद्धि मानी जाती है।

2.9.2 नियम कानूनों की जानकारी

भारत में समावेशी शिक्षा के अधिनियम/कायदे–कानूनों के बारे में जो कुछ आधुनिक उपाय किये गये हैं, उनका निर्माण विभिन्न आयोग समितियों एवं अधिनियमों के द्वारा किया गया है। इन सभी योजनाओं के अमल के लिए जिम्मेदारी मुख्यतः शासन प्रशासन सरकार एवं निजी संस्थाओं को दी गई है।

देश के अंतर्गत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न परिषदों का आयोग तथा अनेक योजनाओं की मदद से विशेष बालकों के लिए शिक्षा के सर्वसमावेशन के प्रयास चलते हैं। दिव्यांग अक्षम छात्रों/व्यक्तियों के हक एवं अधिकारों को संरक्षण देने के लिए अधिनियम तैयार किये गये हैं। वे निम्न हैं–

(1) मानसिक आरोग्य अधिनियम–1997।

(2) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992।

(3) अक्षम व्यक्ति (समान अवसर हकों का संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम 1995।

(4) राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम 1999।

(5) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांगों को एकात्मिक शिक्षा एवं शिक्षा विषयक हक अधिनियम का अमल (एन.सी.एफ.–2005) (NCERT)।

अब इनकी विस्तृत जानकारी की ओर ध्यान देंगे–

(1) मानसिक आरोग्य अधिनियम 1987 : मानसिक आरोग्य अधिनियम ल्यूनासी अँकर 1912 के पर्याय (Alternative) में बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य मनोरुग्णों को दी जाने वाली वैद्यकीय सुविधाएँ/उपचारों का ज्ञान एवं ध्यान नहीं आता; इसलिए सायकियाट्रिक हॉस्पिटल्स एवं नर्सिंग होम्स में प्रवेश के नियम और अधिकारों का संरक्षण करना होता है। इसके आधार से मानसोपचार लेना, क्लिनिक्स में दाखिल कराना, शारीरिक अपमान या मानसिक हिंसाचारात्मक कृतियों का जिम्मेदार न मानना, शासन की ओर से दिए जाने वाले वेतन निवृत्ति वेतन तथा कोई भी भत्ता/Stipend बंद न करना इस पर जोर दिया जाता है।

(2) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 : 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई जो पंजीकृत संस्था के तौर पर थी। 1992 में इसका अधिनियम तैयार किया गया। 22 जून 1993 के दिन इस संस्था को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। इस अधिनियम में 2000 में सुधार किया गया; जिसमें दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं में नियमित संचालन का अधिकार दिया गया। पाठ्यक्रमों में प्रमाणीकरण एवं व्यावसायिक क्षमता वालों को पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों की केंद्रीय पुनर्वास अभिलेखों में नाम रिकॉर्ड करने का कार्य दिया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता के लिए निम्न व्यावसायिक नामांकन हेतु अर्जी कर सकते हैं– वे व्यावसायिक हैं–

(क) प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स

(ख) क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट

(ग) पुनर्वसन/पुनर्वास समुपदेशक प्रशासक

(घ) पुनर्वास कार्यशाला व्यवस्थापक

(ङ) पुनर्वास मानसोपचार विशेषज्ञ

(च) पुनर्वास समाज कार्यकर्ता

(छ) मानसिक दृष्टि से दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास करने वाले प्रैक्टिशनर

(ज) स्पीच पैथॉलॉजिस्ट

(झ) दिव्यांगों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण करने वाले विशेष शिक्षक

(ञ) व्यावसायिक समुपदेशक, रोजगार अधिकारी एवं प्लेसमेंट अधिकारी

(ट) बहुविध पुनर्वास तंत्रज्ञ

(ठ) उद्‌बोधन एवं गतिशीलता विशेषज्ञ

(ड) समुदाय आधारित पुनर्वास व्यावसायिक

(ढ) हियरिंग और ईयर मोल्ड टेक्निशियन्स

(ण) पुनर्वास अभियंता एवं तंत्रज्ञ

आज तक भारत में 92000 से भी ज्यादा पंजीकृत संस्थाएँ कार्यरत हैं।

(3) अक्षम व्यक्ति (समान अवसर, हकों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 : मुख्यतः 7 प्रकार की अक्षमताएं होती हैं– (1) अंधत्व, (2) दृष्टिकोण, (3) श्रवणदोष, (4) शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन, (5) मानसिक दिव्यांगता, (6) कुष्ठ रोगी (पूर्ण रूप से ठीक हुए), (7) मनोरुग्ण।

उपर्युक्त 7 ही प्रकार की अक्षमताओं वाले दिव्यांगों का समावेश इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

अधिनियम के अंतर्गत जो अवसर प्राप्त होते हैं, वे हैं–

मुक्त शिक्षा, एकात्मिकता को उत्तेजना, शासन एवं निजी क्षेत्र की ओर से विशेष शिक्षा की उपलब्धता, साधन सामग्री, व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता भी दी जाती है।

(4) राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम 1999 : भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सबलिकरण मंत्रालय के अधिकार में आत्मकेंद्रित, मतिमंद, मानसिक दिव्यांग एवं बहुदिव्यांगों के कल्याण हेतु। राष्ट्रीय विश्वस्त अधिनियम, 1999 की घटना के 44वें उप–नियम के अंतर्गत बल निर्मिती हेतु दी गई।

अन्य अवसर

(क) छात्र अर्धहाय्य/शिष्यवृत्तियाँ

(ख) दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

(ग) शासकीय अस्पताल में मुफ्त इलाज

(घ) रेलवे, बसों में कम किराया

(ङ) शासयन की गृह योजना में आरक्षण

(च) दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल में व्यवसाय, रोजगार एवं ऋण सहायता

(ज) 98 साल के ऊपर के दिव्यांगों को आवश्यकतानुसार कृत्रिम अवयव, cycles, स्वयंरोजगार, उपकरण

(झ) सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए एकात्मिक शिक्षा, शिक्षा विषयक हक/अधिकार अधिनियम का अमल (एन.सी.एफ.–2005, एन.सी.ई.आर.टी.)

टिप्पणी

दिव्यांग के एकात्मिक शिक्षा के उद्देश्य इसके अंतर्गत तैयार हुए–

(क) सामान्य बालकों के साथ दिव्यांगों का सर्वंकष विकास व कम से कम प्रतिबंधित वातावरण में शिक्षा देना

(ख) निम्न दिव्यांगता से तीव्र दिव्यांगता धारण करने वालों को भी शिक्षा उपलब्धि

(ग) परिवारजन, अभिभावकों को समुपदेशन

(घ) सामान्य अध्यापक, परामर्शदाता एवं विशेष अध्यापक द्वारा विकास प्रशिक्षण में गति

(ङ) संसाधन केंद्रों का निर्माण

(च) समानता का अवसर देकर देश के समाज के जिम्मेदार इन्सान बनाना

(छ) मुख्य स्रोतिकरण हेतु सामान्य तत्वों के अवलंब

भारत में सर्वसमावेशी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय योजनाएँ

(क) सार्जंट रिपोर्ट 1944

(ख) भारतीय शिक्षा आयोग 1964–66

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग 1965

(घ) Integrated Education for Disabled Children (IEDC) 1974

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986–1992

(च) बहरुल इस्लाम कमिटी 1988

(छ) दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 2006

इन सारी राष्ट्रीय योजनाओं में दिव्यांगों के विकास हेतु प्रयास और सिफारिशें की गई। सन् 2006 की योजना में लक्ष्य केंद्रित किया गया, जिसमें निम्न मुद्दों को सम्मिलित किया गया था–

(क) दिव्यांगों को संरक्षण

(ख) पुनर्वास उपाय

(ग) शारीरिक पुनर्वास व्यूहरचना

1. दिव्यांगता का निदान व उपचार
2. समुपदेशन व वैद्यकीय पुनर्वास
3. सहाय्यकारी साधन
4. पुनर्वासित व्यावसायिक विकास

(घ) शिक्षा

(ङ) आर्थिक पुनर्वास योजनाएँ

1. शासकीय कार्यालयों में रोजगार अवसर
2. निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार
3. स्वयंरोजगार

टिप्पणी

(च) दिव्यांग महिलाओं को अवसर
(छ) दिव्यांग बालकों को अवसर
(ज) मुक्त पर्यावरण
(झ) दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(ञ) सामाजिक सुरक्षितता
(ट) NGO's के प्रवर्तन
(ठ) अनुसंधान
(ड) क्रीड़ा मनोरंजन एवं सांस्कृतिक जीवन
(ढ) दिव्यांगों के अधिनियमों में सुधार

इसके साथ–साथ भारत में सर्वसमावेशी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम निश्चित किये जाने लगे, वे कार्यक्रम हैं–

(1) कार्य कार्यक्रम 1992, [जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986–1992 में बनाया था]
(2) केंद्र पुरस्कृत दिव्यांगों की एकात्मिक शिक्षा योजना (पुनर्रचित 1987–1989 एवं 1992)
(3) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–1994
(4) दिव्यांगों के लिए एकात्मिक शिक्षा प्रकल्प
(5) जिला शिक्षण कार्यक्रम
(6) दिव्यांगों की शिक्षा का कृतिजन्य अभिकल्प व दिव्यांग युवायों का कृतिजन्य अभिकल्प–2005
(7) सर्व शिक्षा अभियान
(8) अक्षम व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष (IYDH-1981)
(9) विशेष शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की जागतिक परिषद् 1941

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं

(1) दीनदयाल उपाध्याय अपंग पुनर्वास योजना
(2) दिव्यांगों के कृत्रिम अवयव, उपकरण व फिटिंग सहायक योजना
(3) दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्थाएँ–
    (क) अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्था मुंबई
    (ख) जय वकील स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन इन स्पेशल केयर, मुंबई
    (ग) अखिल भारतीय भौतिक एवं वैद्यकीय पुनर्वास संस्था।

इस तरह वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंबई, National Job Development Centre, मुंबई, Nassio Social Colony Chembur ये संस्थाएं भी दिव्यांगों के लिए काम करती हैं।

भारतीय राज्य घटना में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016–दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम बनाए गए।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

29. सफल समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है?
    (क) रिश्तेदारों का (ख) मित्रों का
    (ग) अभिभावकों का (घ) बुजुर्गों का
30. भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई?
    (क) 1929 में (ख) 1992 में
    (ग) 2000 में (घ) 1986 में

2.10 समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाओं हेतु कौशल्य एवं क्षमताएँ

समावेशी विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ अक्षमताएँ होने वाले छात्रों को भी पढ़ाया जाता है।

इन सबकी अध्ययन विषयक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अध्यापक को अन्य शिक्षकों के साथ कक्षा में काम करना पड़ता है। इस हेतु विशेष अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नये एवं नवोपक्रमित मार्गों का अवलंब किया जाता है।

2.10.1 अध्यापक के कौशल्य गुण

इस हेतु समावेशी विशेष अध्यापक के गुणों और कौशलों का विचार करना अत्यावश्यक होता है–

(1) सुसंरचित तथा परिपूर्ण ज्ञान
(2) छात्रों को स्वीकारने की तैयारी
(3) अध्यापन प्रणालियों में प्रावीण्यता एवं नवनिर्मिती क्षमता
(4) योग्य मानसिक संतुलन
(5) आत्मविश्वासपूर्ण वर्तन
(6) छात्रों के वर्तन पूर्व ही अंदाज लगाने की क्षमता
(7) सहनशीलता
(8) आशावादी दृष्टिकोण
(9) छात्रों के प्रति समर्पण भाव
(10) छात्रों के वर्तन का आकलन
(11) छात्रों का प्रोत्साहक/प्रेरणास्थान
(12) संवेदनशीलता
(13) लचीला

(14) सहयोगशील

(15) मददगार

(16) दस्तावेजों द्वारा जानकारी के अभिलेख

(17) सुसवादी

(1) सुसंरचित तथा परिपूर्ण ज्ञान

दिव्यांग छात्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अध्ययन प्रक्रिया का ज्ञान परिपूर्ण होना आवश्यक होता है। वह सभी कार्य सुसंरचित ढंग से पूर्ण करता है।

(2) छात्रों को स्वीकारने की तैयारी

समावेशी शिक्षा में अध्यापकों को छात्रों को स्वीकारने तथा उनमें विभिन्न क्षमताओं का निर्माण करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों की वर्तन अस्वाभाविकता क्यों है, यह जानने का अवसर लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना होता है।

(3) अध्यापन प्रणालियों में प्रावीण्यता एवं नवनिर्मिती क्षमता

विशेष बालकों के लिए विशेष अध्यापन प्रणालियों तथा विभिन्न शैक्षिक साधनों का उपयोग कर अध्यापन प्रभावी करना पड़ता है। कई बार अध्यापन में नवननिर्माण अध्ययन अध्यापन में सर्जन शीलता निर्माण करते हैं। इससे कक्षा के पर्यावरण में चैतन्य बनाया जाता है।

(4) योग्य मानसिक संतुलन

जो छात्र बौद्धिक, भावनिक दृष्टि से अक्षम होते हैं या जो छात्र आत्मकेंद्रित होते हैं, उन्हें शिक्षकों के आधार की जरूरत होती है। उनमें आत्मविश्वास निर्माण करने हेतु अध्यापक को हरदम साथ रहना पड़ता है। शिक्षक को खुद का मानसिक संतुलन सही रखकर छात्रों की मदद करना अपेक्षित है।

(5) आत्मविश्वासपूर्ण वर्तन

सर्वसमावेशी कक्षा में काम करते तथा कक्षा को रोज छोड़ते वक्त एक शिक्षक के तौर पर जो–जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी हामी भी होनी चाहिए। इसी के साथ उन सारी बातों पर नियंत्रण (control) होना भी जरूरी है। अध्यापक के आत्मविश्वासपूर्ण वर्तन का अनुकरण विशेष छात्रों द्वारा भी किया जाता है।

(6) छात्रों के वर्तन पूर्व ही अंदाज लगाने की क्षमता

कई बार दिव्यांगताओं और विभिन्न अक्षमताओं के कारण छात्रों को संप्रेषण क्रिया (Communication Process) प्रस्थापित करने में अड़चनें आती हैं। कई छात्र विचारों का लेन–देन करने में भी अक्षम होते हैं। उन्हें किन चीजों की या बातों की जरूरत है, इसका अंदाज अध्यापक को हो जाना चाहिए। इससे अध्ययन की कमियाँ दूर होकर छात्र परिपूर्ण अभ्यास कर सकते हैं।

(7) सहनशीलता

कक्षा में कई बार अध्यापक को निराशा आने की संभावना अधिक होती है। मगर छात्रों की अपरिपक्वता को ध्यान में लेकर किसी भी स्थिति में उनका सुधार करके कार्य करना चाहिए। छात्रों को दिया जाने वाला प्रत्याभरण एवं उसके द्वारा सुधार करने के लिए अध्यापक में सहनशीलता अधिक होनी चाहिए।

(8) आशावादी दृष्टिकोण

अध्ययन अक्षम छात्रों का सीधा–सीधा, आसान काम भी बहुत देर तक चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कि अध्यापक को आशावादी रहकर उन्हें कठिन से कठिन आशय भी मनोरंजकता से पढ़ाना है। इसलिए विभिन्न तंत्र एवं उपक्रमों द्वारा ज्ञान देना आवश्यक है। मतलब छात्रों के वर्तन से, दुर्व्यवस्था के कारण निराश और हताशा न होकर उनके वर्तन में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए।

(9) छात्रों के प्रति समर्पण भाव

समावेशी विशेष अध्यापक में नियमितता एवं सातव्यता के गुण होने जरूरी हैं। अध्यापक जितना ज्यादा समय छात्रों के साथ गुजारेंगे उतना ही उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्यापक द्वारा छात्रों के प्रति समर्पण भाव कायम रखकर कार्य करना आवश्यक है।

(10) छात्रों के वर्तन का आकलन

किसी विशिष्ट परिस्थिति/प्रसंग या घटना में छात्र ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसके बारे में नकारात्मक विचार न करते हुए अध्यापक को उसके वर्तन विशेषों को समझ लेना चाहिए। छात्र की नकारात्मक प्रतिभा को सकारात्मक प्रतिभा के रूप में बदलना होगा। उसके वर्तन विशेषों का आकलन कर उपचारात्मक मात्राओं का अवलंब करना होगा।

(11) छात्रों का प्रोत्साहक/प्रेरणास्थान

कक्षा में सभी छात्रों के वर्तन का विभिन्न परिस्थितियों में निरीक्षण कर उनके प्रयत्नों पर प्रबलन देने की कोशिश करनी चाहिए। छात्रों को अनेक अवसरों की उपलब्धि करानी चाहिए। इस हिसाब से अध्यापक प्रेरक एवं प्रोत्साहक के तौर पर जिम्मेदारी लेने वाला हो।

(12) संवेदनशील

समावेश शिक्षक को छात्रों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता देकर उसे स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा देना चाहिए। इससे छात्रों के बारे में संवेदनशीलता रखने से आदर बढ़ेगा एवं छात्र अध्यापक का साथ भी देंगे। इसका दोनों को फायदा होता है।

(13) लचीला

कक्षा में साधारण बालकों के लिए अध्यापक अपने अध्यापन का नियोजन करते हैं तब कुछ हद तक उसमें अलीचापन आने की संभावना होती है। दिव्यांग बालकों को आँखों के सामने रखकर नियोजन करने से छात्रों की आकलन क्षमताओं का तथा बारबार बदलने वाली मनःस्थिति का अंदाजा लेकर लचीला नियोजन करना आवश्यक बनता है। तभी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया तनावरहित होगी।

(14) सहयोगशील

अध्यापक को पाठ नियोजन करते वक्त तथा छात्रों का मूल्यांकन करते वक्त सामान्य छात्रों में से अन्य छात्रों को अलग नहीं करना चाहिए। सारे ही छात्रों का विचार कर विभिन्न कृतियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते समय समावेशी शिक्षा के ध्येय ध्यान में रखने होंगे।

(15) मददगार

विशेष छात्रों की शिक्षा योजनाओं में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदद भी अंतर्भूत की जाती है। कुछ छात्रों की मौखिक परीक्षा तो कुछ को स्वाध्याय देकर तो कुछ का अभ्यास लेकर मदद करनी चाहिए।

(16) दस्तावेजों में जानकारी अभिलेख

छात्रों में योग्य बदलाव/परिवर्तन हुए हैं या नहीं इसका लिखित (written) दस्तावेज में अभिलेख करना जरूरी होता है। छात्रों की प्रगति का पता इससे चलता है। इन दस्तावेजों द्वारा अभिभावकों को भी जानकारी दी जाती है।

(17) सुसंवाद (सुसंवादी)

अध्यापक को छात्रों के सामने सहजता से संप्रेषण करना आना जरूरी है। अभिभावकों से छात्रों की आवश्यकताओं एवं प्रगति के बारे में चर्चा की जाती है। इसलिए दिव्यांगों के साथ हर बार सुसंवाद साध्य करना है।

इसका सारांश यही है कि अध्यापक में विविध अध्यापन प्रणालियों में प्रावीण्यता, छात्रों को स्वीकारने का जज्बा, संवेदनशीलता, सहनशक्ति, आत्मविश्वासपूर्ण वर्तन, सर्जनशीलता, उपक्रमशीलता तथा निरीक्षण क्षमता का गुणवैशिष्ट्य होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

2.10.2 अध्यापक की क्षमताएं – भूमिका

समावेशी शिक्षा में अध्यापक की विभिन्न क्षमताओं के विकास हेतु जो भी भूमिका करनी होती है उसके विभिन्न अंग होते हैं; वे निम्न हैं–

(1) विशेष बालक/छात्र को पहचानने हेतु भूमिकाएँ
(2) सामान्य कक्षा में विशेष बालकों को समावेशन हेतु भूमिका
(3) सामान्य कक्षा में सामान्य छात्रों संबंधी भूमिका
(4) अभिभावकों/परिवारजनों संबंधी भूमिका
(5) मूल्यांकन की दृष्टि से अध्यापक की भूमिका
(6) दिव्यांग बालकों की समाज में स्वीकृति हेतु भूमिका
(7) दिव्यांगता के अनुसार अध्यापक की बदलने वाली भूमिका
(8) अध्यापक की अध्यापन–कार्य हेतु भूमिका

(1) विशेष छात्रों को पहचानने हेतु भूमिकाएं

- विशेष छात्रों को पहचानने के लिए आवश्यक जानकारी रखना आवश्यक
- बालक दिव्यांग के कौन से प्रकार में समावेशित होता है, इसको समझना महत्वपूर्ण है
- चिकित्सक (Critical) निरीक्षण क्षमता
- छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आना आवश्यक
- विशेषज्ञ (Expert) व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा
- आवश्यक क्षमताएँ पूरी करने में मदद

(2) सामान्य कक्षा में विशेष बालकों को समावेशन हेतु भूमिका

- छात्रों का पूरी कक्षा से परिचय करा देना।
- अध्यापन पाठ के पूर्व तैयारी में विशेष बालकों का विचार
- अध्यापन एवं अध्ययन हेतु साधन
- अध्यापन प्रणाली में लचीलापन
- मूल्यांकन में दिव्यांगों की दिव्यांगता का विचार भेद न करते हुए मूल्यांकन
- चर्चा हेतु उपक्रम
- सहअध्ययन हेतु प्रोत्साहन
- अध्यापकों का सभी छात्रों की ओर देखने का एक ही समान नजरिया/दृष्टिकोण

(3) सामान्य कक्षा में सामान्य छात्रों संबंधी भूमिका

- सामान्य छात्रों का विशेष छात्रों की ओर देखने का नजरिया/दृष्टिकोण बदलना
- सामान्य छात्रों के मन में विशेष छात्रों के लिए आदरभाव जगाना
- विशेष छात्रों को मदद करने हेतु प्रोत्साहन देना
- विशेष छात्रों के पास बैठाना
- सामान्य एवं विशेष छात्रों को एकत्रित कृति करने हेतु उपक्रमों को बढ़ावा देना

(4) मूल्यांकन की दृष्टि से अध्यापक की भूमिका

- मूल्यांकन योजना लचीली हो
- परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करना
- छात्रों के प्रयत्न देखकर गुणांकन करना
- अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन की विधि लिखना एवं अन्वयार्थ लिखना आवश्यक
- छात्रों की अक्षमताओं के अनुरूप प्रश्नपत्र का स्वरूप बनाना
- छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यमापन प्रणाली में बदलाव लाना
- आवश्यकतानुसार अधिक कालावधि देना
- मौखिक एवं प्रात्यक्षिक परीक्षा पर अधिक जोर देना

(5) दिव्यांग बालकों की समाज स्वीकृति हेतु भूमिका

- समाज में विविध उपक्रमों में सहभाग दिलाना
- बाहरी लोगों की पहचान हेतु कई जगहों पर छात्रों को ले जाना
- छात्रों का परिचर्या कई परामर्शदाताओं से कराना
- समाज में जनजागृति कराना
- प्रसार माध्यमों का उपयोग कर विशेष छात्रों के कौशलों का प्रसार करना
- दैनंदिन व्यवहारों में छात्रों को समाविष्ट कराने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहन देना

(6) दिव्यांगता के अनुसार अध्यापकों की परिवर्तनीय भूमिका

- छात्रों के अपंगत्व के अनुसार अध्यापकों को भूमिका बदलना चाहिए
- विभिन्न कौशलों का उपयोग अध्यापन में करना

- दृष्टिदोष एवं अंध छात्रों के लिए स्पर्श संवेदनाओं वाली प्रणालियों का उपयोग करके कृति कराना
- कर्णबधिरों के लिए अंगुलियों से इशारों वाली प्रणाली का उपयोग करना

(7) अध्यापकों की अध्यापन कार्य हेतु भूमिका

- विभिन्न अध्यापन प्रणालियों का उपयोग करना
- विभिन्न कृति तत्वों का अध्यापन में उपयोग करना
- सामान्य छात्रों के साथ–साथ दिव्यांगों की ओर भी ध्यान केंद्रित करना

अध्यापकों के कार्य

अध्यापक की उपर्युक्त क्षमताओं में वृद्धि करते हुए कई भूमिकाओं का विचार किया गया। इन्हीं भूमिकाओं को निभाते हुए अध्यापक को कुछ कार्य करने पड़ते हैं; वे निम्न हैं–

(1) पाठ्यक्रम में सुधार।

(2) प्रभावी संप्रेषण।

(3) कक्षा का पर्यावरण संभालना।

(4) छात्रों का वर्तन व्यवस्थापन।

(5) छात्रों का व्यावसायिक विकास।

(6) सहकार्य।

(7) सह–अध्यापन।

(8) सूचना देना/अनुदेशन करना।

(1) पाठ्यक्रम में सुधार : दिव्यांग बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें संपूर्ण कक्षा के अनुसार सुधार करने पड़ते हैं। इस पाठ्यक्रम के सुधार में ऑडियोटेप टेक्स्ट, छोटे स्वरूप के मूल्यांकन, सारांश रूप में तैयार किए गए उपघटक (subunits) तथा संगणक द्वारा घटकों का अध्यापन, विभिन्न रंगीबिरंगे शैक्षिक साधन का समावेश होता है। इससे छात्रों के आकलन स्तर में वृद्धि होती है।

(2) प्रभावी संप्रेषण : समावेशी शिक्षक को विशेष शिक्षा एवं विशेष छात्रों की आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी पियर ट्यूटरिंग, अनुदेशनात्मक सहाय्य, समूह अध्यापन एवं कर्मचारी विकास के अवसर देकर कुछ सातत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा व्यक्तिगत स्वरूप से छात्रों की प्रगति की जाँच करनी होती है। पाठशाला के प्रधानाध्यापक के साथ चर्चा करके छात्रों की आवश्यकताओं का विचार करना आवश्यक होता है। इस प्रभावी संप्रेषण से छात्रों का अध्ययन पूर्ण होता है।

(3) कक्षा का पर्यावरण सँभालना : अध्यापक को अगर समावेशी कक्षा को सफल करके दिखाना है तो सर्वप्रथम बालकों के शैक्षिक संपादन की जो क्षमताएँ होती हैं; उनकी जानकारी होनी चाहिए। छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया सरल होने के लिए सुरक्षित पर्यावरण निर्मित किया जाना चाहिए। इससे छात्रों का सकारात्मक समाजीकरण होगा।

(4) छात्रों का वर्तन व्यवस्थापन : समावेशी कक्षा में समवयस्क बालकों की बराबरी से सकारात्मक अंतरक्रियाएँ हुई तो सामान्य छात्रों की बराबरी से भी

वर्तन में अलगपन दिखाई देता है। कई बार वर्तनविषयक समस्याएं सामने आती हैं। दिव्यांगों के वर्तन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तथा सर्वंकष विकास करने के लिए अध्यापक ने सुयोग्य प्रणालियों का चुनाव करना होगा। उसके द्वारा वर्तन का व्यवस्थापन करना होता है तथा विभिन्न प्रेरणाओं का उपयोग सफल रहता है।

(5) **छात्रों का व्यावसायिक विकास** : कई बार बहुत सारे सर्वसमावेशी अध्यापक सेवांतर्गत प्रशिक्षण या व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण का आधार लेकर पाठ्यक्रम सुधार, अनुदेशनात्मक तंत्र एवं सहकार्यात्मक अध्यापन व्यूहरचना कौशलों का विकास करते हैं। जिस कारण विशेष शिक्षक खुद का व्यावसायिक विकास करवाते हैं; उसी का उपयोग कर प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं।

(6) **सहकार्य** : सहकार्य या सहयोग या साहचर्य एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल्यों का एकत्रिकरण होने के लिए ध्येय एवं अदृश्य उद्देश्यों की प्राप्ति ही मदद होती है। शैक्षिक व्यक्तियों के द्वारा सहयोग या साहचर्य प्रस्थापित हुए तो सब लोग मिल जुलकर अनुदेशनात्मक संसाधन तथा कक्षा एवं अध्यापकों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। साहचर्य औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों मार्गों से किया जाता है। इसलिए नियमित रूप से होने वाली सभाएँ, कार्यक्रम नियोजन, अनुदेशनात्मक ब्यूह रचना पर आधारित चर्चा जैसे मार्गों का उपयोग किया जाता है।

(7) **सह अध्यापन** : सहअध्यापन यानी एक ही भौतिक जगह पर सहकार्यात्मक तत्वों पर कार्य करना, अध्यापन, मूल्यांकन तथा अध्ययन निष्पत्ती का मूल्यांकन यह साहचर्यात्मकता से करना, एकत्रित नियोजन करना, समस्या का निराकरण आदि अर्थ होता है।

सहअध्यापन दो कक्षाओं तथा विषय शिक्षक इनमें या फिर जो अन्य शैक्षिक व्यावसायिक होते हैं उनके सहाय्य से होता है।

(8) **सूचना देना या अनुदेशन करना** : सूचना देना या अनुदेशन करना इनका संबंध व्यक्तिगत कार्यक्रम या पाठ्यक्रम का अमल से लगाया जाता है; कम से कम बंधनों के आधार से सूचनाएं दी जानी चाहिए, इससे छात्र भी पालन करते रहेंगे।

इस प्रकार अध्यापकों के कार्य चलते रहते हैं।

अध्यापक क्षमताओं का वर्गीकरण

समावेशी शिक्षा की कक्षा में छात्रों का समावेशन हो इसलिए अध्यापक की क्षमताओं का विकास जरूरी है।

एकत्रित रहकर किया जाने वाला कार्य शिक्षकों/अध्यापकों की क्षमता होती है। इन क्षमताओं का विकास (क) ज्ञान; (ख) कौशल्य (ग) वृत्ति वर्गीकरण कें अंतर्गत चार्ट में दिया गया है।

(क) ज्ञान	(ख) कौशल्य	(ग) वृत्ति वर्गीकरण
1. अध्यापक की ज्ञानात्मक कक्षाएँ	(1) छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान।	(1) स्वकार्य क्षमता।
2. विषयज्ञान		(2) प्रभावी अध्यापन।
(क) सैद्धान्तिक पार्श्वभूमि	(2) अर्थपूर्ण अध्ययन अनुभूति	(3) अध्यापकीय क्षमताओं

(ख) विषय संरचना व संघटन।
(ग) अध्यापन पद्धति, शिक्षा साधन।
(घ) अध्ययनकर्ता का ज्ञान।
3. अध्यापन के प्रतिमान।
4. पाठ्यक्रम का ज्ञान।
5. अध्यापन शास्त्रीय ज्ञान।
6. विभिन्न संदर्भों का ज्ञान।
7. 'स्व' का ज्ञान।

देना।
(3) छात्रों का कृतियुक्त सहभाग।
(4) कक्षा में कृतियां एवं कक्षा व्यूह रचना।
(5) अभिभावकों एवं छात्रों के साथ आंतरक्रिया प्रस्थापित करना।

में सुधार।
(4) अध्यापकों की कार्यक्षमता को विभिन्न अनुभवों पर परावर्तित करना।

अपनी प्रगति जांचिए

31. कैसे छात्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अध्ययन प्रक्रिया का ज्ञान परिपूर्ण होना आवश्यक होता है?
    (क) दिव्यांग (ख) होनहार
    (ग) कामचोर (घ) सामान्य
32. छात्रों के अपंगत्व के अनुसार किसे भूमिका बदलना आना चाहिए?
    (क) अभिभावकों को (ख) स्कूलों को
    (ग) मित्रों को (घ) अध्यापकों को

2.11 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (क)
6. (ख)
7. (क)
8. (ख)
9. (घ)
10. (ग)
11. (ग)
12. (क)
13. (ख)
14. (क)
15. (ग)
16. (घ)
17. (क)
18. (घ)
19. (ख)
20. (घ)
21. (क)
22. (ख)
23. (ग)
24. (क)
25. (क)
26. (ख)
27. (ग)
28. (ग)
29. (क)
30. (घ)
31. (क)
32. (घ)

टिप्पणी

2.12 सारांश

समावेशी/एकात्मिक शिक्षा एवं समावेशी पाठशाला, इस संकल्पना का निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की समान सहूलियत की उपलब्धि के लिए 'समावेशी पाठशाला' संकल्पना का उदय थ्क्यझ। एक ही शैक्षिक अभिरचना में सामान्य छात्रों क्भ बराबरी से दिव्यांग तथा अक्षम बालकों की आंतरक्रियाएं प्रस्थापित करने का प्रयास इस पाठशाला से किया जाता है। इसी कारण सुयोग्य शैक्षिक वातावरण में इन छात्रों की स्वसंकल्पना का विकास होता है। स्वतंत्र प्रगति की राह अपने आप बन जाती है।

प्रत्येक छात्र के लिए उच्च एवं परिपूर्ण उम्मीदों द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। छात्रों को अपनी उम्र एवं क्षमताओं का उपयोग कर कक्षा के वातावरण में सहभाग लेकर उद्देश्यों को प्राप्त करने की अभिप्रेरणा मिलती है।

पाठशालाओं की विभिन्न गतिविधियों में अभिभावकों का सहभाग, स्थानीय लोगों का भी सहभाग आदर्श दर्शाता है। सामान्य छात्रों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ–साथ अक्षम या दिव्यांग बालकों के साथ अपना गुजर–बसर दोस्ती एवं दयाबुद्धि के द्वारा करना, ठस् क्षमता का विकास भी अपेक्षित किया जाता है।

समावेशी शिक्षा दिव्यांगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का समर्थन करती है। राष्ट्र के नवनिर्माण में नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता तथा शिक्षा की व्यापकता हेतु शिक्षा के गुण व आवश्यकता इनके द्वारा शिक्षा की सार्वभौमिकता साध्य करना मुख्य उद्दिष्ट बन जाता है।

आदर्श समावेशी विद्यालय की मूल सुविधाएं–शालेय सुविधाओं में ढलता रास्ता, प्रकाश योजना, आवश्यकतानुसार विभिन्न साधन, फर्नीचर, पानी एवं प्रसाधन गृह, शारीरिक शिक्षा के खेल साधन, निवास गृह, स्कूल बसें, सुविधाजनक कक्षाएँ इनका समावेश होता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रशासकीय नेतृत्व, लोकशाही निष्ठ कक्षा व्यवस्था, सहायक पाठशाला संस्कृति, पाठ्यक्रम में कार्यमग्नता तथा प्रतिसादात्मक अध्यापन इनके द्वारा आदर्श समावेशी पाठशाला की वैशिष्टयता को बढ़ावा दिया जाता है।

हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा ने शिक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम एवं दृष्टिकोण प्रदान किया है। जिसमें सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के अवसर दिये गये हैं। इसी कारण दिव्यांग बालकों की जरूरतें, उन्हें शिक्षा के द्वारा जीवन यापन सुव्यवस्थित व्यतीत करवाने के लिए आधुनिक प्रणालियों का अवलंब करके मुख्यधारा (Mainstreaming) में लाना है। इसी तरह उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में विविधताओं का समावेश करना, आवश्यक माना गया है।

नई तकनीकी सहायता का हर दिव्यांग की अक्षमताओं पर विजय प्राप्त कराने की कोशिशों में न सिर्फ दिव्यांग बल्कि समाज के सारे संबंधित घटकों को भी प्रयास करने होंगे। इसी से उनका आत्मविश्वास बढ़कर कुछ कर दिखाने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं।

दिव्यांगों की शिक्षा हेतु आम सिटी क्षेत्र के सारे आयामों का अभ्यास कर नए–नए तंत्र वैज्ञानिक मॉड्यूल्स भी लाये जा रहे हैं। उनका दिव्यांगना एवं असमानाओं के अनुरूप Software Development किया जा रहा है। इसी से उनका आकलन बढ़ाने

में, कृतियुक्त सहभाग बढ़ाने में आसानी भी हो रही है। व्यक्तित्व का अभ्यास करते–करते अध्यापकों को विभक्त अनुदेशन तथा सहभागित्व अध्ययन हेतु भी फंडा उपयोग में लाना चाहिए।

कक्षा, समावेशी शिक्षा की प्रगति हेतु आई.सी.टी. की उपयुक्तता जानकर नई टेक्नॉलॉजी तथा प्रक्रिया को समझकर चलाना होगा। दुनियाभर में समावेशी शिक्षा के कौन कौन से आयामों पर कार्य चल रहा है? अनुसंधानों में क्या नई दिशाएँ मिल रही हैं? इसका अभ्यास करना जरूरी है। जैसे–जैसे तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, वैसे वैसे www का अर्थ word wide web न रह कर world without walls बन रहा है। क्या हम इसे स्वीकार कर पा रहे हैं? हाल ही में तंत्र ज्ञान के प्रयोग द्वारा भारत के महाराष्ट्र में स्थित छोटे से गाँव के एक अध्यापक ने अपने अध्यापनीय कार्य हेतु बहुत बड़ा सम्मान भी पाया है। हमारे लिए यह एक गर्व और अभिमान की बात होगी। ऐसे ही अन्य अध्यापकों को भी दिव्यांगों की प्रगति हेतु प्रयास करने होंगे।

देखा जाए तो हमारी परीक्षा व्यवस्था में इतनी कठोरता है कि बच्चों का आकलन सही नहीं उभर पाया। उनकी सारी क्षमताएँ एवं कौशलों का सही मापन नहीं होता। लिखावट के अलावा मूल्यांकन के तरीके की जरूरत ही नहीं बची, ऐसा लगता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में अध्यापक को कक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा अधिगम एवं पाठ नियोजन का भी मूल्यांकन लाना होगा। छात्रों के एवं दिव्यांगों के सभी एक्टिव या क्रियाशीलता का मापन जरूरी होगा। भावाभिव्यक्ति के साथ–साथ अधिगम के स्तर की जाँच कृतियुक्त सहभागों के अभिलेखों का सार, लिखित या मौखिक परीक्षा की जगह संगणक द्वारा किये जाने वाले सारे प्रयोग मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाने से समावेशी शिक्षा की सही दिशा में उड़ान होगी।

समावेशी शिक्षा की कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ–साथ अक्षमताओं वाले बालकों तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को पढ़ाया जाता है। इन सबकी अध्ययन विषयक आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए एक सर्वसाधारण अध्यापक के साथ एक विशेष शिक्षक कक्षा में काम करते हैं। इसमें विशेष अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

विशेष छात्रों को शिक्षा देने वक्त अध्यापक छात्रों को उच्च दर्जा युक्त शिक्षा निरपेक्ष आधारभूत सेवाएँ तथा जानकारी युक्त जाल (Networking) उपलब्ध कराते हैं।

विशेष छात्रों को अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के दरम्यान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक, सहयोगी, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ तथा अभिभावक की मदद से प्रयत्न किये जाते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में अध्यापक ही पाठशाला के प्रधानाध्यापक एवं छात्रों के बीच मध्यस्थ (mediator/liasen) की भूमिका निभाते हैं। अभिभावकों के बारे में यह भूमिका समुपदेशक (Counsellor) तथा मार्गदर्शक (Guide) की होती है।

विशेष बालकों की जो आवश्यकताएँ होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो भी चीजें या सुविधाएँ होती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए नये एवं नवोपक्रमिक मार्गों का अवलंबन किया जाता है।

अपने देश में दिव्यांगों को दुर्बल घटकों में से एक माना जाता है। भारतीय संविधान के 46वें अधिनियम के अनुसार दुर्बल घटकों का विकास करना प्रशासन एवं

टिप्पणी

समाज की जिम्मेदारी होती है। 1981 से अपंगों के अंतर्राष्ट्रीय अपंग वर्ष से अपंगों के पुनर्वास हेतु प्रयास किये जाने लगे। अनेक कायदे कानून अस्तित्व में लाए गए।

दिव्यांगता एक जटिल समस्या है। परंतु प्रशासकीय योजनाएँ समाज का एक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं अपंगों का कल्याण इससे उनकी समस्याएं मिटाना अभी सहज कार्य बन गया है।

अपंगत्व के प्रकारों के अनुसार उनके लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा साहित्य, शैक्षिक साधन, एकात्म शिक्षा का अवलंबन किया जाता है। अपंगों के लिए प्रशासकीय योजनाएं, शारीरिक पुनर्वास योजनाएँ, मददगार योजनाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ, नौकरियों संबंधी योजनाएँ, अपंगत्य प्रमाणपत्र, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास भी किए जाते हैं।

दिव्यांग छात्रों के बचपन से ही शिक्षा, संस्कार एवं पुनर्वास हेतु समावेशी विद्यालयों से तथा मानवीय घटकों द्वारा प्रयास किये जाते हैं। इसमें अभिभावकों, परिवारजनों, विद्यालयों, प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के विशिष्ट दृष्टिकोण का अवलंब किया जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विशेष अध्यापकों की होती है। छात्रों के सर्वंकष विकास हेतु अध्यापकों के कौशल, गुण एवं क्षमताओं को पूरी तरह से इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है।

दिव्यांगों का विकास किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सारे ही संबंधित लोगों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों से सफलता प्राप्त हो सकती है।

2.13 मुख्य शब्दावली

- **बाधाएँ** : व्यवधान।
- **भावभंगिमा** : हाव–भाव।
- **आकृति** : आकार।
- **हर्ष** : प्रसन्नता।
- **द्वेष** : जलन।
- **खेद** : अफसोस।
- **लज्जा** : शर्म, हया।
- **उपलब्धियाँ** : प्राप्तियां।
- **अक्षम** : क्षमताहीन, कमजोर।
- **दृष्टिदोष** : नजर की कमी।
- **कर्णधिर** : कान से बहरा।
- **क्षमता** : कूवत।
- **विवशता** : बेबसी।
- **शैक्षिक अनुसंधान** : शिक्षा संबंधी खोज।

- **भंडारण** : एकत्रण, जमा करना।
- **कार्यकुशलता** : कार्य दक्षता।
- **प्रारूप** : नमूना।
- **समयसारणी** : समयानुसार कार्य कार्य सूची।
- **पर्यायी** : वैकल्पिक।
- **संख्यात्मक** : अंकीय।
- **मुलाकात** : भेंट, साक्षात्कार।
- **दूजाभाव** : दूसरा भाव।
- **विद्यालय प्रबंधन समिति** : स्कूल का मैनेजमेंट।
- **गैर सरकारी संगठन** : निजी संस्था।
- **अनुमति** : इजाजत।
- **प्रत्याभरण** : प्रतिपुष्टि।
- **उत्तरदायित्व** : जम्मेदारी।
- **राष्ट्रीय संकट** : देशव्यापी मुसीबत।
- **कायदे कानूनों की जानकारी** : नियमों कानूनों का ज्ञान।
- **अंधविश्वास** : रूढ़िवादिता।
- **जोखिम** : खतरा।
- **मध्यस्थी** : बिचौलिया।
- **नैसर्गिक आपदाएँ** : प्राकृतिक मुसीबत में।
- **अस्वीकारण** : नकारना।
- **शिष्यवृत्तियाँ** : वजीफा।
- **अभिकल्प** : नमूना।
- **आकलन** : अंदाजा लगाना।

2.14 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु–उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा के कौन–से फायदे हो सकते हैं?
2. समावेशी विद्यालय की भावभंगिमा की दृष्टि से बाधाएं दूर करने हेतु उपाय सुझाइये।
3. समावेशी पाठशालाओं में 'एकात्मता' एवं 'मुख्य प्रवाह' इन दो संज्ञाओं का अर्थ विशद करें।
4. आपके आस पड़ोस में एक दिव्यांग बालिका है, आप उसे समुपदेशन कैसे करेंगे?
5. दिव्यांग बालकों को अध्यापन में शैक्षिक अध्ययन–अनुभूतियां कैसे देंगे?

6. पाठ्यसहगामी क्रिया के अर्थ एवं महत्त्व के बारे में लिखें।
7. समावेशी शिक्षा के परिणामों के बारे में आपकी क्या राय है?
8. दिव्यांग छात्रों के बहु सांस्कृतिकीकरण के अनुदेशनात्मक दिशादर्शक कौन–से होते हैं।
9. अपने आसपड़ोस में रहने वाले किसी दिव्यांग बालक का व्यक्तिगत अनुदेशन कैसे करेंगे?
10. आई.सी.टी. का उपयोग कहां–कहां एवं कैसे कर सकते हैं? इसकी जानकारी लिखिए।
11. अभिभावकों का समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण जगाने के उद्देश्य कौन से होते हैं?
12. दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा में समावेशित करने के लिए समुदायों की भूमिका कैसी होती है?
13. कौन–से तीन मानवीय घटकों द्वारा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों को समुपदेशन किया जाता है?
14. भारत में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से अधिनियम जारी किये गये हैं?
15. अध्यापकों द्वारा सहयोगी क्रियाएँ करने हेतु कौन से गुणों की आवश्यकता होती है?
16. अध्यापकों की क्षमताओं के विकास के लिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए।

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा विकास हेतु आयोगों द्वारा कौन–कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं?
2. शैक्षिक बाधाओं से आप क्या समझते हैं? इन बाधाओं को दूर करने हेतु कौन–से उपाय हैं?
3. आपकी दृष्टि से आदर्श समावेशी विद्यालय कैसा होना चाहिए।
4. पाठ्यसहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? किन्हीं 7 वर्गीकरणों की जानकारी विशद करें।
5. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें–
   (क) समावेशी विद्यालय की भावभंगिमा की दृष्टि से बाधाएं।
   (ख) शारीरिक बाधाएं दूर करने हेतु उपाय।
   (ग) समावेशी पाठशालाओं की अधोसंरचना।
   (घ) रेनॉल्ड द्वारा सुझाई समावेशी शिक्षा की अधोसंरचना के तत्व।
   (च) संसाधन कक्ष का प्रबंधन।
   (छ) कक्षा में अपंगत्व के किन्हीं दो प्रकार के बालकों के लिए कौन–सी सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे।

टिप्पणी

(ज) संसाधन कक्ष प्रबंधन हेतु अध्यापक द्वारा कारकों की निर्मिती।

(झ) पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ।

6. समावेशी शिक्षा में सम्मिलित आई.सी.टी. के कुछ समान साधनों की विवेचना कीजिए।
7. दिव्यांग बालकों के अधिगम के सार्वभौमिक प्रारूप की व्याख्या कीजिए।
8. समावेशी शिक्षा में विभिन्न अक्षमताओं वाले दिव्यांग बालक होते हैं, उनकी निवास व्यवस्था हेतु पाठशाला में कौन–से उपाय करने होंगे? और क्यों?
9. शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब क्या है? विस्तृत विश्लेषण कीजिए।
10. समावेशी शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन साधनों में क्या फर्क होता है? विस्तारपूर्वक समझाइए।
11. बालकों को समावेशी शिक्षा में समावेशित कराने में अभिभावक की भूमिका की विवेचना कीजिए।
12. दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा में समावेशित करने के लिए समुदायों की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
13. समावेशी शिक्षा में अभिभावकों को समुपदेशन से आप क्या समझते हैं?
14. भारत में समावेशी शिक्षा के अधिनियम/कायदे–कानूनों की समीक्षा कीजिए।
15. समावेशी शिक्षा में अध्यापक के कौशल्य–गुणक विश्लेषण कीजिए।
16. समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्षमताओं तथा भूमिका पर प्रकाश डालिए।

2.15 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Loreman, Deppeler and Harvey, *Inclusive Education,* Allwenand Unwin Australia.
2. Corbett Jenny, 2001, *Supporting Inclusive Education*, Routledge Falmer.
3. Felicity Armstrong and Michele Moore, 2004, *Action Research for Inclusive Education*, Routledge Falmer.
4. Mike Adams and Sally Brown, 2006, *Towards Inclusive Learning in Higher Education*, Routledge.
5. Peter Mittler, 2000, *Working Towards Inclusive Education*, David Fulton Publishers.
6. Nind, Sheehy and Simmns, 2006, *Inclusive Education – Learners and Learning Context*, Devid Fulton Pub.
7. Advani, Lal. Chadha, Anupriya, 2003, *You and Your Special Child*, UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd. New Delhi.
8. Mahapatra, B.C., Sharma, Kaushal, *Inclusive Education in India*, Daryaganj, Delhi, Sarup and Sons, 2007.
9. Choate, J.S., 1997, *Successful Inclusive Teaching,* Allyn and Baeon Publishers.

टिप्पणी

10. Daniels, H., 1999, *Inclusive Education*, London: Kogan.
11. Garter, A. & Lipsky, D.D., 1997, *Inclusion and School Reform Transferring America's Classrooms*, Baltimore: P.H. Brookes Publishers.
12. Gore, M.C., 2004, *Successful Inclusion Strategies for Secondary and Middle School Teachers*, Crowin Press: Sage Publications.
13. Karten, T. J., 2007, *More Inclusion Strategies that Work*, Corwin Press, Sage Publications.
14. Rayner, S., 2007, *Managing Special and Inclusion Education*, Sage Publications.
15. Vlachou D.A., 1997, *Struggles for Inclusive Education: An Ethnographic Study*, Philadelphia: Opem University Press.
16. चव्हाण, (2006, 2007), नाशिक, 'विकास आणि अध्ययनाचे मानसशास्त्र', इनसाईट पब्लिकेशन।
17. फणसक्कर, (1990, 95, 96, 99, 2000), पुणे, "शिक्षण प्रवाह", जीवन शिक्षण प्रकाशन।
18. जगताप ह.ना., (1988-98), पुणे "शैक्षणिक आणि प्रायोगिक मानस शास्त्र," नूतन प्रकाशन।
19. कदम तेजस्विनी; (2007), "सैद्धान्तिक अधिष्ठान, शिक्षा शास्त्र", नाशिक, याज्ञी प्रकाशन।
20. Bhave, Shinde, Aher Vidap, (2016), "School & Inclusive Education", (Pune), Success Publication.
21. Suryavanshi Milind Bhave, Gudipudi, (2016), "Inclusive Education", Pune Success Publication.
22. Kad, Kurhade, Pongade, (2017), Education of Children with special needs., Pune, Success Publication.